

# शोधशौर्यम्



Website : <http://shisrrj.com>

**ISSN : 2581-6306**

Peer Reviewed and Refereed International Journal

: Editor-In-Chief :

Dr. Raj Kumar



**Volume 3, Issue 2, March-April-2020**

## **SHODHSHAURYAM INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED RESEARCH JOURNAL**

Email: [editor@shisrrj.com](mailto:editor@shisrrj.com)

Publisher Address :

3 & 4, Sterling Plaza,  
Indira Circle, 150 Feet Ring Road,  
Rajkot-360005, Gujarat, India



**शोधशौर्यम्**

**Shodhshauryam**

**International Scientific Refereed Research Journal**

[ Frequency: Bimonthly ]

**ISSN : 2581-6306**

**Volume 3, Issue 2, March-April-2020**

**International Peer Reviewed, Open Access Journal  
Bimonthly Publication**

**Published By  
Technoscience Academy**



**Website URL : [www.technoscienceacademy.com](http://www.technoscienceacademy.com)**

# Advisory/Editorial Board

## Editor-In-Chief

- **Dr. Raj Kumar**  
SST, Palamu, Jharkhand, India
- 

## Associate Editor

- **Prof. Dr. H. M. Srivastava**  
Department of Mathematics and Statistics, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada
  - **Dr. Ashok Kumar Mishra**  
Assistant Professor (Vyakaran), S. D. Aadarsh Sanskrit College Ambala Cantt Haryana, India
  - **Prof. Ajit Singh**  
Assistant Professor, Department of MCA, Patna Women's College, Patna, Bihar, India
  - **Dr. Somanath Dash**  
Assistant Professor, Department of Research and Publications, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India
  - **Dr. Raj Kumar Mishra**  
Assistant Professor, Department of Sahitya, Central Sanskrit University Vedavyas Campus Balahar Kangara Himachal Pradesh, India
- 

## Executive Editor

- **Dr. Sheshang D. Degadwala**  
Head of Computer Department, Sigma Institute of Engineering, Vadodara, Gujarat, India
-

## Editors

- **Dr. Ekkurti Venkateswarlu**  
Assistant Professor in Education, Sri Lal bahadur Sashtri National Sanskrit University, ( Central University ), New Delhi, India
  - **Rajesh Mondal**  
Research Scholar Department of Vyakarana, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India
- 

## Assistant Editors

- **Dr. Virendra Kumar Maurya**  
Assistant Professor- Sanskrit, Government P.G. College Alapur, Ambedkarnagar, Uttar Pradesh, India
- 

## International Editorial Board

- **Dr. Agus Purwanto, ST, MT**  
Assistant Professor, Pelita Harapan University Indonesia, Pelita Harapan University, Indonesia
- **Onu Peter**  
Asst. Professor, Mechanical Engineering, Kampala International University, Kampala, Uganda
- **Dr. Morve Roshan K**  
Lecturer, Teacher, Tutor, Volunteer, Haiku Poetess, Editor, Writer, and Translator  
Honorary Research Associate, Bangor University, United Kingdom
- **Dr. Raja Mohammad Latif**  
Assistant Professor, Department of Mathematics & Natural Sciences, Prince Mohammad Bin Fahd University, P.O. Box 1664 Al Jhobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia



- **Robbi Rahim**  
Faculty of Computer Science, Universitas Pembangunan Panca Budi, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Sei Sikambang, 20122, Medan, Sumatera Utara, Indonesia
- **Dr. Abul Salam**  
UAE University, Department of Geography and Urban Planning, UAE
- **Dr. Vaibhav Sundriyal**  
Department of Computer Engineering , Old Dominion University research Foundation, USA (Phd in Computer Engineering from Iowa State University, USA)
- **Dr. Katarzyna Pietrucha-Urbanik**  
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Rzeszow University of Technology, Poland
- **Indrasen Poola**  
Data Scientist & Artificial Intelligence - Industry Consultant & Professional Researcher, Palo Alto Networks, Santa Clara, CA, USA
- **Dr. Mohd Muntjir**  
Information Technology Department, College of Computers and Information Technology, Taif University, Al-Hawiya, Taif, Kingdom of Saudi Arabia
- **Vaibhav Sundriyal**  
Research Scientist, Old Dominion University Research Foundation, USA
- **Dr. Elsadig Gamaleldeen**  
Assistant Professor, Omdurman Ahlia University, Sudan
- **Dr. Yasin Ozdemir**  
Ataturk Bahce Kulturleri Merkez Arastırma Enstitusu, Gıda Teknolojileri Bolumu - Yalova
- **Frank Angelo Pacala**  
Samar State University, Samahang Pisika ng Pilipinas
- **Thabani Nyoni**  
Department of Economics Employers Confederation of Zimbabwe (EMCOZ) , University of Zimbabwe, Zimbabwe
- **Dr. Yasin Ozdemir**  
Ataturk Central Horticultural Research Institute, Department of Food Technologies, Yalova, TURKEY

- **Dr. Moustafa Mohamed Sabry Bakry**  
Plant Protection Research Institute, A.R.C, Dokii, Giza, Egypt
- **Dr. Muhammad Akram**  
Assistant Professor, Department of Eastern Medicine, Directorate of Medical Sciences, Faculty of Science and Technology, Government College University, Faisalabad, Pakistan
- **Dr. Andie Siahaan**  
Computer Science, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia
- **AbdulGaniyu Abdu Yusuf**  
Computer Science, National Biotechnology Development Agency (NABDA), Abuja, Nigeria
- **Dr. M. A. Ashabrawy**  
Computer Science and Engineering, Prince Sattm bin Abdulaziz University, Kingdom Saudi Arabia(KSA), Saudi Arabia
- **Lusekelo Kibona**  
Department of Computer Science, Ruaha Catholic University (RUCU) , Iringa, Tanzania
- **Md. Amir Hossain**  
IBAIS University/Uttara University, Dhaka, Bangladesh
- **Mohammed Noaman Murad**  
Department of Computer Science, Cihan University Erbil, Kurdistan Region, Iraq
- **Sanusi Abdullahi**  
Department of Physics, Usmanu Danfodiyo University Sokoto, Dundaye, Wamakko LGA, Nigeria  
Email : [abdullahi.sanusi@udusok.edu.ng](mailto:abdullahi.sanusi@udusok.edu.ng)
- **Mahasin Gad Alla Mohamed**  
Assistant Professor, Kingdom Saudi Arabia, Jazan University, Faculty of Education - Female Section, Sabya
- **SK. Saidhbi**  
Assistant Professor, Department of Information Systems, University of Gondar, Ethiopia

## Editorial Board

- **Dr. Kanchan Tiwari**  
Assistant Professor, Department of Sahitya, Uttarakhand Sanskrit University  
Haridwar, Uttarakhand, India
- **Dr. Ganeshwar Nath Jha**  
H.O.D Vyakaran Central Sanskrit University, Ekalavya Campus, Radha Nagar,  
Agartala Tripura, India
- **Dr. Anita Sengupta**  
Associate Professor, Sanskrit Department, Iswar Saran PG College, University of  
Allahabad, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Jitendra Tiwari**  
Assistant Professor, Sahitya, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Eklavya Campus,  
Radhanagar, Agartala, Tripura, India
- **Dr. Sudheer Singh**  
Associate Professor, Amity School of Architecture And Planning, Amity  
University, Gwalior, Madhya Pradesh, India
- **Dr. Shilpa Shailesh Gite**  
Assistant Professor, Symbiosis Institute of Technology, Pune, Maharashtra, India
- **Dr. Shanti Lal Salvi**  
Assistant Professor, Department of Literature, Faculty of Sanskrit Studies, Banaras  
Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Ajay Kumar Dwivedi**  
Director, MIMT, N4/7 Karaundi Crossing , BHU, Varanasi, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Arvind Bijalwan**  
Associate Professor (Agroforestry), College of Forestry, VCSG Uttarakhand  
University of Horticulture and Forestry, (A State Government Autonomous  
University), Ranichauri, Distt.-Tehri Garhwal, Uttarakhand, India
- **K. Jagadeesh**  
Assistant Professor , Noble Group of Institutions, Villupuram, Tamil Nadu, India
- **Rohit Kumar Verma**  
Researcher & Writer, Institute of Law, Jiwaji University, Gwalior, Madhya  
Pradesh, India

- **Dr. R. Reka**  
Professor & Head, Department of Computer Science & Engineering, Annai Mathammal Sheela Engineering College, Tamil Nadu, India
- **Dr. Nilamadhab Mishra**  
Post Graduate Teaching & Research Department, School of Computing, Debre Berhan University, Ethiopia, India
- **Dr. S. Ramkumar**  
Department of Computer Applications, Kalasalingam University, Krishnankoil, Sirivilliputhur, Palani, Dindugal, Tamil Nadu, India
- **Prof. Umesh Sehgal**  
Associate Professor, GNA University, Phagwara, Punjab, India
- **Dr. Ikvinderpal Singh**  
Department of Computer Science & Applications, Trai Shatabdi GGS Khalsa College, Amritsar, Punjab, India
- **Dr. Bhasker Mishra**  
Assistant Professor, Department of Political Science, H.N.B. Garhwal Central University, SRT Campus, Badshahithaul, Tehri, Uttarakhand, India
- **Dr. Nirajkumar C. Mehta**  
Associate Professor, Institute of Technology and Management Universe, Vadodara. Gujarat, India
- **Dr. Ranjana Rajnish**  
Assistant Professor, Amity Institute of Information Technology(AIIT), Amity University, Lucknow, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Ramu Nagarajapillai**  
Associate Professor and UGC Research Awardee, Department of Commerce, Annamalai University, Annamalai Nagar, Chidambaram, Tamil Nadu, India

# CONTENT

SR. NO	ARTICLE/PAPER	PAGE NO
1	वाक्यपदीये अपादानविमर्शः सोनमती पटेल	01-12
2	Air Pollution Effects on Plant Growth in three Sites of Hyderabad, Telangana A. Kavitha, Padala Tirupathi, A. Rajani	13-17
3	रससिद्धान्त में रससंख्या निर्धारण सम्बन्धित मान्यताएँ Dr. Rampratap Mishra	18-29
4	झाँसी के इतिहास में लक्ष्मीबाई का योगदान विनोद कुमार सिंह	30-32
5	नैषधीयचरितम् में अद्वैत वेदान्त की अवधारणा डॉ. (श्रीमती) मधु सत्यदेव	33-38
6	महिला सशक्तीकरण में सरकारी योजनाओं की भूमिका डॉ. हेमलता	39-42
7	ग्रामीण भारत में शिक्षा की वर्तमान स्थिति डॉ. राजन गुप्ता	43-46
8	संकेतितार्थनिर्णयः राजेश मण्डल	47-53
9	भारतीय जीवन और पर्यावरण का सह सम्बन्ध ओम प्रकाश सिंह यादव	54-58
10	उद्गम स्थान पर कर की कटौती: एक अध्ययन डॉ. राज कुमार	59-61
11	प्राचीनभारते व्यावसायिकनिर्देशनम् लक्ष्मीनारायण जेना	62-65

12	भवभूति के नाटकों में वाचिक-अभिनय: एक अनुशीलन इन्दल	66-70
13	जैव उर्वरक (कल्चर) डॉ. नरेन्द्र कुमार सांखला	71-100
14	महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन एवं कांग्रेस की प्रतिक्रिया गौरव	101-111
15	‘उत्तरसीताचरितम्’ में वर्णित नारी चेतना के अभिनव आयाम डॉ. सन्दीप कुमार द्विवेदी	112-119
16	आतंकवाद संकल्पना और आयाम डॉ. पूनम सिंह	120-125
17	शिक्षा में व्यावसायिक नैतिकता का योगदान डॉ. रुचि हरीश आर्य	126-129
18	Virtual and Classroom Learning in Higher Education during Pandemic : A Case Study Dr. Shiv Poojan Yadav	130-134
19	वित्तीय समावेशन एवं गरीबी उन्मूलन डॉ. अंग्रेज सिंह, पंकज कुमार वर्मा	135-141

## वाक्यपदीये अपादानविमर्शः



सोनमती पटेल

असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत-विभाग,

आर्यकन्या डिग्री कालेज, प्रयागराज,

उत्तर प्रदेश, भारत.

**सारांशः** - शोधपत्रस्य विषयः वर्तते “वाक्यपदीये अपादानविमर्शः” । अधिकारेऽस्मिन् अपादानस्य विवेचनं सम्प्राप्तः। भर्तृहरिः विभक्त्यनुक्रमेण सम्प्रदानं विविच्य विश्लेष्य वा अपादानं आरभते इति तट्टीकाकारौ व्यङ्क्तः। “ध्रुवमपायेऽपादानम्” इत्यत्र पाणिनिसूत्रे ध्रुवम्, अपाये च इति द्वयं संज्ञिदलम्, अपादानम् च संज्ञादलम्। कारकसंज्ञासूत्रेषु ध्रुवत्वात् प्रथमं अपादानम् संज्ञासूत्रम् सम्प्राप्तम्। अनन्तरं अध्रुवत्वात् तदेतरसंज्ञासूत्राणि। तत्र न अपादानस्य अवकाशः। वार्तिकेनापि प्रमाणितम् अपादानमुत्तराणि कारकाणि बाधन्ते। अपायो विश्लेषार्थे विभागार्थे वा प्रयुज्यते। भर्तृहरिः त्रिविधं अपादानं अङ्गीकृतम्।

**कूटशब्दाः** – साधनम् (कारकम्), अपायः, ध्रुवम्, अध्रुवम्, चलाचलौ, संरब्ध-उदासीनौ, गतिः, निर्दिष्टविषयं, उपात्तविषयं, अपेक्षितक्रियञ्च।

सर्ववेदपारिषदं हीदं व्याकरशास्त्रमिति महाभाष्यकृद्भिः भाष्ये प्रोक्तम्। व्याकरणशास्त्रस्य दार्शनिकनिदर्शनं कारिकामयवाक्यपदीये विशदीक्रियते भर्तृहरिणा। त्रिकाण्डात्मके वाक्यपदीये तृतीये पदकाण्डे चतुर्दशसमुद्देशाः वर्तन्ते। तत्र क्रमशः जातिसमुद्देशः, द्रव्यसमुद्देशः, सम्बन्धसमुद्देशः, भूयोद्रव्यसमुद्देशः, गुणसमुद्देशः, दिक्समुद्देशः, साधनसमुद्देशः, क्रियासमुद्देशः, कालसमुद्देशः, पुरुषसमुद्देशः, संख्यासमुद्देशः, उपग्रहसमुद्देशः, लिङ्गसमुद्देशः, वृत्तिसमुद्देशश्चेति विकीर्णा बहवः समुद्देशाः विलसन्ति। तत्र क्रमप्राप्ते सप्तमे साधनसमुद्देशे कर्म-कर्तृ-करण-हेतु-सम्प्रदानापादानाधिकरण-शेषाणामाधिकारा निरूपिताः सन्ति।

समुद्देशस्तु सम्यक्तया वस्तुस्थितेः बोधविषयस्य वा कथनम् एव समुद्देशः वर्तते। न्यायमार्गे तु ‘नाममात्रेण वस्तुसंकीर्तनमुद्देशः’ इति संकीर्तितम्<sup>1</sup>। अतः अत्र शब्दानुशासनस्य गूढविषयाणां ऋजुतया

<sup>1</sup> तर्कसंग्रहः, .....

प्रत्याख्यानमेव उद्देशः इति उचितम्। भर्तृहरिणा चतुर्दशसमुद्देशेषु निहिताः चत्वारः पदार्थाः –दिक्-साधन-क्रिया-कालाः इति शक्तिसमूहे ग्रथिताः। दिक् एका शक्तिः वर्तते, एवमेव साधनमपि शक्तिः इत्यत्र न कोऽपि संशयः।

साधनं<sup>2</sup> नाम कारकं इति पाणिनिना विरचितं 'कारके'<sup>3</sup> इति सूत्रस्य भाष्यव्याख्याने सिद्धम्। पतञ्जलिभर्तृहरिमते साधनशब्दः कारकार्थे प्रयुक्तः, यतोहि क्रियानिष्पत्तौ कर्ताप्रभृतयः साधनानि एव भवन्ति। तात्पर्यं वर्तते यत् क्रियानिष्पत्तेः सामर्थ्यं शक्तिः वा यस्मिन् वर्तते तदेव साधनं। पतञ्जलिः 'सप्तमीपञ्चमौ कारकमध्ये' इति सूत्रस्य व्याख्याने साधनं शक्तिपरम् अनुगृह्णाति<sup>4</sup>। बनमाली विस्वालिः ब्रवीति<sup>5</sup> – कारकशब्दः तम् सामर्थ्यं अथवा ताम् क्षमतां दर्शयति यस्मिन् यस्यां वा किमपिवस्तु क्रियासमुत्पादने प्रधानभूमिकां प्रतिपादयति। सा कदाचित् भावनारूपेण अनुभूयते। यद्यपि सा शक्तिः प्रधानतया एकैव- कर्तृत्वशक्तिः वर्तते। परञ्च सैव अवान्तरव्यापारविवक्षया कर्तृ-कर्मादिषड्-रूपेषु विभज्यते<sup>6</sup>। एवमेव व्याकरणपरंपरायां षट्कारकाणि स्वीक्रियन्ते।

भर्तृहरिरपि इमामेव परंपरां अनुसरति। तत्र कर्तृ-कर्मन्-करण-सम्प्रदान-अपादान-अधिकरणानि नाम <sup>7</sup>। एतानि कारकाणि प्रथमा-द्वितीया-तृतीया-चतुर्थी-पञ्चमी-सम्बोधनेभ्यः ज्ञायन्ते। तेषां विभक्तीनामर्थोऽपि वाच्यः<sup>8</sup>।

भर्तृहरिः 'सामर्थ्यं साधनम्'<sup>9</sup> इति विविच्य स्वौजसमौट्... सूत्रस्थविभक्तिविधानक्रमेण कारकं समारभते। अष्टाध्याय्यां स्वादिविधिविधानं येन क्रमेण उपस्थाप्यते, तेनैवक्रमेण इह वाक्यपदीये कारकाणि विविच्यन्ते।

वाक्यपदीयस्य साधनसमुद्देशे 'स्वौजसमौट्' <sup>10</sup> इति सूत्रनिर्दिष्टविभक्त्यनुक्रमानुसारेण कर्मादिकारकनिर्देशः प्रतिपादितः। परञ्च अष्टाध्याय्यां 'विप्रतिषेधे परं कार्यम्'<sup>11</sup> इति नियमसूत्रेण

<sup>2</sup> साधन-नपुं०, सिध्-णिच् साधनादेशे यथायथं करणे भावे ल्युट् कर्तरि ल्यु वा। वाचस्पत्यम्, भाग-६, पृ०-५२७८

<sup>3</sup> कारक इति महती संज्ञा क्रियते। तत्र महत्याः संज्ञाकरणे एतत्प्रयोजनम्-अन्वर्थसंज्ञा। करोतीति कारकमिति। म.भा. १-४-२३

<sup>4</sup> नान्तरेण साधनं क्रियायाः प्रवृत्तिर्भवति। क्रियामध्यं चेत् कारकमध्येमपि भवति। तत्र कारकमध्ये इत्येव सिद्धम्। (तद्वता शक्तिरुच्यते इत्याह शक्तिरिति)।

म०भा०प्र०उ०, २-३-७

<sup>5</sup>The term Kāraka briefly denotes the capacity in which a thing becomes instrumental in bringing about an action. This capacity is looked upon as the sense of the case affixes which express it. There are six kārakas accepted by most of the grammarians including Bhartṛhari, namely कर्तृ-कर्मन्-करण-सम्प्रदान-अपादान-अधिकरण. To express them, the respective case affixes like- प्रथमा-द्वितीया-तृतीया-चतुर्थी-पञ्चमी and सप्तमी are used. 'Bhartṛhari as a Grammarian & philosopher', Banamali Bisval, P.102

<sup>6</sup> निमित्तभेदादेकैव भिन्ना शक्तिः प्रतीयते। षोढा कर्तृत्वमेवाहुस्तत् प्रवृत्तेर्निबन्धनम्॥ वाक्यपदीयं, तृतीयं काण्डं, साधनसमुद्देशः-३७

<sup>7</sup> कर्ता, कर्म च करणं सम्प्रदानम् तथैव च। अपादानाधिकरणं इत्याहुः कारकाणि षट्। परमलघुमञ्जूषा, कारकार्थनिरूपणम्।

<sup>8</sup> आश्रयोऽवधिरुद्देश्यः सम्बन्धः शक्तिरेव वा। यथायथं विभक्त्यर्थाः सुपां कर्मेति भाष्यतः॥ वैयाकरणभूषणसारे, सुबर्थनिर्णयः-२४

<sup>9</sup> स्वाश्रये समवेतानां तदवदेवाश्रयान्तरे क्रियाणामभिनिष्पत्तौ सामर्थ्यं साधनं विदुः॥ साधनसमुद्देशः, कारिका -१

<sup>10</sup> पा०अ०, ४-१-२

<sup>11</sup> पा०अ०, १-४-२



अनुरुध्य अपादानादिक्रमेण पाणिनिः उक्तः। भाष्येऽपि उक्तं ‘अपादानसंज्ञामुत्तराणि कारकाणि बाधन्ते’<sup>12</sup> यथा- ‘धनुषा विध्यति’, ‘कंसपात्र्यां भुङ्क्तेत्यादयः’। ‘धनुषा विध्यत’ इति अपाययुक्तत्वात् ‘ध्रुवमपायेऽपादानम्’ इति अपादानसंज्ञा प्राप्नोति, ‘साधकतमं करणम्’ इति च करणसंज्ञा। सा परा भवति<sup>13</sup>। तत्र विभक्तयः स्वौजसमित्यादयः वर्तन्ते। कारकमभिहितमनभिहितं च भवति। तत्र अभिहितकारकविभक्तिः प्रथमा। सा प्रतिपादकार्यमात्रे एव विधीयते। द्वितीयादयश्च सर्वाः विभक्तयः अनभिहिते कारके भवन्ति। अतो हेतो विप्रतिषेधसूत्रानुसारेण पाणिनिग्रन्थे विहितस्यापादानादिकारकविशेषनिर्देशस्यानेकप्रक्रमत्वात् ‘स्वौजसमौट्’ इति द्वितीयादिनिर्देशस्य च एकप्रक्रमत्वात् द्वितीयाद्यर्थानुसारेणैव इह कारकक्रमं आरभते।

विषयेऽस्मिन् दार्शनिकानां मध्ये बहवः विप्रतिपत्तयः अनुभूयन्ते। एतेषां विप्रतिपत्तीनां मूलं वाक्यपदीयम्। अतो हेतो वाक्यपदीयं अन्वेषणीयम्।

शोधपत्रस्य विषयः वर्तते “वाक्यपदीये अपादानविमर्शः”। अधिकारेऽस्मिन् अपादानस्य विवेचनं सम्प्राप्तः। भर्तृहरिः विभक्त्यनुक्रमेण सम्प्रदानं विविच्य विश्लेष्य वा अपादानं आरभते इति तट्टीकाकारौ व्यङ्क्तः।<sup>14</sup> “ध्रुवमपायेऽपादानम्”<sup>15</sup> इत्यत्र पाणिनिसूत्रे ध्रुवम्, अपाये च इति द्वयं संज्ञिदलम्, अपादानम् च संज्ञादलम्। कारकसंज्ञासूत्रेषु ध्रुवत्वात् प्रथमं अपादानम् संज्ञासूत्रम् सम्प्राप्तम्। अनन्तरं अध्रुवत्वात् तदेतरसंज्ञासूत्राणि। तत्र न अपादानस्य अवकाशः। वार्तिकेनापि प्रमाणितम् ‘अपादानमुत्तराणि कारकाणि बाधन्ते’<sup>16</sup>।

“ध्रुवमपायेऽपादानम्”<sup>17</sup> इति अपादानसंज्ञकसूत्रे यत् विश्लेषजनकक्रियायां यदवधिभूतं अर्थं तस्यापादानसंज्ञा वर्तते। अर्थात् विश्लेषे यः ध्रुवत्वेन निश्चलत्वेन विवक्षितः, तस्य अपादानसंज्ञा भवति। यथा – ग्रामात् आगच्छति इत्यत्र ग्रामात् पार्थक्यभावो अपायः वर्तते। अपायो विश्लेषे विभागार्थे वा प्रयुज्यते। आगमनक्रियायां ग्रामस्य ध्रुवत्वात् स्थिरत्वात् तस्य अपादानसंज्ञा अभूत्। “अपादाने पञ्चमी<sup>18</sup>” इति विधिसूत्रात् पञ्चमी विभक्तिः प्रयोज्या।

<sup>12</sup> महाभाष्यम्, १-४-१

<sup>13</sup> अपायविवक्षया विना धनुषो व्यधेः साधकतमत्वाभावात् संज्ञाद्वयप्रसंगे परत्वात्करणसंज्ञा भवति। महाभाष्यम्, प्रदीपः, १-४-१

<sup>14</sup> “विभक्तिविधानक्रमेण विभक्त्यर्थविचारे प्रवृत्ते चतुर्थ्यर्थे निर्णीते इदानीं प्राप्तावसरं पञ्चम्यर्थं अपादानम् विचारयितुमाह”

वा०प०,साधनसमुद्देशः,प्रकाशास्वाकर्त्रीटीके, कारिका -१३६

<sup>15</sup> पा०अ०,१-४-२४

<sup>16</sup> महाभाष्यम्, वार्तिकम्, १-४-२३

<sup>17</sup> पा०अ०,१-४-२४

<sup>18</sup> पा०अ०, २-३-२८

## अपाये ध्रुवपदस्यार्थः –

ध्रुवत्वविषये वैयाकरणानां मतभेदः जातः। 'ध्रु' धातुः 'गतिस्थैर्ययोः' इति अर्थद्वये प्रयुङ्क्तः। ध्रुवम् इति अवधिभूतम्। द्वयोः संयुक्तपदार्थयोः एकस्य चलनक्रियायाः विश्लेषस्य स्थितिः जायते। अत्र एतादृशचलनक्रियायां यत् अनाश्रयभूतं तद्ध्रुवत्वम्<sup>19</sup>। भाष्यकारदृशि<sup>20</sup> "ग्रामात् आगच्छति शकटेन" इत्यत्र अपाये शकटस्यापि साधनत्वेन अपादानसंज्ञा प्रसज्येत। अतः शकटस्यापादानत्वविरहे 'ध्रुवम्' इति पदं अर्हम्।

भर्तृहरिं प्रमाणरूपेण विचिन्त्य कौण्डभट्टः ध्रुवपदं लक्षयति – "प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूतव्यापाराश्रयत्वे सति तज्जन्यविभागाश्रयत्वं ध्रुवत्वम्"<sup>21</sup> इति प्रस्तूय भर्तृहरेः कारिकां द्योतयति।

प्रश्नः समुद्यते यत् गतियुक्तेषु पदार्थेषु अपायः संभवति वा न वा?

भर्तृहरिः ध्रुवपदस्य का गतिः? इत्यत्र "संयोगिभेदात् भिन्नात्मा, गमिरेव भ्रमिर्यथा इति कारिकातः आरभ्य गतिर्विना तु अवधिना नापाय इति गम्यते"<sup>22</sup> इति कारिकापर्यन्तम् गतियुक्तध्रुवत्वम् प्रतिपादितम् -अत्र गतियुक्तेष्वपि अपादानं भर्तृहरेरभिमतम्। येन प्रकारेण दिग्विशेषावच्छिन्नं यो गमनकर्तुः संयोगो विभागो वा यथा- गमिः अर्थात् गमनम् एव भ्रमणम् इति उच्यते तथैव ध्रुवावधिः अर्थात् ध्रुवमचलमवधिः यस्य सः ध्रुवावधिकः अध्रुवे अर्थात् चले समवेतो गतिविशिष्ट अपाय अस्मिन्शास्त्रे व्यवहियते<sup>23</sup>।

अपाये गतिस्थैर्यभावौ तट्टीकाकारौ भाष्यमनुरुध्य विश्लेषयतः - यथा गमनक्रियाया उत्तरदेशसंयोगो उत्पद्यते तथैव पूर्वदेशविभागोऽपि। अत्र वैशिष्ट्यः वर्तते यत् संयोगो गम्-धातोरर्थः वर्तते। परञ्च विभागो अवाच्योऽपि संयोगानुपपत्त्या आक्षिप्यते। अतः गम्यर्थसंयोगेन सह साहचर्यात् सामानाधिकरण्यात् विभागेऽपि अवधिः स्वीकृतः। तेन दिग्विशेषावच्छिन्नसंयोगविभागरूपकार्यं गमनमेव यथा भ्रमणम् इति व्यपदिश्यते। अपि च गमनग्रहणात् भ्रमणरेचनस्यन्दनादयो स्वीक्रियन्ते। एवम्प्रकारेण ध्रुवमचलमनाश्रितमवधिर्यस्य स तथाभूतः अध्रुवे-चले समवेतः , गतिविशेष एव अपायाख्यो बोद्धव्यः। लोके ध्रुवपदं स्थिरार्थे अचलार्थे प्रसिद्धम्। लोकार्थमनुमोदनाय एव कात्यायनेन वार्तिकं प्रणीतम् – "गतियुक्तेष्वपादानसंज्ञा न उपपद्यते, अध्रुवत्त्वात्"<sup>24</sup>। धावतो अश्वात् पतितः, गच्छतः

<sup>19</sup> "द्वयोः संयुक्तयोरन्यतरस्य चलनात् विश्लेष इति स्थितिः। तत्र तादृशचलनानाश्रयभूतं ध्रुवम्"। सिद्धान्तकौमुदी, बालबोधिनी, १-४-२८

<sup>20</sup> महाभाष्यम्, १-४-२४

<sup>21</sup> वैयाकरणभूषणसारः....

<sup>22</sup> वा०प०, साधनसमुद्देशः, १३७-१४३

<sup>23</sup> संयोगिभेदाद्भिन्नात्मा गमिरेव भ्रमिर्यथा। ध्रुवावधिरपायोऽपि समवेतस्तथाऽध्रुवे॥ वा०प०, साधनसमुद्देशः, कारिका , १३७॥

<sup>24</sup> महाभाष्यम्, वार्तिकम्, १-४-२५

सार्थाद् हीनः, इत्यादौ गतियुक्तेष्वपादानसंज्ञिषु ध्रुवत्वस्य स्थिरत्वस्य अभावात् अपादानसंज्ञा न प्रसज्येत। परञ्च शास्त्रदृशा वार्तिकम् पुनः प्रणीतम्- “न वाऽध्रौव्यस्याविवक्षितत्वात्”<sup>25</sup>। अर्थात् चलेऽपि अध्रुवस्य अविवक्षया ध्रुवत्वं निश्चितम्।

तात्पर्यं वर्तते यत् सतोऽप्यविवक्षा स्यात्। यथा –अनुदरा कन्या। अलोमिका एडका। अत्र लोमोदर्योः भावे अपि तयोः अविवक्षा स्यात्। एवमेव असतः विवक्षा दृश्यते –यथा- समुद्रः कुण्डिका, विन्ध्यो वर्धितकम् इत्यादौ। अतस्मात् सतोऽपि अध्रौव्यस्याविवक्षितत्वेन अश्वसार्थयोः ध्रुवत्वविवक्षया अपादानत्वं स्यात् इति भाष्यानुमोदितं भर्तृहरेर्मतम्।

**अपादानविषये चलाचलस्थितिः अथवा संरब्धोदासीनभावः -**

शास्त्रे अनुमोदितं ध्रुवं, कूटस्थं निष्क्रियम् द्रव्यस्वभावप्राप्तं यत् ध्रौव्यं तद् ध्रुवमपायेऽपादानम् इति पाणिनिसूत्रे न ग्राह्यः, चलनस्य असंसर्गी अत्र ध्रुवपदस्यार्थः स्यात्। अतस्मात् अपाये साध्ये यद् ध्रुवम् अपायेनासंस्पृष्टम् तदपादानम् स्यात्। अतो हेतो ‘धावतोऽश्वात् पतितः’ इत्यत्र अश्वस्य धावनाश्रयत्वेऽपि पातक्रियायां अश्वस्य अकर्तृत्वं वर्तते। पातस्य कर्तृत्वं अश्वनिष्ठवेगे भवति। अतस्मात् अत्र अश्वस्य ध्रुवत्वमस्ति।

संरब्धोदासीनोभयकर्तृकः सर्वत्र अपायः भवति। ‘धावतोऽश्वात् पतति’ इत्यत्र पाते अश्व उदासीनः स्यात्। अपायाश्रयस्तु संरब्धः (चलः) अर्थात् अश्वनिष्ठवेगवत्तरः। आशुगामित्वमित्यर्थः। अध्रौव्यस्याविवक्षितत्वात् इति वार्तिकेन आशुगामित्वमत्र अविवक्षितः। अतस्मात् अश्वस्यापादानत्वं सिद्धम्।

अन्यत्रापि हरिकारिका इति नाम्ना प्रस्तुतोऽयं विषयः-

“अपाये यदुदासीनं चलं वा यदिवाऽचलम्। ध्रुवमेवातदावेशात् तदपादानमुच्यते”<sup>26</sup> ।

भावार्थः वर्तते, अचलं यदि वा चलं यत् कारकं अपाये अर्थात् विश्लेषहेतुक्रियायां उदासीनम् अर्थात् अनाश्रयत्वेन तिष्ठति, तद् क्रियानाश्रयत्वात् ध्रुवम्, अतः तदपादानमिष्यते। कौण्डभट्टः ध्रुवस्य लक्षणं परिष्करोति- “विश्लेषहेतुक्रियानाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्रयत्वं ध्रुवत्वम्”<sup>27</sup>। तन्मते एतत् अवधिभूतं ध्रुवम् सक्रियनिष्क्रियभेदेन द्वैविध्यं प्राप्नोति। धावतोऽश्वात् पतति इत्यत्र चलम् अश्वादिकम्, ग्रामात् आयाति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति इत्यत्र अचलम् ग्रामवृक्षादिकम्।

<sup>25</sup> महाभाष्यम्, वार्तिकम्, १-४-२५

<sup>26</sup> वैयाकरणभूषणसारः, सुबर्थनिर्णयः

<sup>27</sup> वैयाकरणभूषणसारः, सुबर्थनिर्णयः।

प्रसंगेऽस्मिन् शंका आविर्भवति यत् 'कुड्यात् पततोऽश्वात् पतति चैत्रः' इति वाक्येऽस्मिन् विश्लेषहेतुपतनक्रियायाः आश्रयत्वे अश्वस्य अवधित्वं न सिद्धयति, अत्र अपादानस्यावकाशः भवितुं शक्यति। परञ्चात्र शंका निवारिता- ध्रुवत्वे विश्लेषसामान्यं न अपेक्षितम् अपितु तद्व्यक्तित्वेन विश्लेषः अभीष्टः। अतएव कुड्यात् पततोऽश्वात् पतति चैत्रः इत्यस्मिन् स्थले चैत्रनिष्ठपतनक्रियानिरूपितं अवधित्वम् अश्वे अस्ति, अपि च पतनक्रियायाः चैत्रनिष्ठत्वात् अश्वे तदनाश्रयत्वमपि वर्तते। एवमेव अश्वनिष्ठपतनक्रियायाः अवधित्वं कुड्ये स्यात्। अतो हेतो अत्र अश्वकुड्योः ध्रुवत्वम् निर्विवादम् इति कारिकायां<sup>28</sup> स्पष्टम्।

### समीक्षा –

भर्तृहरेः टीकाकारौ संरब्धोदासीनेति साधनद्वयसाध्यं अपादानमुच्यते। (इत्यादिपदेन महाभाष्यस्य उद्योतटीका<sup>29</sup> वर्तते, तत्रापि इयमेव कारिका एतस्मिन्प्रसंगे उद्धृता)। अत्र संरब्धः अर्थात् चलः अश्वादिः अपि च उदासीनः – अचलः ग्रामादिः इत्यर्थः। परञ्च भूषणसारेत्यादौ<sup>30</sup> अपाये उदासीनभावस्यैव स्थितिद्वयं चलं वा अचलं वा इति स्वीकृतः। वाक्यपदीयस्य व्याख्यानद्वये उदासीने न द्वयोः चलाचलयोः अन्तर्भावः क्रियते। तत्र तु संरब्धोदासीनोभयकर्तृकः अपायः अङ्गीकृतः इति विशेषः।

धावतोऽश्वात् पतितः इत्यत्र तु क्रियायाः अनावेशात् अश्वस्य ध्रुवत्वम् उक्तम्। परञ्च “परस्परात् युध्यतो मेषौ अपसरतः” इत्यत्र मेषद्वयक्रियाजन्ये अपाये उभौ अपि मेषौ कर्तृत्वेन अध्रुवौ स्तः। अतस्मात् अत्र अपादानत्वं न विवक्षितम्। किञ्च अत्रापि अपादानत्वं स्यात्। एकस्मिन्नेव अपाये तद्विभागजनकक्रिया व्यक्तिभेदात् भिन्ना प्रतीयते। अतएव एतन्मेषनिष्ठक्रियायाः अपरमेषे अभावात् अनाश्रयत्वात् वा उभयोः मेषयोः अपादानत्वं ग्राह्यम्। प्रोक्तं च वाक्यपदीये –

“मेषान्तरक्रियापेक्षमवधित्वं पृथक्-पृथक्। मेषयोः स्वक्रियापेक्षं कर्तृत्वं च पृथक् पृथक्”<sup>31</sup>।

अर्थात् इतरमेषक्रियायां इतरमेषस्यानावेशात् इतरमेषापसरणक्रियायां इतरस्य ध्रौव्यम्। स्वक्रियायां तु द्वयोः मेषयोः कर्तृत्वं पृथक् पृथक् आचक्षते। द्वयोः मेषयोः परस्परं एकस्यापेक्षया अपरस्य अवधित्वं पुनः अपरस्य अपेक्षया तस्यापि ध्रुवत्वम् निश्चितम्। परञ्च यदा मेषयोः परस्परं अवधिभावो न

<sup>28</sup> “पततो ध्रुव एवाश्वो यस्मादश्वात्पतत्यसौ । तस्याप्यश्वस्य पतने कुड्यादिध्रुवमिष्यते”॥ वैयाकरणभूषणसारः, सुबर्थनिर्णयः

<sup>29</sup> “न वाऽध्रौव्यस्याविवक्षितत्वात्” अपाये यदुदासीनम्.. । महाभाष्यम्, वार्तिकम्, उद्योतः, १-४-२४

<sup>30</sup> सिद्धान्तकौमुदी, बालबोधिनी, १-४-२८

<sup>31</sup> वा०प०, साधनसमुद्देशः, कारिका - १४१

विवक्ष्यते, तदा अन्यो पर्वतादिः अवधित्वं न तु मेषयोः<sup>32</sup>। तत्र तु पर्वतात् मेषौ अपसरतः इति अपादानसंज्ञा।

एवम्प्रकारेण अपायो द्विविधः विवक्षितः। अन्यतरकर्मजः उभयकर्मजश्च। स्थाणो श्येनो अपसर्पति इत्यत्र अन्यतरकर्मजे विभागे अपायजनकक्रियायाः आश्रयविरहात् उदासीनत्वात् वा स्थाणोः ध्रुवत्वम् अक्षुण्णम्। परस्परान्मेषौ अपसरतः इत्यत्र उभयक्रियाजन्यापाये यद्यपि उभौ अपि मेषौ अपायाश्रयत्वात् अध्रुवौ स्तः। तथापि अपसर्पतो मेषात् मेषो अपसरति इत्यत्र कर्तृभेदात् भिन्न एव अपायरूपे क्रिये इतरापायेन इतरस्यानावेशात् द्वयोः मेषयोः ध्रुवत्वम् अपि च अवधित्वम् ग्राह्यम्। एवं अपादानत्वं सिद्धम्।

अपादानस्य प्रसंगे अवधिं विहाय गतिमात्रेण अपायो न भवति। उच्यतेऽपि - “विभागजसंयोगानुकूलोऽवधिसाकांक्षो गतिविशेषः अपायः”<sup>33</sup>। अतएव अवधिना विना गतिः अपायः न स्वीक्रियते। प्रदीपे कैयटः ख्यापयति- “सति ह्यवधौ गतिरपायो भवति, नान्यथा गतिविशेषत्वात् अपायस्य इति”। गतौ अवधेः अपरिहार्यत्वात् ‘वृक्षात् पर्णं पतति’ इत्यत्र पत्रस्य पतनक्रियायां यदि वृक्षः अवधित्वेन विवक्षितः तर्हि ‘वृक्षात् पर्णं पतति’ इति षष्ठी प्रयुक्तः।

भर्तृहरिः आह - “गतिर्विना तु अवधिना न अपाय इति कथ्यते। वृक्षस्य पर्णं पतति इत्येवं भाष्ये निदर्शितम्”<sup>34</sup> तात्पर्यं वर्तते, वृक्षसम्बन्धिनः पर्णस्य पातोऽत्र वाक्यार्थो विवक्षितः, न त्वत्र वृक्षस्य अवधित्वविवक्षा वर्तते। अतः अत्र अपायो न भवति। वार्तिकेऽप्युक्तम् “न वाऽपायस्याविवक्षितत्वात्”<sup>35</sup>। यदि अपायो अत्र विवक्ष्यते तदा वृक्षस्यावधित्वात् ‘वृक्षात् पर्णं पतति’ इति भवति। तत्र न बोध्यते कस्य सम्बन्धिपर्णं कङ्कस्य वा कुररस्य वा इत्यर्थः।

अध्रुवत्वात् गतियुक्तेष्वपादानसंज्ञा न उत्पद्यते। अचलं ध्रुवं एकरूपं चेति परिस्पन्दे ध्रुवता न भवितुं शक्यते। यथा - अश्वत्रस्तादिति। अत्र त्रासपूर्वके परिस्पन्देऽनेकार्थत्वात् धातूनां त्रसिर्वर्तते। त्रस्तश्चाश्वः पातस्य निमित्तम् भवति। अतस्मात् पूर्वमश्वस्य त्रस्तत्वेन सह सम्बन्धः, अनन्तरं पतित इति अनेन। अतः ध्रुवताऽत्र अश्वस्य नास्ति<sup>36</sup>।

<sup>32</sup> “अभेदेन क्रियैका तु द्विसाध्या चेत् विवक्षिता। मेषावपाये कर्तारौ यद्यन्यो विद्यतेऽवधिः।” वा०प०, साधनसमुद्देशः, १४२

<sup>33</sup> परमलघुमञ्जूषा, कारकविचारः।

<sup>34</sup> वाक्यपदीयम्, साधनसमुद्देशः, १४३

<sup>35</sup> महाभाष्यम्, वार्तिकम्, १-४-२३

<sup>36</sup> महाभाष्यम्, प्रदीपः, ध्रुवमपायेऽपादानम्, १-४-२४

## भर्तृहरेर्मते अपादानस्य भेदत्रयम्, तल्लक्षणं च -

भर्तृहरिः विभक्तिविधानक्रमेण सम्प्रदानम् विविच्य क्रमप्राप्तं अपादानम् व्यनक्ति। अत्र त्रिविधं अपादानम् व्याख्यातम्-निर्दिष्टविषयमुपात्तविषयमपेक्षितक्रियञ्चेति<sup>37</sup>।

अपाये साध्ये यद् ध्रुवम् एकरूपम् तद् साधनं अपादानम् स्यात्। अवधिविशेषापेक्षत्वात् चलाचलोभयकर्तृकोऽपायः अपादानस्य विषयः सः निर्दिष्टः स्वशब्देनोपात्तः लभ्यः वा तद् प्रथमं अपादानम्। यथा- चैत्रः ग्रामात् आगच्छति, पर्वतात् अवरोहति। इत्यत्र अपायस्य विभागरूपस्य द्विष्टत्वात् ग्रामचैत्रौ पर्वतचैत्रौ च उभौ अपाये कर्तारौ स्तः। तत्र ग्रामोऽचलः चैत्रस्तु चलः एवमेव पर्वतोऽपि अचलः। अत्रागमनं अवरोहणं च स्वरूपेण जन्यजनकयोरभेदमादाय वाऽपायः। स चात्र साक्षात् धातुना निर्दिष्टत्वात् निर्दिष्टविषयं अपादानम् वर्तते।

द्वितीयं अपादानम् वर्तते उपात्तविषयं। यत्र गुणभावेन प्रधानभावेन अथवा धात्वर्थेन स्वान्तर्गृहीतोऽपायलक्षणो विषयो येन तदुपात्तविषयम्। यथा – बलाहकात् विद्योतते विद्युत् इत्यत्र बलाहकात् निःसृत्य ज्योतिः विद्योतते अथवा बलाहकात् विद्योतनं निःसरति इत्यर्थः। अत्र निःसरणाङ्गे विद्योतने , विद्योतनाङ्गे निःसरणे वा विद्युतिः वर्तते। अत्र निःसरणरूपोऽपायो धात्वर्थविद्योतनेन गुणतया प्राधान्येन वा उपात्तः इति उपात्तविषयं अपादानम्। अन्यत्रापि यथा कुसूलात् पचति, ब्राह्मणाच्छंसी इति। प्रथमं तावत् आदानाङ्गे पाके पचिः वर्तते। कुसूलात् आदाय पचति इत्यर्थः। अपरे ग्रहणाङ्गे शंसने शंशिर्वर्तते। ब्राह्मणग्रन्थात् गृहीत्वा शंसति इत्यर्थः।

अपेक्षितक्रियं अपादानम् तत्र वर्तते यत्र अपायरूपा क्रिया अपेक्षिता वर्तते। यथा – ‘मथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः’ अत्र प्रकर्षार्थकतरप्प्रत्ययसामर्थ्यात् विभागहेतुः अनुमीयमानापकर्षक्रिया अपायलक्षणे अपेक्षिता क्रिया असौ अत्र, अपेक्षितक्रियं अपादानम्।

निष्कर्षतः निर्दिष्टविषयं उपात्तविषयं अपेक्षितक्रियञ्चेति त्रिविधं अपादानम् शब्दशास्त्रे सम्मतम्। एवमेव त्रिविधमेवापादानं ध्रुवमपायेऽपादानम् इत्येकेनैव सूत्रेण भासितम्। तथापि “भीत्रार्थानां भयहेतुः”<sup>38</sup> इत्यादिसूत्रात् लक्षितं अपादानं बालानां सुखबोधाय विरच्यते इति भर्तृहरिमते<sup>39</sup>। इत्यलम्।

<sup>37</sup> “निर्दिष्टविषयं किञ्चिदुपात्तविषयं तथा। अपेक्षितक्रियं चेति त्रिधापादानमुच्यते” वा०प०, साधनसमुद्देशः, कारिका-१३६॥

<sup>38</sup> पा०अ०, १-४-२५

<sup>39</sup> “निर्धारणे विभक्ते यो भीत्रादीनां च यो विधिः। उपात्तापेक्षितापायः सोऽबुधप्रतिपत्तये”। वा०प०, तु०का०, साधनसमुद्देशः, कारिका -१४७

## सन्दर्भग्रन्थसूची

### प्राथमिकस्रोतांसि –

- भर्तृहरिः, वाक्यपदीयम्, पदकाण्डम्, प्रथमो भागः, (व्याख्याद्वयोपेतम्) सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, २०१६
- भर्तृहरिः, वाक्यपदीयम्, पदकाण्डम्, द्वितीयो भागः, (व्याख्याद्वयोपेतम्) सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, २०१६
- भर्तृहरिः, वाक्यपदीयम्, पदकाण्डम्, तृतीयो भागः, (व्याख्याद्वयोपेतम्) सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, २०१६
- भर्तृहरिः, वाक्यपदीयम्, तृतीयकाण्ड, प्रथमो भागः, अय्यर, सुब्रमनिय (सम्पादक), डेक्कन कालेज पोष्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे, १९९४
- भर्तृहरिः, वाक्यपदीयम्, हरिनारायण तिवारी (व्याख्याकार एवं सम्पादक), प्रथमो भागः, ब्रह्मकाण्डम्, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी, २०१५
- भर्तृहरिः, वाक्यपदीयम्, हरिनारायण तिवारी (व्याख्याकार एवं सम्पादक), द्वितीयो भागः, वाक्यकाण्डम्, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी, २०१५
- भर्तृहरिः, वाक्यपदीयम्, हरिनारायण तिवारी (व्याख्याकार एवं सम्पादक), तृतीयो भागः, पदकाण्डम् (पदकाण्डे प्रथमो भागः), चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी, २०१५
- भर्तृहरिः, वाक्यपदीयम्, हरिनारायण तिवारी (व्याख्याकार एवं सम्पादक), तृतीयो भागः, पदकाण्डम् (पदकाण्डे द्वितीयो भागः), चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी, २०१५
- तर्कालंकारः, जगदीशः, शब्दशक्तिप्रकाशिका, चौखम्बा संस्कृत प्रकाशन, वाराणसी, वि०सं० २०७०
- पतञ्जलिः, व्याकरणमहाभाष्यम् (भाग- १, २, ३, ४, ५), भार्गवशास्त्री जोशी, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, २०१४
- पतञ्जलिः, महाभाष्यम्, युधिष्ठिरो मीमांसकः, श्री प्यारेलाल द्राक्षादेवी न्यास (ट्रस्ट) सी० ४, सी०सी०कालोनी, दिल्ली, वि.सं. २०३१
- भट्टोजिदीक्षितः, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (कारकान्तः प्रथमो भागः), गोपालदत्तपाण्डेयः (व्या०), चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, २०१७

- वामनजयादित्यौ, काशिका 'प्रकाश-हिन्दीव्याख्योपेता' (प्रथमो भागः, द्वितीयो भागः) नारायणमिश्रः(व्या०), चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, वि०सं० २०६२
- भट्टोजिदीक्षितः,वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (प्रथमो भागः, द्वितीयो भागः, तृतीयो भागः, चतुर्थो भागः), ईश्वरचन्द्रः, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान,दिल्ली, २०१०
- भट्टः, नागेशः, परमलघुमञ्जूषा, जयशंकरलालत्रिपाठी, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, वि०सं०, २०४१
- भट्टः, नागेशः, परमलघुमञ्जूषा, लोकमणिदाहालः, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, २०१३
- भट्टः, कौण्डः, वैयाकरणभूषणसारः, चन्द्रिका प्रसाद द्विवेदी, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, २०१६
- भट्टः, कौण्डः, वैयाकरणभूषणसारः, ब्रह्मदत्तद्विवेदी, चौखम्बा पब्लिशर्स, वाराणसी, २०११
- मिश्रः, आद्याप्रसादः, लघुसिद्धान्तकौमुदी, भीमसेन शास्त्री, भैमी प्रकाशन, दिल्ली, २०१५
- कालिदासः, मेघदूतम् (द्वादशटीकोपेतम्) in the eyes of the commentators, प्रफुल्लकुमार मिश्रः निवेदिता पतिः, प्रतिभा प्रकाशन दिल्ली, २०१६
- कालिदासः, मेघदूतम्, दयाशंकर शास्त्री, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन वाराणसी, २०१४
- पाणिनिः, अष्टाध्यायी (भाग १-२), ईश्वरचन्द्र (व्याख्याकार), चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, २००४
- पतञ्जलिः, व्याकरणमहाभाष्यम् (नवाहिनकातिरिक्त प्रथमोऽध्यायः), 'ज्योत्सना' हरिनारायण तिवारी, चौखम्बा विद्याभावन वाराणसी, २००९
- पतञ्जलिः, व्याकरणमहाभाष्यम् (प्रथमभागः), गुरुप्रसादशास्त्री, प्रतिभा प्रकाशन दिल्ली, १९९९
- पतञ्जलिः, व्याकरणमहाभाष्यम् (विद्यानिधिहिन्दी व्याख्या), भीमसिंह वेदालंकार, विद्यानिधि शोधसंस्थान, कुरुक्षेत्र, २०१५

### द्वितीयकस्रोतांसि –

- अय्यर, सुब्रह्मण्यम्, वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड (स्वोपज्ञवृत्ति-पद्धति) डेकन कालेज, पूना, १९६६
- अय्यर, सुब्रह्मण्यम्, भर्तृहरि (हि०अनु०), रामचन्द्र द्विवेदी, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, १९८१



- शास्त्री, श्रीवत्स, हेलाराज का व्याकरण दर्शन को योगदान, विद्यानिधि प्रकाशन, दिल्ली, २०००
- शास्त्री, श्रीवत्स, भर्तृहरि और सोपज्ञवृत्ति, विद्यानिधि प्रकाशन, दिल्ली, २०१२
- शास्त्री, श्रीवत्स, वाक्यपदीय- सम्बन्धसमुद्देश (कारिकासहित हेलाराजीय प्रकीर्णप्रकाश का अनुवाद), विद्यानिधि प्रकाशनम्, दिल्ली, २०१४
- भाटिया, कान्तारानी, भर्तृहरि का वाक्यपदीय (पुण्यराज की दृष्टि में), भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, १९९२
- झा, कामदेव, भर्तृहरिदर्शनम् (अष्टादश शोधपत्राणां समवायः), निर्मल बुक एजेन्सी, कुरुक्षेत्र, २०१२
- वर्णी, रामप्रकाशः, व्याकरणदर्शन को कैयट का योगदान, परिमल पब्लिकेशन दिल्ली, २००५
- उपाध्याय, बलदेव, संस्कृत वाङ्मय का बृहद् इतिहास, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ, २००१
- मिश्रः, हरिरामः, व्याकरणतन्त्र का काव्यशास्त्र पर प्रभाव, ईस्टर्न बुक लिंक्स, दिल्ली, १९९४
- वर्मा, सत्यकाम, संस्कृतव्याकरण का उद्भव और विकास, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, १९७९

### English Books.

- Iyer, Subrmanian, Bhartrhari (A Study of the Vakyapadiya in the light of the ancient commentaries) Poona ,1969
- Iyer, Subramanian, English translation of the Vakyapadiya of Bhartrhari with vartti, Poona, 1969
- Raja, K. Kunjunni And Coward, Harold G, ENCYCLOPEDIA OF INDIAN PHILOSOPHIES, Vol- V, The Philosophy of the Grammarians, Motilal Banarasidas Publishers Private Limited, Delhi, 2008
- Biswal, Banamali, Bhartrhari as a Grammarian & Philosopher, Padmaja Prakashan, Allahabad, 2006
- Chaturvedi, Mithilesh, Bhartrhati, Language, Thoudht and Reality, (Proceedings of the International Seminar Delhi, December 12-14, 2003), MOTILAL BANARSIDASS PUBLISHERS PRIVATE LIMITED, DELHI, 2009

कोशग्रन्थाः –

- आप्टे, वामन शिवराम, संस्कृत हिन्दी शब्दकोश, राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली, २०१४
- सिंहः, अमरः, नामलिङ्गानुशासनम् नाम अमरकोषः (सुधा (रामाश्रमी) व्याख्यया सहितः), चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, २०११
- पाण्डे, उमा प्रसादः, संस्कृत हिन्दी अंग्रेजी शब्दकोश, कमल प्रकाशन, नई दिल्ली
- अवस्थी, बच्चूलाल, भारतीय-दर्शन-बृहत्कोश (भाग १-४), शारदा पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, २००४
- वर्णेकर, श्रीधरभास्कर, संस्कृतवाङ्मयकोश, (भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता) लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, २००१
- तर्कवाचस्पति, तारानाथ, वाचस्पत्यम् (भाग-छः), राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, २००२



# Air Pollution Effects on Plant Growth in three Sites of Hyderabad, Telangana

A. Kavitha<sup>1</sup>, Padala Tirupathi<sup>2</sup>, A. Rajani<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Assistant Professor, Department of Botany, RBVRR College, Narayanguda, Hyderabad-500029, Telangana, India

<sup>2</sup>Assistant Professor, Department of Botany, Government Degree and PG College, Jagtial-505327, Telangana, India

## ABSTRACT

Present paper deals with the air pollution effects on plant growth Hyderabad, Telangana. Three sites were selected in Hyderabad (from November 2009-October 2011) they are Site-1 IDA (Industrial Development Area) Bollaram, Site – 2 Koti is one of the best-known commercial suburbs of Hyderabad Site – 3 Shivam is situated in Hyderabad, India. It is one of the best residential sites in Hyderabad. The gradual decrease in the concentration of carbohydrates, protein, sugars of site-1 plants indicatalasees physiological activity of a plant and it determines the sensitivity of plants to air Pollution. AQI for SO<sub>2</sub> indicated Good category at site-1, site-2 and site-3 Air Pollution poses little or no risk indicating the green color. AQI for NO<sub>x</sub> Indicated hazardous and very unhealthy category of air pollution at Site-1, Site-2 and Site-3. AQI for RSPM indicated moderate category. Members of sensitive groups experience more serious health effects. AQI for TSPM indicated hazardous category at site-1, very unhealthy category at site-2 and unhealthy category at site-3.

**Keywords :** Air pollution, plant growth, Bollaram, Koti and Shivam

## I. INTRODUCTION

Air and water pollution are growing concerns, because the threats of environmental pollution are real and the effects are already felt world-wide with the start of 21<sup>st</sup> century (Das and Prasad, 2010 and Baumgardner et al, 2012). Though water and land pollution is very dangerous, air pollution has become a global problem faced by both the developed nations as well as the developing ones (Escobedo et al, 2008 and Al-Dabbous and Kumar, 2014). As air pollution has its own peculiarities, due to the tendency of its trans-boundary dispersion of pollutants over the entire world (Uma Devi and Anji Reddy, 2013). Air pollution can be defined as the human introduction into the atmosphere of chemicals, particulate matter

or biological materials that cause harm or discomfort to humans, or other living organism or damage the environment (Singh et al, 2005 and Swami and Chauhan, 2015). The urban environment contains a complex mixture of air pollutants, the exact composition of which varies both over time and between individual towns and cities due to changes in patterns and sources of emissions. Typically, however, urban air quality is dominated by emissions from road traffic (Prajapati, 2015). Currently, in India, air pollution is wide spread in urban areas where automobiles are the major contributors and a few other areas with a high concentration of industries and thermal power plants. In the present study to assess the Air Quality Index (AQI) through gaseous pollutants and to protect the Quality of Air.

## II. MATERIAL AND METHODS

Hyderabad, a capital city of Telangana, is continuously losing its grace and beauty under the growing pressure of densification of activities. A major center for the technology industry, its home to many upscale restaurants and shops. Its historic sites include Golconda Fort, a former diamond-trading center that was once the QutbShahi dynastic capital. The air is being continuously polluted in urban areas through heavy traffic, industry, domestic fuel combustion, coal based thermal power plants and various agricultural activities from the adjoining areas. Three sites were selected in Hyderabad they are Site-1 IDA (Industrial Development Area) Bollaram, also known as Bollaram Industrial Area, is located in the village of Bollaram, in Jinnaram Mandal, in Medak district, of Telangana and a suburb of Hyderabad.

Site – 2 Koti is one of the best-known commercial suburbs of Hyderabad, the capital city of Telangana, India. There are two areas in the vicinity called King Koti and Ram Koti. Koti is famous for the book business. Site – 3 Shivam is situated in Hyderabad, India. It is one of the best Residential sites in Hyderabad. It includes various colonies like Shivam, Bank colony, Central excise colony, BaghAmberpet.

At the height of two to three meters, fully expanded mature leaves were collected from each plant in the polythene bags and transported to the laboratory. The leaf samples were collected every month of 5<sup>th</sup> dated from all the 3 sites and this frequency was strictly maintained throughout the year.

The following investigations were carried out in all the twelve plants for photosynthetic study the chlorophyll pigments (Chlorophyll a, chlorophyll b, and total chlorophyll) were studied and biochemical changes in leaves (Starch, phenols, and sugars- total, reducing and non-reducing) were studied (Gostin and Ivanescu, 2007 and Mahecha et al, 2013). Air

pollution tolerance index, PH, Relative Moisture Content, Ascorbic Acid Content, Determination of the antioxidant enzymes like Catalase, Peroxidase, Poly phenol oxidase and air quality parameters like NO<sub>x</sub>: Jaccob & amp; Hochheiser Method (1958), SO<sub>2</sub>: West & amp; Gaeke Method (1956) PM 10, TSPM: Trivedi.et.al. (1987) were studied. Meteorological data of AT, RH, BP, SR, VWS, WS, WD were studied.

Factor analysis uses variances to produce communalities between variables. The variance is equal to the square of the factor loadings. The communality is denoted by  $h^2$  and is the summation of the squared correlations of the variable with the factors (Tripathi and Gautam, 2007).

## III. RESULTS AND DISCUSSION

In the present investigation the results were carried out running exploratory factor analysis on SPSS input and obtaining the output for KMO and Bartlett's test, Total variance for extracted factors, Communalities and Factor matrix before and after Varimax rotation (Giri et al, 2013).

The Air Quality Index (AQI) for TSPM calculated value was varying from a minimum of 141 to a maximum of 438 during November 2009-October 2011 at Site-1. It shows Category of Hazardous. Maroon colour is represented for Hazardous Category according to Environmental Protection Agency (EPA) (Anil and Chand Bala, 2011). It triggers healthy warnings of Emergency conditions. Purple colour is represented for very unhealthy category according to Environmental Protection Agency. Orange colour is represented for unhealthy for sensitive groups.

The Air Quality Index (AQI) for TSPM calculated value was varying from a minimum of 196.0 to a maximum of 312 during November 2009-October 2011 at Site-2. It shows Category of unhealthy Red colour is represented for it. Very unhealthy Category

is represented by purple colour according to Environmental Protection Agency (EPA). Hazardous category is represented by Maroon colour. It triggers healthy warnings of Emergency conditions.

The Air Quality Index (AQI) for TSPM calculated value was varying from a minimum of 156 to a maximum of 264 during November 2009-October 2011 at Site-3. It shows Category of very unhealthy represented by purple colour. Red colour is represented for Unhealthy Category according to Environmental Protection Agency (EPA).

### Quality of Air

The air quality is important to protect the health of the citizens residing in a particular city. The air quality of Hyderabad City was found to be as follows.

SO<sub>2</sub> concentration was within the permissible limit at Site-1 IDA Bollaram 13.93 µg/m<sup>3</sup>, Site-2 Koti 4.97 µg/m<sup>3</sup> and at site-3 Shivam 4.86 µg/m<sup>3</sup> given by WHO (2005) 20 µg/m<sup>3</sup>, USA (2010) 365 µg/m<sup>3</sup>, and Indian National Standards (2009) 80 µg/m<sup>3</sup>.

The concentrations of NO<sub>x</sub> at Site-1, IDA Bollaram 27.47 µg/m<sup>3</sup>, Site-2 Koti 27.99 µg/m<sup>3</sup> and site-3 Shivam 23.83 µg/m<sup>3</sup> was well within the permissible limits given by WHO (2005) 40 µg/m<sup>3</sup>, USA [2010] 100 µg/m<sup>3</sup>, but beyond the limits given by Indian National Standards (2009) 20 µg/m<sup>3</sup>. Hence precautions must be taken to reduce NO<sub>x</sub> in the air like use of CNG (Table: 1).

The Concentration of RSPM at Site-1 IDA Bollaram 83.83 µg/m<sup>3</sup>, at Site-2 Koti 71.54 µg/m<sup>3</sup> was above the permissible limits of 20 µg/m<sup>3</sup> given by WHO (2005) and 50 µg/m<sup>3</sup> USA (2010) but at Site-3 Shivam the concentration of RSPM was 57.6 µg/m<sup>3</sup> within the permissible limits of Indian National Standards of 60 µg/m<sup>3</sup> which indicates the less particulate matter in the Residential site than the other two sites.

The gradual decrease in the concentration of carbohydrates, protein, sugars of site-1 plants indicates physiological activity of a plant and it determines the sensitivity of plants to air Pollution.

### IV. SUMMARY AND CONCLUSION

High concentrations of SO<sub>2</sub> at site-1 IDA BOLLARUM Industrial site may be due to large number of industries emitting the Sulphur gases. In the air the amount of NO<sub>x</sub> concentration was high in site-2 in both the years this may be due to the increase in usage of 2-wheeler and 4-wheeled vehicles which may lead to the increase of photochemical smog unless precautions are taken. Increase of the Particulate matter (RSPM & TSPM) at site-1 due to the releasing of dust particulates into the air through the chimneys of the exhales. Based on Total Average of APTI 2 plants are Sensitive: *Polyalthia longifolia*. Sonn. *Ficus religiosa*. L.

4 plants are Intermediate: *Cassia tora* .L. *Peltaforum ferrigoenum*. Benth. *Bougainvillea spectabilis*. Comm. *Acacia nilotica*.L. 6 plants are Tolerant: *Calotropis procera*. T. Aiton. *Bauhinia variegata* .L. *Delonix regia*. Hook. *Terminalia catapa*.L. *Pongamia pinnata*.L. *Azadirachta indica*. L.

Tolerant plants can absorb air pollutants, Particulate matter and other emissions thereby improving the Quality of air. Such plants should be grown on sites of high pollution. The 6 tolerant plants can be used for planting in the site-1 and site-2. Sensitive plants act as Bio-indicators of pollution. The gradual decrease in the concentration of carbohydrates, protein, sugars of site-1 plants indicates physiological activity of a plant and it determines the sensitivity of plants to Air Pollution.

AQI for SO<sub>2</sub> indicated Good Category at Site-1, Site-2 and site-3 Air Pollution poses little or no risk indicating the green color. AQI for NO<sub>x</sub> Indicated Hazardous and very unhealthy category of Air

Pollution at Site-1, Site-2 and Site-3. AQI for RSPM indicated Moderate category (Table: 2). Members of Sensitive Groups experience more serious health effects. AQI for TSPM indicated Hazardous Category at site-1, Very unhealthy Category at site-2 and Unhealthy Category at site-3.

## V. REFERENCES

- [1]. Al-Dabbous, A.N.Kumar.P. (2014). The influence of roadside vegetation barriers on airborne nanoparticles and pedestrian's exposure under varying wind conditions. *Atmos. Environ.* 90, 113-124.
- [2]. Anil K. Raina and Chand Bala (2011). Effect of vehicular pollution on *Duranta repens* L. in Jammu City, *Journal of Applied and Natural Science* 3 (2): 211-218.
- [3]. Baumgardner, D.Varela, S.Escobedo, F.J.Chacalo, A.Ochoa, (2012). The role of a peri-urban forest on air quality improvement in the Mexico City Megalopolis. *Environ. Pollut.* 16(3), 174-185.
- [4]. Das S. and Prasad.P (2010). Seasonal variation in air pollution tolerance indices and selection of plant species for industrial areas of Rourkela, *Ind. J. Environ. Prot.*, 30(1), 978-988.
- [5]. Escobedo. F.J. Wagner, J.E. & Nowak, D.J. (2008). Analyzing the cost effectiveness of Santiago Chiles policy of using urban forest to improve air quality. *Journal Environ Management.* 86:148-157.
- [6]. Giri S., Shrivastva D., Deshmukh K. and Dubey P. (2013). Effects of air pollution on chlorophyll content of leaves. *Current Agricultural Research Journal.* 1(2), 909-915.
- [7]. Gostin, I. and Ivanescu, I., (2007). Structural and micro morphological changes in leaves of *Salix Alba* under air pollution effect. *International. Journal of Energy Environ*, 4: 219-226.
- [8]. Mahecha, G.S. , B.R. Bamniya, Neelima Nair, Dhavan Saini, (2013). Air Pollution Tolerance Index of Certain Plant Species-A Study of Madri Industrial Area,Udaipur (Rajasthan.), India, *International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology*, 2(12).
- [9]. Prajapati S.K. (2015) Ecological effect of airborne particulate matter on plants, *Environ. Skep. Crit.*, 1(1), 12-22.
- [10]. Singh A., Agrawal S.B., and Rathore D. (2005). Amelioration of Indian Urban Air Pollution Phytotoxicity in *Betavulgaris* L. by modifying NPK nutrients, Allahabad. *Environmental Pollution* 1(34):385-395.
- [11]. Swami A. and Chauhan D (2015). Impact of air pollution induced by automobile exhaust pollution on Air Pollution Tolerance Index (APTI) on few species of plants, *International Journal of Science and Research.*, 4(3), 342-343.
- [12]. Tripathi A.K. and Gautam, M. (2007). Biochemical Parameters of Plants as indicators of air pollution Dehradun. *Journal of Environmental Biology.* 28(1):127-132.
- [13]. Trivedi, R. K, Goel, P.K. & Trisal, C.L. (1987) *Practical Methods in Ecology and Environmental Science.* Environmental Publication Karad India. 340.
- [14]. Uma Devi Randhi , Dr. M. Anji Reddy (2013). Air Pollution Tolerance Levels of Selected Urban Plant Species in Industrial Areas of Hyderabad (A.P), India, *IJSR-INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH*, 2(6).
- [15]. WHO Air Quality Guidelines (2005) for Particulate Matter, Ozone, Nitrogen dioxide & Sulfurdioxide. WHO Press, Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland. 22.

Cite this Article : A. Kavitha, Padala Tirupathi, A. Rajani, "Air Pollution Effects on Plant Growth in three Sites of Hyderabad, Telangana", *Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal (SHISRRJ)*, ISSN : 2581-6306, Volume 3 Issue 2, pp. , March-April 2020.

URL : <http://shisrrj.com/SHISRRJ20322>

**Table-1 : Comparative Ambient Air Quality Standards**

S. No.	Pollutant	Averaging Time	WHO (2005)	USA (2010)	Indian National Standards		Site-1 IDA Bollaram [Nov 2009 -Oct 2011]		Site-2 Koti [Nov 2009- Oct 2011]		Site-3 Shivam [Nov 2009- Oct 2011]	
					Industrial, Residential Rural & other areas	Sensitive Area	I Year	II Year	I Year	II Year	I Year	II Year
1	Respirable Suspended Particulate matter (p m-10)	Annual	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	84.75	82.91	71.08	72.0	52.75	62.45
2	Nitrogen Dioxide	Annual	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	31.19	23.74	28.88	27.11	24.63	23.02
3	Sulphur Dioxide	Annual	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	79 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	80.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	80.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	18.65	9.22	5.13	4.80	5.08	4.64

**Table 2.** The Air Quality Index (AQI) divided into six Categories of health concern rating by EPA (2009)

Air Quality Index (AQI) Values	Air Quality of Health Concern	Colors
0 to 50	Good	Green
51 to 100	Moderate	Yellow
101 to 150	Unhealthy for Sensitive Groups	Orange
151 to 200	Unhealthy	Red
201 to 300	Very Unhealthy	Purple
301 to 500	Hazardous	Maroon



## रससिद्धान्त में रससंख्या निर्धारण सम्बन्धित मान्यताएँ

**Dr. Rampratap Mishra**

Assistant Professor & Head  
Department of Sanskrit  
D.C.S.K.P.G. College Mau

प्रत्येक वस्तु, तथ्य, सिद्धान्त का अपना एक अतीत होता है। 'रससिद्धान्त' भी इससे पृथक नहीं है। इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितनी यह सृष्टि। जगच्चित्र के निर्माता परम पिता परमेश्वर स्वयं आनन्दमय, रसमय हैं। श्रुतिप्रमाण से यह सिद्ध है—

**यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः। रस ह्येवायं लब्ध्वानन्दीभवति।<sup>1</sup>**

अर्थात् वह जो प्रसिद्ध सुकृत (स्वयं रचा हुआ) सो निश्चय रस ही है। इसको प्राप्तकर पुरुष आनन्दित होता है। काव्य के पठन से, संगीत के श्रवण से, नाट्यादि के देखने से हमें जो आनन्दानुभूति होती है, वही तो है रसानन्द, जिसके मूल में रस है। रस—विवेचन भारतीय काव्यशास्त्र का मेरुदण्ड है, जिसमें काव्य का असीम आनन्द सन्निहित है। नेत्र और श्रोत्र के प्रत्यक्षीकृत भावों के फलस्वरूप सहृदय या पाठक को जो मनस्तुष्टि होती है वही 'रस' है।

रस शब्द की व्युत्पत्ति पर यदि हम विचार करें तो—

**(रसादिभ्योऽच्) रस आस्वादस्नेहयोः।<sup>2</sup>**

**रसयतीति रसः। रस्यत इति रसः। रस्यते अनेनेति रसः। रसः.....रसयति, आस्वाद्यते। रस आस्वादाने चुरादिरदन्तः। .....रस्यते, आस्वाद्यते अनेन वा। कर्मणि घञ्।<sup>3</sup>**

**रसो रतिः प्रीतिर्भावो रागो वेगः समाप्तिरिति रतिपर्यायः।<sup>4</sup>**

आचार्य भरतमुनि रस को रस—संज्ञा से अभिहित, उसकी रसता या आस्वाद्यता के कारण ही करते हैं— **रस इति कः पदार्थः? अत्रोच्यते। आस्वाद्यत्वात्।<sup>5</sup>** साथ ही रसास्वाद को नाना प्रकार के व्यंजनों से संस्कारित अन्न के आस्वादन के माध्यम से सरलीकृत करते हुए समझाया है—

1- तैत्तिरीय उपनिषद, ब्रह्मानन्द बल्ली : 7 अनुवाक।

2- पाणिनीय धातुपाठ : धातु संख्या 1932।

3- तत्रैव।

4- कामसूत्र : 2/1/65।

5- नाट्यशास्त्र : अध्याय 6 पर अभिनवभारती टीका।



यथा हि नानाव्यञ्जनसंस्कृतमन्नं भुञ्जाना रसानास्वादयन्ति सुमनसः पुरुषा हर्षादींश्चाधिगच्छन्ति तथा नाना भावाभिनयव्यञ्जितान् वाङ्गसत्वोपेतान् स्थायिभावानास्वादयन्ति सुमनसः प्रेक्षकाः हर्षादींश्चाधिगच्छन्ति ।<sup>6</sup>

नाट्यशास्त्र के टीकाकार आचार्य अभिनवगुप्त रस की आस्वाद्यता को परिष्कृत करते हुए कहते हैं कि— आस्वादनं हि रसनेन्द्रियजज्ञानं प्रसिद्धमिति भावः ।<sup>7</sup>

अन्नग्रहण का आस्वाद एवं रसास्वाद में अन्तर ग्राहक इन्द्रिय का है। यहाँ भोजनास्वाद रसनेन्द्रिय का व्यापार है तथा काव्यास्वाद मानस—व्यापार है—

न रसनव्यापार आस्वादनम् । अपि तु मानस एव ।<sup>8</sup>

सर्वथा रसनात्मकवीतविघ्नप्रतीतिग्राह्यो भाव एव रसः ।

तत्र विघ्नापसारका विभावप्रभृतयः । तथा हि लोके सकलविघ्नविनिर्मुक्ता संवित्तिरेव चमत्कारनिर्वेश—रसनास्वादभोग—समापत्ति—लय—विश्रान्त्यादि शब्दैरभिधीयते ।<sup>9</sup>

अर्थात् सर्वथा रसनात्मक या आस्वादात्मक एवं निर्विघ्न प्रतीति से ग्राह्य भाव ही रस है। इसमें विघ्नों को दूर करने वाले विभावादि भी हैं। जैसे कि लोक में समस्त विघ्नों से विनिर्मुक्त संवित्ति प्रतीति ही चमत्कार, निर्वेश, रसन, आस्वादन, भोग, समापत्ति, लय, आदि शब्दों से संकेतित होती है या जानी जाती है।

अभिनवगुप्त की शैवाद्वैत परम्परा से इतर शंकराचार्य की अद्वैतपरम्परा के अनुगामी आचार्य विश्वनाथ ने रस को इस प्रकार परिभाषित किया है—

सत्त्वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः ।

वेदान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः ।।

लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कैश्चित्प्रमातृभिः ।

स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः ।।<sup>10</sup>

प्रस्तुत कारिका में 'सत्त्वोद्रेकात्' इस पद से हेतु का निर्देश किया गया है। रजोगुण व तमोगुण से असंस्पृष्ट अन्तःकरण को सत्त्व कहते हैं— रजस्तमोभ्यामस्पृष्टं मनः सत्त्वमिहोच्यते और अखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः, वेदान्तरस्पर्शशून्य, ब्रह्मास्वादसहोदरः, लोकोत्तरचमत्कारप्राणः। इन पदों से

<sup>6</sup>- तत्रैव : पृ० 90 ।

<sup>7</sup>- नाट्यशास्त्र : अध्याय 6 पर अभिनवभारती टीका, पृ० 91 ।

<sup>8</sup>- तत्रैव : पृ० 96 ।

<sup>9</sup>- तत्रैव : पृ० 62 ।

<sup>10</sup>- साहित्यदर्पण : 3/2-3 ।

रस का स्वरूप बतलाया गया है। **स्वकारवदभिन्नत्वेन**, इस पद के द्वारा रस के आस्वाद का प्रकार और **कैश्चित्प्रमातृभिः**, पद से रसास्वाद किसको होगा? इसको बतलाया गया है।

आचार्य भट्टनायक रस को आस्वादानात्मक आत्मानुभव के रूप में स्वीकार करते हैं—

**संवेदनाख्यया व्यङ्ग्यपरसंवित्तिगोचरः ।**

**आस्वादानात्मानुभवो रसः काव्यार्थ उच्यते ॥<sup>11</sup>**

आचार्य भोजराज ने रस को हृदय स्थित अहं का आस्वाद मानते हैं—

**साहंकृते हृदि परं स्वदते रसोऽसौ ॥<sup>12</sup>**

वक्रोक्तिवादी आचार्य कुन्तक एवं अनुमितिवादी आचार्य महिमभट्ट भी रस को आत्मास्वादारूप ही मानते हैं—

**वाच्यावबोधनिष्पत्तौ पदवाक्यार्थवर्जितम् ।**

**यत्किमप्यर्पयत्यन्तः पानकास्वादवत्सताम् ॥<sup>13</sup>**

**भावसंयोजनाव्यंग्यपरसंवित्तिगोचरः ।**

**आस्वादानात्मानुभवो रसः काव्यार्थ उच्यते ॥<sup>14</sup>**

भावप्रकाशनकार आचार्य शारदातनय ने मन की प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाले आस्वाद को रस—रूप में परिभाषित किया है— **मनसो ह्लादजननः स्वादो रसः स्मृतः ॥<sup>15</sup>**

**रससंख्या :**

रसों की संख्या के निर्धारण में आचार्यों की अपनी—अपनी दृष्टि है। इस सन्दर्भ में यदि हम बात करें तो दीर्घकाल तक रस संख्या में आठ ही रहे, क्योंकि रससिद्धान्त का मूल ग्रन्थ 'नाट्यशास्त्र' मूलतः आठ ही रसों की स्थापना करता है—

**एते ह्यष्टौ रसाः प्रोक्ता द्रुहिणेन महात्मना..... ।**

**रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा ।**

**जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः ॥<sup>16</sup>**

महाकवि कालिदास ने भी इसका समर्थन किया है।

11- नाट्यशास्त्र : अध्याय 6 पर अभिनवभारती टीका, पृ० 56 ।

12- शृङ्गारप्रकाश : पृ० 481 (डॉ० राघवन) ।

13- वक्रोक्तिजीवितम् : 1/पृ० 55 ।

14- व्यक्तिविवेक : 1/पृ० 70 ।

15- भावप्रकाशनम् : 2/40 ।

16- नाट्यशास्त्र : 6/17-18 ।

मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतोष्वष्टरसाश्रयो नियुक्तः ।

ललिताभिनयं तमद्य भर्ता मरुतां द्रष्टुमनाः सलोकपालः ॥<sup>17</sup>

वररुचि प्रणीत 'उभयाभिसारिका' में एक अवसर पर 'अष्टौ रसाः' का उल्लेख प्राप्त होता है।<sup>18</sup> काव्यशास्त्रीय आचार्यों में दण्डी के समय तक केवल अष्टरसों की ही मान्यता रही। आचार्य भामह को भी केवल अष्टरसों का ही ज्ञान था।

भावप्रकाशनकार आचार्य शारदातनय भी अष्टरस के ही समर्थक रहे हैं—

यतोऽष्टधा मनोवृत्तिः सभ्यानां नाट्यकर्मणि ।

अष्टावेवानुभूयन्ते तासूक्तास्तै रसाः पृथक् ॥<sup>19</sup>

इनकी मान्यता है कि सामाजिकों की आठ प्रकार की मनोवृत्तियाँ हैं, नाट्यकर्म में इन्हीं आठों का अनुभव किया जाता है। कुछ विद्वान नवीं मनोवृत्ति भी मानते हैं। फलतः नाट्य में शान्त रस भी है, ऐसा माना जाता है।<sup>20</sup> 'शम—स्थायिभाव' यथास्थान प्रयुक्त विभावादि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होकर शान्तरस कहलाता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, परन्तु 'शम' में विकारों की शून्यता होने से उसकी रसरूप में परिणति नहीं हो सकती। नाटकादि में अभिनय की अशक्यता के कारण भी सामाजिक या प्रेक्षक के मन में शान्तरस उत्पन्न नहीं होता।

इस प्रकार विद्वानों ने शान्तरस को रसरूप में मान्यता तो दी है, परन्तु अभिनेय नहीं माना है अतएव पद्मभू के मत में आठ ही रस हैं।<sup>21</sup>

आनन्दवर्धन स्वतःप्रमाण से शान्तरस की वकालत करते हैं तथा उसके स्थायिभाव के रूप में न ही 'निर्वेद' को स्वीकार करते हैं और न ही 'शम' को। आनन्दवर्धन शान्तरस के स्थायिभाव के रूप में स्वीकार करते हैं 'तृष्णा' या क्षयसुख को जो समस्त इच्छाओं का निषेधरूप है— शान्तश्च तृष्णाक्षयसुखस्य यः परिपोषतल्लक्षणो रसः प्रतीयत एव।<sup>22</sup>

आचार्य आनन्दवर्धन ने ही सर्वप्रथम यह संकेत किया कि महान् आर्षकाव्य 'महाभारत' का अंगीरस शान्त ही है— यथा वा महाभारते... महामुनिना वैराग्यजननतात्पर्यं प्राधान्येन स्वप्रबन्धस्य दर्शयता मोक्षलक्षणः पुरुषार्थः शान्तोरसश्च मुख्यतया विवक्षाविषयत्वेन सूचितः।<sup>23</sup>

इस प्रकार आचार्य आनन्दवर्धन नौ रसों को मान्यता प्रदान करते हैं।

17- विक्रमोर्वशीयम् : 2/17।

18- चतुर्भाषी, मद्रास, 1992 पृ० 13।

19- भावप्रकाशनम् : 2/61।

20- तत्रैव : 2/62।

21- भावप्रकाशनम् : 2/63-66।

22- ध्वन्यालोक : 3/पृ० 430।

23- तत्रैव : 4/5 की वृत्ति।

शान्तरस का खण्डन करने वाले आचार्य यह मानते हैं कि भरतमुनि इससे अवगत नहीं थे। उनका कहना है कि नाट्यशास्त्र में संगीत, रसों एवं जात्यंशों को तो समन्वित किया गया है, जो कि अनेक रसों के व्यंजक हैं, परन्तु इस प्रकरण में शान्तरस का उल्लेख नहीं मिलता।<sup>24</sup>

आचार्य अभिनवगुप्त पहले तो शान्तरस का पल्लवन करते हैं, परन्तु उनका आधार भरतमुनि का शान्त रसविषयक विवेचन नहीं अपितु उनका मौन है— शान्तश्चेति तृष्णानां विषयाभिलाषाणां यः क्षयः सर्वतो निवृत्तिरूपो निर्वेदः तदेव सुखं तस्य स्थायिभूतस्य यः परिपोषो रस्यमानताकृतस्तदेव लक्षणं यस्य स शान्तो रसः।<sup>25</sup>

आचार्य कुन्तक शान्तरस को स्वीकार करते हैं तथा उसे 'रामायण' का प्रतिपाद्य रस मानते हैं।<sup>26</sup> आचार्य क्षेमेन्द्र भी शान्तरस को मान्यता प्रदान करते हैं<sup>27</sup> तथा आचार्य अभिनवगुप्त व आनन्दवर्धन का अनुकरण करते हुए शान्तरस को 'महाभारत' व 'रामायण' दोनों के पर्यवसित रस के रूप में स्वीकार करते हैं<sup>28</sup> जबकि आचार्य आनन्दवर्धन 'रामायण' के प्रधान रस के रूप में करुण को स्वीकार करते हैं—

रामायणे हि करुणो रसः स्वयमादिकविना सूत्रितः 'शोकः श्लोकत्वमागतः' इत्येवादिना।<sup>29</sup> इस सन्दर्भ में आचार्य क्षेमेन्द्र का मानना है कि करुण स्वयमेव शान्त के आत्यन्तिक रससिद्ध होने की युक्ति है।<sup>30</sup>

'दशरूपक' जो परवर्ती नाट्यग्रन्थों का आदर्श है। उसके प्रणेता व व्याख्याकार धनंजय व धनिक दोनों शान्त का खण्डन करते हुए नाट्य में इसकी असंभावना की पुष्टि करते हैं—

शममपि केचित्प्राहुः पुष्टिर्नाट्येषु नैतस्य।<sup>31</sup>

इससे यह प्रतीत होता है कि आचार्य धनंजय शान्तरस को केवल नाटक में अस्वीकार करते हैं, परन्तु काव्य में उसे स्वीकार करते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि ये दोनों आचार्य काव्य में भी शान्तरस को मान्यता नहीं देते।<sup>32</sup>

मम्मटाचार्य तो 'काव्यप्रकाश' के मंगलाचरण में ही नवरसों की पुष्टि कर देते हैं—

नियतिकृतनियमरहितां हलादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम्।

24- नाट्यशास्त्र : 29/अभिनवभारती।

25- ध्वन्यालोक : 3/पर लोचन।

26- वक्रोक्तिजीवितम् : डे-संस्करण 1928।

27- औचित्यविचारचर्चा : व्रतौचित्य।

28- 'भारतमंजरी' के अन्त में श्लोक संख्या 3।

29- ध्वन्यालोक : 4/5 की वृत्ति।

30- 'रामायणमंजरी' के अन्त में श्लोक संख्या 1।

31- दशरूपक : 4/35।

32- दशरूपक : 4/35-36 पर अवलोक।

नवरसरुचिरां निर्मितमादधती भारती कर्वेजयति ।।<sup>33</sup>

यद्यपि यह आचार्य भरतमुनि का अनुसरण करते हुए अष्टरसों पर ही बात करते हैं— शृङ्गार  
हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः ।

बीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ।।<sup>34</sup>

परन्तु बाद में सम्यक विचार कर शान्तरस को भी मान्यता प्रदान करते हैं—

निर्वेद स्थायिभावो शान्तोऽपि नवमो रसः ।<sup>35</sup>

आचार्य शारदातनय ब्रह्मा के मत में अष्ट नाट्यरसों की ही पृष्टि करते हैं—

तस्मान्नाट्यरसा अष्टाविति पद्मभुवो मतम् ।<sup>36</sup>

शान्तरस के सन्दर्भ में उनका कथन है कि कुछ विद्वान नवीं मनोवृत्ति मानते हैं, फलतः नाट्य  
में शान्तरस भी है, ऐसा माना जाता है—

केचिन्नवात्मिकामाहुर्मनोवृत्तिं विचक्षणाः ।

ततश्शान्तो रसो नाट्येऽप्यस्तीति प्रतिजानते ।।<sup>37</sup>

नाट्यशास्त्र छठें अध्याय में<sup>38</sup> 'अष्टौ नाट्यरसाः स्मृताः' तथा 'एते ह्यष्टौ रसाः प्रोक्ता द्रुहिणेन  
महात्मना' को लेकर कुछ विद्वान 'नाट्य' पर बल देते हुए नाट्यरसों की संख्या आठ मानते हैं तथा  
काव्य में शान्तरस को भी स्वीकार करते हैं ।

आचार्य शिङ्गभूपाल नाट्य में केवल आठ ही रसों को मान्यता प्रदान करते हैं—

अष्टधा स च शृङ्गारहास्यवीराद्भुताऽपि ।

रौद्रः करुणबीभत्सौ भयानक इतीरितः ।।<sup>39</sup>

तथा शान्त को रस मानने के लिए भोजराज की आलोचना भी करते हैं।<sup>40</sup>

नाट्य पर विचार करने वाले विद्वान आचार्य केवल नाट्य में ही शान्तरस का विरोध करते हैं,  
क्योंकि नाटक में अनुभावों के माध्यम से रसचर्चणा की अपेक्षा की जाती है, जबकि शान्तरस में अभिनय  
की संभावना ही नहीं रहती। अतः उनका मानना है कि शान्तरस में समस्त क्रियाओं का अभाव होता  
है ।

33- काव्यप्रकाश : 1/1 ।

34- तत्रैव : 4/6 ।

35- तत्रैव : 4/12 ।

36- भावप्रकाशनम् : 2/66 ।

37- तत्रैव : 2/61-67 ।

38- नाट्यशास्त्र : 6/16-17 ।

39- रसार्णवसुधाकर : 2/166 ।

40- तत्रैव : 2/157 एवं उसकी वृत्ति ।

शान्तरस की अभिनेयता न होने के कारण यद्यपि नाट्य में शान्तरस का प्रवेश नहीं है फिर भी इसकी काव्यविषयता पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता। श्रव्यकाव्यों में शान्तरस का वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि जिसका अभिनय नहीं किया जा सकता उसका वर्णन तो किया जा सकता है—

ननु शान्तरसस्य अनभिनेयत्वाद् यद्यपि नाट्येऽनुप्रवेशो नास्ति तथापि सूक्ष्मातीतादिवस्तुनां सर्वेषामपि शब्दप्रतिपाद्यतया विद्यमानत्वात् काव्यविषयत्वं न निवार्यते।<sup>41</sup>

इस बात को आचार्य धनिक स्वीकार ही नहीं करते हैं। उनका मानना है कि 'शम' को किसी भी परिस्थिति में काव्य का विषय नहीं बनाया जा सकता—

शमप्रकर्षोऽनिर्वाच्यो मुदितादेस्तदात्मता।<sup>42</sup>

न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न द्वेषरागौ न च काचिदिच्छा।

रसस्तु शान्तः कथितो मुनिन्द्रैः सर्वेषु भावेषु शमप्रधानाः।।

इत्येवंलक्षणः तदा तस्य मोक्षावस्थायामेव आत्मस्वरूपापत्तिलक्षणायां प्रादुर्भावात् तस्य च स्वरूपेण अनिर्वाच्यता। तथा हि श्रुतिरपि नेति—नेति इति अन्यापोहरूपेणाह। न च तथाभूतस्य शान्तरसस्य सहृदयाः स्वादयितारः सन्ति, अथापि तदुपायभूतो मुदितामैत्रीकरुणोपेक्षादिलक्षणस्तस्य च विकासविस्तारविक्षेपरूपतैवेति तदुक्तैव शान्तरसास्वादो निरूपितः।<sup>43</sup>

अर्थात् यदि 'शम' नामक स्थायिभाव का प्रकर्ष ही शान्तरस है तो वह अनिर्वचनीय होगा, क्योंकि मोक्षावस्था में होनेवाले शान्तरस का वर्णन नहीं किया जा सकता। चित्त की जिस अवस्था में न दुःख है, न सुख है, न चिन्ता है, न राग—द्वेष है और न ही कोई इच्छा है, जहाँ समस्त भावों में केवल शमभाव की ही प्रधानता है। आत्मस्वरूप की प्राप्ति ही जिसका लक्षण है, ज्ञानी मुनियों ने उसी को शान्तरस कहा है। ऐसी मोक्षावस्था में शान्तरस का प्रादुर्भाव होने के कारण उसका वर्णन कैसे संभव होगा? श्रुतियाँ भी जिसकी अनिर्वचनीयता का प्रतिपादन नेति—नेति रूप तथा अन्य बौद्धमतावलम्बी ('अपोह'— अतद्व्यावृत्ति या तद्विन्न—भिन्नत्व) रूप में करते हैं। जिसके आस्वादन करनेवाले सहृदय भी नहीं हैं। यदि शान्तरस को प्रकट करने वाले उपाय मुदितादि (मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा) हैं तो शान्तरस विकासादि (विकास, विस्तार, क्षोभ, एवं विक्षेप) स्वरूप वाला ही होगा, क्योंकि मुदितादि, विकासादि स्वरूप वाले हैं। दूसरे शब्दों में मुदितादि, विकासादि तादात्म्यरूप हैं। इस प्रकार मुदितादि, विकासादि में अन्तर्भाव हो जाने के कारण शान्तरस की पृथक सत्ता सिद्ध नहीं होती।

<sup>41</sup>- दशरूपक : 4/44 पर अवलोक।

<sup>42</sup>- तत्रैव : 4/45।

<sup>43</sup>- तत्रैव : 4/45 पर अवलोक।

इस सन्दर्भ में आचार्य विश्वनाथ धनिक के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए उनका खण्डन करते हैं— न यत्र दुःखं.....। इत्येवंरूपस्य शान्तस्य मोक्षावास्थायाम् एवम् आत्मस्वरूपोपत्तिलक्षणायां प्रादुर्भावात्तत्र संचार्यादीनाम् अभावात्कथं रसत्वम् इत्युच्यते?

युक्तवियुक्तदशायामवस्थितो यः शमः स एव यतः।

रसतामेति तदस्मिन् सञ्चार्यादेः स्थितिश्च न विरुद्धा।।

यश्चास्मिन् सुखाभावोऽप्युक्तः तस्य वैषयिकसुखपरत्वात् न विरोधः।<sup>44</sup>

उनका कहना है कि आचार्य धनिक के मत में परमात्मस्वरूप मुक्तिदशा में ही यथार्थ शान्तरस हो सकता है। परन्तु मुक्तावस्था में तो संचारी भावों का अभाव होता है, फिर काव्यादि में विभावानुभावव्यभिचारि के द्वारा शान्तरस की निष्पत्ति कैसे हो सकती है?

समाधान स्वरूप वे कहते हैं कि युक्त—वियुक्त दशा में अवस्थित 'शम' ही शान्तरस के रूप में परिणत होता है, मुक्तावस्था का 'शम' नहीं, क्योंकि युक्त—वियुक्त दशा में अवस्थित 'शम' में विभावादि की स्थिति विरुद्ध नहीं रहती अर्थात् उस युक्त—वियुक्त अवस्था में विभावादि उपस्थित रहते हैं। यह युक्त, वियुक्त एवं युक्त—वियुक्त अवस्था क्या है? यह प्रश्न प्रासंगिक है।

**युक्त—** रूपादि विषयों से मन को निवृत्त कर किसी ध्यान में एकाग्र हुए योगी को युक्त कहते हैं।

**वियुक्त—** जिसे अणिमादि अष्टसिद्धियाँ योगबल से प्राप्त हैं तथा समाधि में अवस्थित होकर सभी जिज्ञासित वस्तुओं का ज्ञान जिसके अन्तःकरण में भासित होने लगता है, उसे कहते हैं वियुक्त।

**युक्त—वियुक्त—** जिसको यहाँ तक सिद्धि प्राप्त है कि वह चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियगण, महत्त्व एवं उद्भूतरूपादि प्रत्यक्षज्ञान की अपेक्षा न करके सभी अतीन्द्रिय विषयों का साक्षात्कार कर सकता है, युक्त—वियुक्त कहलाता है।

शान्तदशा में सुखाभाव जो कहा गया है, उसका तात्पर्य यह है कि उस समय विषयजन्य सुख नहीं होता, यह नहीं कि उस समय किसी प्रकार का सुख होता ही नहीं। इस संसार में जो कामादि विषयजन्य सुख एवं स्वर्गीय महासुख हैं, वे सब मिलाकर भी शान्तरस से उत्पन्न आह्लाद के सोलहवें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इससे यह स्पष्ट है कि शमावस्था में सुख अवश्य होता है, अतः आपका 'शम' के सन्दर्भ में—

न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता....। कहना समीचीन नहीं है।

इस सन्दर्भ में प्रोफ़ेसर अभिराजराजेन्द्र मिश्र का अपना पृथक मन्तव्य है—

<sup>44</sup>- साहित्यदर्पण : 3/250 व उसकी वृत्ति।

उनके शब्दों में शान्तरस को काव्य में स्वीकार तथा नाट्य में अस्वीकार करना एक ऐसा निकृष्ट समझौता है जो इसकी स्वाभाविक रसप्रकृति को तो स्वीकार करता है और रस के रूप में उसके पारम्परिक प्रचलन का निषेध करता है। जबकि काव्य अपने मूल रूप में नाट्य मात्र है। इस तथ्य को आचार्य अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती में रेखांकित भी किया है—

यदि वा नाट्यमेव रसाः। रससमुदायो हि नाट्यम्। न नाट्य एव च रसाः। काव्येऽपि नाट्यायमान एव रसाः। काव्यार्थविषये हि प्रत्यक्षकल्पसंवेदनोदये रसोदय इत्युपाध्यायाः।<sup>45</sup>

इस प्रकार काव्य की कथावस्तु के रूप में यदि शान्त को विकसित कर पाना संभव है तो नाटक के मुख्य उद्देश्य के रूप में उसका निबन्धन क्यों नहीं?

रससिद्धान्त के आदि आचार्य भरतमुनि ने रसोत्पत्ति के हेतु चार रसों की चर्चा की है। उनका मानना है कि रसोत्पत्ति के हेतु चार रस हैं— शृङ्गार, रौद्र, वीर और बीभत्स। इनमें शृङ्गार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत एवं बीभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति होती है—  
तेषामोत्पत्तिहेतवद्वचत्वारो रसाः। तद्यथा शृङ्गारो रौद्रो वीरो बीभत्स इति। अत्र—

शृङ्गाराद्धि भवेद्भास्यो रौद्राच्च करुणो रसः।

वीराच्चैवाद्भुतोत्पत्तिर्बीभत्साच्च भयानकः।<sup>46</sup>

यहीं से रससिद्धान्त में रससंख्या को लेकर चार मौलिक रसों की परिकल्पना का प्रादुर्भाव होता है। यद्यपि इस अवधारणा का पल्लवन परवर्ती काव्यनियामक आचार्यों के काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में नहीं प्राप्त होता है, तथापि आचार्य धनंजय जो की 'नाट्यशास्त्र' के प्रतिनिधि ग्रन्थ 'दशरूपक' के रचनाकार हैं, वह इन चार मौलिक रसों की संकल्पना पर अपना मन्तव्य रखते हैं।

आचार्य धनंजय नौ मौलिक मनःसंवेगो अथवा स्थायिभावों के स्थान पर चार स्थायिभाव या चार रस मानने पर विचार करते हैं। उनका मानना है कि शेष रसों की उत्पत्ति इन चार रसों से ही मानी जा सकती है। रसानुभूति काल में चित्त की विकास, विस्तार, विक्षोभ तथा विक्षेप रूपी चार प्रकार की ही अवस्थाएँ होती हैं। अतएव चार ही रस मानने चाहिए—

स्वादः काव्यार्थसम्भेदादात्मानन्दसमुद्भवः।

विकासविस्तारक्षोभविक्षेपैः स चतुर्विधः।।

शृङ्गारवीरबीभत्सरौद्रेषु मनसः क्रमात्।

हास्याद्भुतभयोत्कर्षकरुणानां त एव हि।।

अतस्तज्जन्यता तेषामत एवावधारणम्।<sup>47</sup>

<sup>45</sup>- नाट्यशास्त्र : अध्याय 6 पर अभिनवभारती टीका।

<sup>46</sup>- दशरूपक : 6/40।



इनके मत में काव्य के अर्थ का सम्भेद अर्थात् तादात्म्य या आत्मात् हो जाने पर जो आत्मानन्द का अनुभव होता है, वही रसास्वाद है।

आचार्य धनिक रसास्वाद को और अधिक स्पष्ट करते हैं—

**काव्यार्थेन विभावादिसंसृष्टस्थाय्यात्मकेन भावकचेतसः। सम्भेदे अन्योन्यसंवलने प्रत्यस्तमितस्वपरविभागे सति प्रबलतरस्वानन्दोद्भूतिः रसास्वादः।<sup>48</sup>**

यहाँ काव्यार्थ का अभिप्राय विभाव, अनुभाव और संचारिभाव से संसृष्ट स्थायिभाव से है। यदि भरत-रससूत्र<sup>49</sup> के अनुसार इसकी मीमांसा की जाय तो धनिक ने रससूत्र के 'संयोग' पद का अर्थ 'संसृष्ट' किया है तथा निष्पत्ति पद का अर्थ स्वकीय आत्मानन्द की अनुभूति। इस प्रकार यदि हम विचार करें तो भरत-रससूत्र के 'संयोग' पद का जो व्युत्पत्तिमूलक अर्थ (सम्यक् योग) है, वही 'संसृष्टि' (सम्यक् सृष्टि) पद का अर्थ भी है।

आचार्य धनिक के मत को यदि और स्पष्ट किया जाय तो हमें ज्ञात होगा कि अभिधाशक्ति के द्वारा विभावादि पदार्थों की उपस्थिति होती है तथा तात्पर्या शक्ति जिसे धनिक ने भावकत्वरूप में स्वीकार किया है। अतः भावकत्व व्यापार के द्वारा भावना करने से पदार्थों के सामान्यरूप से स्थायिभाव का संयोग हो जाता है। इसके बाद ही रसिक के चित्त की सम्भेदा अवस्था आती है। काव्यार्थ के रसिक या सहृदय सम्भेद से तात्पर्य सहृदय के चित्त का काव्य के अर्थों के अनुकूल हो जाने से है। जब काव्यार्थों से सहृदय के चित्त का तादात्म्य हो जाता है, उस स्थिति में सहृदय के चित्त में स्व एवं पर का भेद समाप्त हो जाता है। वस्तुतः रसास्वाद में यही स्थिति साधारणीकरण कहलाती है, जिसे आचार्य विश्वनाथ एवं आचार्य अभिनवगुप्त ने इस प्रकार परिभाषित किया है।

**परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च।**

**तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते।<sup>50</sup>**

**ममैवेते, शत्रोरेवैते, तटस्थस्यैवैते; न ममैवेते, न शत्रोरेवैते, न तटस्थस्यैवैते, इति सम्बन्धविशेषस्वीकारपरिहारनियमानध्यवसायात् साधारण्येन प्रतीतैरभिव्यक्तः।<sup>51</sup>**

भावकत्व व्यापार से स्थायिभाव की संसृष्टि होते ही साधारणीकरण की स्थिति हो जाती है। इसके पश्चात् प्रबलतर आत्मानन्द की अनुभूति होती है। धनिक ने इस आत्मानुभूति को 'प्रबलतर' बतलाया है। यह अनुभूति सांसारिक विषयों से प्राप्त होने वाले आनन्द से विलक्षण होती है, किन्तु

47- तत्रैव : 4/43-44।

48- तत्रैव : 4/43 पर अवलोक।

49- विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः।

50- साहित्यदर्पण : 3/11।

51- काव्यप्रकाश : चतुर्थ उल्लास।

ब्रह्मानन्द न होने से उससे कुछ न्यून होती है। इसीलिए रसानुभूति को ब्रह्मास्वादसहोदर कहा गया है।<sup>52</sup>

इस प्रकार धनिक के मत में विभावित स्थायिभाव का आस्वाद ही रस है— **स्थायीभावो विभावितः भावरूपतामानीतः स्वदते रस**।<sup>53</sup> इससे यह सिद्ध होता है कि रस अस्वाद से भिन्न कोई तत्त्व नहीं है। आचार्य धनंजय ने भी स्वाद्यत्व के कारण ही स्वाद को रस माना है— **रसः स एव स्वाद्यत्वाद्रसिकस्यैव वर्तनात्**।<sup>54</sup> यदि कर्म—कर्तृ—प्रक्रिया के द्वारा **रसः आस्वाद्यते** पर विचार किया जाय, तो भी यही बात स्पष्ट होती है कि, रस स्वयं ही आस्वाद का विषय बनता है। यह स्वादरूप रस स्वप्रकाशानन्दस्वरूप चैतन्य से भिन्न नहीं है, अतएव आचार्य धनिक इसे स्वात्मानन्द की अनुभूति, रस या आस्वाद कहते हैं।

उक्त रसास्वाद सभी रसों में समान होने पर भी प्रत्येक रस के नियत अपने—अपने विभावादि कारण से जन्य सम्भेदता या तन्मयता के कारण चित्त 'विकास, विस्तार, क्षोभ, विक्षेपरूप' चार अवस्थाओं में परिणत हो जाता है।

इस प्रकार शृंगार में चित्त का विकास, वीर में विस्तार, बीभत्स में क्षोभ एवं रौद्र में विक्षेप होता है। इन रसों से इतर जो अन्य चार रस हास्य, अद्भुत्, भयानक एवं करुण हैं, जिनकी पुष्टि अपने—अपने विभावादि की प्राप्ति से होती है, उनमें भी वे ही चित्त की विकासादि चार अवस्थाएँ होती हैं। अतएव भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र<sup>55</sup> में जो शृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत् एवं बीभत्स से भयानक रस के उत्पन्न होने की चर्चा की है, वह सम्भेदता या तादात्म्यता के भाव से ही की है, कार्य—कारण भाव से नहीं।

भरतमुनि ने जो शृंगार की अनुकृति को हास्य माना है—

**शृंगारानुकृतिर्या तु स हास्य इति कीर्तितः.....**।<sup>56</sup>

यहाँ शृंगारादि एवं हास्यादि में विकासादिरूप चित्त की अवस्थाओं की सम्भेदता, तादात्म्यता या एकरूपता का ही प्रतिपादन करते हैं।

इसी हेतु '**अष्टौ रसाः**' के सिद्धान्त का अवधारण या निर्धारण किया जाता है, क्योंकि इन चारों विकासादि के अतिरिक्त चित्त की कोई ऐसी अवस्था नहीं होती जिसमें चित्त की तन्मयता हो सके।

52- साहित्यदर्पण : 3/2।

53- दशरूपक : 4/47 पर अवलोक।

54- तत्रैव : 4/38।

55- नाट्यशास्त्र : 6/40।

56- तत्रैव : 6/40।

सातवीं शदी पूर्वार्द्ध के नाट्यकार भवभूति तो एकमात्र करुणरस की ही रस रूप में स्थापना करते हैं, उनके मत में करुणरस ही कारण भेद से भिन्न-भिन्न होकर पृथक-पृथक परिणामों को प्राप्त करता हुआ विभिन्न रसों में परिणत होता है—

एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्

भिन्नः पृथक्पृथगिव श्रयते विवर्तान् ।

आवर्तबुद्बुदतरङ्गमयान्विकारा

नम्भो यथा, सलिलमेव हि तत्समस्तम् ।<sup>57</sup>

Cite this Article

Dr. Rampratap Mishra, "रससिद्धान्त में रससंख्या निर्धारण सम्बन्धित मान्यताएँ", Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal (SHISRRJ), ISSN : 2581-6306, Volume 3 Issue 2, pp. 18-29, March-April 2020.

URL : <http://shisrrj.com/SHISRRJ20323>



<sup>57</sup>- उत्तररामचरितम् 3/47 ।

## झाँसी के इतिहास में लक्ष्मीबाई का योगदान



विनोद कुमार सिंह

शोधच्छात्र,

गंगानाथ झा परिसर, प्रयागराज,

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली)

---

---

**शोध आलेख सार—** रानी लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में आदर्श वीरांगना थी। इन्होंने न केवल भारत की बल्कि विश्व की महिलाओं को गौरवान्वित किया। इन्होंने स्वतन्त्रता के लिए रणभूमि में हँसते-हँसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिये थे। भारतीय स्वतंत्रता के लिए सन् 1857 में लड़े गए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास इन्होंने ही अपने रक्त से लिखा था। आज हम सभी भारतीयों के लिए रानी लक्ष्मीबाई का जीवन आदर्श के रूप में है।

**मुख्य शब्द—**झाँसी, इतिहास, महिला, लक्ष्मीबाई, वीरांगना, भारतीय स्वतंत्रता।

---

---

सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा झाँसी की रानी पर लिखी ये कविता उनके सम्पूर्ण जीवन वृत्तान्त को दर्शाती है—

सिंहासन हिल उठे राजवंशो ने  
भुकुटी तानी थी  
बूढ़े भारत में आई फिर से  
नई जवानी थी  
गुमी हुई आजादी की कीमत सबने  
पहचानी थी।  
दूर फिरंगी को करने की सबने मन  
में ठानी थी।  
बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी  
कहानी थी।  
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी  
वाली रानी थी।

यह कविता हर भारतीय के हृदय से नवस्फूर्ति और नवचेतना का संचार करती है।

### रानी लक्ष्मीबाई का जीवन परिचय :

रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब और राव साहब के साथ खेलते तथा पढ़ते हुए बीता। पुरुषों के साथ तीर-तलवार और घुड़सवारी आदि सीखने के कारण इनके चरित्र और व्यक्तित्व में स्वभावतः वीर पुरुषों की भाँति गुणों का विकास हुआ। बाजीराव पेशवा ने उन्हें वीरतापूर्ण कहानियाँ सुनाकर उनके हृदय में स्वतंत्रता के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवम्बर 1828 ई0 वाराणसी भारत में हुआ था। बचपन में माता-पिता ने इनका नाम मनुबाई रखा था। बचपन में ही इन्होंने घुड़सवारी और अस्त्र-शस्त्रों का संचालन भली-भाँति सीख लिया था।

लड़की होते हुए भी प्रारम्भ में ही उनमें एक अच्छे योद्धा के सभी गुण विद्यमान थे। इन्हीं गुणों ने बाद में जीवन में उनकी बड़ी सहायता की। ये घुड़सवारी और तीरंदाजी में इतनी कुशल थी कि बड़े-बड़े योद्धा इनका मुकाबला करने में घबराहट महसूस करते थे। यह नाना जी पेशवा राव की मुँहबोली बहन थीं। वो इन्हें प्यार से छबीली कहकर पुकारते थे। लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपन्त तथा माता का नाम भागीरथी बाई था। चार-पाँच साल की उम्र में इनकी माता का देहान्त हो गया था। 20 वर्ष की आयु में इनका विवाह झाँसी के राजा गंगाधर राव से हो गया। हिन्दू प्रथा के अनुसार ससुराल में उन्हें नया नाम दिया गया। अब उनका नाम लक्ष्मीबाई हो गया। दुर्भाग्यवश इनका वैवाहिक जीवन बहुत दिनों तक नहीं चला। अपने विवाह के दो वर्ष के भीतर ही ये विधवा हो गयी। उच्च गुणों से सम्पन्न महिला होते हुए भी इन्होंने विपत्ति का सामना बड़ी ही बहादुरी के साथ किया।

### रानी लक्ष्मीबाई का संघर्षपूर्ण जीवन एवं योगदान :

प्रारम्भ में भी रानी लक्ष्मीबाई का गवर्नर जनरल के साथ विवाद हुआ। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने किसी बालक को गोद लेने का फैसला किया। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। क्योंकि गवर्नर झाँसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के इस अन्याय को बर्दाश नहीं किया। और उनके विरुद्ध उठ खड़ी हुई। उन्होंने भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने गवर्नर जनरल के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक बालक को गोद लेकर अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया। नाना साहब, तात्या टोपे और कुँवर सिंह जैसे देशभक्त पहले से ही अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। और मौके की तलाश में थे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया।

उस समय भारत छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था। लोगों में आपसी फूट थी। ऐसे में कुछ देशद्रोही झाँसी में घेरा डाल दिये। पहली बार में रानी ने उनकी माँग पूरी कि परन्तु दुसरी बार जब पुनः ये देशद्रोही घेरा डाले तो लक्ष्मीबाई बड़ी बहादुरी से लड़ी और दुश्मनों के छक्के छुड़ाकर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया।

सितम्बर 1857 में अंग्रेजों ने झाँसी पर धावा बोल दिया। इंग्लैण्ड से बड़ी संख्या में सैनिकों को लाया गया। रानी से आत्मसमर्पण करने को कहा गया। उन्होंने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। परिणामस्वरूप विशाल अंग्रेजी सेना ने झाँसी पर धावा बोल दिया और उस पर कब्जा कर लिया। इतना होने पर भी रानी ने हिम्मत नहीं हारी। इसी समय तांत्या टोपे की मृत्यु का भी समाचार उन्हें मिला। इससे वह बहुत दुःखी हुई परन्तु उन्होंने अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी। उन्होंने ऐलान किया कि—

“जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूँद भी शेष है, और मेरे हाथ में तलवार है, तब तक झाँसी की पवित्र भूमि पर कोई भी विदेशी पैर रखने का साहस नहीं कर पायेगा।”

इसके कुछ दिन बाद लक्ष्मीबाई और नाना साहब ने मिलकर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। लेकिन उनके एक प्रधान दीवान अंग्रेजों से मिल गया। फलस्वरूप उसके देशद्रोह ने रानी की कमर तोड़ दी और उन्हें ग्वालियर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ग्वालियर छोड़ने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने नई सेना का गठन करना प्रारम्भ कर दिया परन्तु उनके पास ऐसा करने को पर्याप्त समय नहीं था।

कर्नल स्मिथ ने विशाल अंग्रेजी सेना के साथ झाँसी पर आक्रमण कर दिया। वे बड़ी बहादुरी से लड़ी। युद्ध में वह पुरी तरह घायल हो गयी थी। फिर भी जब तक वह जीवित रही स्वतंत्रता की पताका को नीचे नहीं गिरने दिया तथा वीर गति को प्राप्त हो गयी और इनका निधन 17-18 जून 1858 (उम्र 29) कोटा की सराय, ग्वालियर में हुआ था।

#### उपसंहार :

स्वतंत्रता का पहला संग्राम भारतीय हार गए। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने भारत भूमि पर स्वतंत्रता और बहादुरी के ऐसे बीज बो दिए, जिनसे अन्ततः भारत स्वाधीन हुआ।

अंग्रेजों के विरुद्ध रणयज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का नाम सर्वोपरि माना जाता है। अपने शौर्य से उन्होंने अंग्रेजों के दाँत खट्टे कर दिए थे।

युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति प्राप्त की। मृत्यु को वरण करके वीरतापूर्ण साहस के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है।

#### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. झाँसी की रानी (कविता) : सुभ्रदा कुमारी चौहान
2. झाँसीश्वरी चरित : सुबोध चन्द्र पंत
3. झाँसी की रानी (उपन्यास) : वृन्दावन लाल वर्मा
4. झाँसी की रानी : महाश्वेता देवी
5. आँखों देखा गदर : अमृत लाल नागर

## नैषधीयचरितम् में अद्वैत वेदान्त की अवधारणा



डॉ० (श्रीमती) मधु सत्यदेव  
एसोसिएट प्रोफेसर  
संस्कृत विभाग,  
दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय  
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

**शोध आलेख सार** – नैषध में विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों का उल्लेख है। श्री हर्ष समस्त दर्शनों के अद्वितीय विद्वान् थे। श्री हर्ष ने वेदान्त तथा वैष्णव के पूर्वोक्त मतों का समन्वय किया है। विष्णु पूजा करते हुए नल स्तुति करते हैं; “युक्तिसंगत शास्त्रों तथा उपनिषदों के सर्वरवल्विद ब्रह्म इत्यादि प्रमाणों से जगत् की समस्त वस्तुओं में एक ही सत्ता भासमान् होती है, अतः उनमें कोई भेद नहीं माना जा सकता, किन्तु आपकी इच्छा के कारण, जो अनिर्वाच्य अनाद्य अविद्या रूप है, प्रत्येक वस्तु पृथक् ही प्रतीत होती है। श्री हर्ष की रचना भी इसी प्रवाह के साथ चली है।

**मुख्य शब्द**— नैषधीयचरितम्, अद्वैत वेदान्त, संस्कृत, दार्शनिक, साहित्य, महाकाव्य।

नैषध में विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों का उल्लेख है। श्री हर्ष समस्त दर्शनों के अद्वितीय विद्वान् थे। उनके तर्क अप्रत्यारवेय होते थे।<sup>1</sup> उन्होंने दर्शनों का केवल शास्त्रीय ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया था, अपितु श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन द्वारा दर्शन को अपने जीवन का अंग ही बना लिया था। उनकी अपने प्रति जो समाधि में आनन्दसागर परम् ब्रह्म का साक्षात्कार करता है – या साक्षात्कुरुते समाधिपरंब्रह्म प्रमोदारणवम्।<sup>2</sup> मात्र गर्वोक्ति ही नहीं तथ्योक्ति है। क्योंकि ब्रह्म के सत् चित् तथा आनन्द तीनों प्रकार के स्वरूप का साक्षात्कार हुए बिना किसी विद्वान् से भी समस्त ज्ञान का स्फुरण असम्भव था। वेदान्त दर्शन में आत्मा को सर्वथा अद्वैत बताया है। अद्वैत के इस मत का श्री हर्ष ने नैषध में वर्णन किया है।

वेदान्त दर्शन के मतानुसार यह आत्मा जिस प्रकार जाग्रत अवस्था में अदृष्टवश सुख-दुःख आदि भोगों को भोगता है उसी प्रकार स्वप्नावस्था में भी पूर्व कर्मों के अधीन हो नाड़ियों से निकलकर तथा पूर्व शरीर को यथास्थान पर ही प्राणवायु द्वारा रक्षित अवस्था में छोड़कर इधर-उधर स्थानों में नूतन देह धारण करते हुए स्वप्नकाल के विषयों को भोग करके पुनः पूर्व स्थूल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। वृहदारण्यक उपनिषद् का स्वप्न के विषय में यही मत है।<sup>3</sup> शंकराचार्य ने वृहदारण्यक मंत्र का भाष्य करते हुए लिखा है कि “स्वयं प्रकाश आत्मा इन्द्रियों के उपरत हो जाने पर स्वप्न देखा करता है।<sup>4</sup>

स्वप्नविषयक इस सिद्धान्त का प्रयोग नैषध में किया गया है। दमयन्ती को साक्षात् कभी न दिखाई पड़े हुए नल भी स्वप्न में दिखाई पड़ जाते थे। इस रहस्य की व्याख्या करते हुए श्री हर्ष लिखते हैं – “निद्रा दमयन्ती के निमीलित नेत्रों से तथा बाह्येन्द्रियों के सुप्त हो जाने पर सम्पुटित हृदय से छिपाकर कभी न देखते हुए भी उस राजा को बड़े रहस्य के रूप में दमयन्ती को दिखाती है।<sup>5</sup>

वेदान्त दर्शन के अनुसार आत्मा या ब्रह्म इन्द्रिय सम्वेदन, बुद्धि विकल्प और वाणी के शब्दों द्वारा अग्राह्य निर्विशेष आत्मचैतन्य अपरोक्षानुभूतिगम्य है। सापेक्ष बुद्धि ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान की त्रिपुटी के अन्तर्गत कार्य करती है और अपनी चार कोटियों के सहारे कार्य करती है। आत्मतत्त्व इस त्रिपुटी के और बुद्धि कोटियों के ऊपर है, उनका अधिष्ठान है। अतः अद्वैत ब्रह्म बुद्धि ग्राह्य नहीं हो सकता है। नैषध में श्री हर्ष ने ब्रह्म को अवाङ्मनसगोचर बताया है। इसका वर्णन करते हुए वे कहते हैं, “उन-उन विषयों को ग्रहण करने वाले विदर्भराज राजकुमार की सखियों के नेत्र अनिवर्चनीय उस एक हंस को उस प्रकार प्राप्त हुए, जिस प्रकार योगियों के चित्त अनिवर्चनीय रूप वाले एक ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।<sup>6</sup>

छान्दोग्य उपनिषद् के सप्तम अध्याय में सनत्कुमार मंत्रविद् नारद को आत्मा के वास्तविक रूप का परिचय देते हैं और विस्तार के साथ बताते हैं कि किस प्रकार आत्मा सारे भौतिक पदार्थों तथा मानसिक, कार्य-कलापों से परे है। वाक्, मनस, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, बल, अन्न, आप, तेजस, आकाश, स्मृति, आशा, प्राण, सबसे आत्मा उत्कृष्ट है तथा आत्मा से ही इन सब की सत्ता है, वह ऊपर नीचे इधर उधर सर्वत्र है।<sup>7</sup> इस भाव को नैषध में बड़े पाण्डित्य के साथ एक ही श्लोक में निहित किया गया है—दमयन्ती उस समय उपनिषद् विद्या के समान हो गयी थी, जिस प्रकार उपनिषद् विद्या, पृथ्वी, आग, तेज,



वायु, आकाश, काल, दिक् तथा मन इन आठों द्रव्यों की सत्ता का एक साथ निराकरण करती है उसके अभिप्राय बड़े गूढ़ होते हैं। वह व्याकरण आदि छः शुभ-अंगों से युक्त होती है तथा अनिवर्चनीय रूपवाले ज्ञान-विधि, असीम आनन्दमय एक परम पुरुष में ही तल्लीन रहती है। उसी प्रकार दमयन्ती ने वैभव सम्पन्न दमयन्ती प्राप्ति की आशा लिए अद्वितीय गुणों वाले असंख्य तेजस्वी देवताओं तथा राजाओं को त्यागा। अपने अभिप्राय को छिपाये वह सुन्दरी भी अवर्णनीय सौन्दर्य वाले, ज्ञानराशि, असीम उत्साह युक्त किसी पुरुष विशेष में तल्लीन थी।<sup>8</sup>

शास्त्रादि अभ्यास तथा योग आदि के द्वारा संसार के आवागमन को दूर करने में समर्थ ज्ञान को पाया हुआ योगी अपने को स्वप्रकाश सच्चिदानन्द स्वरूप अहं ब्रह्मास्मि अर्थात् "मैं ब्रह्म हूँ", ऐसा जान लेता है और वैसा जानकर पूर्व संस्कारों से या प्राप्त ब्रह्म ज्ञान से सत्त्वादि गुणत्रयरूप एवं संसारोत्पादिनी अनादि अविद्या को पृथग्भूत जानकर मैं पहले मनुष्य का इत्यादि जानता है और इस प्रकार आत्मा तथा प्रकृति को विवेक के द्वारा जानकर बाते करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में श्री हर्ष कहते हैं " इसके बाद यह नल मुनि के समान प्रबोधयुक्त हुए अपने स्वरूप ("मैं नल हूँ" ऐसा) को प्रकाशित करते हुए समझ कर प्रकृतिस्थरोदन तथा विलापादि से रहित उस दमयन्ती को देखकर फिर संस्कारों को प्राप्त करने से वचन बोले।"<sup>9</sup>

ब्रह्म प्राप्ति अथवा आत्मदर्शन के उपाय, विविध तथा साक्षात्कार दशा का विस्तृत विवेचन ही वदान्त दर्शन का प्रतिपाद्य है। श्री हर्ष ने ब्रह्म साक्षात्कार की इस पद्धति का कई बार उल्लेख किया है। दमयन्ती हंस को पकड़ने की इच्छा रखती है, "इस दमयन्ती ने सन्निहित तथा चलते हुए हंस को भययुक्त हाथ से पकड़ने के लिए यत्नपूर्वक अपने शरीर में उस प्रकार निश्चलता को प्राप्त किया, जिस प्रकार सम्यक् रूप से ध्यान किये गये तथा शरीर में विचरते हुए परमात्मा को आदरावित् आशय से अर्थात् सादर ग्रहण करने के लिए मुनि की मनोवृत्ति यत्नपूर्वक निश्चलता प्राप्त होती है।"<sup>10</sup>

वेदान्त के अनुसार सूक्ष्म शरीर में पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, एक बुद्धि और एक मन में संग्रह अवयव रहते हैं। इन सबके मन के एक प्रधान तत्त्व होने के कारण कभी-कभी मन को ही लिंग शरीर कहा जाता है।"<sup>11</sup> मरण के समय सर्वप्रथम आत्मा शरीर से निकलता है, फिर प्राण, फिर सारी इन्द्रियाँ, इसके बाद स्थूल शरीर मृत हो जाता है। वृहदारण्यक उपनिषद् में इसका उल्लेख है। इसी परिप्रेक्ष्य

में श्री हर्ष नैषध में दमयन्ती की शोक दशा का वर्णन करते हैं। स्वयं दमयन्ती का कथन है, “ये युग बीत रहे हैं, क्षण नहीं बीत रहा है, क्योंकि निश्चय ही कान्त अन्तरात्मा में मुझे नहीं छोड़ेगा और उसे मेरा मन नहीं छोड़ेगा तथा उस मन को कायवायु अर्थात् शरीरस्थ प्राणवायु नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार परम्परा के सर्वदा बने रहने से मेरी मृत्यु भी दुर्लभ है।<sup>12</sup>

इन उदाहरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि श्री हर्ष रचित नैषधीय चरितम् में अद्वैत वेदान्त दर्शन का प्राचुर्य है। इसीलिए श्री हर्ष ने ब्रह्म साक्षात्कार की उपनिषदों से लेकर वेदान्त के टीका ग्रन्थों में वर्णित पद्धति का कई बार उल्लेख किया है:—

1. स्वर्णिम हंस के अकस्मात् उपवन में दमयन्ती के पास उतरने पर दमयन्ती की सखियों के नेत्र अपनी उस दृश्यमान् वस्तुओं को त्याग कर उस वर्णनातीत रूप वाले हंस में ऐसे जा लगे जैसे योगियों के चित्त सभी विषयों को त्याग कर अवाङ्मनसगोचर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।<sup>13</sup>
2. फिर जैसे अपने शरीर में ही सन्निहित ब्रह्म का आदरातिशय के साथ साक्षात्कार करने के लिए मुनि की मनोवृत्ति निश्चल हो जाती है, उसी प्रकार पास में चलते हुए उस हंस को डरते हुए हाथ से पकड़ने की अभिलाषा से दमयन्ती भी प्रयत्नपूर्वक निश्चल बन गयी है।<sup>14</sup>
3. नारद के आकाश मार्ग को पार कर इन्द्रपुरी में पहुँचने का वर्णन श्री हर्ष करते हैं—‘देवर्षि अनन्त आकाश को पार कर इन्द्र भवन में पहुँच गये, जैसे योगी अनादि भव—सागर को पार कर आनन्द निर्भर ब्रह्म को प्राप्त करता है।’<sup>15</sup>
4. दमयन्ती के करुण रोदन को सुनकर भावोद्रेक में अपने को प्रकट कर नल जब प्रकृत दशा में आते हैं, उस समय जैसे कोई मुनि आत्मज्ञान प्राप्त कर अपने प्रकाशस्वरूप को तथा प्रकृति को पृथक जानता है, उसी प्रकार प्रबोध आने पर नल ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट करते हुए जाना तथा दमयन्ती को सुस्त देखकर कहना प्रारम्भ किया — आत्म ज्ञान होने पर मुनि को आत्मा तथा प्रकृति को सत्ता का ज्ञान हो जाता है।<sup>16</sup>

स्वयंवर समाज में पाँच नलों को देखकर दमयन्ती को सत्य नल का निश्चय ही न हो सका।

कवि ने सुन्दरी की उस अवस्था के प्रति उत्प्रेक्षा की है—जैसे मतों के भेद होने पर लोगों को पंचम कोटि

अद्वैततत्त्व पर भी, यद्यपि यह सत्य है, विश्वास नहीं होता तथा अन्य चार लोगों के विश्वास न होने देने के लिए यत्नशील रहते हैं, उसी प्रकार दमयन्ती को भी कई नल होने के कारण नल विषयक सन्देह होने पर पाँचवें स्थान पर बैठे हुए वास्तविक नल में भी विश्वास न हुआ, क्योंकि दमयन्ती को पाने की अभिलाषा से चार समान रूप वाले नल उस विश्वास को होने ही नहीं देते थे।<sup>17</sup>

वेदान्तियों को माया के कारण बाह्यतः भेद दिखाई पड़ता है। इसे ही विष्णु की इच्छा का विलास कहते हैं।

श्री हर्ष ने वेदान्त तथा वैष्णव के पूर्वोक्त मतों का समन्वय किया है। विष्णु पूजा करते हुए नल स्तुति करते हैं; “युक्तिसंगत शास्त्रों तथा उपनिषदों के सर्वरवत्वद् ब्रह्म इत्यादि प्रमाणों से जगत् की समस्त वस्तुओं में एक ही सत्ता भासमान् होती है, अतः उनमें कोई भेद नहीं माना जा सकता, किन्तु आपकी इच्छा के कारण, जो अनिर्वाच्य अनाद्य अविद्या रूप है, प्रत्येक वस्तु पृथक् ही प्रतीत होती है।<sup>18</sup> वेदान्तियों ने मुक्ति की अवस्था में ब्रह्म की सत्ता मानी है।

10वीं शताब्दी तक भारत में अद्वैत वेदान्त की दार्शनिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा स्थापित हो चुकी थी। सहिष्णु, उदार भारतीय दार्शनिकों ने अन्य मतों का भी सम्मान के साथ उल्लेख किया है किन्तु इस युग तक आते-आते भारतीय दर्शन की मुख्यधारा अद्वैत वेदान्त की हो चुकी थी। श्री हर्ष की रचना भी इसी प्रवाह के साथ चली है।

### सन्दर्भ:—

1. घर्षितपरास्तर्केषु यस्योक्तयः ।।  
नैषधीय चरितम् 22 / 153
2. वही, 22 / 153
3. प्राणेनरक्षन्नवरं कुलायं बहिष्कुलायदमृतश्चरित्वा ।  
स ईयते मृतो यत्र काम हिरण्मयः पुरुष एक हंस ।।  
वृहदारण्यकोपनिषद् 4 / 3 / 12
4. उपर तेषु हीन्द्रियेषु स्वप्नान पश्यतिइत्यादि ।  
शंकर भाष्य 5 / 4 / 15
5. नैषध चरितम् 1 / 40
6. नेत्राणि वैदर्भसुतासखीनां विमुक्ततर्क्तादूषयग्रहाणि ।

प्रापुस्तमेक निरुपात्यरूपं बहमेवचेतांसि यतव्रतानाम् ।।

नैषधीय चरितम् 3/3

7. छान्दोग्य उपनिषद् अध्याय-7

8. नैषधीय चरितम् 11/129

9. मुनिर्यथात्मान मथ प्रबोधवान् प्रकाशयन्त स्वयबुध्यता

अपि प्रपन्नां प्रकृति विलोक्य तामवाप्तसंस्कारतयाऽसृजदिनरः ।।

नैषधीय चरितम् 5/121

10. हंस तनौ सन्निहितं चरतं मुनेमनोवृत्तिरिव स्विकायाम् ।

ग्रहीतु कामादरिणा शयेन यत्नादर्सो निश्चलता जगाहे ।

नैषधीय चरितम् 3/4

11. मनः प्रधानत्वात् लिंग्य मनः लिंगमित्युच्यते ।

शंकर भाष्य वृहदारण्यकोपनिषद् 4/4/6

12. अमूनि गच्छन्ति युगानिनक्षणः कियत्सहिष्ये न हि मृत्युस्ति में ।

स मां न कान्तः स्फुटमन्तरुज्झिता न तंमनस्तच्च न कायवायवः ।।

नैषध चरितम् 9/94

13. नैषधीय चरितम् 3/3

14. नैषध 3/4

15. स व्यतीत्य वियदन्तरगाधं नाकनायक निकेतनमाप ।

सम्प्रतीर्य भवसिन्धुमनादि ब्रह्म शर्मभरचारुयतीव ।।

नैषध 5/8

16. मुनिर्यथात्मानमथप्रबोधवान् प्रकाशयन्तं स्वमसावबुध्यत ।

अपि प्रपन्नां प्रकृति विलोक्य तामवाप्तसंस्कारतयाऽसृजदिगरः ।।

नैषध 9/12

17. साप्तुंप्रयच्छतिन पक्षचतुष्टये तां तल्लामशंसिनि नपंचकोटिमात्रेः ।।

श्रद्धांदधे निषधराऽ विभतौ मतानाम द्वाैततत्त्वइवसत्यतरेऽपि लोकः ।।

नैषध 13/36

18. नैषध 21/107

## महिला सशक्तीकरण में सरकारी योजनाओं की भूमिका

डॉ० हेमलता

आडिटर, स्थानीय निधि

लेखा परीक्षा विभाग

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत



**सारांश :-** वर्तमान भारतीय समाज में महिलाओं की तस्वीर बदल रही है। आधुनिक सामाजिक परिवेश में राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिबद्धता ने ऐसे वातावरण को जन्म दिया है, जिसमें महिलाएँ स्वयं को अब स्वतंत्र महसूस कर रही हैं। इन महिलाओं से जुड़े विभिन्न प्रकार के उपबन्ध, अधिनियम और योजनाओं ने उनके लिये जहाँ शिक्षा के नये अवसर प्रदान किये हैं, वहीं इन महिलाओं के लिये नये राजेगार के अवसर भी बढ़ाये हैं। वर्तमान परिवेश में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के बढ़ती क्षमताओं को स्वीकार भी किया जा रहा है। भारतीय संवैधानिक उपबंधों ने महिलाओं को बराबर का हक दिलाया है, तथा इसके साथ-साथ अधिनियमों ने इन महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया है। इनके सामाजिक जीवन के मूल्यों में बदलाव आने से सकारात्मक प्रभाव भी परिलक्षित हो रहा है, ऐसे इन महिलाओं के दायित्वों की रूप रेखा भी नये परिवेश के साथ परिवर्तित हो रही है। प्रस्तुत शोध के महिला सशक्तीकरण में सरकारी योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण किया गया है।

**मुख्य शब्द :** महिला सशक्तीकरण, संवैधानिक उपबन्ध, मूल्य, सामाजिक परिवेश।

भारत में आजादी की लड़ाई के पश्चात् नीति निर्माताओं ओर संविधान विशेषताओं ने महिलाओं के पिछड़ेपन के मर्म को समझा और उनकी सहभागिता देश के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं वरन् आवश्यक है, मानकर संविधान में बराबरी का दर्जा दिया।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित उद्देश्य जो सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करते हैं, जिसमें महिला अधिकारों के भाव व्याख्या स्वरूप स्पष्ट दिखाई देखे हैं। इससे महिला सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण आधार भी तैयार होता है।

समाजशास्त्री पी०एन०प्रभू ने अपनी पुस्तक “भ्यदकपैवबपंस व्हंदप्रंजपवद” में लिखा है कि प्राचीन वैदिक काल में भी महिलाओं और पुरुषों में कोई भेद नहीं था तथा दोनों की सामाजिक स्थिति समान रूप से महत्वपूर्ण थी।<sup>1</sup>

समाजवैज्ञानिक के०एम० कपाड़िया ने अपनी पुस्तक “डंततपंहम दक रिपसल पद प्दकपं” में लिखा है कि स्त्री अपने घर की साम्रज्ञी होती थी।<sup>2</sup>

समाजशास्त्री ए०यस०अल्तेकर का मानना है कि वेद युगीन स्त्रियां समस्त अधिकारों की भोक्ता थी। कालान्तर में सामाजिक अस्तित्व में आई सामाजिक रूढ़ियों ने नियम कानूनों से बंधकर धीरे-धीरे महिलाएँ समाज में कमजोर हो गयीं। समाज के अन्य लोग अपनी सुविधानुसार सिर्फ इनका भोग किया और पीछे ढकेलते गये, धीरे-धीरे इनका दायरा सिमटता गया।

वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में काफी सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, आज महिलाएँ, पुरुष के साथ समानता की खोज एक सार्वभौमिक तथ्य बन चुका है।<sup>3</sup> यही कारण है कि वर्तमान में महिला आन्दोलनों, नारी वर्गीय कार्यक्रमों और संगठनों का जन्म हुआ। महिलाओं का संगठन तो प्रायः बीसवीं सदी के प्रारम्भ में ही अस्तित्व में आ गये थे।<sup>4</sup> महिलाओं के सशक्तीकरण में सरकारी व स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

### महिला सशक्तीकरण से जुड़े संवैधानिक उपबंध :

केन्द्र सरकार में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन के सभी पक्षों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्र की मुख्यधारा में महिलाओं को सम्मिलित करने के लिए जिस वातावरण के निर्माण की आवश्यकता होती है।<sup>5</sup> भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में उसकी रूपरेखा निम्न प्रकार परिलक्षित होती है—

अनुच्छेद 14 – राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार एवं अवसर पर बल।

अनुच्छेद 15—लंग के आधार पर भेदभाव वर्जित।

अनुच्छेद 15 (3) – महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक दृष्टिकोण।

अनुच्छेद 16 – लोक नियोजन में अवसर की समानता।

अनुच्छेद 19 – विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 21 – प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 23 – बलात्, बेगार और दुर्व्यवहार की मनाही।

अनुच्छेद 24—14 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिका के नियोजन की मनाही।

अनुच्छेद 39 – समान रूप से जीविका, समान वेतन एवं गरिमामय वातावरण का निर्माण।

अनुच्छेद 42 – काम की न्यायसंगत, मानवाधिकार दशाओं का निर्माण तथा प्रसूतिकाल में सहायता।

अनुच्छेद 47 – स्वास्थ्य एवं जीवन-स्तर में सुधार।

अनुच्छेद 51 क (ढ) महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जारी प्रथाओं का स्थान एवं समरसत्ता एवं भातृत्व की भावना का विकास।

अनुच्छेद 243 घ— पंचायतो में विभिन्न वर्गों की महिलाओं का आरक्षण।

अनुच्छेद 243 न— किसी भेदभाव नगरपालिकाओं में विभिन्न वर्गों की महिलाओं का आरक्षण।

अनुच्छेद 325— भेदभाव बिना किसी निर्वाचक में सम्मिलित होने का अधिकार।

### महिला सशक्तीकरण से जुड़े अधिनियम :

महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए अधिनियमों का प्रयोग औपनिवेशिककाल से ही किया गया। उनसे जुड़ी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में शुरूआती प्रयासों के तौर पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856), बाल

विवाह निषेध अधिनियम (1925) और शारदा एक्ट (1929), अंग्रेजी हुकमत द्वारा क्रियान्वित कर समाजज कोक जागरूक बनाने में एक कदम था। इन अधिनियमों से यद्यपि कोई विशेष सफलता तो प्राप्त नहीं हुई परन्तु ये अधिनियम—महिलाओं के पिछड़ेपन को दूर करने में प्रेरणा स्रोत साबित हुआ।<sup>6</sup>

स्वतंत्रता पश्चात् महिला उन्मुख वातावरण के निर्माण पर बल दिया गया। साथ ही महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव लाने के लिए अधिनियमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948), विशेष विवाह अधिनियम (1954), हिन्दू विवाह अधिनियम (1955), वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम (1956), हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (1995) सन् (2005) में संशोधित, कारखाना अधिनियम (198) 1986 में संशोधित, दहेज निषेध अधिनियम (1961) सन् 2012 में संशोधित, प्रसूति—प्रसुविधा अधिनियम (1951), भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम (1969), भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम (2001), घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005), महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) विधेयक (2012) और महिलाओं के खिलाफ जघन्य यौन अपराध विधेयक (2013) मुख्य है।

#### **महिला सशक्तीकरण से जुड़ी अन्य प्रमुख योजनाएँ :**

भारत सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों और उनके समग्र विकास के लिये समय—समय पर अधोलिखित योजनाओं को क्रियान्वित करती रही—

- (1). **स्वावलम्बन योजना** : इस योजना का उद्देश्य समूहों में गरीब और जरूरतमंद महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं को शामिल किया है। इस योजना के अन्तर्गत महिला विकास निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र में निगमों, स्वायत्त संगठनों, न्यासों और पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।
- (2). **राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति** : राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति, 2001 भविष्य के लिए महिलाओं की अनुभव की गई जरूरतों का समाधान करने और उनकी उन्नति, विकास और सशक्तीकरण के विषय में अभिव्यक्त लक्ष्य सहित एक कार्ययोजना के तौर पर बनायी गई थी।
- (3). **बालिका प्रोत्साहन योजना** : वर्ष 2006—07 के आर्थिक बजट में घोषित इस योजना के अन्तर्गत कक्षा आठ पास करने वाली बालिका को कक्षा 9 में नामांकित होने पर 3000 रुपये एकमुश्त राशि दी जाती है।
- (4). **किशोरी शक्ति योजना** : वर्ष 2001 में केन्द्रीय सरकार ने समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किशोरी शक्ति योजना को संचालित किया। इस योजना को दो भागों में बाँटकर चलाया जा रहा है— पहली योजना “गर्ल टू गर्ल एप्रोच” तथा दूसरी योजना “बालिका मंडल योजना।” पहली योजना 11 से 15 वर्ष आयु की किशोरियों के लिए तथा दूसरी योजना 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के लिए है।
- (5). **महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना** : यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2001 को घोषित की गई। इसके अन्तर्गत महिला उद्यमियों को सार्वजनिक बैंको के द्वारा अधिक मात्रा में बैंक ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध कराने के लिये योजना का संचालन किया जाता है। योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक बैंक द्वारा अपनी कुल ऋण राशि का 5 प्रतिशत भाग महिला उद्यमियों को आवश्यक रूप से प्रदान किया जाता है।

(6). **जननी सुरक्षा योजना** : 1 अप्रैल, 2005 को शुरू की गई जननी सुरक्षा योजना पूर्व में चल रही मातृत्व लाभ योजना का संशोधित रूप है। वर्ष 2005-06 के बजट में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के एक उद्योग के रूप में घोषित किया गया है।

(7). **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना** : केन्द्र सरकार द्वारा सितम्बर 2005 में संसद से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को पारित किया गया। अप्रैल 2003 से वह योजना पूरे देश में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों की संख्या में कम से कम एक तिहाई महिलाओं को आवश्यक रूप से रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार महिलाओं में सशक्तीकरण की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है।

(8). **महिला किसान सशक्तीकरण योजना** : वर्ष 2010 में इस योजना का शुभारम्भ केन्द्र सरकार द्वारा किया गया। इसके अन्तर्गत कृषक महिलाओं और कृषि महिला मजदूरों को चयनित कर कृषि हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

(9). **जननी, शिशु सुरक्षा कार्यक्रम** : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून, 2011 को प्रारम्भ किया। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं तथा रुग्ण नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना है।

वर्तमान समय में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ महिलाएँ अपनी उपस्थिति का आभास न करा रही हो। वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में महिला मजबूर नहीं, मजबूत नजर आ रही हैं। आज महिलाएं अपने एवं परिवार से सम्बन्धित निर्णयों में काफी हद तक केन्द्रीय भूमिकाओं का निर्वहन कर रही हैं। वर्तमान में महिला अधिकारों ने ऐसी प्रक्रिया को जन्म दे दिया, जिसमें वे संगठित होकर अपने सतत विकास को प्राप्त कर रही हैं।

महिला अधिकारों ने सशक्तीकरण की दशा में जो बड़ा आधार तैयार किया है उसमें शिक्षा मील का पत्थर साबित हुई। शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो कामकाजी महिलाओं की संख्या भी बढ़ने लगी है।

महिला अधिकार और सशक्तीकरण भारतीय समाज की आवश्यकता हैं किसी एक वर्ग को दबाकर विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता। महिलाएँ हमारे समाज का हिस्सा हैं, उनकी तरक्की को किसी भय या शंका के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों वर्गों का दायित्व एक-दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास को बढ़ावा देना होना चाहिए। जहाँ पुरुष मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है, वहीं महिलाओं को भी बदलते परिवेश में उन दायित्वों का निर्वहन करना होगा जो अभी तक पुरुषों के लिए निर्धारित थे।

#### **सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :**

1. पी0एन0प्रभू, हिन्दी सामाजिक संगठन, पृ0 258
2. के0एम0कापड़िया, भारत में विवाह एवं परिवार, पृ0 25
3. ए0एस0अल्तेकर, महिला में हिन्दू सभ्यता, पृ0 33
4. डॉ0एम0ए0 लवानिया, भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, पृ0 11
5. कुरुक्षेत्र पत्रिका, भारत सरकार, 2016, पृ0 33
6. [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)



## ग्रामीण भारत में शिक्षा की वर्तमान स्थिति



डॉ० राजन गुप्ता

समाजशास्त्र विभाग

माँ गायत्री महाविद्यालय

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

**सारांश :** शिक्षा प्रत्येक युग में सभ्य मानव के जीवन का एक अपरिहार्य अंग रहा है। वर्तमान युग की यह एक बहुत बड़ी मांग है कि समाज शिक्षा के लिये सभी साधनों को प्रदान करें और शिक्षा समाज के अनुरूप हो यदि हम शिक्षा की गहराई में दृष्टिपात करें तो यह ज्ञात होता है कि शिक्षा का सर्वोच्च कार्य, व्यक्ति एवं समाज के आचरण को विकसित करना है। वर्तमान सरकार ने देशभर में मूलभूत ढांचागत सुधारों और विस्तार कार्यक्रमों को तेजी से बढ़ावा दिया है, जिससे ग्रामीण विद्यालयी ढांचे में भी पर्याप्त सुधार होने की संभावना है। दावों को सच माने तो लगभग सभी ग्रामीण विद्यालयों में बालक-बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय उपलब्ध हो गया हैं, बिजली पहुँच गई हैं। विद्यालयों तक पक्की सड़के पहुँच गयी हैं; लेकिन शिक्षकों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, कम्प्यूटरों, शिक्षण सहायक युक्तियों विद्यालय की उपयुक्त पक्की इमारतों आदि का अभाव बना हुआ है; और इसके बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-अधिगम वातावरण का निर्माण नहीं हो सकता। प्रस्तुत शोध ग्रामीण शिक्षा की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना है।

**मुख्य शब्द :** व्यक्ति एवं समाज, मूलभूत ढांचा, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला आदि।

वर्तमान सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य में मानव संसाधनों का समुचित विकास भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। औद्योगिक क्रांति के साथ ही भारत सहित विश्व के समस्त देशों में शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के एक प्रमुख वाहक के रूप में देखा जाने लगा है।<sup>1</sup> अब विकसित तथा विकासशील सभी देशों में शिक्षा की अवधारणा, उद्देश्य और नीति की व्याख्या और रचना आधुनिक और उत्तर आधुनिक वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखकर की जाने लगी है।

वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल 645481 गांव हैं। देश की आबादी का 67 प्रतिशत अभी गांवों में रहता है।<sup>2</sup> हम जानते हैं कि शिक्षा राष्ट्र की प्रगति का आधार है कि उचित शिक्षा की व्यवस्था किए बिना कोई राष्ट्र विश्व का अग्रणी राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए यह देखना समीचीन होगा कि वर्तमान में ग्रामीण भारत में शिक्षा व्यवस्था किस अवस्था में है। जनवरी से जून 2014 के बीच 4577 गांवों में 36479 परिवारों से संपर्क कर

किए गए 71वें क्रम के राष्ट्रीय प्रदर्श सर्वेक्षण के अनुसार 7 वर्ष से अधिक से पुरुषों में साक्षरता दर 83 प्रतिशत और महिलाओं में 67 प्रतिशत पाई गई जबकि यहां स्नातक अथवा उच्च स्तर के पुरुष 4.5 प्रतिशत तथा महिलाएँ 2.9 प्रतिशत पाई गई।

8वें अखिल भारतीय विद्यालयी शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 6.75 लाख प्राथमिक, 3.04 लाख उच्चतर प्राथमिक, 82.8 हजार माध्यमिक, 36.9 हजार उच्चतर माध्यमिक तथा 1.18 हजार डिग्री कॉलेज कार्यरत है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक गांव के लिए एक प्राथमिक विद्यालय एक किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध है और उपयुक्त प्रबंधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जा सकती है।

### ग्रामीण शिक्षा की वर्तमान स्थिति :

वर्तमान सरकार ने देशभर में मूलभूत ढांचागत सुधारों और विस्तार कार्यक्रमों को तेजी से बढ़ावा दिया है, जिससे उपर्युक्त ग्रामीण विद्यालयी ढांचे में भी पर्याप्त सुधार होने की संभावना है। दावों को सच मानें तो लगभग सभी ग्रामीण विद्यालयों में बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध हो गए हैं, बिजली पहुंच गई है। विद्यालयों तक पक्की सड़कें पहुंच गई है लेकिन शिक्षकों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, कम्प्यूटरों, शिक्षण सहायक युक्तियों, विद्यालय की उपयुक्त पक्की इमारतों आदि का अभाव बना हुआ है और इसके बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-अधिगम वातावरण का निर्माण नहीं हो सकता है।<sup>3</sup> इसलिए उपर्युक्त सभी मुद्दों पर तेजी से काम करने की आवश्यकता है।

### परिलक्षित हो रहे परिवर्तन :

ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई दे रहे सार्थक बदलाव शिक्षा के अधिकार कानून के धरातल पर क्रियान्वित होने के परिणाम है। यही वजह है कि लगभग सभी सरकारी स्कूलों में नामांकन की वृद्धि दर्ज की गई है। शिक्षा का अधिकार कानून – 2009 के बाद स्कूलों की संख्या में वृद्धि, शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, शौचालय और खेल के मैदान जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार और स्कूल तक बच्चों को लाने के लिये की जाने वाली पहलों की वजह से सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है।

लेकिन एक-चौथाई सरकारी स्कूलों में आज भी बच्चों का नामांकन प्रतिशत 60 और इससे कम है। इसमें वे बच्चे शामिल हैं जो निःशुक्ल और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार न मिलने पर स्कूल नहीं जा पाते हैं, और जो शिक्षा के बदले घरेलू व खेती के कामों में बड़ों का हाथ बटाते हैं।

### ग्रामीण स्तर पर शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ :

- आज भी ऐसे ग्रामीण स्कूल हैं, जहाँ कमरों व डेस्क-बेंच जैसी मूलभूत सुविधाएँ पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।
- बहुत से स्कूलों में बच्चे बरामदों व पेड़ों के नीचे बैठकर ही पढ़ते नजर आते हैं
- शौचालय स्कूलों में है परन्तु पानी के अभाव में साफ-सफाई रख पाना मुश्किल हो जाता है।
- ग्रामीण स्कूलों में मिड-डे मिल संचालन के तौर-तरीकों पर भी सवाल उठाए जाते हैं। स्कूलों में बच्चों को खाना खिलाने में ही शिक्षकों का काफी समय व्यर्थ हो जाता है। अधिकारिक स्तर पर मिड-डे मील स्कीम के कार्यान्वयन को लेकर ठोस योजना का अभाव एक बड़ा गतिरोध है।

- देश के बहुत से ग्रामीण स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से एड्रसेट के उपकरण लगाए गए हैं। लेकिन भारी-भरकर खर्च से लगाए गए ये उपकरण अधिकांश स्कूलों में मात्र शो-पीस बनकर रह गए हैं।
- ग्रामीण सरकारी स्कूलों की छवि गरीबों और अशिक्षितों के बच्चों में स्कूल वाली बन गई है, जो पूरी तरह शिक्षकों की दया पर निर्भर है।
- आज भी शिक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा स्कूलों में अध्यापकों के वेतन और प्रशासन पर ही खर्च होता है। फिर भी विश्व में बिना अनुमति अवकाश लेने वाले अध्यापकों की संख्या भारत में सबसे अधिक है।
- ग्रामीण स्कूलों में अक्सर यह देखने में आता है कि अध्यापक आते ही नहीं हैं और चार में से एक सरकारी स्कूल में रोज कोई-न-कोई अध्यापक छुट्टी पर होता है।<sup>4</sup>

संविधान में हिंसा को समवर्ती सूची में रखा गया है और इसका प्रमुख जिम्मा राज्यों पर है। ऐसे में जरूरत है कि सभी राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार इसकी चुनौतियों को अपने ढंग से हल करें। ऐसा हुआ भी है और इसके अलग-अलग परिणाम सामने आए। जिन राज्यों में स्कूली शिक्षा का विकास बेहतर तरीके से हुआ, वहाँ गरीब वर्षों की शिक्षा संबंधी चुनौतियों को प्राथमिकता दी गई। लेकिन आज भी स्थिति यह है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दिलाने के लिये निजी स्कूलों में भेजता है।

#### शिक्षा के सहायक उपक्रम :

ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने और भी कई तरह के ढांचागत व्यवस्था करने के लिए कई नायाब कदम उठाए हैं यथा—

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए इन पूर्णतः आवासीय सहशिक्षा विद्यालयों की प्रस्तावना की थी, जो छठी से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करते हैं। 1986 में प्रायोगिक स्तर पर मात्र दो स्कूलों से शुरू किए गए प्रयोग के अंतर्गत आज 598 स्कूल चल रहे हैं जिनमें 34 राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के 1.93 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में उच्चस्तरीय शिक्षा व्यवस्था की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।<sup>5</sup>
- प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालयी स्तर और कुछ हद तक व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराने के लिए देश में शिक्षा संस्थानों में जाकर पढ़ पाने में असमर्थ बच्चों के लिए कोरेस्पोंडेंस कोर्स, मुक्त विद्यालय, ऑनलाइन शिक्षा तथा दूसरा शिक्षा संस्थानों जैसी पहल शुरू हुई तो इनका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार में भी हुआ।
- 10 जून 2017 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा देश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 32 चैनलों वाले स्वयं प्रभा समूह का उद्घाटन किया गया। इन चैनलों को डीटूएच के माध्यम से देश में किसी भी जगह देखा जा सकता है।
- भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2020 के लिये नई स्वीकृत शिक्षा योजना बनाई है। इस योजना में सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षण अभियान समाहित है।

इसका उद्देश्य सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा पूरे देश में प्री नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा सुविधा को उपलब्ध करने के लिये राज्यों की मदद करना है। इसके प्रमुख लाभ अद्योलिखित हैं। यथा—

- शिक्षा के संदर्भ में समग्र दृष्टिकोण।
- पहली बार स्कूली शिक्षा के लिये उच्चतर माध्यमिक और नर्सरी स्तर की शिक्षा का समावेश।
- संपूर्ण इकाई के रूप में स्कूलों का एकीकृत प्रबंधन।
- गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर ध्यान, सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने पर जोर।
- शिक्षकों के क्षमता विकास को बढ़ाना।
- शिक्षक प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार के लिये प्रशिक्षण संस्थाओं को सशक्त बनाना।
- डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट क्लासरूम के जरिये शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिक के इस्तेमाल को बढ़ाया देना।
- विद्यालयों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए स्वच्छता गतिविधियों की विशेष व्यवस्था।
- सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता सुधारना।<sup>6</sup>

उक्त योजनाओं के बावजूद अभी भी जरूरत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की पहुंच बढ़ाने तथा इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और अधिक गति दी जाए और यहाँ शिक्षा के आधारभूत ढांचे को सशक्त किया जाए।

#### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. बघेल, डी0ए0, भारत में सामाजिक परिवर्तन, म0प्र0, पृ0 30
2. एस0के0ओझा, जनसंख्या एवं नगरीकरण, इलाहाबाद, पृ0 15
3. कुरुक्षेत्र, मासिक पत्रिका, भारत सरकार, मार्च 2018, पृ0 25
4. योजना, पत्रिका, भारत सरकार 2017 (फरवरी), पृ0 10
5. [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)
6. एजुकेशनल स्टेटिस्टिकल इन ग्लॉस, 2016, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

## संकेतितार्थनिर्णयः



राजेश मण्डल

शोधच्छात्रः, व्याकरणविभागः,

राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, तिरुपतिः

**सारांशः-** सङ्केताद् एव शब्दार्थो ज्ञायते। यस्य शब्दस्य यस्मिन् सङ्केतः तस्मात् तदाऽर्थो बोधः। सङ्केतस्य बोधो कुतः व्यक्तिः जातितः वा इति विषये महान् प्रश्नो जागरितो भवति। तत्र नैयायिकादयः पृथक् पृथक् मतं ददति। अतएव विषयोऽयमाधारीकृत्य मया विचारः सारल्येन प्रस्तुतः। एवञ्च सर्वेषां मतमुपस्थाप्य वैयाकरणमतम् प्रतिष्ठितम्।

मुख्यशब्दः – सङ्केतः, शक्तिबोधः, संकेतितार्थनिर्णयः, मीमांसकाः, नैयायिकाः, अपोहवादिनः, वैयाकरणाः, बोद्धाः।

यदि सङ्केतः पदपदार्थयोरितरेतराध्यासरूपः शक्तिबोधकश्च, तर्हि सार्थकानां घटपटादीनां शब्दानां सङ्केतो जातौ व्यक्तौ वा इत्युदेति मनसि महान् प्रश्नः। गोस्तिष्ठति इत्यस्मिन् वाक्ये गोशब्दःविद्यमानपशुविशेष एव सङ्केतितो भवत्यथवा गोत्वजातौ इत्याशङ्कायां प्राचीनभारतीयदार्शनिकाः तेषां विभिन्नानि मतानि प्रतिपादयन्ति। तत्र मीमांसकाः जातौ सङ्केतवादिनः, नैयायिकाः जातिविशिष्टव्यक्तिवादिनः, बोद्धाः अपोहवादिनः, वैयाकरणाः आलङ्कारिकाश्च उपाधिवादिनः भवन्ति।

सङ्केतितार्थविषये पञ्चमतान्युपलभ्यन्ते। यथा-

1. व्यक्तिवादिनां मतं
2. जातिवादिनां मतम्
3. जातिविशिष्टव्यक्तिवादिनां मतम्
4. अपोहवादिना मतम्
5. उपाधिवादिनां मतम्

## व्यक्तौ सङ्केतवादिनां मतम्

एतेषां मते (व्यक्तौ सङ्केतवादिनां मते) शब्दस्य व्यक्तावेव सङ्केतग्रहः व्यक्तिरेव शक्यार्थो वा। तथाहि जातिरमूर्ता तस्यादृश्यत्वात्। गामानय,गां वधान, इत्यादिषु वाक्येषु आनयवन्धानादिक्रियादिकं व्यक्तिः सङ्केतपक्षे एवोपपद्यते न तु जातिसङ्केतपक्षे। तेषां मते सङ्केतग्रहो व्यवहारधीनः। अतः तन्निर्वाहश्च (तदोचित्यश्च) प्रवृत्तिनिवृत्तयोगाभ्यां व्यक्तावेव। अतः व्यक्तिरेव शब्दार्थः इति॥

### व्यक्तौ सङ्केतवादिनां मतनिरासः

व्यक्तिसङ्केतविरोधिनाः व्यक्तौ सङ्केतं न स्वीकुर्वन्ति। तेषां मते व्यक्तिरेव शब्दार्थः इति मतस्वीकरणेन तत्रैव शङ्का समुदेति यत् गोपदस्य सङ्केतः सर्वासु भूतभविष्यद्वर्तमानासु गोव्यक्तिषु आहोस्वित् एकस्यां गोव्यक्तौ उत कासुचिदेव गोव्यक्तिषु। प्रथमपक्षे आनन्त्यदोषापत्तिः। शेषपक्षद्वये व्यभिचारप्रसङ्गः।

- क) तन्मते सकलव्यक्तिषु शक्तिस्वीकारे व्यक्तीनामानन्त्यात् शक्तीनामानन्त्यम्। पुनश्चैकस्माद् गोपदादनन्तानां गोव्यक्तीनां प्रतीतिरसम्भवा। असङ्ख्या हि गोव्यक्तयः पुरुषायुषाऽपि परिगणयितुं न शक्याः। अतः अनन्तशक्तिकल्पनायां गौरवात् एकस्य गोपदस्य सर्वासु भूतभविष्यद्वर्तमानासु गोव्यक्तिषु अर्थप्रतीतिः सम्भविष्यति। अत एव व्यक्तौ सङ्केतो न स्वीकर्तव्यः।
- ख) यदि एकस्यामेव व्यक्तौ ग्रहणे अन्येषां व्यक्तीनां वा तच्छब्दविषयत्वं न स्याद्। यतो हि सङ्केतस्यैव शाब्दबोधः। असङ्केतितस्य शाब्दबोधाददर्शनात्। गोशब्दस्यैकस्यामेव गोव्यक्तौ सङ्केते जाते अन्यासां गोव्यक्तीनां सङ्केतासम्भवः। परन्तु गोशब्दात् सर्वासां गवां प्रतीतिरनुभवसिद्धा। यदि असङ्केतितस्यापि अर्थस्य शब्दविशेषेण वाच्यत्वमङ्गीक्रियते तर्हि गोशब्दात् घटादीनां ग्रहो दुर्निवारः प्रसज्यते। महतीयमव्यवस्था स्यात्। एवं व्यभिचारभयात् नैकस्यां गोव्यक्तौ सङ्केतो युज्यते।
- ग) तृतीयपक्षे कासुचिदेव गोव्यक्तिषु यदि सङ्केतार्थस्य समन्वयः स्यात्। तर्हि तथैव व्यभिचारापत्तिः। तथाहि कृतसङ्केतितानां कासांचिद् गोव्यक्तीनामेव बोधो भविष्यति न तु अकृतसङ्केतितानां सर्वासां बोधः। अनेन तृतीयपक्षोऽपि न समीचीनः व्यभिचारभयात्।

किञ्च व्यक्तिसङ्केतपक्षे गौः शुक्लश्चलो डित्थः इति विभागकरणम् अनौचित्यं भविष्यति। यतो हि गौः शुक्लश्चलो डित्थः इत्यस्मिन् वाक्ये गोशब्दस्य गोत्वरूपा जातिः शुक्लशब्दस्य शुक्लत्वम्, चलशब्दस्य चलनक्रिया, डित्थशब्दस्य च डित्थ इति कश्चिन्नामरूपार्थस्य प्रतीतिर्भवति। तेन गोत्वजातिमान्, शुक्लत्वगुणवान्, चलनक्रियावान्, डित्थानामायं गौरिति ज्ञानं भवति। व्यक्तिसङ्केतविरोधवादिनां मते व्यक्तौ सङ्केतस्वीकृते सति अयं चतुर्विधो विभागः अनुपपन्नः स्यात्। अत एव तेषां नये व्यक्तौ सङ्केतो नैव स्वीकार्यः॥

## मीमांसकानां मते जातौ सङ्केतग्रहः

मीमांसकानां मते जातावेव सङ्केतग्रहो भवति<sup>iii</sup>। एतेषां मते शब्दार्थः प्रथमं सामान्यमथवा जातिमेव बोधयति। गामानय इत्यस्मिन् वाक्ये गोत्वरूपार्थः प्रथममवगम्यते। अनन्तरं जातेराक्षेपोऽर्थापत्तेरनुमानाद् वा व्यक्तिबोधः। केषाञ्चिन्मते लक्षणया व्यक्तिभानं भवतीति।

मीमांसकाः जातिं विशेषणं, व्यक्तिञ्च विशिष्टमिति कथयन्ति। विशेषणं विशिष्टमाक्षिपतीति सर्वजनसम्मत्तम्। विशेषणस्य विशेष्यं विनाऽसम्भवाद्। यथा शुक्लं विशेषणं गामश्वमजां वा कञ्चिद् व्यक्तिविशेष स्वोपपत्तयेऽवश्यमाक्षिपति, तथैव शब्दस्यार्थो जातिः व्यक्तिं विनाऽनुपपन्नः। पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते इत्यस्मिन् वाक्ये देवदत्तस्य दिवा भोजनाभावेऽपि रात्रिभोजनं यथाऽऽक्षिप्यते धुमं दृष्ट्वा साहचर्यसम्बन्धेन अग्नेः ग्रहणं यथा भवति तथैव यत्र यत्र घटत्वं तत्र तत्र घटः, यत्र यत्र घटाभावः तत्र न घटत्वम्। एवञ्च गोत्वमानय इत्यनेन गामानय इत्यस्य ग्रहणं भविष्यति। मण्डनमिश्रमते जातेः व्यक्तिभावं नार्थापत्त्या नाक्षेपेण अपि च लक्षणया<sup>iv</sup>।

मीमांसकैः जात्याकृत्योः भेदो न लक्ष्यते। तेषां मते जातिरेवाकृतिः। यथा जातिः अनेकव्यक्तिः अनुगता तथाकृतिरपि अनेकानुगता<sup>v</sup>।

## जातिविशिष्टव्यक्तिवादिनां मतम्

नैयायिकाः जातिविशिष्टव्यक्तिवादिनः। तेषां मते सङ्केत न जातौः न व्यक्तौ परन्तु जातिविशिष्टव्यक्तावेव। विषयेऽस्मिन् महर्षिः गौतमः प्रतिपादयति यद् पदार्थः न केवला जातिः न चाकृतिः परन्तु जातिः आकृतिः व्यक्तिश्चेति त्रितयं मिलित्वा एव पदार्थो भवति।<sup>vi</sup> अनेनैव कारणेन व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थः इत्यस्मिन् सूत्रे सूत्रकारेण पदार्थपदे एकवचनस्य प्रयोगः कृतः। अत्रायमेवाशयो यत् त्रिषु एकैव शक्तिः स्वीकर्तव्या। अन्यथा पदार्थो इति बहुवचनान्तस्य प्रयोगः स्यात्। तथाहि क्वचिज्जातेः प्राधान्यं यथा गौः पदा न स्पष्टव्या इत्यत्र धर्मशास्त्रवचनानुसारे जातिर्पदार्थः। क्वचिद् व्यक्तेः प्राधान्यं यथा गौरनुबन्ध्यः इत्यादौ धर्मशास्त्रवाक्येषु गामानय, गां वधान इत्यादिषु लौकिकवाक्येषु च गोपदाद् व्यक्तिरूपार्थः प्राधान्येन प्रतीयते। कुत्रचिच्च आकृतेः प्राधान्यं यथा मृत्तिकामय्यो गावः क्रियन्ताम् इत्यस्मिन् वाक्ये गोपदादाकृतिरूपार्थः लभ्यते। अनेन प्रकारेण गौतमवचनानुसारेण त्रितयमेव पदार्थः साधुः सङ्गच्छते इति नैयायिकानामभिमतम्। नैयायिका मीमांसकानां केवलं जातिवादं न सहन्ते। तन्मते पदस्य योगो जातिसङ्केतयुक्तायं व्यक्तावेव भवति। संज्ञा च नैमित्तिकी। जातावेव सङ्केतग्रहणे व्यक्तेर्भानं कठिनं स्यात्<sup>vii</sup>।

अस्यायं निष्कर्षः लोकेऽस्मिन् गवे गोशब्दस्य प्रयोगः क्रियते। बालकाय चैत्रशब्दस्य प्रयोगः। एषा नैमित्तिकी संज्ञा यदा पदार्थान् बोधयिष्यति तदा जातिविशिष्टव्यक्तिमेव। अत एव गोशब्दो गोत्वयुक्तस्य पशुविशेषस्य चैत्रस्य चैत्रनामधेय कस्यचिद् व्यक्तिविशेषस्य ज्ञानं ज्ञास्यति। न तु गोजातेः चैत्रजातेर्वा<sup>viii</sup>।

पुनश्च नैयायिकानां मते मीमांसकानामिव जातेः व्यक्तिग्रहो नाक्षेपेण नानुमानेन नार्थापत्त्या। गामानय इति वाक्ये अर्थापत्तेराक्षेपस्य च ग्रहणं नावश्यकम्। यतो हि गवादिकर्मकताकत्वेनानयनादेरन्वयबोधस्यानवभवसिद्धत्वात्।<sup>ix</sup>

किञ्च गोरगच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये गोत्वस्य ग्रहणं यदि भविष्यति तर्हि गोत्वस्य गच्छतीत्यनेन सहान्वयो न भवति। परन्तु जातिस्तु बुद्धिगता न तु व्यवहारोपयोगिनी। अतः नैयायिकानां मते सङ्केतग्रहे जात्या सह व्यक्तेर्ग्रहणमपि भवति। अनेन जातिविशिष्टव्यक्तिरेव शक्यार्थः तेषां नये।

### वैयाकरणानां मते सङ्केतग्रहः

वैयाकरणमते सङ्केतग्रहो न केवलायां जातौ न च व्यक्तौ न वा जातिविशिष्टव्यक्तौ अपि उपाधौ एव। विषयेऽस्मिन् भगवता महाभाष्ये उक्तं यत् चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः। जातिशब्दाः गुणशब्दाः, क्रियाशब्दाः यदृच्छाशब्दाश्चतुर्धाः। यद्यपि व्यवहासमये प्रत्यक्षरूपेण सर्वदा व्यक्तेराविर्भावः, तथापि तस्याः उपाधौ (धर्मे) जात्यादावेव सङ्केतः स्वीकार्यः। तथा हि गोशब्दः न केवलायां जातौ सङ्केतं कारयति अपितु शुक्लादिगुणान् गुणक्रियायदृच्छाशब्देषु व्यक्तेरुपाधिष्वेव सङ्केतग्रहः। तेन द्रव्यगुणविषयविभागकरणं न विरुद्ध्यते। इत्थं भाष्यकारपतञ्जलिः चतुर्ष्वर्थेषु शब्दानां प्रवृत्तिरिति स्वीकरोति<sup>x</sup>।

### सङ्केतग्रहे आलङ्कारिकाणां मतम्

आलङ्कारिकाः वैयाकरणानामुपाधिवादं परिपोषयन्ति स्वशास्त्रेषु। कविराजविश्वनाथमेत सङ्केतो गृह्यते जातौ गुणद्रव्यक्रियासु च<sup>xi</sup> इति। तन्मतेऽपि जातिः गुणः द्रव्यं क्रिया चेति चतुर्विधः शक्यार्थः। मम्मटेनाऽपि शब्दस्योपाधावेव सङ्केतः स्वीकृतः। तन्मते यद्यपि सकलप्रयोजनसम्पादकतया प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्या व्यक्तिरेव तथापि आनन्त्याद् व्यभिचाराच्च न तत्र सङ्केतो युक्तः। गौः शुक्लश्चलो डित्थेत्यादीनां विषयविभागोऽपि न प्राप्नोति। अत एव शब्दस्योपाधावेव सङ्केतः अङ्कीकर्तव्यः।<sup>xii</sup>

तत्र उपाधिद्विविधः। वस्तुधर्मः, वक्तृयदृच्छासन्निवेशितः। वस्तुधर्मः इत्युक्ते वस्तुनिष्ठधर्मो जातिगुणक्रियारूपः। वस्तुधर्मोऽपि द्विविधः। सिद्धः साध्यश्चेति। सिद्धस्तावद् द्विविधः। पदार्थस्य प्राणपदः, विशेषाधानहेतुश्च। तत्र प्रथमः गवादिपदेषु प्राणधायको जातिरूपः, येन गवादीनां गोत्वमुपपन्नं भवति, यथोक्तं गोत्वाभिसम्बन्धात् गौरिति। द्वितीयः सिद्धस्तावद् विशेषाधानहेतुः(गुणः)। विशेषाधानहेतु इत्युक्ते धवलकृष्णपिङ्गलाख्य वस्तुधर्मे येन जातिर्विशिष्यते<sup>xiii</sup>। गोपदस्य गोत्वैऽर्थे गोत्वं प्राणपदः सिद्धो वस्तुधर्मः। परन्तु तत्रैवोपलभ्यमानाः शुक्लकृष्णत्वादिगुणाः गोत्वजातौ विशेषाधायकत्वात् शुक्लादयः गुणाः गोत्वाजातौ विशेषाधायकत्वात् शुक्लादयः गुणाः विशेषाधानहेतुः कथ्यते।



साध्यवस्तुधर्मः क्रियारूपः यदृच्छात्मकश्च<sup>xiv</sup> । चलनचर्वणदोहनादिक्रियारूपत्वं साध्यत्वम्। अपरञ्च यदृच्छात्मकस्यायमेवाऽर्थं यत् वक्त्रा यदृच्छया स्वस्य व्यवहारसौकर्यार्थं डित्थकपित्थादिरूपेण गवश्वादिषु यत् समारोप्यते,<sup>xv</sup> स वक्तृयदृच्छासन्नवेशितः। स च संज्ञारूपो नामरूपो वा। एवं गवि गोत्वशुक्लत्वचलनादयो जातिगुणक्रियारूपा उपाधयः स्वतः लभ्यन्ते। पुनश्च गवि डित्थकपित्थादयो नामानि व्यवहारसौकर्यार्थं यदृच्छात्मकं व्यपदिश्यन्ते। अयमेव वक्तृयदृच्छासन्नवेशितः उपाधिः।

इत्थं वैयाकरणालङ्कारिकाणाञ्च गोशब्दस्य गोत्वजातौ, शुक्लादिशब्दस्य गुणे चलतीत्यादिशब्दस्य क्रियायां डित्थादिपदानां नाम्नि च सङ्केतो भवति। तेन चतुष्टयी पदानां प्रवृत्तिः इत्यस्य सङ्गतिः स्यात्।

### सङ्केतग्रहे बोद्धानां मतम्

बोद्धानां मते सङ्केतग्रहः अपोहे भवति<sup>xvi</sup>। अपोहञ्च पदार्थविशेषस्य तद् व्यतिरिक्तपदार्थेभ्य व्यावृतिरूपः। गौः इत्युक्ते गोभिन्नाभिन्नस्य पदार्थविशेषस्य प्रतीतिः भवतीति इति तेषामाशयः। गोशब्दोच्चारणेन सर्वासां गोव्यक्तीनां बोधः। तस्मादितरे अश्वगर्दभादयः, तेभ्यो व्यावृतिर्यत्र सोऽपोहः। अनेन प्रकारेण अपोहः एव सङ्केतितार्थः। बोद्धाः सामान्यं जातिं वा न स्वीकुर्वन्ति। तन्मते संसारेऽस्मिन् न किमपि स्थिरम्। जातौ व्यक्तौ च सङ्केतो भवितुं नार्हति। यतो हि जातिस्त्वनित्या। व्यक्तिश्च परिवर्तनशीला। अतः बोद्धानामपोह एव शब्दार्थः<sup>xvii</sup>। अनेन प्रकारेण संक्षेपेणसुकुमारमतिना मया विषयोऽयं प्रतिपादितः।

### सन्दर्भाः

i. प्रयोगचोदनासामञ्जस्याद् व्यक्तिः शब्दार्थः, आलम्भनविशसनप्रोक्षणादिचोदना जाता वसङ्गता भवन्ति। नहि जातिरालभ्यते विशस्यते प्रोक्ष्यते वा, अपि च षड्देया द्वादश देया चतुर्विंशतिर्देया इति न जातिः षडादिसंख्याभिर्युज्यते अपितु व्यक्तिः तस्मात् सैव शब्दार्थः।- न्यायमञ्जरी, पृ- 281

ii. तथा यदि व्यक्तावेव सङ्केतः स्यात्तदा गौः शुक्तश्चोलो डित्थादीनां विषयवभागो न प्रापनोति। तावद्विशेषणविशिष्टाया एव गो व्यक्तेः सङ्केतपात्रीकृतत्वेनैकेनैव शब्देनाभिधीयमानत्वादन्वयात् शृङ्गसासानादिवैशिष्ट्येऽपि पृथक् पृथक् शब्दाभिधेयत्वं स्याद्। यदि च विषयविभागं विनाप्येकस्मिन् एव विषये युगपद् भूयसा शब्दानां प्रवृत्तिः स्यात्तदानीमिन्द्रः शक्रः पुरन्दरः इत्यादयोऽपि शब्दाः समाकालमेकस्मिन्नेव विषये प्रवर्तेरन्। तस्मान्न व्यक्तौ सङ्केतः।- अ.म. पृ-

iii. मीमांसकास्त गवादिपदानां जातिरेव वाच्या न तु व्यक्तिः।-श.वा, पृ 285

iv .गौर्जायते गौर्नश्यति इत्यादौ सर्वत्र गोत्वादिजातिशक्तेनैव गवादिपदेन लक्षणया गोत्वादिविशिष्टा व्यक्तिर्बोध्यते। व्यक्तीनां बहुत्वेनान्यलभ्यत्वेन च तत्र शक्तेरकल्पनात् तात्पर्यानुपपत्तेरपि लक्षणायां बीजत्वात्।-श.श.प्र.पृ-87

v.जातिमेवाकृतिं प्राहुः व्यक्तिराक्रियते यया।

सामान्यं तच्च पिण्डानाकन्नबुद्धिनिबन्धना।। श्लो.वा. आकृतिवाद पृ-31

vi.व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थः। न्यायदर्शनम्-2.2.65

vii.जात्यावच्छिन्नसङ्केतवती नैमित्तिकी मता।

जातिमात्रे हि सङ्केताद् व्यक्तेर्भानं सुदुष्करम्।---श.श.प्र.का.,25

viii .यन्नाम जात्यवच्छिन्नसङ्केतवत् सा नैमित्तिकी संज्ञा यथा गौचैत्रादिः। सा हि गोत्वचैत्रादिजात्यवच्छिन्नमेव गवादिकमभिधन्ते न तु गोत्वादिजातिमात्रम्। गोपदं गोत्वसङ्केतितमित्याकारग्रहाद् गामानायेत्यादौ गोत्वादिना गवादेरन्वयानुभवानुपपत्तेः एकशक्तत्वग्रहस्यानुभावकत्वेऽपि प्रसङ्गात्।----श.श.प्र.का-25

ix .तन्मन्दं विनाऽप्याक्षेपं गामानय इत्यादितो गवादिकर्मकताकत्वेनानयनादेरन्वयबोध्याऽनुभविकत्वाद् गौर्गच्छतीत्यादौ शुद्धे गोत्वे गच्छतीत्याद्यनुभवस्यासम्भवात् स्वाश्रयवृत्तित्वसम्बन्धेन गतिमत्वादिहेतुना गवादौ साक्षात्सम्बन्धेन गतिमत्वाद्याक्षेपस्य व्यभिचारदोषेण दुःशक्यत्वाच्च। ----तत्रैव

x.महाभाष्यम्

xi.साहित्यदर्पणम्, पृ 43

xii.यद्यप्यर्थक्रिया प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्या व्यक्तिरेव तथाप्यनन्त्याद् व्यभिचाराच्च तत्र सङ्केतः कर्तुं न युज्यते इति गौः शुक्लः चलो डित्थ इत्यादीनां विषयविभागो न प्राप्नोतीति च तदुपाधावेव सङ्केतः। - काव्यप्रकाशः पृ-32,33

xiii.द्वितीयो गुणः। शुक्लादिना हि लब्धसत्ताकं वस्तु विशिष्यते। - काव्यप्रकाशः-पृ-34

xiv.साध्यः - पूर्वापरीभूतावयः क्रियारूपः। काव्यप्रकाशः पृ-35

xv.डित्थादिशब्दानामन्त्यबुद्धिनिर्गाह्य सहतक्रमं स्वरूपं वक्त्रा यदृच्छया डित्थादिष्वर्थेषूपपाधित्वेन सन्नवेश्यत इति सोऽयं संज्ञारूपो यदृच्छात्मक इति। - तत्रैव

xvi.गोशब्दश्रवणात् सर्वासां गोव्यक्तीनामुपस्थितौ अतस्मादश्वादितो व्यवृत्तिर्दर्शनाद् तद्व्यावृत्तिरूपोऽपोहो वाच्य इति बोद्धानां मतिः। - काव्यप्रकाशः, बालबोधिनी टीका पृ-35

xvii. जातेरदृष्टत्वेन विचारसहत्वात् व्यक्तेश्च क्षणिकत्वाद्दुभयत्रापि सङ्केतस्य कर्तुमशक्यत्वात् गवादिशब्दानामगवादिव्यावृत्तिरूपोऽर्थः इति वैनाशकमतमित्यत्रापि व्याख्यातम्। - काव्यप्रकाशः 2.2.27

## परिशीलितग्रन्थसूची

- ❖ अष्टाध्यायी, ज्ञानभारती पाब्लिकेशन, दिल्ली, २००९
- ❖ आनन्दवर्धनः, ध्वन्यालोकः, जगन्नाथपाठकः, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, संस्करणम् – 2001
- ❖ कुमारिलभट्ट, श्लोकवार्तिकमंगला सागर राय, रत्ना पाब्लिकेशन, वाराणसी
- ❖ नागेशः, वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जुषा. कृष्णदास संस्कृत सीरीज्, वाराणसी 2011
- ❖ नागेशः, परमलघुमञ्जुषा. कृष्णदास संस्कृत सीरीज्, वाराणसी 2011
- ❖ भर्तृहरिः, वाक्यपदीयम्, शम्भुदयालपाण्डेयः, चौखम्बा ओरियन्टलिया, गोकुलदास संस्कृतग्रन्थमाला, दिल्ली-110007
- ❖ भामहः, काव्यालङ्कारः, चौखम्बा संस्कृत सीरीज् अफिस्, वाराणसी, 2002
- ❖ मम्मटः, काव्यप्रकाशः, “आज” भवन् सन्त कबीर मार्ग, वाराणसी(221001 यू.पी), जुलाई, 2016
- ❖ महाभाष्यम्, पतञ्जलिः, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, २००८
- ❖ लोकमणिदाहल व्याकरणशास्त्रेतिहासः, भारतीयविद्याप्रकाशन- वाराणसी, 1990
- ❖ वामनः, काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः, प्रो. केदारनाथ शर्मा, कृष्णदास अकादेमी, वाराणसी – 1979
- ❖ विश्वनाथः, साहित्यदर्पणः, आचार्यः कृष्णमोहनशास्त्री, चौखम्बा संस्कृत संस्थान वाराणसी, पुनर्मुद्रण – 2013
- ❖ वैयाकरणभूषणसारः, महामहोपाध्यायश्रीकौण्डभट्टविरचितः, चौखम्बा संस्कृत सीरीज वनारस्, 1939
- ❖ श्री किशोरनाथ झा, न्यायपरिचय, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-1
- ❖ श्रीराम शर्मा आचार्य, न्यायदर्शनम्, संस्कृतिसंस्थान, बरेलि

## भारतीय जीवन और पर्यावरण का सह सम्बन्ध



ओम प्रकाश सिंह यादव  
स्थायी पता ग्राम टोड़रपुर,  
पो0-मनियां-मिर्जाबाद, गाजीपुर,  
उत्तर प्रदेश, भारत

शोध आलेख सार – भारतीय जीवन पद्धति में जीयों और जीने दो की अवधारणना का पालन किया जाये तो पृथ्वी के संसाधनों को अन्धाधुन दोहन करने से बचा जा सकता है तथा पर्यावरण सुरक्षा पर होने वाले अत्यधिक बजट को कम किया जा सकता है । और जीवन को सफल बनाया जा सकता है । सरकार निर्मित विधान समाज से जुड़कर अपनी पूर्णता को आसानी से प्राप्त कर सकते है तथा वांछित लक्ष्य बिना बांधा के पूरे हो सकते है ।

मुख्य शब्द– भारतीय, जीवन, पर्यावरण, सम्बन्ध ।

भारत के प्राचीन मनीषियों ने गहन गहवरों में बैठकर जिस अगाध चिंतन के द्वारा भारतीय समाज की रचना कि उस समाज के दैनिक जीवन में मृत्यु पर्यन्त पर्यावरण को जीवन उपयोगी बनाने के लिए मानव संघर्ष करता रहा है । मानव अपनी दिनचर्या की शुरुवात प्रकृति की पूजा से करता है । सुबह उठकर विस्तर से नीचे पैर रखने से पहले धरती मां को प्रणाम करता है और कहता है कि हे माता मेरे से चाहे अनचाहे किसी भी रूप में आप को नुकसान न हो आप हमेशा हमारे जीवन को सफल बनाने का प्रयास करती रहे ।

भारतीय जीवन सनातन धर्म से प्रेरित है और सनातन संस्कृत का पूजारी है, यह संस्कृति समग्र विश्व को प्रेम, बंधुता, भाई – चारा, सिखाने पर बल देती है । हमारी संस्कृति में जीवन उपयोगी सभी प्रकार के वृक्षों, पशु – पक्षियों, जीव – जन्तुओं में किसी ना किसी प्रकार के देवता का वास माना गया है । जिससे कोई भी व्यक्ति धर्म से विमुख न हो पाये और धार्मिकता में ही सही पर्यावरण की रक्षा करता रहे ।

सिन्धु घाटी की सभ्यता में मिले अवशेषों के आधार पर या अन्य समकालीन सभ्यताओं के अध्ययन से यह पता चलता है कि भारतीय जीवन पूर्णरूपेण प्रकृति व उसके सहचरों पर निर्भर है । भारतीय जीवन में वेदकालीन, मन्त्रों व जीवन विधियों का विशेष रूप से महत्व है । भारतीय जीवन वेदकालीन उल्लिखित मन्त्र व उपनिषदों में वर्णित आधारित मानवीय मूल्यों पर है । इनमें हमेशा ही मानव को उच्चतम मूल्यों पर चलने का संदेश दिया गया है । ईशावास्योपनिषद् का एक ही मन्त्र अनेक मानवीय मूल्यों अभिव्यक्ति करता है

“ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् ।  
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥<sup>1</sup>”

इस संसार में जड़ और चेतन सभी प्रकार की वस्तुओं में ईश्वर का वास होता है । हमें इन सभी वस्तुओं का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए हमें किसी के भी धन का लोभ नहीं करना चाहिए ।

यह एक श्लोक अपने आप में भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण दोनों को संतुलित करने का उपदेश देता है । अगर त्याग पूर्वक उपभोग किया जाये तो जलप्रदूषण, वायुप्रदूषण व स्थल प्रदूषण से बचा जा सकता है । पेड़ों की अन्धाधुन कटाई पृथ्वी पर उत्पन्न धातुओं का बड़े पैमाने का दोहन, मानव की आवश्यकताओं का बहुत बड़ा होना, धन की तीव्र लालसा होना, अपने लिए धन कमाना ही अपनी आने वाली पांच – सात पीढ़ियों को भी धन से मालामाल करना, इस प्रकार के भाव व्यक्ति के अन्दर और व्यक्ति के बाहर भी पर्यावरण को दुषित करते हैं । अन्दर का पर्यावरण दुषित होने पर व्यक्ति के अन्दर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष उसको तो जलाते ही हैं । आस – पास के वातावरण को भी जला कर राख कर देते हैं । आज हम देखते हैं, कि पर्यावरण की सुरक्षा को ले करके पूरा विश्व चिंतित है । विश्व की चिन्ता का निवारण भारतीय जीवन शैली और वेदों का अध्ययन किये बिना सम्भव नहीं है । इसी को रामचरित मानस में कहा गया है कि “काम क्रोध मद लोभ आरि नाव नरक के पंथ ।”

पर्यावरण के संतुलन में वृक्षों के महान योगदान एवं भूमिका को स्वीकार करते हुए । मत्स्य पुराण में उनके महत्व एवं महात्म्य को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि दस कुपों के बराबर एक बाउड़ी होती है । दस बाउड़ीयों के बराबर एक तालाब दस तालाबों के बराबर एक पुत्र है और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है ।

“ दश कूप समा वापी, दशवापी समोहद्र ।

दश हद्र समः पूत्रों, दशपुत्रों समो दुःमः ॥<sup>2</sup>”

आज हम देखते हैं कि सरकारें वृक्षारोपण अभियान बड़े पैमाने पर चला रही हैं पर्यावरण को संतुलन करने के लिए अनेक विधान बने हुए हैं । फिर भी वृक्षारोपण को महत्व कम मिल रहा है अगर इसको जीवन पद्धति में समाहित कर दिया जाये तो बिना विधान के ही आम जन वृक्षारोपण करने लगेगा और पर्यावरण संतुलित हो जायेगा । पर्यावरण के असंतुलित होने से मानव का शरीर बिमारीयों का घर बनता जा रहा है । और बिमारीयां मानसिक तनाव और आत्महत्या का बढ़ावा दे रही हैं । जो समाजिक विघटन पारिवारिक तथा विचलन को बढ़ रही हैं । जिससे प्रशासनिक समस्या भी उत्पन्न हो रही है ।

हम आम व्यवहार में देखते हैं कि मानव दिनचर्या की शुरुवात नित्य क्रिया, साफ – सफाई और स्नान ध्यान से होती है । स्नान करने के बाद व्यक्ति तुलसी जी व सूर्य देवता को जल अर्पण करके ही कोई कार्य करता है । मैंने अपने सर्वेक्षण में पाया कि गांव के बुजुर्ग वृक्षों को जल देते हुए कहते हैं कि –

“ मूले ब्रम्हा त्वचा विष्णु शाखायाम् च महेश्वर : ।

पत्रे – पत्रे सर्व देवताभ्याय वृक्ष राजाज्ञा नमो नमः ।।<sup>3</sup>

अर्थात् वृक्ष के प्रत्येक तत्वों पर किसी ना किसी प्रकार के देवता का आवास होता है अगर हम वृक्ष के किसी भी भाग को नुकसान पहुंचायेगे तो किसी ना किसी देवता को नाराज करेगें । इसी लिए इस जीवन पद्धति को अपनाने से किसी भी प्रकार की पर्यावरण की क्षति नहीं होती है । और जीवन सुखी रहता है । हम दैनिक व्यवहार में देखते है कि प्रत्येक देवी-देवताओं को किसी ना किसी वृक्ष से सम्बन्धित किया जाता है । समान्य रूप से नीम को माता देवी, पीपल को वासुदेव, आंवला को विष्णु को, तथा जितने भी उपयोगी पेड़ – पौधे है जिनसे मानव का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, चाहे बरगद हो, सेमल हो, सिरफल हो, श्रीरीस हो, पाकड़ इत्यादि को काटना मना होता है । और इनकों काटने पर देवता नाराज हो जाते है । इन वृक्षों का वैज्ञानिक, समाजिक व चिकित्सकीय महत्व किसी ना किसी रूप में होने के कारण भारत के मनीषियों ने इनकों धर्म से जोड़ दिया । जिससे मानव पर्यावरण व मानव सभ्यता की रक्षा किया जा सके ।

पृथ्वी से प्रदुषण से बचाने के लिए प्राचीन ग्रन्थों में कहा गया है कि – “ माता भूमि पुत्रों अहम् पृथ्वयाः” यह एक श्लोक पृथ्वी को सभी प्रकार के प्रदुषणों से मुक्त कर देता है । अगर हमसे भी पृथ्वी की संतान है तो सभी में भाईचारा, प्रेम-सद्भाव, का संचार होता है जिससे भाई-भतिजावाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, आतंकवाद, नक्शालवाद, जैसी सामाजिक समस्यायें समाजिक प्रदुषण अपने आप दूर हो जाता है तथा इसको दूर करने के लिए सरकार को कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा जन्म लेती है वैश्वीकरण भी अपने मूल रूप में सफल होगा ।

अथर्ववेद में कहा गया है कि – “ भूमि की हरेपन से जो रक्षा करने का संदेश है उसके द्वारा दो बातें कही गई प्रथम यह कि पर्यावरण तथा प्राणीयों का रक्षा पृथ्वी में हरियाली के माध्यम से होती है । द्वितीय यह है कि भूमि भी पेड़-पौधों की हरितिमा से सुरक्षित रहती है । इसी लिए भूमि को प्रदुषण से बचाये रखने के लिए न केवल हरियाली के प्रभाव को समझना होगा अपितु सघन वृक्षारोपण चलाकर धरती पर हरियाली का हर सम्भव प्रयास करना होगा । इसमें ऋषि कहते है कि “ हे पृथ्वी तेरे जंगल हमारे लिए सुखदायी हो”

हम दैनिक जीवन में देखते है कि नदियों को माता का दर्जा दिया गया है जैसे हम कहते है कि गंगा मईया, यमुना मईया, सरजू मईया, नर्मदा मईया, सरस्वती मईया इत्यादि नामों से पुकारते है । अगर इनको मां का दर्जा दे देते है तो क्या हम मां के ऊपर कुड़ा-करकट फेंकेगे ? ऐसा नहीं हो सकता है और नदी प्रदुषित होने से बच सकती है । भारत सरकार नदियों को स्वच्छ करने के लिए “ नमामि गंगे परियोजना ” चला रही है । इस योजना से गंगा की सफाई कितनी हो रही है । यह तो कागज ही बता पाते है वास्तविक सफाई तो सरकार को खजाने की होती है । इस खजाने का उपयोग समाज में जागरुकता फैलाने व हिन्दू जीवन मूल्यों को अपनाने पर खर्च किया जाये तो गंगा की सफाई निश्चय ही हो सकती है । जल ही जीवन है, जल को बेकार होने से बचाने के लिए सरकार अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट ला रही है । तालाब, पोखरे खोदाये जा रहे है जिससे कि भूमि का जलस्तर ऊपर उठाने के साथ – साथ जल की उपलब्धता सुलभ हो सके । जल की पवित्रता से जीवन और

समाज दोनों की पवित्रता जुड़ी हुई है हमें पता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मष्तिष्क का वास होता है और हमारे शरीर में जल का प्रतिशत बहुत बड़ा होता है। पर्यावरण की शुचिता के लिए स्मृतियों में कहा गया है कि –

**“यत्र शुचिताः च स्वच्छतां तत्र, तिष्ठष्यारोग्य वैभवञ्च सुखं ।।”**

पवित्रता एवं शुचिता के लिए कहा गया है कि इनके होने पर आरोग्य सम्पदा और सुख की सिद्धि होती है सफाई का मर्म भी इसी भाव में निहित है । सदा रुग्णता कृपणता, ऋग्रस्तता, उद्यमहीनता व्यसन आसक्ति जैसे मनोशारीरिक विकार वहीं पर होते हैं जहां पर शुचिता का निर्वाह नहीं किया जाता है स्मृतिकार अत्रि और दक्ष ने इस बुराई को एक प्रकार से सुतक के रूप में निर्दिष्ट किया है ।

मनुस्मृति में सफाई पर पूरा ध्यान देते हुए । पंचसुना को परिभाषित किया गया है कि मानव को इन पांच स्थानों को नियमित रूप से साफ – स्वच्छ रखने को निर्देश किया गया है । गृहस्थ जीवन के लिए घर के उपयोगी पांच स्थानों को दुषित होने से बचाने की बात की गई है । इन स्थानों को सभी को छुना मना होता है तथा छुने से पाप का भागी होता है । “ पंच सुना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः, कण्डनीय चोदकुम्भश्च वहयते यास्तु वाहयव ।।” इनमें पांच स्थानों को वर्णन है पांचों को ही जीव हिंसा का स्थान कहा गया है इनसे व्यवहृत करता हुआ गृहस्थ पाप से बंधता है ।

1. चुल्हा (चूली), 2. चक्की, 3. झाड़ू, 4. ओखली—मुसल, 5. जल का घट अगर ये चीजें अपवित्र हो जाती हैं तो इनके लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने पड़ते हैं

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय जीवन पद्धति में सुबह से लेकर शाम तक का जो आचरण व्यवहार है वह किसी ना किसी रूप में भौतिक और अभौतिक पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा हुआ है । पाप – पुण्य की अवधारणा व्यक्ति को नैतिक बनाती है । व्यक्ति किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से बचता है तथा स्वयं और समाज के जीवन को विकास के संतुलित मार्ग पर ले जाता है आज हम देखते हैं कि पर्यावरण संकट को दूर करने के लिए अनेक प्रकार विधान बने हुए हैं । भारत के संविधान में मौलिक अधिकार , मौलिक कर्तव्य, नीतिनिर्देशकत्वों व अनुसूचीयों में भी पर्यावरण संकट को बचाने के लिए प्रावधान किये गये हैं । पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अनेक प्रकार के कार्बन टैक्स लगाये जा रहे हैं । पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बनाये जा रहे हैं । विश्व में प्रत्येक वर्ष पर्यावरण सम्मेलन किये जा रहे हैं पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है । पृथ्वी सम्मेलन से लेकर करके जलवायु परिवर्तन पर कितने सम्मेलन हो गये हैं लेकिन पर्यावरण संकट बढ़ता जा रहा है । वन जीव संरक्षण अधिनियम का समाधान जीवन पद्धति में पशुओं को भी देवता के साथ जोड़ने से हो सकता है । भारतीय जीवन पद्धति में प्रकृति के मेस्टर की संज्ञा दिये गये । गिद्ध, सुअर, बाँझ इत्यादि को भी देवता के साथ जोड़ा गया है । जो अवशिष्ट पदार्थों को खा कर किसी ना किसी रूप में प्रकृति को प्रदूषण से बचाते हैं ।

औद्योगिकरण, नगरीकरण जनसंख्या का बढ़ता स्वरूप पर्यावरण को बिगाड़ता जा रहा है । आवश्यकता इस बात की है कि इसको जीवन मूल्यों में समाहित किया जायें भारतीय जीवन मूल्यों को अपनाकर इस संकट के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है । हम भारत में देखते हैं कि इस्लाम धर्म के अनुयायी भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक दातुन का प्रयोग कईयों दिनों तक करते हैं । तथा जल को

बचाने के लिए बधना (लोटा) का प्रयोग करते हैं जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके । उनका ऐसा प्रयोग इस्लाम के उदय स्थल अरब में जल और पेड़ – पौधों की कमी से प्रेरित है । फिर भी यहां भी व किसी ना किसी बहाने से पर्यावरण को सुरक्षित ही रखते हैं ।

भारतीय जीवन पद्धति में जीयों और जीने दो की अवधारणना का पालन किया जाये तो पृथ्वी के संसाधनों को अन्धाधुन दोहन करने से बचा जा सकता है तथा पर्यावरण सुरक्षा पर होने वाले अत्यधिक बजट को कम किया जा सकता है । और जीवन को सफल बनाया जा सकता है । सरकार निर्मित विधान समाज से जुड़कर अपनी पुर्णता को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तथा वांछित लक्ष्य बिना बांधा के पूरे हो सकते हैं ।

सन्दर्भ—

1. ईशावास्योपनिषद्
2. अथर्ववेद
3. अथर्ववेद
4. स्मृतिग्रन्थ
5. मनु0 3,68



## उद्गम स्थान पर कर की कटौती : एक अध्ययन



डॉ० राज कुमार

एम.कॉम., पीएच.डी. (वाणिज्य)

बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार)

उद्गम स्थान से तात्पर्य आय उदय होने के स्थान से हैं कोई आय सर्वप्रथम जहाँ से प्राप्त होती है वही उस आय का उद्गम स्थान कहलाता है। आयकर अधिगम के विभिन्न प्रावधानों के प्रभाव से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है आय का सर्वप्रथम भुगतान करने वाला व्यक्ति उस आय में से अनुमानित आयकर की राशि काट लेता है। तथा काटी हुई राशि को करदाता के नाम से सरकारी खजाने में जमा कर देता है और करदाता को काटी हुई राशि का एक प्रमाण-पत्र दे देता है। किसी को उद्गम स्थान पर कर की कटौती कहा जाता है। उद्गम स्थान पर काटा गया कर करदाता की और से कर का अग्रिम भुगतान माना जाता है और नियमित कर निर्धारण के अंतर्गत करदाता द्वारा देयकर की राशि में से उद्गम स्थान पर काटी गई राशि घटाकर ही कर का भुगतान किया जाता है।

आयकर अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत निम्न भुगतान करते समय उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जानी चाहिए-

1. **आयकर अधिनियम की धारा 192** के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन की रकम का भुगतान करते समय प्रत्येक माह उसमें से आयकर की रकम की कटौती करें तथा इस रकम को सरकारी कोश में जमा करें। इस कार्य हेतु उसे अपने कर्मचारियों के पूरे वर्ष की अनुमानित वेतन से आय एवम् उसपर आयकर की रकम की गणना वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही करनी होगी। इस आयकर की रकम को कुल माह की संख्या से भाग देकर प्रति माह कर की रकम ज्ञात होगी जिसे प्रत्येक माह कर्मचारी के वेतन में काटना होगा।

**2. प्रतिभूतियों पर ब्याज में कर की कटौती :** धारा 193 के अंतर्गत प्रत्येक कम्पनी, संस्था अथवा अन्य कोई व्यक्ति जिसका प्रतिभूतियों का ब्याज चुकाने का दायित्व है। उसका यह कर्तव्य है वह एक निवासी को ब्याज का भुगतान करते समय या उसे किसी व्यक्ति के खाते में जमा करते समय उस पर निर्धारित दर से कर की कटौती करें और उस रकम को सरकारी खजाने में जमा करा दें। कर काटने वाली संस्था को काटे गये संबंध में प्रतिभूतिधारी या कर दाता को एक प्रमाण-पत्र दिया जाना आवश्यक है ताकि वह अपने व्यक्तिगत कर निर्धारण में चुकाये जाने वाले कर में से इस संबंध में कटौती प्राप्त कर सकें।

**3. लाभांश में से कर की कटौती धारा 194 -** घरेलू कम्पनी के मुख्य अधिकारी का यह दायित्व है कि वह एक निवासी अंश धारी को दिये गये धारा दो (22) (इ) में वर्णित लाभांशों पर उद्गम स्थान पर निर्धारित दर एवम् अधिभार यदि देय है+शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत से कर की कटौती करें।

निम्न दशाओं में लाभांश पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं होती है-  
क. यदि कम्पनी का लाभांश का भुगतान एकाउन्ट पेय चेक के द्वारा करती है।  
ख. यदि लाभांश की राशि दो हजार पाँच सौ रुपये से अधिक नहीं है।

**4. प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज पर कर की कटौती-** धारा 194 ए के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर ब्याज छोड़कर अन्य किसी ब्याज के भुगतान पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है।

**5. लौटरी अथवा वर्ग पहेली आदि के ईनाम से आय -** धारा 194 बी. के अंतर्गत लॉटरी वर्ग पहेली, ताश के खेल एवम् किसी अन्य प्रकार के खेल के ईनाम का भुगतान करने वाला व्यक्ति का दायित्व है कि वह किसी व्यक्ति को पाँच हजार रुपये से अधिक ईनाम का भुगतान कर रहा है तो इस राशि पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती निर्धारित दर से कर ले।

**6. घुड़दौर से जीत-** धारा 194 बी.बी. के अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति जो घुड़दौर की जीत की रकम का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है दो हजार पाँच सौ रुपये से अधिक का भुगतान करने पर निश्चित दर से कर की कटौती की जाती है।

**7. ठीकेदारों व उपठीकेदारों को किये गये भुगतान-** धारा 194 सी. के अंतर्गत निम्न द्वारा किसी निवासी ठीकेदार को कोई काम करने अथवा किसी काम के लिए श्रम की पूर्ति करने के प्रतिफल में किये गये भुगतान के संबंध में आयकर की कटौती उद्गम स्थान पर करनी होगी-  
क. किसी स्थानीय सत्ता द्वारा

- ख. किसी कम्पनी द्वारा
- ग. किसी फर्म द्वारा

8. अनिवासी खिलाड़ियों एवम् खेल संघों को भुगतान-धारा 194 ई. के अंतर्गत किसी अनिवासी खिलाड़ी को जो भारत का नागरिक नहीं है अथवा अनिवासी खेल के संघ अथवा संस्था को निम्न आयों के भुगतान करने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि वह ऐसी किसी आय को भुगतान प्राप्त करता के खाता में जमा करते समय अथवा भुगतान करते समय जो पहले हो निश्चित दर से कर काट लें-

क. यदि वह खिलाड़ी है-

भारत में किसी खेल में भाग लेने से  
विज्ञापन से

ख. यदि वह कोई खेल संघ अथवा संस्था है तो भारत में खेले गये किसी खेल के संबंध में उसे भुगतान करने के लिए जो राशि गारंटी की गई है।

9. लॉटरी के टिकटों को बेचने के संबंध में कमीशन आदि पर कर की कटौती-धारा 194 जी. के अंतर्गत किसी लॉटरी के टिकटों का वितरक अथवा लॉटरी के टिकटों का स्टॉक रखने वाले या विक्रेता को कमीशन पारिश्रमिक या ईनाम भुगतान किया जाता है तो भुगतान करने वाले का यह कर्तव्य है कि वह भुगतान की जाने वाली राशि पर 10 प्रतिशत की दर से+अधिभार+तीन प्रतिशत शिक्षा कर की कटौती करें।

उपरोक्त भुगतानों पर उद्गम स्थानों पर कर की कटौती का वर्णन किया गया है आय का उद्गम स्थान पर कर की कटौती की दरों में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं।

**संदर्भ सूची :**

1. आयकर विधान एवं लेखे -डॉ० बी.के. अग्रवाल
2. वही पृष्ठ
3. आयकर नियोजन एवम् धन कर-डॉ० एच.सी. मैल्हौत्रा
4. वही पृष्ठ
5. दूरदर्शन समाचार
6. इन्टरनेट
7. आयकर विभाग
8. विभिन्न वर्ग के कर दाताओं से मुलाकात

## प्राचीनभारते व्यावसायिकनिर्देशनम्

लक्ष्मीनारायण जेना

शोधच्छात्रः (शिक्षाविभागः)

केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्, तिरुपति:

यावत्पर्यन्तं सामाजिकसंगठनस्य प्रश्नोऽसौ यत्, प्राक् भारतस्य सामाजिकव्यवस्था सुदृढरीत्याधारिता वर्तते। निर्देशनस्य महत्त्वं प्राचीनभारतस्य सुधयस्समवगता आसन् तथा तैर्गुणगर्मणोः क्षमत्तरूपेण चत्वारो वर्णा विभाजिताः। वर्णव्यवस्थाया उद्देश्यं व्यावसायिकनिर्वाचनमविद्यत। सर्वादौ वर्णशब्दस्योल्लेखः पुरुषसूक्ते समुपलभ्यते। अमुष्मिन् सूक्ते उक्तञ्च प्रजापतेः मुखात् ब्राह्मणानाम्, बाहुभ्यां क्षत्रियाणाम्, जानूभ्यां वैश्यानाम्, पादाभ्यां शुद्राणाञ्च उत्पत्तिरभूत्। अनया रीत्या सनातनसमाजश्चतुर्वर्णेन विभाजितः व्यवसायाधारेण।

ब्राह्मणाः अध्ययनमध्यापनञ्च, वेदपाठादिकार्याण्यकुर्वन्। क्षत्रियाणाङ्कर्तव्यमासीत् देशरक्षायै कार्यम्। वैश्यानाङ्कर्तव्यमवर्तत- समाजस्य भरणपोषणकार्यम्, कृषिवाणिज्यादीनाङ्कार्यञ्चाकार्षुः। शूद्राणाङ्कर्तव्यमासीत्- समाजाय विविधप्रकारैः सेवाः दीयन्ते स्म।

वर्णव्यवस्थासम्बन्धेन ध्यातव्यमेतत् सामाजिकव्यवस्थायां जटिलतायाः प्राक् वर्णविशेषान् व्यवसायाधारेणैव समाजे श्रेष्ठत्वेन विशेषप्रतिष्ठात्वेपि नामन्यता सर्वेभ्यो वर्णेभ्यस्समानः आदरः महन्महत्त्वञ्च दीयते स्म। वर्णव्यवस्थाया द्वितीया महत्त्वपूर्णा विशेषता यदासीत्- वर्णस्य निर्णय जन्मना न भूत्वा संस्कारानुरूपङ्क्रियते स्म। शिक्षायास्समाप्तेरनन्तरङ्गुरेव वर्णनिर्णयं कुर्वन् आसीत्। इत्थं प्राचीनशिक्षाव्यवस्थायां निर्देशनकार्यमपि गुरुजनाः एवाकार्षुः।

शिक्षासमाप्तेः परं गुरुर्दीक्षान्तोपदेशमकार्षीत्, यत्रासौ शिष्यस्योत्तरदायित्वं तदर्थमेवञ्च जीवने सफलतायै यावदावश्यकी कथा, तदुपरी प्रकाशयते स्म। एतादृगुपदेशः 'तैत्तिरीयोपनिषद्' इहोपलभ्यते। यस्य मुख्यभावोऽसौ- सत्यं ब्रूयात्, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदितव्यम्, इदानीं तव शिक्षायां पूर्णमभूत् किन्त्वेतन्नावगच्छेः यत् अग्रेऽध्ययनस्यावश्यकतास्त्येव। स्वदक्षतायां वृद्धिङ्कारयतु एतच्छिक्षा, एतदुपदेशः एतदेव वेदोपनिषद् नाम्ना चोच्यते।

### वृत्तिपरशिक्षणम्

वृत्तिपरशिक्षणम् अपि च प्रशिक्षणम् (विइटि) अथवा वृत्तिपरशिक्षणं यदस्ति तत् व्यापकरीत्या वृत्तिः अपि च तान्त्रिकशिक्षणम् (सिटिइ) इति कथ्यते। इदं च उद्योगाय, निर्दिष्टव्यापाराय अथवा वृत्त्यर्थं च छात्रान् सज्जीकरोति। यो अत्र अन्विषति सः एव अत्र भागं गृह्णाति। अत्र विशिष्टेषु तन्त्रेषु अथवा तन्त्रज्ञाने कश्चन विद्यार्थी साक्षात् परिणतिं

प्राप्नोति इति हेतोः इदं तान्त्रिकशिक्षणम् इत्यपि कथ्यते । वृत्तिपरशिक्षणं तु एकस्याः व्यक्तेः निर्दिष्टवृत्तेः, अथवा कार्यं प्राप्तुं कौशलानां वर्धने साहाय्यं करोति ।

वृत्तिपरशिक्षणम् अथवा वृत्तिपरशिक्षणम् अपि च प्रशिक्षणम् इतीदं सर्वप्रकारकरकुशलैः वस्तुभिः, संयोजनेन (Knitting), वर्णचित्रणेन, नियन्त्रणेन, सीवनयन्त्रस्य कार्येण सह युक्तम् अस्ति । अपि च इतरप्रशिक्षणानि यथा यान्त्रिकप्रशिक्षणतः आरभ्य करकुशलपर्यन्तमपि सर्वविधव्यापाराणां प्रशिक्षणैः अन्तर्भावितम् अस्ति । अर्थात् इदं प्रशिक्षणम् एकं निर्दिष्टकार्यसम्बन्धि अस्ति, अतः कश्चन विद्यार्थी स्वजीवने स्वावलम्बी भवति । समाजस्थानाम् उद्योगानाम् अवश्यकतायाः पूरणमेव शिक्षणस्य प्रमुखं चिह्नम् अस्ति । इदानीं तन भारतस्य परिस्थितिरेव उत्पत्तेः संवर्धनम् । विश्वविद्यालयस्य स्तरे कृषेः अपि च तान्त्रिकशिक्षणस्य कृते अधिकप्रोत्साहनद्वारा शिक्षणस्यास्य कार्यं साधयितुं शक्यते । भारते तावत् इदम् अतिप्रमुखं महत्त्वपात्रयुक्तं च विद्यते । अतः अनया शिक्षणव्यवस्थया युवकयुवत्योः सर्वकारीयकार्येभ्यः अपि च इतरेभ्यः अनायासेन प्राप्तवद्भ्यः कार्येभ्यः अपि प्रशिक्षणं प्रदीयते ।

विविध प्रायोगिकप्रशिक्षणस्य ज्ञानं प्राप्यमाणेभ्यः वृत्तिपरशिक्षणद्वारैव प्रदीयते । इदं शिक्षणं तु उद्योगेन सम्पादनेन सह साक्षात् सम्बद्धम् अस्ति । इदं च विद्यार्थिभ्यः कौशल्यानि उत्तम उद्योगानां प्रापणे च साहाय्यं करोति । तेषां प्रशिक्षणस्य समनन्तरमेव उत्तमस्थानेषु उद्योगस्य व्यवस्थापि क्रियते ।

उद्योगप्रदातारः च यादृशकार्यार्थम् अन्वेषणं कुर्वन्ति तादृशकार्येभ्यः इदं च वृत्तिपरशिक्षणं विद्यार्थिभ्यः कार्यसम्बन्धि अनुभवान् प्रदाने साहाय्यं करोति । राष्ट्रीय-प्रतिरूपसमीक्षा संस्थायाः (एन्.एस्.एस्.ओ) वृत्तान्तस्य अनुसारं (सङ्ख्या. 517, 61/10/03) द्विप्रकारकवृत्तिपरशिक्षणे विद्येते । भारते तावत् औपचारिकम् अनौपचारिकं चेति वृत्तिपरप्रशिक्षणकार्यक्रमाः लभ्याः इति ।

### अ) औपचारिकवृत्तिपरप्रशिक्षणम्

औपचारिकप्रशिक्षणं तु रचनात्मकम् अपि च योजितप्रशिक्षणकार्यक्रमः अस्ति । एतत् प्रशिक्षणस्य समाप्तेः परं सर्वकारेण मान्यताप्राप्त, सार्वजनिक अथवा वैयक्तिकपुरस्कारयुक्तेभ्यः विद्यार्थिभ्यः च प्रमाणपत्रम्, डिप्लोमा अथवा पदवीः च प्रयच्छति ।

### आ) अनौपचारिकवृत्तिपरशिक्षणम्

अनौपचारिकवृत्तिपरप्रशिक्षणं तु तस्याः/तस्य पूर्वजानां वृत्तिम् अग्रे नेतुम् आपणिकपरिणतिं प्राप्तुं साहाय्यं करोति । अनौपचारिकवृत्तिपरप्रशिक्षणे तावत् एका व्यक्तिः आनुवंशिकसंसाधनद्वारा वृत्तिपरप्रशिक्षणं प्राप्नोति । कदाचित् इतरसंसाधनैः अपि अनौपचारिकवृत्तिपरप्रशिक्षणं प्राप्नोति । तादृशेषु सन्दर्भेषु वृत्तिपरकं यत् प्रशिक्षणम् अनौपचारिकं प्राप्तं तत् तस्य/तस्याः पूर्वजानाम् उद्योगापेक्षया अपि अतिभिन्नं भवति ।

वृत्तिपरीकरणस्य परिकल्पना एव एवम् अस्ति यत् माध्यमिकशिक्षणेन सह वृत्तिपरप्रशिक्षणस्य संयोजनम् । अन्यरीत्या वक्तव्यं चेत् माध्यमिकशालासु सामान्यविषयैः सह एकस्मात् वर्षात् पञ्च वर्षपर्यन्तं वृत्तिपरप्रशिक्षणस्य परिचयः करणीयः इति । अनेन सूच्यते यत् सामान्यशिक्षणम् अपि च वृत्तिपरप्रशिक्षणम् उभयमपि समानमेव न पृथक् इति । अन्यथा एतत् प्रशिक्षणद्वयमपि सम्यक् सम्मेलनीयम् इति । शिक्षणं तु जनानाम् अपेक्षानुसारम् अपि च आकाङ्क्षाभिः सह सम्बद्धं भवेदिति वृत्तिपरप्रशिक्षणस्य परिकल्पना सामान्यः अङ्गीक्रियते । इदानीं देशस्य प्रमुखावश्यकता नाम

उत्पत्तेः अधिककरणम् । अतः शिक्षण-उत्पत्त्योः मध्ये काचित् शृङ्खला निर्मातव्या इति समयः अपि अभियाचनं करोति ।

वृत्तिपरप्रशिक्षणम् – वृत्तिपरप्रशिक्षणं तु विद्यार्थिनां कृते साम्प्रदायिकरीत्या शिक्षणेतरम् अपि च निर्दिष्टवृत्त्यर्थम्, उद्योगार्थम्, व्यापारार्थं च तदपेक्षितानां कौशल्यानां प्राप्तौ साहाय्यं करोति । प्रायोगिकरूपेण अथवा हस्तचालितव्यापारैः च निर्दिष्टतन्त्रज्ञानगणे साक्षात् परिणतेः अभिवृद्धिः जाता इति हेतोः अस्य तान्त्रिकशिक्षणम्, वृत्तिः अपि च तान्त्रिकप्रशिक्षणम् (सिइटि), वृत्तिपरशिक्षणम् अपि च प्रशिक्षणम् (विइटि) इत्यपि कथ्यते ।

वृत्तिपरप्रशिक्षणानि प्राथमिकरूपेण विन्यस्तानि, अपि च तानि आन्वयिकशिक्षणाधारेण प्रदृश्यन्ते। अत्र एकस्य क्षेत्रस्य सैद्धान्तिकपरिकल्पनाः स्वतन्त्ररूपेण भवन्ति, किन्तु, निर्दिष्टोद्योगानां तान्त्रिककार्याणाम् अर्थावगमने साहाय्यं भवति । कौशल्युक्तानां कर्मकाराणाम् अपेक्षा महती अस्तीति हेतोः वृत्तिपरप्रशिक्षणानां जनप्रियता अधिका सञ्जाता । प्रशिक्षणमिदं वृत्तिपरं यदस्ति विश्वविद्यालयकलाशालयोः अपेक्षया न्यूनमूल्येन प्रदीयते । वृत्तिपरप्रशिक्षणन्यायशासनस्य अनुसारेण सैद्धान्तिकदृष्ट्या प्रायोगिकदृष्ट्या च वृत्तिपरप्रशिक्षणस्य अर्हतायाः स्तरः निर्धार्यते इति । एतस्मात् कारणात् एव सर्वतोमुखसामर्थ्येन दायित्वेन च कार्यं निर्वोढुं साहाय्यं कल्पयति ।

उद्योगजीवनस्य सिद्धता युवकेभ्यः शिक्षणव्यवस्थायाः दायित्वस्य एकः भागः एव । विशालार्थे विचिन्त्यमाने पाठ्यक्रमः, सर्वस्तरेषु अभ्यासः, प्रबोधनप्रक्रियायाः विधानं च विज्ञापनीयम् । द्वितीयशिक्षणस्य स्तरे, उद्योगजीवनेन सह शिक्षणसम्पर्काः विशेषेण त्रयोदशः वयसः अनन्तरम् अधिकं सारयुतं भवति । विश्वव्यापि वृत्तिपरप्रशिक्षणस्य विविधप्रकारकाः स्तराः

**वृत्तिपरप्रशिक्षणस्य स्तराः -**

- वृत्तिपरमूलभूतप्रशिक्षणम् – इदं च प्रशिक्षणं भागशः द्वितीयस्तरः अस्ति । अपि च द्वितीयस्तरस्य वृत्तिपरार्हतां शिक्षणं प्रदापयति ।
- वृत्तिपरमाध्यमिकप्रशिक्षणम् – इदं च तृतीयस्तरस्य वृत्तिपरशिक्षणस्य अर्हतां प्राप्तुम् आनुकूल्यं च अनेन कल्प्यते ।
- वृत्तिपराधिकप्रशिक्षणम् – प्रथमतया इदं च एकं निर्दिष्टवृत्तिपरशिक्षणं सत् पूर्वतनशिक्षणयुक्तानां वृत्तिपरानुभवयुक्तानां च प्रौढमनुष्याणां कृते विशेषवृत्तिपरार्हतां प्राप्तुम् अवकाशं कल्पयति ।
- वृत्तिपरसेवाप्रशिक्षणम् – इदं च एकं निर्दिष्टं वृत्तिपरशिक्षणं सत्, एकस्याः व्यक्तेः कार्मिकापणस्य अवश्यकतायाः अनुसारं तेषां वयः अपि च पूर्वतनशिक्षणम् अथवा वृत्तिपरार्हतायाः अनुसारेण व्यवस्थितवृत्तिपरज्ञानम् अपि च कौशल्यानि प्राप्तुम् अवकाशं कल्पयति । व्यक्तिमेकाम् उद्यमे कार्यं कर्तुं सज्जीकरणं तादृशं शिक्षणं प्राप्तुं न कस्यापि व्यक्तेः कृते कोऽपि निर्बन्धः अस्ति ।
- वृत्तिपराधारितप्रशिक्षणम् – क्रीडायां, कलायां, संस्कृतौ च मौल्यस्य दृष्टिकोणस्य रचयित्रा व्यक्त्या इदं शिक्षणं व्यवस्थितज्ञानेन कौशल्यैः च युक्तम् अस्ति । प्राथमिकशिक्षणम् अथवा प्रौढशिक्षणस्य स्तरः, इत्येतत् अतिरिच्यापि निर्दिष्टक्षेत्रेषु तान्त्रिकशिक्षणं स्वाधीनीकर्तुं सिद्धतां कर्तुं च अवकाशं प्रददाति ।

सामान्यतः वृत्तिपरारम्भिकं शिक्षणम्, भागशः माध्यमिकशिक्षणम् अथवा वृत्तिपरमाध्यमिकशिक्षणम् इति अधः प्रदत्तरीत्या द्विप्रकारकाः शालाः स्युः ।

१) व्यापारशालाः ।

२) वृत्तिपरमाध्यमिकशालाः अथवा तान्त्रिकशालाः ।

शिक्षणम् अपूर्णं प्राप्तवद्भ्यः जनेभ्यः अपि च केषुचित् सन्दर्भेषु मूलभूतशिक्षणमपि व्यापारशालासु प्रदीयते । मूलभूतशिक्षणेन सह कार्यक्रमाः वृत्तिपररक्तवर्णेन केन्द्रीकृतवृत्तिपरम् अपूर्णमूलशिक्षणकार्यक्रमान् निर्वहन्ति । इदं च प्राथमिकार्हतास्तरस्य आनुगुण्येन सरलकार्याणां कार्यक्षमताम् अनुमोदयति ।

द्वितीयवृत्तिपरार्हतास्तरस्य कृते अपेक्षितम् कौशलम् अपि च ज्ञानं प्राप्तुं, व्यापारशालाः प्राथमिकशालाशिक्षणं प्राप्तवद्भ्यः व्यक्तिभ्यः वृत्तिपरकार्यक्रमान् प्रदापयन्ति । एतादृशानां शैक्षणिककार्यक्रमाणां कालावधिः २-३ वर्षाणि भवति ।

याश्च शालाः वृत्तिपरमाध्यमिकशिक्षणस्य कार्यक्रमान् प्रदास्यति तादृग्भ्यः वृत्तिपरमाध्यमिकशालाभ्यः मूलभूतशिक्षणम् अनिवार्यं भवति । तादृशस्य कार्यक्रमस्य कालावधिः प्रायशः ४ वर्षाणि भवति । यतोहि कश्चित् जनः एकधैव सामान्यमाध्यमिकम् अपि च वृत्तिपरशिक्षणं प्राप्नोति । एतादृशाः शालाः एतावतैव प्राप्तमाध्यमिकशिक्षणयुक्तेभ्यः विद्यार्थिभ्यः एकवर्षात्मकस्य वर्षद्वयस्य च वृत्तिपरशिक्षणकार्यक्रमान् अपि चालयितुं समर्थवत्यः भवन्ति । तादृशाः कार्यक्रमाः तृतीयवृत्तिपरार्हतास्तरं प्राप्तुम् अपेक्षितं कौशल्यम् अपि च ज्ञानं प्राप्तुम् अधिकं प्रामुख्यतां प्रयच्छन्ति ।

वृत्तिपरप्रौढशिक्षणकार्यक्रमेषु संयुक्ताः पदवीधराः छात्राः स्वेषां कौशलं ज्ञानं च अधिकं कर्तुम् उन्नतस्तरीयशिक्षणकार्यक्रमेषु अध्ययनं कर्तुम् अर्हाः भवेयुः यथा तथा एते सामान्यविषयाः भवन्ति ।

तान्त्रिकशालाः वृत्तिपरमाध्यमिकशिक्षणस्य कार्यक्रमान् प्रयच्छन्ति । किन्तु, वृत्तिपरमाध्यमिकशालाभिः तुलना क्रियते चेत् एताभ्यः शालाभ्यः वृत्तिपरशिक्षणकेन्द्रम् इति स्थानं प्राप्तमस्ति । केन्द्रेण अनेन शालायाः कार्याणि अपि च उन्नतशैक्षणिककार्यक्षमतायाः अवश्यकताः सूच्यते ।

### परिशीलितग्रन्थसूचिः

1. संस्कृतसाहित्येतिहासः ।
2. संस्कृतशिक्षानीतिः १९५६-५७ ।
3. Trends in vocational Education and Training Research, Vol.II
4. Academy of Entrepreneurship Journal
5. Education : Vocational Training Dominates Slovene Education Priorities

## भवभूति के नाटकों में वाचिक—अभिनय : एक अनुशीलन



इन्दल

पूर्व शोधच्छात्र,  
संस्कृत विभाग,

बी०आर०डी०बी०डी०पी०जी० कॉलेज, आश्रम बरहज देवरिया,  
उत्तर प्रदेश, भारत।

**शोध सारांश—** भवभूति अपनी कल्पना शक्ति एवं रचना कौशल के माध्यम से नाट्य—परम्परा का अनुकरण करते हुए, उत्तररामचरितम् को सुखान्त रूपक बना दिया। भवभूति ने नाटक में वाचिक अभिनयों का प्रयोग किया है। यहाँ सम्पूर्ण चमत्कार वाचिक—अभिनय के माध्यम से उत्पन्न होता है। इस प्रकार से कवि ने वाचिक—अभिनय का सफल प्रयोग किया है।

**मुख्य शब्द—** भवभूति, नाटक, वाचिक, अभिनय, कल्पना, कौशल, संस्कृत, साहित्य, रूपक।

भवभूति अपनी कल्पना शक्ति एवं रचना कौशल के माध्यम से नाट्य—परम्परा का अनुकरण करते हुए, उत्तररामचरितम् को सुखान्त रूपक बना दिया। भवभूति ने नाटक में वाचिक अभिनयों का प्रयोग किया है। नाटक में जब कञ्चुकी श्रीराम को अष्टावक्र के आने की सूचना देने हेतु प्रवेश करता है तो वह श्रीराम को रामभद्र! सम्बोधित कर रुक जाता है, फिर पुनः महाराज! ऐसा सम्बोधन करता है।<sup>1</sup> चूँकि कञ्चुकी श्रीराम के पिता दशरथ का सेवक है, बचपन से वह श्रीराम को देखता आया है और इन्हें रामभद्र! सम्बोधित करता आया है, अतः वह इस उच्चारण में अभ्यस्त है। वह भूल जाता है कि राम अब महाराज बन गए हैं। इस दृश्य में कञ्चुकी का स्नेह राम के प्रति दिखता है। प्रायः सभी नाट्याचार्यों ने सेवक का अपने राजा के लिए महाराज! शब्द का ही सम्बोधन करना बताया है क्योंकि महाराज पृथिवीपति की उपाधि से शोभित है।

इस प्रसंग में जब अष्टावक्र का प्रवेश होता है तो श्रीराम और सीता दोनों ही उनके सम्मानार्थ खड़े हो कर उन्हें भगवन्! सम्बोधित करते हैं।<sup>2</sup> यहाँ भगवन्! सम्बोधन मात्र से ही ज्ञात हो जायेगा कि वह परम आदरणीय हैं। यहाँ श्रीराम की भाषा संस्कृत होगी किन्तु सीता प्राकृत बोलेंगी क्योंकि वह स्त्री हैं और स्त्रियों के लिए प्राकृत का विधान है।



श्रीराम राजा के धर्म का निर्वहण करते हुए यह कहते हैं कि प्रजा के सुख के लिए जानकी का भी परित्याग करने में मुझे पीड़ा न होगी।<sup>3</sup> वास्तव में यह कह पाना राम के लिए कथमपि सरल न रहा होगा किन्तु उन्होंने इस प्रकार का कथन पति के रूप में नहीं बल्कि राजा के धर्म का पालन करते हुए कहा है। यहाँ राम बना पात्र पाठ्य-कुशलता के माध्यम से संवाद की प्रस्तुति करेगा, जिससे राम की पीड़ा भी व्यक्त होगी। यह संवाद सर्वश्राव्य है। राम बना नट संस्कृत भाषा का प्रयोग करेगा। यह गुरु एवं लघु अक्षरों तथा मात्राओं की संख्या के कारण निबद्ध-बंध पद है।

महारानी सीता चित्रदर्शन करते समय जब जटा बांधने के दृश्य को देखती हैं तो अकस्मात् ही विषादभरी वाणी में बोलती हैं— **अह्नो एसो जडासंज मणवुत्तन्तो**।<sup>4</sup> यहाँ उन्हें राजकुल परित्याग करने की सम्पूर्ण घटना याद आ जाती है। वह दुःखी होती हैं। वाचिकाभिनय के माध्यम से वह अपने दुःख को अभिव्यक्त करेंगी। इस प्रकार सीता बनी नटी 'अह्नो' पर बल देते हुए अपना संवाद कहेगी। जो सर्वश्राव्य होगा। यह संवाद चूर्ण पद है। स्त्री होने के कारण सीता की भाषा प्राकृत होगी।

द्वितीय अंक में वासन्ती आत्रेयी को अगस्त्य ऋषि के आश्रम का मार्ग बताती है। उस समय पंचवटी, गोदावरी नदी, प्रसवण पर्वत को देखकर वह रुदन करने लगती है और पुत्री सीता का वृत्तान्त उनके स्मृति पटल पर छा जाता है।<sup>5</sup> ऐसे आत्रेयी बनी पात्र वाचिकाभिनय की कुशलता से शोक भाव प्रदर्शित करेगी। दुःख है, रुदन भी है तो वर्ण कम्पित होंगे। सर्वश्राव्य संवाद होगा। पाठ्य-उच्चारण उरस् से होगा क्योंकि निकटस्थ पात्रों में वार्तालाप हो रही है। यहाँ स्त्री होते हुए भी आत्रेयी एवं वासन्ती की भाषा संस्कृत होगी क्योंकि वे दोनों दैवीय पात्र हैं। चूर्ण पद रचना है।

उपर्युक्त क्रम में जब वासन्ती आत्रेयी से सीता के संदर्भ में पूछती है— 'आर्य किमत्याहितंसीतादेव्याः?'<sup>6</sup> यहाँ आत्रेयी प्रचलित लोकापवाद को वासन्ती के कानों कहती है।<sup>7</sup> यह संवाद नियतश्राव्य होगा क्योंकि वार्ता सिर्फ दो पात्रों के मध्य हो रही है और अन्य पात्र न सुन सकें, इसलिए कानों में कही गयी है। यद्यपि यह कथा दर्शक सुनेंगे किन्तु मंच पर इस प्रकार अभिनीत किया जायेगा कि अन्य न सुन लें। नटी त्रिपताका हस्तमुद्रा से अन्य पात्रों को बचाकर वासन्ती के कानों में लोकापवाद की कथा सुनायेगी। पाठ्य उच्चारण उरस् से होगा। भाषा संस्कृत होगी। चूर्ण पद शब्द-रचना है।

द्वितीय अंक में शम्बूक का वधन करने के पश्चात् श्रीराम दण्डकारण्य में प्रकृति की शोभा का अवलोकन करते हुए पंचवटी में प्रवेश करते हैं। पंचवटी के दृश्य देखते ही वह सीता की स्मृति से अवसन्न हो जाते हैं। सीता के साथ बिताया गया प्रत्येक क्षण उनके वियोग में श्रीराम का दारुण, विषरस की भांति लग रहा है। वह स्वयं कहते हैं कि मेरा शोक मानों फूटे हुए फोड़े की भांति व्याकुल कर रहा है।<sup>8</sup> संवादोच्चारण स्थान उरस् होगा। यहाँ राम संस्कृत भाषा का प्रयोग करेंगे। यह संवाद सर्वश्राव्य होगा। उक्त कथन के माध्यम से उनके मनोभावों का प्रकटीकरण हो रहा है। वाचिकाभिनय के सहयोग से ही राम बना नट अपने दुःख को अभिव्यक्त करेगा। निबद्ध-बंध शब्द विधान है। यहाँ करुण रस होने से वर्ण कम्पित होंगे तथा निषाद एवं गान्धार स्वरों का प्रयोग होगा। इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार तथा शिखरिणी छन्द है। प्रसाद गुण है।

नाटक के तृतीय अंक में सीता को छाया के रूप में दिखाया गया है। गंगा के आशीर्वाद के प्रभाव से पृथ्वी पर विद्यमान वनदेवता तथा सामान्य मनुष्य उन्हें नहीं देख सकते हैं। वे इस अंक में अदृश्य रूप में उपस्थित रहती

हैं। नाट्य-मंच के समय मंच पर उपस्थिति राम आदि जन सीता बनी नटी को न देखने का अभिनय करेंगे। किन्तु दर्शक देख सकेंगे। इस अंक में जब सीता का प्रवेश होता है तो मुरला उसे देख कर कहती है—<sup>8</sup>

किसलयमिव मुग्धं बन्धनाद्विप्रलूनं।

हृदयकमलशोषी दारुणो दीर्घशोकः।

ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्याः शरीरं,

शरसिज इव घर्मः केतकी गर्भपत्रम्।।'

उक्त पद्य में कथन मात्र से ही विरहिणी सीता का मार्मिक रूप उभरकर सामने आ जाता है। यह पद्य अत्यन्त हृदयस्पर्शी है। मुरला द्वारा कहे गये वचनों से सीता की मनोदशा तथा संवेदनाओं की भी अभिव्यक्ति हो रही है जिसे दर्शक भी सरलता से समझ रहे हैं। यह संवाद सभी के सुनने योग्य होने से सर्वश्राव्य होगा। यहाँ दो दैवीय नदियाँ आपस में वार्ता कर रही हैं, इसलिए उनकी भाषा संस्कृत होगी। करुण रस के होने से वर्ण कंपित अथवा अनुदात्त होंगे तथा निषाद या गान्धार स्वर का प्रयोग होगा। दोनों से वर्ण कंपित अथवा अनुदात्त होंगे तथा निषाद या गान्धार स्वर का प्रयोग होगा। दोनों पात्रों के मध्य किञ्चित् दूरी होने से उच्चारण स्थान कण्ठ रहेगा। प्रस्तुत पद्य में रूपक अलंकार है तथा किसलयमिव एवं शरदिज इव में उपमा अलंकार है। पद्य में मालिनी छन्द है।

चतुर्थ अंक में दो तपस्वी बालक परस्पर बातचीत करते हुए मंच पर प्रवेश करते हैं। वे वाल्मीकि आश्रम की शोभा तथा आनन्दमय वातावरण का इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मंच पर बना कृत्रिम आश्रम भी दर्शकों को नैसर्गिक तथा स्वाभाविक सा लगने लगता है।<sup>9</sup> इस प्रकार यहाँ वाचिकाभिनय का ही चमत्कार दिखता है। पद रचना चूर्ण बन्ध है। तपस्वी बालकों के मध्य किञ्चित् दूरी होने से संवादों का उच्चारण कण्ठ से होगा। बालकों की भाषा संस्कृत होगी तथा संवाद सर्वश्राव्य होंगे। आश्रम का स्वाभाविक वर्णन होने से यहाँ स्वाभावोक्ति अलंकार है तथा प्रसाद गुण है। शृंगार रस होने से उदात्त वर्ण है। यहाँ पंचम अथवा मध्यम स्वरों का प्रयोग होगा।

आश्रम में जनक का आगमन होता है। वे सीता के निर्वासन से अत्यन्त दुःखी हैं, शोकाकुल हैं कि तभी कौशल्या उनसे मिलने आती हैं जिससे जनक का संताप और बढ़ जाता है।

षष्ठ अंक में जब राम लव को देखते हैं तो उनका हृदय वात्सल्य से भर जाता है। राम लव का आलिंगन करते हैं। इस प्रकार लव अपने प्रति राम का अकारण स्नेह देखकर स्वगत कथन करता है कि श्रीराम मेरे प्रति इस प्रकार का स्नेह रखते हैं और मैंने इनसे ही विद्रोह करने के लिए हथियार उठा लिया।<sup>10</sup> यहाँ यद्यपि स्वगत कथन है किन्तु प्रेक्षकों के लिए यह श्राव्य होगा इसलिए उक्त वाक्य का उच्चारण लव बना नट करेगा, जिसे मंचस्थ कलाकार न सुनने का अभिनय करेंगे अन्यथा नेपथ्य में संवाद का उच्चारण किया जायेगा, भाषा संस्कृत होगी। यहाँ संवाद रचना चूर्ण-पद है।

नाटक के सप्तम अंक में वाल्मीकि आश्रम में एक दिव्य नाटक का अभिनय होता है, जिसमें राम-सीता की कथा को दिखाया जाता है, जिसके दर्शक उत्तररामचरितम् के नायक श्रीराम तथा अन्य चरित्र होते हैं। इसमें राम द्वारा परित्यक्ता एवं प्रसववेदना से पीड़ित एकाकिनी सीता गंगा में कूद पड़ती है। सीता के शिशुओं को गोद में लेकर तथा सीता को लेकर भागीरथी एवं पृथ्वी जल से बाहर आती हैं तथा सीता को धैर्य बंधाती हैं। राम इस दृश्य को वास्तविक समझकर शोकावेग से व्याकुल हो उठते हैं। उनकी व्याकुलता वाणी से अभिव्यक्त होती है। वह सीता का स्मरण करते हुए कहते हैं— हा देवी, दण्डकवन में प्रवास-काल की प्रियसंगिनी! तुम्हारी यह दुर्दशा मेरे ही कारण

हुई है।<sup>11</sup> यहाँ राम बना नट हा देवी पर बल देते हुए अपने मनोभावों की अभिव्यंजना करेगा। कंठित वर्णों का प्रयोग करते हुए वह संस्कृत भाषा में यह संवाद कहेगा। सभी के सुनने योग्य होने से यह सर्वश्राव्य संवाद है। उच्चारण स्थान उरस् होगा क्योंकि वह रोते हुए स्वयं से भुनभुनाते हुए यह कथन करता है। चूर्ण-पद शब्द-रचना है। यहाँ राम सीता को देवी सम्बोधित कर रहे हैं। इस प्रकार पत्नी को देवी कहना नाट्यशास्त्रीय नियमानुसार उचित है।

नाटक के सप्तम अंक में गर्भांक नाटक का विधान राम, सीता कुश तथा लव का सुखद मिलन कराने हेतु किया गया है। कौशल्या को देखकर उन्हें राम-परिवार पर क्षोभ होता है। उनका क्रोध एवं दुःख और बढ़ जाता है। आज कौशल्या के दर्शन जनक को महोत्सव की भाँति नहीं लग रहे हैं, बल्कि उसी प्रकार कष्टकारी लग रहे हैं जैसे किसी ने उनके घाव पर नमक छिड़क कर उनके कष्ट (पुत्री के वियोग से उत्पन्न कष्ट) को और बढ़ा दिया हो।<sup>12</sup> वे अपने क्रोध को उग्रता से नहीं बल्कि वचनों की कुटिलता से व्यक्त करता है। वह स्वर-वैचित्र्य के माध्य से बहुत ही निष्ठुरतापूर्वक कञ्चुकी से पूछते हैं।<sup>13</sup>

### अप्यनामयमस्याः प्रजापालकस्य मातुः?

उक्त पंक्ति में जनक काकु ध्वनि के माध्यम से कौशल्या को उलाहना दे रहे हैं कि अपने पुत्र के द्वारा मेरी पुत्री का निर्वसन के बाद अब तो वह राजमाता स्वस्थ होंगी। जानकी की भाषा संस्कृत होगी तथा संवाद सर्वश्राव्य होगा।

नाटक के पंचक अंक में तुमुल-युद्ध का वर्णन किया गया है। इस अंक में लव एवं चन्द्रकेतु के मध्य युद्ध आरम्भ होता है जिसमें लव जृम्भकास्त्र का प्रयोग करता है। जिसे देखकर चन्द्रकेतु विस्मृत हो जाता है। यहाँ यद्यपि नेपथ्यज-विधि के माध्यम से जृम्भकास्त्र को मंच पर दिखाया जायेगा किन्तु जब चन्द्रकेतु बना नट शब्दशः जृम्भकास्त्र के प्रभाव का वर्णन करता है।<sup>14</sup> तब प्रेक्षक-गण को ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे साक्षात् रूप से वास्तविक जृम्भकास्त्र को देख रहे हैं। यहाँ सम्पूर्ण चमत्कार वाचिक-अभिनय के माध्यम से उत्पन्न होता है। इस प्रकार से कवि ने वाचिक-अभिनय का सफल प्रयोग किया है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

- 1- उत्तररामचरितम्, प्रथम अंक, पृ0 134।
- 2- उत्तररामचरितम्, प्रथम अंक, पृ0 134।

- 3— उत्तररामचरितम्, 1 / 12 ।
- 4— उत्तररामचरितम्, द्वितीय अंक, पृ0 203 ।
- 5— उत्तररामचरितम्, द्वितीय अंक, पृ0 204 ।
- 6— उत्तररामचरितम्, 2 / 26 ।
- 7— उत्तररामचरितम्, 4 / 1 ।
- 8— उत्तररामचरितम्, षष्ठ अंक, पृ0 431 ।
- 9— उत्तररामचरितम्, सप्तम अंक, पृ0 479 ।
- 10— उत्तररामचरितम्, 4 / 7 ।
- 11— उत्तररामचरितम्, चतुर्थ अंक, पृ0 319 ।
- 12— उत्तररामचरितम्, 5 / 13—14 ।

## जैव उर्वरक (कल्चर)



डॉ. नरेन्द्र कुमार सांखला  
भूगोल विभाग,  
पोस्ट – डोक्टोरल फैलो (ICSSR),  
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, भारत

**सारांश** – कृषि प्रधान देशों में भारत वर्ष का नाम भी अग्रणी है। हरित क्रांति के आव्हान के साथ ही देश में कृषि उत्पादन वृद्धि के भिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श आरंभ हो चुका था। आधुनिक तकनीक एवं कम लागत के संसाधनों की आवश्यकता महसूस की गई। आधुनिक कृषि में जैव उर्वरकों के उपयोग पर चर्चा हो रही है किन्तु जैव उर्वरकों के इतिहास पर नजर डाले तो पता चलता है कि सन 1834 में वैज्ञानिक बॉसिनगॉट ने सर्वप्रथम जैविक नत्रजन यौगिकीकरण की अवधारण की खोज की तथा हैलरी गेल तथ विलफार्थ ने 1886 में इसे समर्थन दिया। एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक ग्राम अग्राही अंडकार दण्डाणु होता है। ये आक्सीजीवी जीवाणु होता है। एजोला स्वच्छ पानी में तैरती हुई अवस्था में पाया जाने वाला एक निम्नवर्गीय पादप है जो विश्वभर में पाया जाता है। ये स्वच्छ पानी के तालाबों, गडडो तथा झीलों में पानी की सतह पर तैरता हुआ दिखाई देता है।

**मुख्यशब्द** – जैव, उर्वरक, कल्चर, कृषि, देश, हरिता

परिचय एवं इतिहास - इन्ही आवश्यकताओं द्वारा हरित क्रांति सार्थक हो सकती है तथा ये प्रमुख रूप से उच्च गुणवत्ता वाले वर्डरक, बीज, व्यवस्थित कृषि संसाधन एवं पर्याप्त जल आपूर्ति द्वारा संभव हो सकता है। पौधों को नत्रजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों की मांग जिस गति से बढ़ी है उसी गति से इसके निर्माण की प्रक्रिया भी फलती फूलती जा रही है। चूंकि इन उर्वरकों के निर्माण में उच्च स्तर पर उर्जा की आवश्यकता होती है। इन परिस्थितियों में वायुमण्डलीय सूक्ष्मजीव, जिनकी दैनिक क्रियाओं हेतु उच्च उर्जा की आवश्यकता नहीं होती है।

पौधों की सामान्य वृद्धि के लिये उचित मात्रा में विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सोलह प्रमुख रासायनिक पोषक तत्व पौध वृद्धि के कारक के रूप में पहचाने गये हैं। इन पोषक तत्वों में से कार्बन, हाइड्रोजन एवं आक्सीजन को पौधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं जबकि शेष पोषक तत्व मृदा द्वारा पौधो तक पहुंचते हैं। अप्राकृतिक रूप से इन पोषक तत्वों के असंतुलित प्रयोग से मृदा उर्वरा शक्ति निरंतर क्षीण होती जा रही है जिससे सतत कृषि उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है अतः वर्तमान कृषि प्रणाली में रासायनिक उर्वरकों के साथ प्राकृतिक संसाधनों द्वारा निर्मित पर्यावरण स्नेही उत्पादों के प्रयोग की उपयोगिता बढ़ी है। रासायनिक, कार्बनिक तथा जैविक संसाधनों से प्राप्त पोषक तत्वों के सम्मिलित उपयोग से न केवल सतत कृषि उत्पादन बल्कि मृदा उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि संभव है।

कुछ सूक्ष्म जीवों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण, अधुलनशील स्फुर को धुलनशील अवस्था में परिवर्तित करने तथा कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने की क्षमता होती है। इन प्रक्रिया द्वारा ये सूक्ष्मजीवों पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध करा कर मृदा

उर्वरा शक्ति के साथ कृषि उत्पादन में भी वृद्धि करने में सहायक होते हैं। जैव उर्वरक इन्हीं लाभदायक सूक्ष्मजीवों का कोयले सृष्ट्य पदार्थ चारकोल, लिग्नाइट या पीट में मिश्रण होता है जो कि नत्रजन या स्फुर उपलब्ध कराने वाले हो सकते हैं।

ये सूक्ष्मजीव जीवाणु, कवक नील हरित शैवाल हो सकते हैं जिन्हें उचित माध्यम में मिश्रित कर बीज, पौध जड़, शिशुपादप या मृदा को उपचारित करने पर कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा सकती है। जैव उर्वरकों का उपयोग रासायनिक उर्वरकों की मात्रा कम कर पूरक पोषक के रूप में किया जा सकता है। इनकी उपापचयी लस्वरूप स्रावित होने वाले विभिन्न विटामिन, पौध वृद्धि कारक आदि पौधों की वृद्धि के साथ कृषि उत्पादों में भी वृद्धि करने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त जैव उर्वरक कई मृदा जनित रोगों को नियंत्रित करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं इन सभी फायदों के अतिरिक्त जैव उर्वरक किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं तथा इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं फैलाते हैं तथा इनका कोई दुष्प्रभाव पौधो या इसका उपयोग करने वाले पर नहीं पड़ता है।

विगत कुछ दशकों में इन जैव उर्वरकों की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि इनके 19 रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी संभव हो सकती है। विश्व के वामन क्षेत्रों में जैव उर्वरकों पर किये गये शोध कार्यों से ये तथ्य सामने आये हैं कि अनुकूल परिस्थितियों में दलहनी फसलें 50-500 किग्रा प्रति हैक्टेयर की दर से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर सकती है।

आधुनिक कृषि में जैव उर्वरकों के उपयोग पर चर्चा हो रही है किन्तु जैव उर्वरकों के इतिहास पर नजर डाले तो पता चलता है कि सन 1834 में वैज्ञानिक बॉसिनगॉट ने सर्वप्रथम जैविक नत्रजन यौगिकीकरण की अवधारण की खोज की तथा हैलरी गेल तथा विलफार्थ ने 1886 में इसे समर्थन दिया। प्रायोगिक रूप से जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को सन् 1888 में बेजरिंक नामक सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया तथा सर्वप्रथम दलहनी जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों से नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु को प्रयोगशाला परिस्थितियों में सर्वर्धित करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने इस जीवाणु को बेसीलम रेडीसीकोला नाम दिया जिसे अब राइजोबियम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सन 1902 में एजो टोबैक्टर तथा 1925 में एजोस्प्रिलम नाम जीवाणु को भी सर्वर्धित किया। व्यावसायिक रूप से जैव उर्वरक का निर्माण सर्वप्रथम सन 1895 में नाबे तथा हिल्टनर नाम वैज्ञानिकों ने अमेरिका में किया था। इस उत्पाद को उन्होंने नाइट्रेजीन नाम दिया था। ये उत्पाद राइजोबियम जीवाणु द्वारा निर्मित किया गया था। भारत में जैव उर्वरकों की दिशा में सन 1934 में कदम उठाते हुए राजोबियम देने का निर्माण किया गया। जैव उर्वरकों के क्षेत्र में कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं।


1. सन 1834 में वैज्ञानिक जेवी बासिन गाल्ट ने दलहनी पौधों द्वारा जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण की अवधारण दी।
2. बेजरनिक ने बताया कि दलहनी पौधो की ग्रंथियों में उपस्थित जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायक होता हैं।
3. बेजरनिक ने एजोटोबैक्टर जीवाणु की खोज की।
4. अमेरिका में गुणवत्ता के आधार पर जैव उर्वरक निर्माताओं को लाइसेन्स प्रदान किये थे।
5. अमआर माधोक ने राहोबियम टके का निर्माण किया था।
6. भारत में चरकोल की संवाहक निर्माण में पीट की संवाहक पदार्थ के रूप में खोज की।
7. भारत में सर्वप्रथम जैव उर्वरकों का व्यावसायिक उत्पादन।
8. राइजोबियम के लिये आईएसआई मानक स्तर प्रदान किया गया।
9. एजोटोबैक्टर के लिये आईएसआई मानक स्तर प्रदान किया गया।
10. वी ईश्वरन ने भारतीय पीट को संवाहक के रूप में स्थापित किया।

**जैव उर्वरक: वर्गीकरण एवं अभिलक्षण**

**वर्गीकरण-** प्रकृति का वरदान समझे जाने वाले उर्वरकों के वर्गीकरण की बात करे तो साधारणतः ये नाइट्रोजन यौगिकीकारक एवं फास्फेट विलेयीकारी के रूप में परिभाषित किये जा सकते हैं। तीसरे प्रकार के जैव उर्वरक कम्पोस्ट प्रक्रिया को प्रेरित करने तथा उत्पादित कम्पोस्ट की गुणवत्ता वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

**अभिलक्षण-** जैव उर्वरक प्रौद्योगिकी के अध्ययन का एक प्रमुख तथ्य है जैव उर्वरक निर्माण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सूक्ष्मजीवों के अभिलक्षणों का ज्ञान। इसके अभाव में जैव उर्वरक निर्माण की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता हैं। इस खण्ड के अन्तर्गत विभिन्न जैव

उर्वकों के प्रमुख अभिलक्षणों का उल्लेख किया गया है। तकनीकी रूप से जैव उर्वरक उनकी कार्यिक के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। अविकल्पी आक्सीजीवी, अविकल्पी अनाक्सीजीवी तथा विकल्पी अनाक्सीजी प्रथम प्रकार के सूक्ष्मजीव आक्सीजन की उपस्थिति में ही अपनी क्रियाविधि चला पाते हैं जबकि दूसरे प्रकार के आक्सीजन की अनुपस्थिति में तीसरे प्रकार के सूक्ष्मजीव साधारणत आक्सीजन की उपस्थिति में अपने क्रिया कलापों का वहन करने हैं किन्तु इसकी अनुपस्थिति में भी सुचारु रूप से कार्य करते हैं। उक्त तीनों वर्गों के सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं।



राइजोबियम जैव उर्वरक-

राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथिकाएं बनाने की क्षमता रखने वाले उस जीवाणु का नाम है जो वायुमण्डलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर उसे पौधों को उपलब्ध कराता है।

वर्गीकरण

कुल राइजोबियेसी

वंश राइजोबियम मटर मसूर राजमा खेसरी बरसीम आदि में पाया जाता है।

ब्रेडीराइजोबियम सोयाबीन मूंग चना मूंगफली आदि में

एजोराइजोबियम तने में ग्रंथी का निर्माण करता है।

राइजोबियम एक ग्राम अग्रामी जीवाणु होता है जो आकार में 0.5 से 0.9 माइक्रोमीटर चौड़े तथा 1.2 से 3.0 माइक्रोमीटर लम्बाई वाले दण्डाणु होते हैं।

यीस्ट निष्कर्ष मेनीटाल एगर संवर्धन माध्यम पर ये गोल दूधिया रंग के रूप में विकसित होता है जिसके किनारे एक दम साफ होते हैं।

राइजोबियम एक गतिशील जीवाणु होता है जिसकी सतह पर परिपक्षमाभी कशाभिकाएं पाये जाते हैं। इनकी कोशिकाओं में पाली बीटा हाइड्राक्सी ब्यूटाइरेट की कणिकाएं पायी जाती हैं। इनमें अन्तःशुचल का अभाव होता है। जो कि अपनी कोशिकाओं में संश्लेषण के लिये कार्बन व उर्जा अपने कार्बनिक आहार से प्राप्त होता है।

राइजोबियम जैव उर्वरक फसल विशिष्ट होता है तथा इसे दो प्रमुख जातियों में विभक्त किया गया है। तेज वृद्धि करने वाले जीवाणु जैसे राइजोबियम ट्राइफोलाई रा० ल्यूमिनोसेरम, रा० मेलिलोटी, रा० फेजियोलाई आदि। धीमी गति से वृद्धि करने वाले जीवाणु जैसे रा० जेपोकिम, रा० लूपिनाई आदि। तेज गति से वृद्धि करने वाले राइजोबियम की प्रजातिया ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फक्टोज, एराबिनो, जाइलूलोज, मैनिटाल आदि शर्कराओं का कार्बनिक आहार के रूप में प्रयोग करती हैं।

राइजोबियम जैव उर्वरक को प्रभावित करने वाले कारक

तापमान, मृदा पीएच, कार्बनिक पदार्थ, कीटनाशक दवाएं, मृदा नत्रजन, मृदा स्फुरा।

राइजोबियम जैव उर्वरक द्वारा लाभान्वित फसले

राइजोबियम जैव उर्वरक का उपयोग फसल विशिष्ट होता है। विभिन्न प्रकार की दलहनी एवं फलीदार फसलों में इसका उपयोग किया जा सकता है। चना, मटर, मसूर, मंग, अरहर, सोयाबीन, बरसीम, रिजका आदि फसलों में ये लाभदायक होता है।

एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक- एजोटोबैक्टर एक मुक्त जीवी जीवाणु है जो कि मृदा में पाया है तथा नाइट्रोजन यौगिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है।

वर्गीकरण-- कुल एजोटोबैक्टीरिएसी

वंश- एजोटोबैक्टर

एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक ग्राम अग्रही अंडकार दण्डाणु होता है। ये आक्सीजीवी जीवाणु होता है। इसकी सात प्रजातियां एजोटोबैक्टर बैजीरिकाई, ए. क्रोकोकम, ए. पेसपेली, ए. विनलेण्डाई, आदि प्रमुख हैं। ए. ऐजिलिस तथा ए. इन्सिगनिस जलीय वातावरण की प्रजातियां हैं। अन्य प्रजातियां की तरह इन प्रजातियों का आकार आयु व पोषण के अनुसार नहीं बदलता है। ए. बैजरिकाई प्रजाति की कोशिकाएं आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं तथा आयु तथा पोषण वर्धन के साथ इनमें बदलाव नहीं आता है। एजोटोबैक्टर में पाये जाने वाले इस गुण, आयु व वर्धन के साथ साथ कोशिका आकार में परिवर्तन होता है अतः इसे बहुरूपी जीवाणु कहते हैं।

एजोटोबैक्टर वे की सभी प्रजातियां प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में अपने चारों ओर एक मोटा बहि चोल बना लेती हैं इस प्रक्रिया से जीवाणु ध्वनि अभिक्रिया, परबैगनी प्रकाश, उष्मा आदि की अधिकता में अपना बचाव सुनिश्चित कर लेता है। एजोटोबैक्टर वंश की कुछ प्रजातियों में सम्पुट निर्माण पाया जाता है। एजोटोबैक्टर वंश की कुछ प्रजातियों में कोशिकाएं पुरानी हो जाने पर काले रंग का पदार्थ बनता है जिसे मेलानिन कहते हैं। इसके कारण संवर्धन माध्यम पर जीवाणु गुच्छ काली दिखाई देती है।

एजोटोबैक्टर शर्करा तथा कार्बनिक अम्लों का प्रयोग उपयोग अपने पोषण के लिये करता है जिससे कार्बन की पूर्ति हो जाती है। नाइट्रोजन इसे नाइट्रोजन यौगिकीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त हो जाती है। जेनसन संवर्धन माध्यम पर इसका वर्धन किया जा सकता है। इसके जीवाणु गुच्छ इस संवर्धन माध्यम पर गोल एवं चमकीले सफेद रंग की दिखाई देती है जो कि पारदर्शी भी हो सकती है।



### एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक द्वारा लाभान्वित फसले

तापमान- एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक की क्रियाशीलता 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य सुचारु रूप से चलती है किन्तु इस अनुकूल ताप से निम्न या उच्च स्तर पर इसकी क्रियाशीलता को प्रभावित करता है।

मृदा पीएच-एजोटोबैक्टर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं पर मृदा पीएच का परोक्ष प्रभाव पड़ता है। मृदा में प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति तथा जड़ों के साथ साहचर्य से ये जीवाणु 5.5 पीएच मान पर भी भली भाँति क्रियाशील रहते हैं।

कार्बनिक पदार्थ-सामान्यतः मृदा में दूसरे जीवाणुओं की प्रतिस्पर्धा के कारण एजोटोबैक्टर मृदा कार्बनिक पदार्थों का उपयोग नहीं कर पाता है। कीटनाशक दवाएं- कीटनाशक दवाओं के प्रति एजोटोबैक्टर की संवेदनशीलता राइजोबियम जैव उर्वरक की भाँति ही होती है। बाविस्टीन तथा डाइथेन एम द्वारा बीजोपचार से इसकी क्रियाशीलता अप्रभावित रहती है।

मृदा नत्रजन एवं स्फुर- राइजोबियम जैव उर्वरक की भाँति ही इसके साथ भी मृदा नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की उचित मात्रा इसकी क्रियाशीलता को सकारात्मक रूप से बढ़ाती है।

एजोसिल्लम जैव उर्वरक-एजोसिल्लम जैव उर्वरक एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक से काफी समानता लिये होता है। इसका उपयोग अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर होने वाली फसलों में किया जा सकता है। एजोसिल्लम एक ग्राम अग्राही सर्पिलाणु होता है जो आकार में माइक्रोन होता है। इसका आकार कुछ हद तक परिवर्तित पाया जा सकता है। जो कि पौधों की जड़ों में पाया जाता है। एजोसिल्लम जीवाणु नाइट्रोजन युक्त संवर्धन माध्यम में वर्धन नहीं कर पाते हैं। जबकि नाइट्रोजन मुक्त संवर्धन माध्यम में इसकी वृद्धि अच्छी होती है। जबकि ए.लिपोफेरम जिसे की धान से संवर्धित किया गया था में इसका आभाव होता है।

एजोटोबैक्टर की भाँति ही एजोसिल्लम भी पादप वृद्धि कारक का स्त्रावण करते हैं जो कि फसलों की कायिक वृद्धि के साथ साथ संवर्धन माध्यम रंग हरे से नीला होता है जिससे इसकी संवर्धन की जानकारी की जा सकती है।

### एजोसिल्लम जैव उर्वरक को प्रभावित करने वाले कारक

तापमान- एजोसिल्लम जैव उर्वरक की क्रियाशीलता तक सुचारु रूप से चलती रहती है। मृदा- मृदा अधिकता में 4.8 पीएच मान तक भी इसकी क्रियाशीलता अच्छी रहती है। कार्बनिक पदार्थ- मृदा कार्बनिक पदार्थ की उचित मात्रा में उपस्थिति में इसकी क्रियाशीलता कम पीएच मान पर भी सफलपूर्वक चलती रहती है।

कीटनाशक दवाएं- कीटनाशक दवाओं के प्रति एजोसिल्लम जैव उर्वरक की संवेदनशीलता एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक से पूर्णतया समानता लिये होता है।

मृदा नत्रजन एवं स्फुर- मृदा में स्फुर की मात्रा डालने से एजोसिल्लम की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है तथा नाइट्रोजन की यौगिकीकरण प्रक्रिया भी सुचारु रूप से चलती है। एजोसिल्लम जैव उर्वरक द्वारा लाभान्वित फसलें- इसमें मक्का, गन्ना, ज्वार, पुष्पीय पादपों में किया जाता है।

एसीटोबैक्टर जैव उर्वरक- आधुनिक शोध कार्यों द्वारा गन्ने की फसल में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु के रूप में एसीटोबैक्टर डाएजोट्रोफिक्स की उपयोगिता सामने आई है।

ये आक्सीजीवी जीवाणु एसीटिलीन अपचयन करने की क्षमता रखता है तथा 10 प्रतिशत सूक्रोज युक्त नाइट्रोजन मुक्त संवर्धन माध्यम में अच्छी तरह वृद्धि करता है। ये नवीनतम शोध कार्यों का परिणाम है जिसकी खोज ब्राजील में की गई थी। ब्राजील में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर गन्ने की खेती बहुतायत से की जाती है जबकि इन क्षेत्रों की उर्वरा शक्ति क्षीण है। इसके अतिरिक्त इस मृदा में केवल नाइट्रोजन एवं पोटैश उर्वरकों के प्रयोग से ही अच्छे परिणाम व फसल वृद्धि देखी गई। इस क्षेत्र में नाइट्रोजन की मात्रा 130 किग्रा प्रति हैक्टेयर आंकी गई। इन परिणामों को देखते हुए ऐसा समझा गया कि गन्ने के साथ नाइट्रोजन प्रदान करने वाला कोई सक्षमजीव होना चाहिये। इस दिशा में शोध करने पर तथ्य सामने आया कि एसीटोबैक्टर डाएजोट्रोफिक्स गन्ने द्वारा प्रयोग की गई डाई नाइट्रोजन में से 20 मिग्रा प्रति ग्राम की दर से इसका यौगिकीकरण कर रहा है।

LGIP संवर्धन माध्यम पर इसका वर्धन पीताभ नारंगी जीवाणु गुच्छ के रूप में देखा जा सकता है तथा PDA संवर्धन माध्यम जिसमें कि 10 प्रतिशत ग्लूकोस हो पर ये जीवाणु गहरे काले रंग के वर्णक का निर्माण करता है।

### **एसीटोबैक्टर जैव उर्वरक को प्रभावित करने वाले कारक**

मृदा पीएच-एजोटोबैक्टर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं पर मृदा पीएच का परोक्ष प्रभाव पड़ता है। मृदा में प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति तथा जड़ों के साथ साहचर्य से ये जीवाणु 5.5 पीएच मान पर भी भली भांति क्रियाशील रहते हैं।

कार्बनिक पदार्थ- अन्य जैव उर्वरकों की भांति कार्बनिक पदार्थ की उचित मात्रा जीवाणु के वर्धन की प्रारंभिक अवस्थाओं में सहायक हो सकता है।

### **नील हरित शैवाल जैव उर्वरक**

नील हरित शैवाल जिन्हे सायनोबैक्टीरिया भी कहते हैं तनुदार प्रकाश संश्लेषी सूक्ष्मजीव होते हैं जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने की क्षमता रखते हैं।

### **वर्गीकरण**

कुल-नास्टाकेसी, साइटोनिमेटेसी, राइबुलेरिएसी, स्टीगनिमेटेसी, मेस्टीगोक्लेडेसी ऑसीकेटोरिएसी।

वंश नास्टॉक, साइटोनिमा, एनाबिना, केलोथ्रिक्स, ऑलोसीरा, प्लैक्टोनीमा आदि। नील हरित शैवाल जलीय सूक्ष्मजीव हैं जिनके गुणों की समानता जीवाणु वर्ग से अधिक होती है तथा इसकी कोशिका संरचना प्रोकेरियोटिक प्रकार की होती है इसलिये इन्हे सायनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। सभी हरित शैवाल नाइट्रोजन यौगिकीकरण में समर्थ नहीं होती हैं कुद प्रजातिया ही ये कार्य कर सकती हैं। जिनमें कुछ तंतुरूपी नील हरित शैवाल जिनमें हिटरासिस्ट युक्त सभी नील हरित शैवाल नाइट्रोजन यौगिकीकरण में समर्थ होते हैं। उन नील हरे शैवाल में जिनमें टिरोसिस्ट पायी जाती है नाइट्रोजन या यौगिकीकरण आक्सीजन की उपस्थिति में करती है जबकि हिटरासिस्ट रहित पलानी आक्सीजन को अनुपस्थित में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करती है। मृदा में पाई जाने वाली नील हरित शैवाल की प्रजातियां छोटे आकार व सरल संरचना वाली जबकि नीर प्रजातिया आकार में अपेक्षाकृत बड़ी एवं जटिल संरचना वाली होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कोशिका वर्धन करने वाले ये सूक्ष्मजीव सहजीवी के रूप में भी पाये जाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम होती है। नील हरित शैवाल का जनन समय लगभग ढाई घण्टे होता है तथा अनुकूल परिस्थितियों में उचित मात्रा में नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सक्षम होती हैं। आर्थिक रूप से कम लागत के ये जैव उर्वरक नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा फसलों को वांछित लाभ देने में समर्थ होते हैं।

नील हरित शैवाल जैव उर्वरक को प्रभावित करने वाले कारक

प्रकाश- नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषी होने के कारण इनके वर्धन के लिये प्रकाश अतिआवश्यक होता है। इनकी अधिकतम वृद्धि दर फ्लोरोसेन्ट तथा कैन्डेलेसेन्ट प्रकाश में होती है। सहजीवी के रूप में जीवन निर्वाह करने वाली प्रजातियों को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की आवश्यकता अन्य कारकों की उपलब्धता के आधार पर बदली रहती है।

तापमान- इन सूक्ष्मजीवों के वर्धन हेतु अनुकूल तापमान 32.5 से 35 डिग्री से 0 तक माना जाता है।

पीएच- पीएच मान 6.0 से 7.5 के मध्य नील हरित शैवाल की वृद्धि अच्छी तरह होती है। 6.0 से कम पीएच होने पर इनकी वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

आर्द्रता- नील हरित शैवाल वर्धन के लिये आर्द्रता अति आवश्यक होती है तथा रुके हुए निर्मल जल में इसका वर्धन त्रिव गति से होता है। आर्द्रता की अधिकतम स्थिति में इसकी वृद्धि ठीक प्रकार से होती है तथा शुष्क अवस्थाओं में निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है।

आक्सीजन-आक्सीजीवी प्रजातियां के लिये आक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है जबकि अनाक्सी जीवी प्रजातियों की अनुपस्थिति को इलैक्ट्रॉन प्रदान करने वाले पदार्थ के रूप में फोटोसिसटम 1 के द्वारा प्रयोग कर वृद्धि करती है।

### **एजोला जैव उर्वरक**

वर्गीकरण- वर्ग-टेरीडोफाइट

गण-सिल्वीनिएल्स

कुल-एजोलेसी

वंश-एजोला

एजोला स्वच्छ पानी में तैरती हुई अवस्था में पाया जाने वाला एक निम्नवर्गीय पादप है जो विश्वभर में पाया जाता है। ये स्वच्छ पानी के तालाबों, गडडो तथा झीलों में पानी की सतह पर तैरता हुआ दिखाई देता है। इनमें सात प्रजातियां जैसे- एजोला केरोलिनिआना, ए0 फिलीकुलोइडस, ए0 मैक्सीकाना, ए0 माइक्रोफिला, ए0 निलोटिका, एपिन्नेटा तथा ए0 रुब्रा पाई जाती है। एजोला की पृष्ठीय सतह पर एक गर्त पाया जाता है जिसमें एजोला के साथ सहजीवी के रूप में जीवनयापन करने वाली नील हरित शैवाल एनाबिना एजोली पाई जाती है। एजोला का वर्धन सामान्यतः वर्ष भर होता है तथा सर्दी के मौसम जब तापमान 5 डिग्री से0 तक पहुंच जाता है तो भी इसका वर्धन तीव्र गति से होता रहता है।

एजोला की पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर गर्त में पायी जानी वाली नील हरित शैवाल के कारण ही इसकी उपयोगिता नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिये होती है। चूंकि पत्तियों के भीतर प्रवास करने वाली शैवाल को पोषण एजोला से प्राप्त होता रहता है। अतः इसका कार्य केवलनाइट्रोजन द्वारा एजोला एवं एनाबिना दोनों का जीवन निर्वाह होता है। ऐसा माना गया है कि 10 टन एजोला पादप का उपयोग मृदा में करने से 40 किग्रा जैविक रूप से यौगिकीकृत नाइट्रोजन मृदा को प्राप्त होती है।

### एजोला जैव उर्वरक को प्रभावित करने वाले कारक

तापमान तापमान में होने वाल परिवर्तन का एजोला फर्न के वर्धन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। 32 डिग्री से0 से 20 डिग्री से0 न्यूनतम तापमान इसकी वृद्धि के लिये अनुकूल होता है।

मृदा पीएच- एजोला का जीवन चक्र 3.5 से 10.5 पीएच मान तक सुचारु रूप से होता है। नाइट्रेट के आक्सीकरण के लिये अनुकूल पीएच मान 4.5 तथा तापमान 30 डिग्री से0 जबकि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के अनुकूल पीएच मान 6.0 व तापमान 20 से0 माना गया है।

जैविक कारक- ए.पिन्नेटा वृद्धि पर विभिन्न प्रकार के लार्वा विशेषकर लेपीडोप्टेरा तथा डिप्टेरा वर्ग के कीटों के लार्वा के प्रति ये अति संवेदनशील होता है। ऐसी नर्सरी यहा पर एजोला का संवर्धन किया जाता है ये 25 ग्राम प्रति वर्गमीटर की दर से कार्बोफ्यूरेन उपयोगी पाया गया है।

मृदा नत्रजन एवं स्फुर- रासायनिक उर्वरकों के रूप में दिये जाने वाला नत्रजन उर्वरक एजोला की वृद्धि पर प्रतिकूल असर डालता है। जबकि कुछ परिस्थितियों में इसकी निम्न सान्द्रता का उपयोग किया जा सकता है। दूसरी स्फुर अर्थात फास्फोरस एजोला की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एजोला नर्सरी में एकल सुपर फास्फेट डालना लाभदायक रहता है। जबकि अघुलनशील खनिज फास्फेट उतना लाभदायक नहीं होता है।

प्रकाश- प्रकाश के आधिक्य में एजोला की वृद्धि एवं नाइट्रोजन यौगिकीकरण की क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एजोला की विभिन्न प्रजातियों में प्रकाश सहिष्णुता की भिन्न भिन्न होती है। ऐसा पाया गया है कि सूर्य के पूरे प्रकाश का आधा भाग उपलब्ध होता, एजोला फिलीकुलोइडस की वृद्धि अच्छी होती है। इसी प्रकार एजोला केरिलियाना द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिये 8000 लक्स तथा एजोला पिन्नेटा के लिये 4300 लक्स प्रकाश तीव्रता उत्तम मानी गई है।

लवणता- लवणता में वृद्धि के साथ साथ एजोला का संवर्धन भी धीमा हो जाता है तथा लगभग 1.3 प्रतिशत लवणता होने पर इसकी वृद्धि रुक जाती है।

एजोला जैव उर्वरक की उपयोगिता

धान की फसल के रोपण के दो सप्ताह बाद खेत के पानी में एजोला डाल दिया जाता है बाद में खेत के पानी पर एजोला की परत बन जाने पर खेत का पानी निकाल कर एजोला को मृदा में मिश्रित कर दिया जाता है। खेत में पुनः पानी भरने से एजोला के बीज अंकुरित होकर दूसरी फसल देते हैं। एजोला का उपयोग द्विती फसल के रूप में धान के खेत में किया जाता है।

जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों की जीवित कोशिकाओं को भी किसी वाहक में मिश्रित करके बनाये जाते हैं तथा जिन्हें मृदा में अथवा बीज के साथ मिला देने पर जैव उर्वरक पौधों के लिए वायुमण्डलीय नत्रजन को भूमि में स्थिर करते हैं अथवा अघुलनशील स्फुर उर्वरक पदार्थों का घुलनशील स्फुर में परिवर्तित करते हैं। भूमि में पड़े पादप अवशेषों की पाचन क्रिया बढ़ाते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति एवं फसल उत्पादन क्षमता बढ़ती है।

### **नत्रजन स्थिरीकरण के जैव उर्वरक :**

#### **राइजोबियम :**

राइजोबियम कल्चर सबसे अधिक उपयोग होने वाला जैव उर्वरक है। इस प्रजाति के जीवाणु मुख्यतः दलहनी फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। दलहनी फसलों की जड़ों में मटमैले रंग की छोटी बड़ी गांठों में एक प्रकार के जीवाणु निवास करते हैं जिसे राइजोबियम कहते हैं। यही राइजोबियम की संख्या व आकार में वृद्धि करते हैं एवं वायुमण्डल में उपलब्ध नत्रजन को ग्रहण कर दलहनी फसलों को देते हैं। पृथक-पृथक आकार प्रकार के राइजोबियम बैक्टीरिया पाये जाते हैं। ये जीवाणु 50 किलों से 135 किलो नत्रजन प्रति हैक्टेयर मृदा में एकत्रित कर सकते हैं। यह नत्रजन दलहनी फसलों द्वारा ली जाती है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है और लगभग 45 से 75 किलो नत्रजन प्रति हैक्टेयर भूमि में बच जाती है जो दूसरी फसलों के काम आती है। प्रत्येक दलहनी फसल के लिए एक विशिष्ट प्रकार के जीवाणु, उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, जैसे मटर के लिए लिग्रूमिनासोरम जीवाणु बरसमी के लिए राइजोबियम ट्राइफालाई नामक जीवाणु होता है, अतः एक ही तरह के जैविक उर्वरक को सभी पलाना फसल में से प्रयोग नहीं करना चाहिए। राइजोबियम की 750 ग्राम मात्रा 80-100 किलों बीज के उपचार हेतु आवश्यक होगी। यदि बीज का रासायनिक पदनाशा से उपचार नहीं किया गया है तो कल्चर की मात्रा आधी रख सकते हैं।

#### **एजेटोबैक्टर :**

एजेटोबैक्टर अति सूक्ष्म जीवाणु है जो खाद्यान फसलों में नत्रजन स्थिर करने का कार्य करते हैं। एजेटोबैक्टर जैविक उर्वरक विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे खाद्यान, फसल, सब्जियां आदि में नत्रजन एकत्रित करने के साथ-साथ पौधों की वृद्धि करने वाले पदार्थ भी उत्पन्न करते हैं। इनके प्रयोग से फसल की पैदावार 15 से 20 प्रतिशत अधिक बढ़ जाती है। इनके द्वारा साधारणतः 15 से 20 किलो नत्रजन एक हैक्टेयर में स्थिर हो सकती है। यह नत्रजन के योगीकरण के अलावा बीजों के अंकुरण में वृद्धि करने की क्षमता भी रखते हैं। इसके अतिरिक्त पौधों की जड़ों के बीच जीव-भार में भी वृद्धि होती है। यह विशेष प्रकार की फफूंदी द्वारा होने वाले पौध रोग के प्रति स्वयं भी सहिष्णु हो जाते हैं। इसके अलावा इसके उपयोग से भूमि संरचना में सुधार होता है। एजेटोबैक्टर की 750 ग्राम मात्रा 80-100 किग्रा. बीज के उपचार हेतु आवश्यक होगी।

#### **स्फुर को घुलनशील बनाने वाले जैव उर्वरक:**

पीएसएम (फॉस्फेट सॉल्यूबिलाइजिंग माइको आर्गेनिज्म) ऐसे सूक्ष्म जीवाणु है जो जमीन में उपलब्ध अघुलनशील फास्फेट को घुलनशील बनाते हैं। मृदा में फास्फेट घुलनशील एवं अघुलनशील दोनों अवस्था में पाया जाता है। मृदा में जब रासायनिक उर्वरक के रूप में फास्फोरस दिया जाता है तब पौधे उसका 10-30 प्रतिशत ही उपयोग कर पाते हैं। विशेष भूमि से कैल्शियम आयन, एल्यूमिनियम आदि के साथ स्थिरीकरण करके अघुलनशील फास्फेट पदार्थ (ट्राईकैल्शियम फास्फेट/बोनमील) अपनी जीवन क्रियाएं कार्बनिक अम्लों को स्रावित करके अघुलनशील फास्फेट को विलय कर (घुलनशील बनाकर) पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इनके उपयोग से फसल की पैदावार में 10-25 प्रतिशत वृद्धि होती है।

## उत्तम खेती के लिए जैविक कृषि पंचांग की उपयोगिता

प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र लम्बे समय तक किये गये आकाशीय प्रेक्षणों पर आधारित हैं। इनका विविध प्रयोग हिन्दू-संस्कृति के उद्भव व विकास में भी हुआ है। विभिन्न ग्रह-नक्षत्रों ब्रह्माडीय शक्तियों का प्रभाव प्रकृति, मानव, प्राणी व वनस्पति जगत पर आकलित भी किया जाता रहा है। प्रकृति-परायण कृषि पर इसके अबर को समझकर कृषकों को एक नयी दृष्टि जाग्रत होती है। आधुनिक रासायनिक खेती में यामी असंतलन व आधुनिक वैश्वीकरण रूप में वित्तीय कुचक, सर्वविदित है। ऐसी स्थिति में जैविक समन्वित खेती के लिए बल्कि आर्थिक स्वावलम्बन, राष्ट्रीय स्वाभिमान व ग्राम के संतुलन के लिए अपरिहार्य लगती हैं।

जैविक खेती पंचांग मूलतः चन्द्रमा की गति पर आधारित है न कि ज्योतिष विद्या पर। जैविक कृति पंचांग का सहज सरल रूप से प्रयोग किया जा सकता है। हिन्दु मास पक्ष और तिथी पंचांग के प्रमुख अंग हैं। चन्द्र पूर्णिमा के दिन जिस नक्षत्र में होता है, हिन्दू चन्द्र मास का नाम उसी नक्षत्र के नाम पर रखा जाता है। कुल 12 हिन्दु मास के सापेक्ष व पाश्चात्य मास का कमवार वर्णन निम्न सारणी में किया गया है। शुक्ल पक्ष चन्द्रमा की अमावस्या से पूर्णिमा की गति अवस्था है जिसमें सूर्य और चन्द्रमा की दूरी लगभग 12 डिग्री सेन्टीग्रेड प्रतिदिन बढ़ जाती है। कृष्णपक्ष में पूर्णिमा से अमावस्या तक की गति होती है तथा यह दूरी लगभग उतनी ही कम हो जाती है। पूर्णिमा के समय जल तत्व प्रभावी होकर पत्तों में आकर्षित होता है। इस समय पौधों की कटाई करने से बचना चाहिए। आर्द्रता अधिक होने से फफंदीजनित एवं अन्य रोग लग सकते हैं। पूर्णिमा के 48 घण्टे पूर्व बीजारोपण लाभदायी है। अंकुरण अच्छा होता है। अमावस्या के समय घास की कटाई, काट-छांट, पेड की कटाई भूमि की जुताई, खाद, कम्पोस्ट मिलाना आदि क्रियाओं के लिए उचित होता है। खगोलीय गतिकी में जैसे सूर्य वर्ष में एक बार उत्रायण व दक्षिणायन में होता है वैसे ही चन्द्रमा प्रति 27.3 दिन में एक बार उत्रायण (चढ़ता चन्द्र) तथा एक बाद दक्षिणायन (उतरता चन्द्र) की गति करता है। इन विशिष्ट स्थितियों का जैविक कृषि जन्य प्रयोग निम्न है। इन विशिष्ट स्थितियों का जैविक कृषि जन्य प्रयोग निम्न है:

### चढ़ते चन्द्र में उचित कार्य (उत्रायण):

1. पत्तीदार व फलदार करने से जड़ रसदार व स्वादिष्ट।
2. कलम बांधना।
3. बीज बोना।
4. चारा बनाना।
5. पौधों के उपर स्प्रे व कम्पोस्ट का प्रयोग।
6. बीडी 501 का बनाना व प्रयोग।

### उतरते चन्द्र में उचित कार्य (दक्षिणायन) :

1. जड़वाली फसलों की कटाई फसल की कटाई।
2. फल-फुल व झाड़ी की छांट।
3. पेड कटाई, बीजारोपण।
4. भूमि की तैयारी, खेत की जुताई, खाद बनाना, खाद फैलाना।
5. सींग की खाद बनाना व प्रयोग करना।
6. उत्तम जैविक खाद वृक्ष मित्र का प्रयोग।

चन्द्रमा की पृथ्वी से दूरी गतिकी के अनुसार घटती-बढ़ती रहती हैं। चन्द्रमा के पृथ्वी से अतिदूर की स्थिति को एपोजी तथा अतिपास की स्थिति को पेरीजी कहते हैं। अतिदूर की स्थिति या दिन का आल बौने के लिए उत्तम माना जाता है।

चन्द्रमा जल के लिए सूर्यताप व पृथ्वी मिट्टी कारक होता है। चन्द्रमा व शनि ग्रह के आमने - सामने की स्थिति कृषि कार्यों के लिए सर्वोत्तम होती है। पंचांग में वर्णित राहु व केतु जो चन्द्र की स्थितियां होती हैं को नोड से परिभाषित किया गया है। बढ़ते चन्द्र के नोड को राहु एवं उतरते चन्द्र के नोडका केतु कहते हैं।

केतु के दिन खेती के कार्य नहीं करने चाहिए। आकाश में दृश्यमान सूर्य पथ को 12 समान भागा म बाटा गया है जिन्हें राशि कहते हैं। चन्द्र उनकी परिक्रमा 27 दिनों में करता है।

चन्द्र जिस राशि से गुजरता है उसे राशि का प्रधान भत प्रभाव वनस्पति के भागों जड़, पत्ती, फल, फल व बीज में से एक पर पड़ता है। पंचांग के माध्यम से कृषि अन्य कार्य उपयुक्त समय से करने से लाभ हो सकता है।

प्राप्त अनुभवों के आधार पर जैविक कृषि में कृषि पंचांग के प्रयोग से 15 से 20 प्रतिशत अधिक पैदावार व उत्पादन मे गुणवोत्तर वृद्धि देखी जा रही है। वृहद स्तर पर पंचांग का कृषिजन्य प्रयोग लाभदायी है।

### नीम का कृषि में महत्व

नीम को नये युग का अवतार, अदभुत जीवाणु, कीटाणुनाशक पेड़, राष्ट्रीय वृक्ष, 21वीं सदी का पेड़, अदभुत पेड़ आदि नामों से जाना जाता है।

### नीम की खेती में महत्ता – मुख्य बातें :

1. खेती में रसायनों के अंधाधुंध उपयोग का विकल्प-नीम का उत्पाद।
2. नीम की निबौली में आजादरवित्कन कम्पाउण्ड- एक कीटनाशक रस पाया जाता है।
3. खेती में निमैक्स जैविक खाद- 125-150, 125-150 किग्रा/हैक्टेयर धान्य फसलों हेतु प्रयोग।
4. मानव में त्वचा, कैंसर, पीलिया, बुखार में लाभदायक एवं पर्यावरण के लिए उपयोगी।
5. एन्जीफर्टिलिटी अध्ययन जो चूहे एवं बंदरों में हुआ, से पता चला है कि नीम के बीज का निचोड से बने इंजेक्शन लगने से इनके जन्म पर नियंत्रण पाया है।
6. खेती के अलावा नीम से मनुष्य में कैंसर ठीक हो जाता है, यदि प्रारम्भ में ही दे दिया जाये। खाज-खुजली, चर्म रोग, पीलिया, रक्ताल्पता, बुखाय, हृदय रोग आदि रोकने में मददकारी भी है और पर्यावरण को शुद्ध करता है।
7. मानव शरीर में नीम से सीरम कालेस्ट्रॉल में कमी आती है जबकि सीरम प्रोटीन, रक्त यूरिया एवं यूरिक अम्ल के स्तरों पर कोई प्रभाव नहीं होता है।
8. नीम वातावरण को तो शुद्ध करता ही है, बल्कि मानव रक्त को भी साफ करता है। 5-10 नीम की पत्तियां रोज चबाने से खून की अनेक अशुद्धियों से छुटकारा मिल जाता है।
9. खेती में निमैक्स नामक जैविक नीम खाद एवं कीट निवारक पदार्थ भी प्रयोग होता है जिससे मृदा की उत्पादन क्षमता में बढोतरी, मनुष्य के लिए स्वादिष्ट, विष, रहित स्वास्थ्यवर्धक जैविक भोजन उत्पादित करता है। इसकी मात्रा धान्य दलहन, तिलहनी, फसलों में 125-150 किग्रा/हैक्टेयर बुवाई से पूर्व डालने से लाभ मिलता है, फलवृक्षों में 500-1000 ग्राम प्रति वर्ष प्रति छः मास डालने से भी लाभ होता है।
10. नीम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द निम्बा से हुई है जिसका अर्थ है बीमारी से छुटकारा पाना।
11. नीम के सभी 5 भाग- पत्ती, फुल, फल जड व तने की छाल औषधि महत्व की होती हैं।

12. पत्ती में निम्बिन, निम्बिनीन, निम्बेडीअल एवं क्वैसेन्टिन, छाल में निम्बिन, निम्बिडीन व निम्बनीन , जिसे निम्बीसिडिन कहते हैं, फुल में- सोल्स थायोमायल एल्कोहॉल, बैन्जायल एल्कोहॉल, बैन्जायल ऐसीटेट एवं आवश्यक वसीय अमल बीज एवं फल में गैडमिन, गेडुमिन, एजाडिरोन निम्बिओल, निवौली में एजाडिरेक्टिन योगिक होते हैं। गेडुमिन से एनटीमेलेरियल किया जाता है।

13. नीम के बीज में 1.0 प्रतिशत तेल पाया जाता है।

खेती में उर्वरकों एवं रासायनिक पदार्थों कीटनाशकों दवाओं, फफूंदीनाशकों एवं खरपतवारनाशक दवाओं के अंधाधुंध प्रयोग ने हमें सोचने के लिए यह विवश कर दिया है कि निश्चय ही ये रसायन पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। उदाहरण के तौर पर आज सब्जियों बैंगन, टमाटर, मिर्च, आलू आदि फलों केला, आम, कपास, गन्ना आदि में इन रसायनों का बहुतायत में प्रयोग किया जा रहा है, आखिर सोचें कि किस राह पर जायेगी यह खेती? यदि कृषि रसायनों का उपयोग ऐसी ही बढ़ता रहा, तो अगली पीढ़ी तक भूमि के घटते उपजाऊपन की समस्या तो होगी ही, साथ ही मानव जीवन भी असुरक्षित हो जायेगा। अतः जब आवश्यक है जैवखेती की, जिसमें नाम के उत्पाद का, भूमि एवं फसलों में प्रयोग करके हानिकारक कीड़ों की रोकथाम की जा सके।

निश्चय ही नीम के अनेक उपयोग हैं जैसे दांतुन के रूप में दांत साफ करने एवं मुंह के रोग विकार हेतु छाल को कूट-पीस कर सवा चम्मच सुबह-शाम एक माह तक लेने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। मलहम के रूप में, घाव सुखाने, अनाज गेहूं, चावल, दालों सुरक्षा हेतु नीम के पत्तों का प्रयोग से पई धुन कीटों की रोकथाम, कपड़ों को सुरक्षित रखने में नीम के पत्तों का प्रयोग, पत्तियों को पानी में डालकर नहाने से लाभ आदि इन सबको देखते हुए देश में नीम के तेल का उत्पादन आज के समय में 12,000 टन तक पहुंच गया है जिसके प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश एवं उड़ीसा हैं।

### घरेलू कचरे से बागवानी के लिए वर्मी खाद

आजकल शहरों एवं कस्बों में अधिकतर परिवार गमलों में फुल एवं अन्य सजावटी पौधे लगाते हैं। महानगरों में जहां जमीन की अत्यधिक कमी है कई परिवार छतों पर या गमलों में पौधे या सब्जियां उगाने लगे हैं। अभिरूचि के साथ ही गमलों में पौधे या सब्जियां लगाना परिवार के लिए आर्थिक रूप से लाभप्रद भी है। लगभग 100 गमलों में विभिन्न प्रकार की मौसमी सब्जियां उगाकर एक परिवार की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। खेती में प्रयुक्त विभिन्न रसायनों की बची हुई मात्रा सब्जियों एवं फलों में पाई गई है। विशेषकर सब्जी उत्पादक आवश्यकता से अधिक कीटनाशी रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। नवजात शिशुओं के रक्त में भी खाद्य श्रृंखला के माध्यम से डी.डी.टी., बी.एच.सी. व अन्य रसायनों की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदण्ड से अधिक पाई गई है। विश्व में लगभग 50,000 रसायन कृत्रिम रूप से बनाये जा रहे हैं एवं प्रतिवर्ष 1,000 रसायन और जुड़ जाते हैं। इन घातक रोगों को जन्म देता है। विश्व स्तर पर प्रति मिनट 4 व्यक्ति कीटनाशियों के विषैले दुष्प्रभाव से मरते हैं एवं विकासशील देशों में इसकी आधी संख्या काल कलवित हो जाती है। घरेलू स्तर पर गमलों में सब्जी पैदा कर अत्यधिक रसायनों के दुष्प्रभाव से बच करते हैं। साथ ही प्रत्येक घर के कचरों से केंचुओं द्वारा खाद तैयार किया जा सकता है। यह खाद इन गमलों में काम आ सकता है एवं कचरे से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण से भी कुछ सीमा तक मुक्ति मिल सकती है। शहरों में गोबर के खाद व कम्पोस्ट की उपलब्धता भी एक समस्या है। अतः बागवानी की अभिरूचि वाले व्यक्ति रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। लघु स्तर पर प्रत्येक परिवार स्वयं के लिए वर्मी कम्पोस्ट तैयार कर सकता है।

### घरेलू बागवानी एवं वर्मी खाद की आवश्यकता:

एक आत्मनिर्भर परिवार के लिए घरेलू बगीचे में 4-5 फलदार पौधे (नींबू, केला, अनार, अमरूद, आम, पपीता, आवश्यकता एवं जलवायु के अनुरूप) 3-4 फल एवं सुगंधित पौधे (चमेली, रातरानी, बोगुनवेलिया, तुलसी आदि) 20-25 सजावटी पौधों के गमले एवं 10 वर्गमीटर क्यारी में सब्जियां उगाना लाभप्रद रहेगा। अगर क्यारियों के लिए जगह की कमी है तो गमलों में ही सब्जियां, पौदीना हरा धनियां, हरी मिर्च, सलाद आदि उगाकर पारिवारिक मटका काम में लिया जा सकता है। अगर जमीन की कमी है तो बगीचे के एक कोने में छायादार जगह पर 2 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 0.3 मीटर का गडडा बनाकर वर्मीखाद तैयार कर सकते हैं।

### प्लास्टिक की बाल्टी में वर्मीकम्पोस्ट बनाना:

बाजार में उपलब्ध बड़ी प्लास्टिक की बाल्टी ढक्कन सहित काम में ली जा सकती है। ढक्कन में दो गोलों में चार-चार छेद गर्म छेद द्वारा 5 से.मी. व्यास के करें। इन छिद्रों से हवा के आवागमन से केंचुओं की श्वास क्रिया में सहायता मिलेगी। बाल्टी के फंदे से 75 मिलीमीटर एवं 100 मिलीमीटर उंचाई पर भी दो वृत्तों में चार-चार छेद अधिक पानी के निकास हेतु करें। बाल्टी में सबसे नीचे छोटे छोटे कंकड 10-12 मिलीमीटर व्यास बिछाकर उसके उपर लकड़ी का बुरादा एवं रेत 100 मिली मीटर उंचाई तक भर दें। इसके उपर लकड़ी का गोलाकार टुकड़ा रखें। लकड़ी के टुकड़े के उपर रसोई का कचरा सब्जी आदि के छिलके पौधों की पत्तियां बिछा दे। यह सतह 50-75 मिलीमीटर की रखे। इसे उपर 200 केंचुएं डाल दें एवं पुनः रसोई का कचरा भर दें। सबसे उपर हल्की सतह में मिटटी फैला दें ताकि दुर्गन्ध न आये। ध्यान रखें कि बाल्टी लगभग 50 मिलीमीटर खाली रहे क्योंकि रसोई के कचरे में पानी की मात्रा अधिक होती है। अतः उपर से पानी तभी डाले यदि यह मिश्रण सुखा होने लगे। लगभग 30 प्रतिशत नमी रखना आवश्यक है। बाल्टी को छायादार जगह रखें। केंचुओं का विकास 26-35 डिग्री सेन्टीग्रेड तापमान में अधिक होती है। खाद बनाने हेतु चाय की बची पत्ती, सब्जी के टुकड़ों, फलों के छिलके, कागज क टुकड़े, बचा हुआ खाना, सूखी पत्तियां लान की घास आदि डाला जा सकता है। जल्दी खाद तैयार करने के लिए बारीक टुकड़ों का प्रयोग करें। बीच में 10-15 दिन बाद उपर का मिश्रण नीचे लकड़ी से हिलाकर करें। लगभग 30-45 दिन में खाद बनकर तैयार हो जायेगा। इसे 12 मिलीमीटर जाली वाली छलनी में छान लें। बचा हुआ मिश्रण पुनः खाद बनाने में सक्रिय पदार्थ का काम देगा। एक परिवार के आवश्यकता बहुत सीमा तक पूरी की जा सकती है | आपकी बागवानी में रसायन रहित सब्जियां उगाकर आप स्वास्थ्यजनक खतरों से भी बचे रहेंगे। घरों की छतों पर भी सब्जियां उगाना महानगरों में बढ़ता जा रहा है घरेलू बागवानी की ऐसी अभिरूचि आत्मसन्तोष के साथ ही पर्यावरण संवर्धन में भी लाभदायी है।

राजस्थान राज्य में फल व सब्जियों का उपयोग क्रमशः 7 ग्राम/व्यक्ति/दिन एवं 40 ग्राम/व्यक्ति/दिन है जबकि विश्व खाद्य एवं कृषि संस्था के मापदण्डों के आधार पर यह 92 ग्राम/व्यक्ति/दिन व 280 ग्राम/व्यक्ति/दिन होनी चाहिए। पारिवारिक स्वास्थ्य में फलों एवं सब्जियों के उपयोग के मद्देनजर 5 व्यक्तियों के परिवार हेतु वर्मीखाद की आवश्यकतानुसार निम्नानुसार आंकी गई हैं:

5 फलदार पौधे- 5 किलों वर्मीखाद प्रति पौधा की दर से – 25 किलोग्राम

सजावटी गमले - 25 - 100 ग्राम प्रति मशाला - 2.5 किलोग्राम

सब्जियां - 10 वर्गमीटर क्षेत्रफल

750 ग्राम/वर्गमीटर/मौसम- तीन मौसम हेतु – 22.5 किलोग्राम

वर्मी खाद तैयार करने हेतु घरेलू कचरे का उपयोग किया जा सकता है। हमारे देश में घरेलू कचरा लगभग 500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अनुमानित है। इस कचरे में कार्बनिक पदार्थ 60 प्रतिशत आंका गया है। इस तरह प्रति परिवार 1.5 किलो घरेलू कचरा प्रतिदिन प्राप्त हो सकता है। वर्ष भर में यह मात्रा लगभग 5.0 क्विंटल बैठती है। लगभग 1600-1700 केंचुएं इस कचरे को प्रतिदिन पचाकर वर्ष भर में 2.5-2.75 क्विंटल वर्मी खाद तैयार कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के बाद दो क्विंटल वर्मी खाद बेचकर 600/- रू. की आर्थिक आमदनी भी हो सकती है। वर्मी खाद स्वयं तैयार करना एक लाभप्रद अभिरूचि बन सकती है।

उपरोक्त विधियों में यदि राख उपलब्ध हो तो जरूर देखें। राश आरम्भ में अम्लीय मिश्रण को समायोजित रखेगी, साथ ही खाद में पोटाश की मात्रा भी बढ़ेगी। अगर नीम की पत्तियां उपलब्ध हो सके तो अवश्य डाले ताकि दीमक नही पनम सकेगी। इस तरह आप वर्मी खाद स्वयं तैयार कर अपने बगीचे हेतु पोषक तत्वों की पूर्ति प्राकृतिक रूप में कर सकेंगे। वर्मीखाद बनाते समय हाथ के दस्तानों का उपयोग करें। ताकि कहीं कट लगे होने पर सुरक्षा हो सकेगी। क्योंकि सभी प्राकृतिक खादों में टिटनेस के कीटाणु हो सकते हैं।

### 'प्रोम'-टिकाऊ खेती के लिए उपयोगी खाद



उत्पादकता एवं मृदा उर्वरता के मध्य एक मजबूत सह-सम्बन्ध हैं एवं इसका महत्व बहुत पहले ही महसूस कर लिया गया था, किन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जबकि खेती जीवनयापन हेतु न की जाकर व्यवसायिक खेती की जा रही हैं, यह एक महत्वपूर्ण स्थान ले चुकी हैं। आज जबकि हमारे देश की जनसंख्या एक अरब का आंकड़ा पार कर चुकी है एवं इस समय खाद्य पदार्थों की काफी मात्रा में मांग हैं, यह एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारा देश इस बढी हुई मांग को उत्पादन में वृद्धि प्राप्त कर सकने में योग्य हैं। मगर यह तभी संभव हो पायेगा जब खेती में हम आधुनिक कृषिगत तरीकों के साथ-साथ कलि के आदानों पर सघन मंथन करें। उनमें मुख्य हैं : उर्वरक, दवा, उच्च, उत्पादक प्रजातियां व सिंचाई।

आधुनिक कृषि में रसायनों के असंतुलित उपयोग से मृदा स्वास्थ्य में कई प्रकार की विकृति आ रही है एवं उत्पादकता भी टिकाऊ न रह कर निरन्तर गिर रही है। इन परिस्थितियों में फास्फोरस युक्त जैविक खाद ' प्रोम ' एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस हेतु रॉक फास्फेट जो कि उदयपुर जिले की झामरकोरडा की खानों में बहुतायत से पाया जाता है, को कार्बनिक खाद(गोबर) व जैव उर्वरकों के साथ स्थितिवत पिलाकर सडा गलाकर तैयार किया जाता है। उक्त प्रोम खाद में मिलने वाले तत्व एवं विधि निम्न हैं:

क.सं.	तत्वों के नाम	प्रतिशत मात्रा
1	ऑर्गेनिक पदार्थ	52
2	नाइट्रोजन	2.3
3	फॉस्फोरस	2.4
4	पोटेशियम	1.6
5	कैल्शियम	3.5
6	सल्फर	1.4
7	मैग्नीशियम	1.2
8	लोहा	0.04
9	अन्य	3.5
10	नमी	30

#### फास्फोरस युक्त जैविक खाद बनाने की विधि :

इस खाद कसे बनाने हेतु गोबर जैव अपशिष्ट मिश्रण व रॉक फास्फेट (34/74) को 15:1 के अनुपात में मिलाकर आयताकार गडडे में जिसकी लम्बाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर तथा गहराई 1/2 मीटर में डालकर 20 दिन तक सडाते हैं, इसमें पश्चात् एक टन मिश्रण में 5 पैकेट पी.एस.बी. को अच्छी तरह पलटते हुए मिलाते है तथा 30 प्रतिशत नमी बनाये रखने के लिए प्रतिदिन गर्मियों में दो बार तथा सर्दियों में एक बार पानी का छिडकाव करते हैं। इस खाद को प्रत्येक 20 से 25 दिन में अच्छी तरह पलटते रहते है। इस विधि से 95 से 105 दिन में फास्फोरस युक्त जैविक खाद बनकर तैयार हो जाती हैं। अगर किसान भाई चाहे तो टाईकोडार्मा फफूंद भी इस मिश्रण में मिला सकते हैं।

#### फास्फोरस युक्त वर्मीकम्पोस्ट बनाने की विधि :

इस खाद को बनाने हेतु उपर बताये गये जैविक पदार्थों को 20 दिन पश्चात पी. एस.बी. मिलाते हुए 3 फीट चौड़ी, 1.5 फीट उंची तथा आवश्यकतानुसार लम्बाई की खाई बनाकर केंचुएं छोड़ देते है व 30 प्रतिशत नमी बनाये रखते हैं। इस विधि से 50-60 दिन में फॉस्फोरस युक्त वर्मी कम्पोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाती हैं।

फास्फोरस युक्त जैविक खाद वैकल्पिक व सस्ते फास्फोरस स्रोत के रूप में जैविक खेती मे उपयोग कर विभिन्न फसलों की अधिक उपज ली जा सकती हैं। यह खाद न केवल तत्कालीन फसल के लिए उपयोगी है बल्कि मृदा में फास्फेट की सतत उपलब्धता बनी रहने से आगे बोई जानी वाली फसलों में भी लाभ पहुंचाती हैं।

### **फसलों में जीवाणु खाद का उपयोग**

वायुमण्डल की नत्रजन व भूमि के फास्फोरस को पौधों को उपलब्ध कराने वाले जीवाणुओं को जीवित अवस्था में लिग्नाइट व कोयले के चूरे में मिलाकर जीवाणु खाद बनाया रखा जाता है। जीवाणु खाद में इन लाभदायक जीवाणुओं की संख्या एक ग्राम में दस करोड़ से अधिक रखी जाती हैं। ये जीवाणु तीन प्रकार के होते हैं।

#### **राइजोबियम**

ये जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों पर गुलाबी रंग की गांठे बनाकर उनमें रहते है तथा हवा में से नत्रजन लेकर पौधों को उपलब्ध कराते है। अलग-अलग फसल के लिये राइजोबियम की अलग-अलग प्रजाति होती हैं।

#### **एजेटोबेक्टर**

यह जीवाणु खाद, गैर दलहनी फसलों में उपयोग की जाती है। एजेटोबेक्टर जमीन में स्वतन्त्र रूप से रहकर हवा की नत्रजन को ग्रहण कर भूमि में छोड़ते हैं। यह नत्रजन पौधों को उपलब्ध हो जाती है।

### **फास्फेट विलेयक जीवाणु (पी.एस.बी.)**

फसलों को फास्फोरस मुख्यतः डीएपी एवं सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में दिया जाता है। इसका एक बड़ा भाग जमीन में अधुलनशील हो जाता है। जिसे पौधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पी.एस.बी. इसी अधुलनशील फास्फोरस को पौधों को घुलनशील बनाकर उपलब्ध कराता है।

### **जीवाणु खाद उपयोग विधि**

#### **बीजोपचार**

आवश्यकतानुसार पानी में 250 ग्राम गुड़ घोलें। इसे ठंडा कर इसमें 600 ग्राम जीवाणु खाद घोलें। अब इस घोल को एक हैक्टेयर क्षेत्र की बीजों पर छिड़कते हुए हल्के हाथों से बीजों को पलटते जावें। जिससे बीजों के ऊपर जीवाणु खाद की एक बारीक परत चढ़ जावे। अब बीजों को किसी छायादार स्थान पर सुखाकर शीघ्र ही बुवाई कर दें।

#### **जड़ोपचार**

पौधे की जड़ों को रोपाई से पूर्व जीवाणु खाद के घोल में लगभग 15 मिनट तक डुबो कर रखें तथा बाद में इनकी भूमि में रोपाई करनी चाहिए।

#### **भूमि उपचार**

जीवाणु खाद को 25 किलो गोबर मिश्रित नम मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिलाकर पूरे खेत में सांयकाल छिटक कर सिंचाई कर दें।

#### **सावधानियां**

जीवाणु खाद को पैकेट पर लिखी फसल के लिए ही पैकेट पर अंकित अन्तिम तिथि से पूर्व प्रयोग करें। जीवाणु खाद को रासायनिक उर्वरकों एवं दवा के साथ नहीं मिलाना चाहिए।

## जैव उर्वरकों के प्रकार

जैव उर्वरक मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं।

1. नत्रजनीय जैव उर्वरक
2. फास्फोरस जैव उर्वरक

### नत्रजनीय जैव उर्वरक :

ऐसा अनुमानित है कि पूरी धरती पर प्रतिवर्ष लगभग 250 मिलियन टन वायुमण्डलीय नत्रजन विभिन्न तरीकों से स्थिरीकृत होकर योगिक रूप में उपयोग होती है। इसमें से लगभग 30 मिलियन टन वर्षा ऋतु में प्राकृतिक विद्युत डिस्चार्ज से, 50 मिलियन टन उद्योगों द्वारा स्थिरीकृत की जाती है। इस अनुमान से यह सिद्ध होता है कि जैविक नत्रजन स्थिरीकरण प्रक्रिया नत्रजन चक्र की एक प्रभावी कड़ी है। नत्रजनीय जैव उर्वरकों में ऐसे ही नत्रजन अलग-अलग वातावरणीय परिस्थितियों के लिये अलग-अलग जीवाणुओं की किस्में एवं प्रजातियों प्रयोग की जाती है। इनमें प्रमुख हैं राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्परिलम एवं एसिटोबैक्टर।

### फास्फोरस जैव उर्वरक:

प्राकृतिक रूप में फास्फोरस मिट्टी, जल जैविक खाद, सभी पौधों, जन्तुओं एवं सूक्ष्म जीवों में विभिन्न कार्बनिक व अकार्बनिक रूपों में विद्यमान हैं। कृषि योग्य भूमि में भी फास्फोरस अल्प से अधिक मात्रा तक में विद्यमान हैं। परन्तु अम्लीय मिट्टी में अधिकांश फास्फोरस अघुलनशील अवस्था में होने के कारण पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। अम्लीय मिट्टी में रासायनिक फास्फोरस खाद का 80-90 प्रतिशत तक हिस्सा कुछ ही दिनों में अघुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। प्रकृति में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव उपलब्ध हैं जो अपनी जैविक क्रिया द्वारा इस अघुलनीय फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदल देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मृत वानस्पतिक एवं अन्य जीव अवशेषों में बंधित फास्फोरस को सडन क्रिया द्वारा घुलनशील अवस्था में बदलकर मुक्त करते रहते हैं।

फास्फोरस जैव उर्वरक फास्फोरस घोलक जीवाणुओं का उत्पाद हैं। कुछ प्रमुख जीवाणु जो कि फास्फोरस जैव उर्वरकों में प्रयोग किये जा रहे हैं वे हैं, बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस, पेनीसिलियम एवं वेम फफूंद जैसे ग्लोमस एवं गिगास्पोरा इत्यादि।

## जैव उर्वरकों की प्रयोग विधि

### जैव उर्वरकों का चयन:

जैव उर्वरकों के उपयोग से पूरा लाभ उठाने के लिये यह अतिआवश्यक है कि फसल के लिये सही जैव उर्वरकों का चुनाव किया जाय और नत्रजन एवं फास्फोरस दोनों पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नत्रजनीय एवं फास्फेटिका जैव उर्वरक समान मात्रा में एक साथ प्रयोग किये जायें।

### (क) दलहनी एवं लेग्यूम तिलहन फसलों के लिये :

दलहनी फसलें जैसे मूंग, उडद, मसूर, चना, मटर, अरहर, ग्वार, मोठ, चौला एवं बीन्स तथा लेग्यूम तिलहन जैसे सोयाबीन, मूंगफली तथा चारा फसलें जैसे रिजका, बरसीम इत्यादि के लिये राइजोबियम एवं फास्फेट घोलक जैव उर्वरक समान मात्रा में केवल बीज उपचार रूप में प्रयोग करें। ध्यान रहे राइजोबियम फसल विशिष्ट होने के कारण अलग-अलग फसलों के लिये अलग-अलग पैकेट होते हैं अतः राइजोबियम, बोई जानी वाली फसल के अनुरूप उसी फसल का होना चाहिये।

### (ख) गैर दलहनी फसलों के लिये :

लेग्यूम फसलों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, धान, मक्का, बाजरा, जई, जौ, सरसों, तिल्ली, प्याज, आलू, गन्ना तथा सभी प्रकार की सब्जी वाली फसलें एवं बागवानी फसले इस श्रेणी में आती हैं।

यदि मिट्टी हल्की संरचना की जैसे रेतीली लोम या रेतीली हैं और नमी कम से कम मध्यम तक अपेक्षित है तो एजोटोबैक्टर और फास्फेट घोलक जैव उर्वरक प्रयोग करें।

यदि मिट्टी भारी संरचना की जैसे काली चिकनी मिट्टी या लोम हैं और नमी अधिक से बहुत अधिक है तो एजोस्फिरिलम और फास्फेट घोलक जैव उर्वरक प्रयोग करें।

यदि मिट्टी और अन्य अवस्थाएँ मिली जुली हैं। तो एजोटोबैक्टर, एजोस्फिरिलम और फास्फेट घोलक जैव उर्वरक 1:1:2 के अनुपात में प्रयोग करें।

### **प्रयोग विधि :**

विभिन्न फसलों में जैव उर्वरक का प्रयोग निम्न तीन तरीकों से किया जा सकता है। ध्यान रखें लेग्यूम फसलों में राइजोबियम का प्रयोग केवल बीज उपचार विधि द्वारा ही किया जाना है।

### **बीज उपचार विधि :**

बुवाई किये जाने वाले प्रत्येक 10 से 12 किलों बीज के लिये 200 ग्राम (एक पैकेट) नत्रजनीय जैव उर्वरक एवं 200 ग्राम फास्फेट घोलक जैव उर्वरक पर्याप्त हैं। लगभग 300-400 मि.ली. पानी में दोनों जैव उर्वरकों को मिलावें और एक मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रित घोल को धीरे-धीरे 10 किलों बीज के ढेर पर डाले और हाथ से तब तक उलटते पलटते जायें जब तक कि सभी बीजों पर जैव उर्वरक की समान परत न चढ़ जाये। उपचारित बीजों को छाया में सुखायें और तुरन्त बुवाई कर दें। यदि बोई जाने वाली भूमि अम्लीय है तो बीज उपचार के तुरन्त बाद प्रत्येक 10 किलो बीज पर एक किलो खडिया पाउडर या बुझा-चुना पाउडर छिड़क कर अच्छी प्रकार बीजों के साथ मिला दें और यदि मिट्टी क्षारीय है तो 10 किलों बीज पर एक किलों जिप्सम पाउडर छिड़कें तथा तुरन्त बुवाई शुरू कर दें।

### **पौध जड़ उपचार विधि :**

यह विधि रोपाई की जाने वाली फसलों में प्रयुक्त की जाती है। सब्जी वाली फसलों के लिये प्रति एकड़ एक किलों एजोटोबैक्टर/एजोस्फिरिलम एवं एक किलो फास्फेटिका को 5 से 10 लीटर पानी (आवश्यकतानुसार) में मिलाये। एक एकड़ में रोपाई की जाने वाले पौधों की जड़ों को इस धोल में लगभग 20-30 मिनट तक डुबों कर रखें और तुरन्त रोपाई करें। रोपाई किये जाने वाले धान के मामले में प्रति एकड़ 2 किलों एजोस्फिरिलम एवं दो किलो फास्फोटिका की आवश्यकता होगी। इसके लिये खेत के एक कोने में 2 मीटर गुणा 1.5 गुणा 0.25 मीटर की एक क्यारी बनाये और 2 इंच तक पानी भरें। जैव उर्वरक की वांछित मात्रा इस क्यारी में डालकर पानी में अच्छी प्रकार मिला दें। एक एकड़ में रोपाई किये जाने वाले धान की पौध जड़ों को इस घोल में 8-12 घंटे तक (रात भर) डुबोकर रखें और उसके बाद रोपाई करें।

### **भूमि उपचार:**

भूमि उपचार के लिये पौधों की संख्या एवं रोपाई किये जाने वाले कंद की मात्रा के अनुरूप प्रति एकड़ 2-4 किलो एजोटोबैक्टर/एजोस्फिरिलम एवं 2-4 किलो फास्फोटिका की आवश्यकता होती है। लगभग 50 से 100 किलो कम्पोस्ट के दो भाग कर अलग 2 ढेर बनायें। एक ढेर में कुछ पानी के साथ नत्रजनीय जैव उर्वरक एवं दूसरे ढेर में कुछ पानी के साथ फास्फोटिका जैव उर्वरक भली प्रकार मिलायें। इन दोनों ढेरों को ढक कर रात भर के लिए छोड़ दें। अगले दिन दोनों ढेरों को अच्छी तरह मिलाकर प्रयोग करें। अम्लीय भूमि में इस ढेर में लगभग 25 किलों बुझा-चुना पाउडर भी मिला दे। बागवानी फसलों में इस जैव उर्वरक कम्पोस्ट मिश्रण को पौधों की जड़ों के आस पास की मिट्टी में मिला दें। कुछ फसलों में इस मिश्रण को पूरे खेत में समान रूप से छिड़ककर मिट्टी में मिलाकर भी प्रयोग किया जाता है। गन्ने, आलू, अदरक, हल्दी अरबी इत्यादि में नालियों में पहले जैव उर्वरक-कम्पोस्ट मिश्रण डालकर

उसके उपर कंद रखें व मिटटी से ढक दें। गन्ने की फसल में बुवाई पश्चात् 30 से 40 दिन बाद मिटटी चढाते समय भी इस मिश्रण का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा तभा करना चाहिये जब बुवाई किये जाने वाले टुकडों या कंदों को पौध संरक्षण रसायनों से उपचारित किया हो।

## **फसल अवशिष्ट प्रबन्धन एवं खरपतवार नियंत्रण**

### **फसल अवशिष्ट प्रबन्धन:**

कृषि में अवशिष्ट का मतलब है " विभिन्न पदार्थ का वह भाग जो कि फसल उत्पादन के बाद भूमि में या अलग से बचा रहता है। इसमें कार्बनिक व अकार्बनिक रूप में विभिन्न पोषक तत्व पौध संरक्षण रसायन तथा फसल का उपयोग न हान वाल माग शामिल हैं।

फसल-अवशिष्ट उत्पादित फसल के पौधों का वह अनुपयोगी भाग है जो या तो कटाई के बाद खेत में बचा रह जाता है या फसल की गहाई व दाने निकालने के बाद शेष बचा रहता है। जैसे भूसा, धान की भूसी, मँगफली के छिलके व मक्का का गुदा इत्यादि। सभी फसल अवशिष्ट रेशे, उर्जा, चारा व पौध पोषणों के उपयुक्त स्रोत हैं परन्तु यदि उनका पौध पोषणों के रूप में ही पुनः प्रयोग किया जाये तो यह उनका सर्वोत्तम उपयोग होगा। फसल अवशिष्ट के उचित प्रयोग से भूमि में न केवल पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होती है बल्कि भूमि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में भी सुधार होता है। चूंकि इनका प्रयोग इनके उत्पादन स्थल पर ही होता है। अतः परिवहन खर्च का कोई प्रश्न नहीं उठता है तथा फसल का अनुपयुक्त भाग होने के कारण इनकी कोई विशेष कीमत भी नहीं होती है। इनके प्रयोग से न तो स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या उठती हैं और न ही भारी धातु तत्वों के इकट्ठा होने से मिटटी की पी. एच. बदलने और लवणीकरण का कोई खतरा उत्पन्न होने का अंदेशा होता है।

### **फसल अवशिष्ट के प्रभावी प्रबन्धन के लिये कुछ कार्य बिन्दु:**

प्रभावी प्रबन्धन के लिए अवशिष्ट का पूर्व उपचार जैसे सुखाना, काटना इत्यादि अति आवश्यक हैं। अच्छी तरह उपचारण के बाद अवशिष्ट को सतह पर समान रूप से फैलायें।

अधिक कार्बन: नत्रजन अनुपात के अवशिष्ट के प्रयोग से सड़न प्रक्रिया के कारण कुछ समय के लिये मृदा में उपलब्ध नत्रजन में कमी आ सकती है परन्तु यह एक अस्थायी अवस्था है। कुछ ही दिनों सा सप्ताह में सूक्ष्म जीव अतिरिक्त कार्बन को क्षाति कर देंगे और विभिन्न पोषण तत्व धीरे-धीरे उपलब्ध अवस्था में आने लगेंगे। सड़न प्रक्रिया को तीव्र करने एवं अच्छे परिणामों के लिये अवशिष्ट पर कम्पोस्ट उत्प्रेरक जैव टीका स्प्रे कर भूमि में मिला देना चाहिये और मिलाने के 15 से 30 दिन बाद बुवाई करनी चाहिये।

नत्रजन में घनी सांद्र जैविक खाद जैसे तिलहन खली इत्यादि, लेग्यूम हरी खाद के साथ अवशिष्ट के समन्वित प्रयोग से अधिक कार्बन: नत्रजन अनुपात के अवशिष्ट के प्रयोग से होने वाले अस्थायी कुप्रभावों से बचा जा सकता है।

अवशिष्ट के अवयव जैसे सैल्यूलोज, लिग्निन इत्यादि की मात्रा, नमी पोषण क्षमता के अनुरूप अवशिष्ट के प्रयोग से होने वाले अस्थायी कुप्रभावों से बचा जा सकता है।

भूक्षरण की रोकथाम के लिये अवशिष्ट को भूसतह पर समान रूप से फैलायें।

ढलवाँ क्षेत्रों में भूक्षरण की रोकथाम के लिए मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले अधिक अवशिष्ट की आवश्यकता होगी। इसके साथ-साथ अन्य भूसंरक्षण उपाय जैसे घास की छलनी पट्टियों का प्रयोग, पानी की नालिया, कन्ट्र फार्मिंग इत्यादि का भी प्रयोग किया जाना चाहिये। यदि पानी की नायिला टेरेस व कन्ट्र खाइयाँ पहले से बनी हैं तो अवशिष्ट के अधिकाधिक प्रयोग से उक्त प्रक्रियाओं की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। और खाइयों में मिटटी के कम जमाव से इन प्रक्रियाओं के रख रखाव खर्च में कमी आती है।

### **खरपतवार नियंत्रण:**

नत्रजन में घनी सांद्र जैविक खाद जैसे तिलहन खली इत्यादि, लेग्यूम हरी खाद के साथ अवशिष्ट के समन्वित प्रयोग से अधिक कार्बन: नत्रजन अनुपात के अवशिष्ट के प्रयोग से होने वाले अस्थायी कुप्रभावों से बचा जा सकता है।

अवशिष्ट के अवयव जैसे सैल्यूलोज, लिग्निन इत्यादि की मात्रा, नमी पोषण क्षमता के अनुरूप अवशिष्ट के प्रयोग से होने वाले अस्थायी कुप्रभावों से बचा जा सकता है।

भूक्षरण की रोकथाम के लिये अवशिष्ट को भूसतह पर समान रूप से फैलायें।

ढलवा क्षेत्रों में भूक्षरण की रोकथाम के लिए मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले अधिक अवशिष्ट की आवश्यकता होगी। इसके साथ-साथ अन्य भूसंरक्षण उपाय जैसे घास की छलनी पट्टियों का प्रयोग, पानी की नालिया, कन्टूर फार्मिंग इत्यादि का भी प्रयोग किया जाना चाहिये। यदि पानी की नाथिला टेरेस व कन्टूर खाइयों पहले से बनी हैं तो अवशिष्ट के अधिकाधिक प्रयोग से उक्त प्रक्रियाओं की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। और खाइयों में मिट्टी के कम जमाव से इन प्रक्रियाओं के रख रखाव खर्च में कमी आती है।

### **खरपतवार नियंत्रण:**

खरपतवार वह अनचाहा पौधा है जो फसल के पौधों के साथ-साथ उगता है और फसल की उचित बढवार में बाधक हैं। आमतौर पर ये अनचाहे पौधे, फसल के पौधों के साथ धूप, नमी, हवा व पोषक तत्वों में अपना हिस्सा बंटाकर फसल की बढवार एवं उत्पादन क्षमता को प्रभावित करते हैं। जैविक कृषि तकनीक में खरपतवार नियंत्रण को अलग से एक समस्या न मानकर पूरी प्रबन्धन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है। तथा पूरी प्रक्रिया एवं पर्यावरण की आवश्यकताओं व सीमाओं को ध्यान में रखकर उनका हल निकाला जाता है। जैविक कृषि तकनीक में खरपतवार नियंत्रण प्रणालियों की प्रमुखतया दो समूहों में बांटा जा सकता है:

- (1) खेती विधा एवं भौतिक नियंत्रण प्रणालियां तथा
- (2) जैविक नियंत्रण प्रणालियां।

### **1. खेती विधि एवं भौतिक नियंत्रण प्रणालियां:**

इस प्रणाली के अन्तर्गत आने वाली सभी विधियां यद्यपि बहुत कम खर्चीली व भौतिक प्रकार की है और पर्यावरणीय रूप में पूर्ण सुरक्षित हैं परन्तु उनका प्रबन्धन बहुत ध्यान से किया जाना जरूरी है।

**1.1 जुलाई :-** खेत की जुलाई कर खरपतवार नियंत्रण एक अति प्राचीन प्रक्रिया है जो जुलाई के विभिन्न तरीकों द्वारा तथा जुलाई के विभिन्न उपकरणों जैसे डिस्क हैरों, हल इत्यादि के प्रयोग से बुवाई से पहले, बुवाई के बाद या खडी फसल में की जा सकती है। जुलाई द्वारा खरपतवार नियंत्रण के प्रमुख चरण निम्न प्रकार हैं:

मिट्टी में उपयुक्त नमी कर खरपतवार बीजों को उगने देना और बाद में भौतिक साधनों से जुलाई कर उन्हें उखाड या काटकर नष्ट करना। खरपतवार की जड़ों व वानस्पतिक प्रजनन के अन्य अंगों की मिट्टी के उपरी सतह पर लाना जहां वे धूप में सुखकर मर जायेंगी। बार-बार जुलाई करने पर खरपतवारों प्रजनन में फुल व बीज न बनने देना जिससे उनका फैलाव कम हो जायेगा।

डिस्क हैरो व हल (chisel plough) प्राथमिक जुलाई के लिए उत्तम उपकरण हैं। डिस्क हल तथा हैरा बुवाई के लिए खेत तैयार करने में उत्तम हैं तथा छोटे हल, डिस्क, छड खरपतवार उन्मूलक तथा रोटरी हो इत्यादि बुवाई के बावजूद खरपतवार नियंत्रण में प्रभावी हैं। नई तकनीक में कम जुलाई करने वाले यंत्र जिनसे अवशिष्ट कटाई, मिट्टी में मिलाना व मेड बनाने जैसे काम एक साथ किये जाते हैं का जैविक कृषि में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

सिंचाई व जुलाई प्रक्रियाओं का यदि सही समय व सही स्थान पर प्रयोग किया जाय तो इसका बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इन सभी प्रकार की जुलाई तकनीकों का प्रमुख उद्देश्य है खरपतवारों की बढवार को बाधित कर मुख्यफसल के पौधों को निर्वाध गति से बढने देना जिससे वे संसाधनों के दोहन में खरपतवारों से आगे निकल सकें।

**1.2 हाथ से निराई करना :-**

हाथ से खरपतवार पौधों की निराई कृषि जितनी पुरानी तकनीक हैं। इस तकनीक में सभी प्रकार के खरपतवार पौधों को हाथ से उखाड़कर या कुछ छोटे यंत्रों द्वारा काटकर अलग किया जाता है हालांकि यह तकनीक बहुत प्रभावी हैं परन्तु अत्याधिक मानव श्रम की आवश्यकता के कारण बहुत महंगी भी हैं। आज भी देश के अनेक भागों में, खासकर पिछड़े क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग होता है ओर इस प्रक्रिया से बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है।

### 1.3 मल्लिचंग :-

मल्लिचंग वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि की खुली सतह को विभिन्न फसल अवशिष्ट जैसे भूसा, पत्तियां, कम्पोस्ट इत्यादि की एक परत से ढक दिया जाता है। हाल ही के कुछ वर्षों से प्लास्टिक की काली अपारदर्शी चादर को भी मल्लिचंग में प्रयोग किया जाने लगा है परन्तु यह एक मंहगी प्रक्रिया है। मल्लिचंग से धूप की रोशनी में व्यवधान के कारण खरपतवार बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है।

### 1.4 आग से जलाना:-

विभिन्न बागवानी फसलों जैसे फल बागानों से व कपास के खेतों में खरपतवार के लिये आग की लपटों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके लिये विशेष प्रकार क प्रोपेन बर्नर की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के प्रयोग के पीछे अवधारणा यह है कि जब कपास व अन्य बागवानी फसलों के पोधे करीब 15-20 इंच से बड़े हो जायें और उनके तने मोटे व सख्त हो जायें तो वे आग की लपटों से अधिक प्रभावित नहीं होंगे जबकि खरपतवार पौधे जो कि छोटे-छोटे होते हैं और भूमि की सतह पर 3-4 इंच उचे ही होते है, आग की लपटों से जल जायेंगे। प्रत्येक सिंचाई के बाद आने वाली खरपतवार फसल को इसी प्रकार लपटों के बार-बार प्रयोग से जलाकर नष्ट किया जा सकता है।

### 1.5 फसल चक्र:-

जैविक कृषि अवधारणा में जैव विविधता को बनाये रखने और भूमि को वनस्पति युक्त रखने के लिए फसल चक्र निर्धारण को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विभिन्न फसल चक्रों से खरपतवार समस्या पर भी प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। प्राकृतिक रूप में कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो कुछ विशिष्ट फसलों के साथ डूकेही उगते हैं और अगर उनकी ऐसी चहेती फसलों की लगातार खेती की जाय तो उन खरपतवारों का नियंत्रण बहुत मुश्किल हो जायेगा। परन्तु इन खरपतवारों पर अगले मौसम में भिन्न प्रकार की फसल उगाकर नियंत्रण किया जा सकता है। फसल चक्र के निम्न सिद्धान्तों के पालन करने पर खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है।

- प्रतियोगी और गैर प्रतियोगी फसल चक्र का उपयोग (जैसे खाद्यान्न, दलहन चक्र या चारा फसल व कपास चक्र इत्यादि)
- फसल चक्र में कभी खेत खाली रखकर चकीय चराई कराना।
- खरपतवारों को कम करने व उनकी बढवार को प्रभावित करने हेतु छाया करने वाली फसलों का प्रयोग।
- चारा लेग्यूम फसलों के साथ खाद्यान्न फसलों की बुवाई।
- गर्मियों में खेत को खाली छोडना तथा
- कैच, कवर व ट्रैप फसलों का प्रयोग ।

### 1.6 प्रबन्धन में सावधानियां:-

खरपतवार के बीजों से युक्त फसल बीजों का प्रयोग खरपतवार के फैलाव का सबसे बड़ा कारण है, और यह समस्या वहां अधिक है जहां किसान प्रमाणीकृत बीजों के स्थान पर अपने उगाये बीजों का प्रयोग करते हैं। पशुमल, विशेषकर भेड व बकरियों के मल को बिना सडाये प्रयोग करने पर भी खरपतवार के फैलाव का काफी अंदेशा रहता है। कटाई, गहाई व दाने निकालने के पश्चात् इकठा किये गये खरपतवारों बीजों को कही भी फेंक देने के बजाय जलाकर नष्ट कर देना चाहिये। खेत में कटाई के बाद भूसे को जलाने से भी खरपतवार बीज नष्ट हो जाते हैं। परन्तु जैविक खेती प्रक्रिया में इस पद्धति को बहुत सीमित किया गया है। कुछ कृषि पद्धतियां कुछ विशेष खरपतवारों की बढवार को प्रोत्साहित करती हैं। इन पद्धतियों में बदलाव कर इन खरपतवारों की रोकथाम की जा सकती है।

## 2. जैविक खरपतवार नियंत्रण:-

जैविक नियंत्रण में खरपतवारों के प्राकृतिक शत्रुकीटों एवं व्याधिकारक जीवाणुओं का प्रयोग कर उन पर दबाव बढ़ाया जाता है। विभिन्न अनुसंधानों द्वारा अनेक प्रकार की चींटियों व कीटों तथा व्याधिकारक फफूंदों की खोज की गई है जो खरपतवार नियंत्रण में प्रभावी हैं।

### 2.1 प्राकृतिक शत्रु कीटों का प्रयोग:-

चूंकि प्राकृतिक शत्रु कीट केवल कुछ विशिष्ट पौधों पर ही आक्रमण करते हैं अतः विशिष्ट खरपतवार को ध्यान में रखकर तथा समस्या की गंभीरता के अनुसार उचित शत्रु कीट का चयन करना चाहिये। इस जैविक नियंत्रण विधा में निम्न चरण महत्वपूर्ण हैं –

1. लक्षित खरपतवार का चयन।
2. उपयुक्त शत्रु कीट का चयन एवं
3. शत्रु कीट का प्रजनन कर उनकी जनसंख्या वृद्धि करना और उसके प्राकृति स्थापन में सहायता करना।

शत्रु कीटों द्वारा खरपतवार नियंत्रण की शुरुआत यद्यपि सन 1985 से ही शुरू हो गई थी परन्तु विशेष प्रयास एवं सफलताएं पिछले कुछ दशकों में ही मिल पाई है। इकेपछ विकसित देशों में जैविक कृषि फार्मों पर उनका प्रयोग भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है परन्तु भारत में इस दिशा में कार्य अभी पिछले कुछ वर्षों से ही शुरू हुआ है और बड़े स्तर पर इनका प्रयोग किया जाना शेष है।

### 2.2 व्याधिकारक फफूंद का प्रयोग:-

कुछ फफूंद प्रजातियां जैसे आल्टरनेरिया आइकोरनेटा, सर्कोस्पोरा पियारोपी, राइजोक्टोरिया सोनेनाई जलकुंभी की रोकथाम में काफी प्रभावी हैं। कोलेक्ट्रोटाइकम ग्लोइयोस्पोरोइडिम फफूंद धान एवं सोयाबीन के खरपतवार नियंत्रण में सहायक हैं। इसी प्रकार ऐसी फफूंदियों की एक लम्बी सूची है जिनसे अनेक खरपतवारों की वृद्धि को रोका जा सकता है। इकम ग्लोइयोस्पोरोइडिम फफूंद धान एवं सोयाबीन के खरपतवार नियंत्रण में सहायक हैं। इसी प्रकार ऐसी फफूंदियों की एक लम्बी सूची है जिनसे अनेक खरपतवारों की वृद्धि को रोका जा सकता है या उन्हें पूर्ण रूप से नष्ट किया जा सकता है। इन फफूंदी खरपतवार नाशक बनाये गये हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन जैसे देशों में बड़ी मात्रा में प्रचलित है।

फफूंदी खरपतवार नाशकों का प्रयोग इस सिद्धान्त पर आधारित है कि यदि विशिष्ट प्राकृतिक व्याधिकारक को बहुत अधिक मात्रा में उस विशिष्ट खरपतवार पर उसकी बढ़वार के विशिष्ट चरण पर स्प्रे कर दिया जाय तो उस खरपतवार का पूरी तरह से उन्मूलन किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर उपयोग किये जा रहे हैं विभिन्न फफूंदी खरपतवार नाशकों में कुछ प्रमुख फफूंद हैं कालेक्ट्रोटाइकम ग्लोइयोस्पोराइडिस, सर्कोस्पोरा रोडमनाई, फाइटोपथोरा पालमीवोरा तथा आल्टरनेरिया केसिआई। पक्सीनिया एबरप्टा वैरा, पाथीनिकोला जो कि रोली व्याधिकारक फफूंद हैं, कॉग्रिस घास की रोकथाम में काफी प्रभावी हैं।

## कीट प्रबन्धन:

फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीट मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के कीट पौधों का रस चुसकर एवं वायरस का संक्रमण फैलाकर नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें मोयला या अँपा, हरा, तेला, थ्रिप्स, लाल मकड़ी, सुन्दर झंगा आदि प्रमुख कीट हैं। इन हानिकारक कीटों के प्रकृति में अनेक दुश्मन मौजूद हैं जैसे लेडीबर्ड बीटल, काइसोपा व मकड़ी। काइसोपा अब प्रयोगशालाओं में तैयार किये जाने लगे हैं।

दूसरे प्रकार के कीटों में सूपिडया प्रमुख है जो फसलों को काटकर एवं कुतरकर हानि पहुंचाती हैं। प्रकृति में इन कीटों के दुश्मन भी मौजूद हैं इनमें ट्राइकोग्रामा के द्वारा लटों के अण्डों से निकलने से पहले ही नष्ट किया जा सकता है। अतः फसल के अनुसार इनका प्रयोग किया जा सकता है।

तीसरे प्रकार के कीट भूमि में रहते हैं। ये फसल की जड़ों को काटकर खाते हैं। इनमें दीमक व सफेद लट प्रमुख हैं। कच्चा देशी खाद एवं फसल के बिना सड़े अवशेष खेत में डालने से दीमक का प्रकोप बढ़ता है। अतः अच्छी तरह सड़ी-गली कम्पोस्ट खेत में बुवाई से एक



माह पहले मिला देवें। दीमक नमी से दूर भागती है अतः खेत में नमी की भी कमी नहीं रहे। दीमक के बिल को खोदकर रानी को नष्ट कर दें।

चौरासे की पहली भारी वर्षा के समय सफेद लट क प्रौढ जमीन से निकलते हैं। रात में ये कीड़े नीम, बेर, खेजड़ी को खाते हैं। साथ ही प्रकाश पर भी आते हैं। पेड़ों को खाते भृग को दूसरे दिन इकट्ठा कर मार दे। इसके अलावा प्रकाश पाश द्वारा भी भृगों को पकड़ कर मार दे। लट से बचने के लिए एक हैक्टैयर भूमि में 10-12 टन नीम की खली मिलायें। इससे सभी प्रकार के जमीन के कीड़ों से फसल बचची रहती हैं।

प्रकृति में यदि दो दुश्मन कीट एवं मित्र कीट मौजूद हैं तो फसलों में किसी भी प्रकार की दवाओं के छिड़काव की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मित्र कीटों की उपस्थिति के बावजूद कभी-कभी कीड़ों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो सकता है। ऐसी स्थिति में सुण्डियों के नियंत्रण के लिए बी.टी., एन.पी.वी. आदि का उपयोग प्रभावी होता है। नीम की पत्तियों का रस, नीम, तेल, नीम की खली एवं नीम के तेल में उपस्थित उजडिरेक्टिन बहुत प्रभावी कीटनाशक का काम करता है। यह सभी प्रकार के कीड़ों का नियंत्रण करने में सक्षम है इनके अतिरिक्त फेरोमेन, ट्रेप, प्रकाशपाश द्वारा भी प्रौढ कीटों को पकड़कर नष्ट किया जा सकता है।

### **बीमारियों का प्रबन्ध:**

जैविक तरीकों से बीमारियों की रोकथाम कीड़ों के बजाय कठिन होती है। अतः रोगों से बचने के लिए शुरू से सावधान रहना आवश्यक है:

1. भूमि के जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करनी चाहिए। इससे जमीन में छुपे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं।
  2. एक ही फसल की बुवाई लगातार नहीं करनी चाहिए। इससे फसल में लगे कीटाणुओं को अगले मौसम में पौषक पौधे नहीं होने से भोजन नहीं मिलेगा और मर जायेंगे।
  3. रोगरोधी उन्नत किस्मों की बुवाई करनी चाहिए। क्योंकि इनमें रोगों से लड़ने की शक्ति होती है।
  4. बीज को गर्मी की तेज धूप में सुखायें। इससे बीज में मौजूद जीवाणु मर जाते हैं।
  5. ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद हैं। यह रोग फैलाने वाली फफूंद की बढवार रोक देती है। अतः बीज को ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके बोयें। इससे भूमि एवं बीज जनित रोगों से एक हद तक छुटकारा मिल सकता है।
  6. फसल में रोगी पौधों को देखते ही उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। इसके दो फायदे होंगे। पहला रोग का फैलाव नहीं होगा। दूसरा, जमीन में जीवाणुओं की संख्या कम होगी इससे अगले वर्ष फसल पर रोग का प्रकोप कम होगा।
- इस प्रकार जैविक खेती में समेकित पोषक तत्व प्रबन्ध एवं समेकित नाशीजीव प्रबन्ध में प्रकृति में उपलब्ध जैविक घटकों का आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाता है।

### **मित्र कीटों का संरक्षण:**

सभी कीट फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले दुश्मन कीट नहीं होते हैं। कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को नष्ट करते हैं। अतः कीट नियंत्रण केवल रसायनों से ही नहीं होता बल्कि जीवों जीवस्य भोजनम के सिद्धान्त पर प्रकृति भी कीट नियंत्रण करती है। इन लाभकारी कीटों को हम मित्र कीटों के नाम से जानते हैं। इनमें से कुछ लेडी बर्ड बीटल, वास्प, काईसोपा, बग, मेन्टिस, रोबर मक्खी, डेगन मक्खी विभिन्न प्रकार की मकड़ियां आदि हैं। इनके अतिरिक्त इनकी संख्या को मछलियां, मेढक, छिपकली, साँप, कौवे, मैना व कट फोडवा आदि नियंत्रित करने में सहायक होते हैं।

परभक्षी कीटों में लेडी बर्ड बीटल प्रमुख हैं। इसकी विभिन्न प्रजातियों मोयला/पा/माहू, तेला, स्केल, मिलीबग आदि कीटों के नियंत्रण में प्रमुख योगदान देती हैं। इनकी वयस्क अवस्था प्रतिदिन 50 मोयला खा जाती हैं।

मेन्टिस की संख्या हालांकि कम होती है लेकिन से कई प्रकार के कीड़ों को खाती हैं। लेसविग, एफिड एवं कोमल शरीर वाले कीड़ों का भक्षण करते हैं तथा कए दिन में करीब 160 कीटों को खा जाता है।

## कायसोपा :

हरे पंखवाला कीट होता है। ये मोयला, सफेद मक्खियों, चूर्णवत छोटे कीड़ों और अण्डों तथा कपास क बीज के गोले के कीड़ों के शुरूआती अवस्था की सुण्डियों/लटों को खाकर जिन्दा रहती है। जैविक खेती को सफल बनाने के लिए इन मित्र कीट के अनुपात में उपस्थित है। तो किसी प्रकार के कीटनाशक का छिडकाव करना जरूरी नहीं है।

## ट्राइकोग्रामा-मित्र कीट:

ट्राइकोग्राम एक मित्र कीट है, आकार में इतना छोटा होता है कि एक आलपिन के सिर पर 8-10 वयस्क एक साथ बैठ सकते है। यह कीट लेपिडोप्टेरा समूह के हानिकारक कीड़ों के अण्डों में अपने अण्डे देकर अपना जीवन चक्र शुरू करता है एवं प्यूपा अवस्था तक परपोषी के अण्डों में ही रहता है। वयस्क अवस्था में बाहर निकलकर पुनः हानिकारक कीटों के अण्डों में अपने अण्डे देना प्रारम्भ कर देता है। इसका जीवन चक्र गर्मी में 8-10 दिन में एवं सर्दी में 9-12 दिन में पूरा होता है।

## उपयोग की विधि:

एक कार्ड पर लगभग बीस हजार अण्डे होते हैं। ट्राइकोग्राम परजीवी के वयस्क निकलने की संभावित तिथि से एक दिन पूर्व खेत में कार्ड की पिट्टियों को अलग-अलग कर पौधे की निचली पत्तियों के साथ बांध देना चाहिये। यह कीट 5-7 मीटर तक ही उड़ सकता है। अतः खेत में ट्राइकोकार्ड की पहली पट्टी लगाना चाहिये ताकि पूरे खेत में परजीवी समान रूप से फैल जावें।

गन्ना में जड़ बेधक, तना, बेधक, शीर्ष बेधक हेतु 50000 अण्डे (2.5 ट्राइकोकार्ड) प्रति हैक्टेयर, फसल रोपाई के 45 दिन बाद से 4-6 बार 10 दिन के अन्तराल से छोड़े। कपास में विभिन्न प्रकार के टिण्डा बेधक के लिए 1,50,000 अण्डे प्रति हैक्टेयर बुवाई के 45 दिन बाद से 6 बार एक सप्ताह के अन्तराल से छोड़े। मक्का में तना छेदक के लिए 75,000 अण्डे बुवाई के 45 दिन बाद से 6-10 दिन के अन्तराल से छोड़े। धान में तना छेदक के लिए 50,000 अण्डे प्रति हैक्टेयर बुवाई के 30 दिन या रोपाई के बाद से 6 बार एक सप्ताह के अन्तराल से छोड़े। टमाटर व बैंगन में फल छेदक के लिए 50,000 अण्डे प्रति हैक्टेयर 45 दिन बाद से 6 बार एक सप्ताह के अन्तराल से छोड़ें।

## सावधानियां:

1. ट्राइकोकार्ड का वयस्क निकलने की तिथि से एक दिन पूर्व सुबह अथवा शाम के समय खेत में लगाना चाहिए।
2. यथा संभव प्रकाश की सीधी किरणों ट्राइकोकार्ड की पट्टी पर नहीं पड़ें।
3. जिस खेत में परजीवी छोड़े गये हो उसमें ट्राइकोकार्ड लगाने के 10-15 दिन पूर्व एवं बाद तक किसी कीट नाशक रसायन का प्रयोग नहीं करें।

ट्राइकोग्राम 30 ₹. प्रति ट्राइकोकार्ड की दर से राज्य में स्थित स्टेट बायो कंट्रोल प्रयोगशाला दुर्गापुरा , आई पीएम प्रयोगशाला एटीसी तबीजी, अजमेर, चित्तोडगढ, छत्रगढ-बूंदी, मलिकपुर, भरतपुर रामपूरा, जोधपुर, हनुमानगढ, टाउन तथा बांसवाडा से सीधे अथवा कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं।

## जैविक खेती में ट्रेप का महत्व:

### फेरामोन ट्रेप :

प्रकृति ने नर मादा प्रोढ कीड़ों को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करने के लिए विशेष प्रकार के गन्ध हारमोन्स से नवाजा है। इन्हें फेरोमोन कहते है। वैज्ञानिकों ने इन्ही हारमोन्स को पहचान कर इनमें से कुछ का प्रयोगशालाओं में कैप्सूल के रूप में तैयार कर लिया है। प्रयोगशाला में तैयार ये फेरोमोन हारमोन्स प्राकृतिक हारमोन्स में कई गुणा शक्तिशाली हैं। फेरामोन ट्रेप में इन्हें पाश के उपर लगाया जाता है तो ये अपने गुण के अनुसार नर या मादा अथवा दोनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं इससे :

1. नर मादा संभोग नहीं कर पाते हैं इससे मादा अगली पीढ़ी को जन्म नहीं दे पाती हैं।
2. प्रोढ कीट पाश में फस जाते हैं। इसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है।
3. प्रोढ कीट की उपस्थिति ज्ञान हो जाती है इससे लट की प्रथम अवस्था के समय ही कीटनाशी का प्रयोग कर इसका प्रभावी नियंत्रण संभव है।

#### **ट्रेप फसल:**

जिस प्रकार मानव को कुछ चीजें खाने में अच्छी व रहने में आरामदायक लगती है ठीक उसी प्रकार कीड़ों को भी अण्डे देने व खाने के लिए कुछ पौधों/ फसल की तरफ आकर्षित होते हैं। इन्हीं फसल पौधों को ट्रेप फसल कहते हैं। कीड़ों की इसी आदत का उपयोग इसके नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हरी सुण्डी के प्रोढ कपास, टमाटर, आदि फसलों के बजाय हजारों के पौधों पर पहले अण्डे देना पसन्द करते हैं। अतः कपास के खेत में बीच-बीच में यदि हजारों की पौधों की बुवाई की जावे तथा हरी सुण्डी के प्रोढ की उपस्थिति ज्ञान होने के उपरान्त सम्पूर्ण खेत में कीटनाशक का छिडकाव करने के बजाय केवल हजारों के पौधों पर छिडकाव करना पर्याप्त है।

#### **प्रकाश पाश:**

वर्षा के मौसम में प्रकाश पर प्रोढ तितलियां, मौथ, भुंग आदि को अपने साथी की तलाश में मढराते देखा जाता है। रोशनी की तरफ आकर्षित होने वाले ये कीट फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले ज्यादातर कीड़ों के माँ व पिता होते हैं। इनकी संतान फसल को हानि पहुंचाती हैं। इन प्रोढ कीटों की रोशनी की तरफ आकर्षित होने की आदत का लाभ उठाने के लिए प्रकाश पाश बनाया गया है। प्रकाश पाश के लिए बिजली का बल्ब अथवा लालटेन को खेत में लगाये। उसके नीचे एक परात/तगारी तथा गडडा बनाकर उसमें मिटटी का तेल मिलाकर अथवा कीटनाशक मिलाकर पानी भर दें। सांयकाल से रात 10 बजे तक बिजली का बल्ब अथवा लालटेन जलायें। प्रकाश पर आने वाले प्रोढ कीट बल्ब अथवा लालटेन से टकराकर नीचे पानी में गिर कर मर जाते हैं। इस प्रकार फसल के नुकसान पहुंचाने वाली लटों को जन्म देने वाले मां व पिता ही मर जाते हैं और फसल पर कीड़ें देखने को भी नहीं मिलते हैं।

**प्रमुख वनस्पति जन्य कीटनाशी गुण पौधे, कीटनाशी उत्पादन बनाने की विधियां एवं जिन कीटों का नियंत्रण संभव है उनका विवरण**

पौधे का नाम	कौन से कीटों का नियंत्रण संभव है	कीटनाशक अर्क/या घोल बनाने की विधि
गुलदाउदी ( <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> )	एफिड, सफेद मक्खी, Spider mite मीली बग	500 ग्राम ताजा फूलों को 5 लीटर पानी में डालकर उबालें। काढ़ा बन जाने पर ठंडा कर छान लें समान मात्रा के पानी व 30 मि.ली. साबुन का घोल डालकर स्प्रे रूप में प्रयोग करें।
	दीमक एवं जानवरों पर चिपकने वाले कीड़े	500 ग्राम फूलों के सूखे चूर्ण को 500 ग्राम अदरक का तेल तथा 3 लीटर खाना पकाने वाले तेल में डालकर उबालें। ठंडा होने पर प्रत्येक दीमक
		पहाड़ी में 10-15 मि.ली. 7-10 दिन के अंतराल पर 3-4 बार डालने पर दीमक वह जगह छोड़कर अन्यत्र चली जायेगी। जानवरों की खाल पर इस तेल की मालिश करने से उन्हें चिपकने वाले कीड़ों (Ticks) से बचाया जा सकता है।
बेल पत्र ( <i>Aeglo marmelos</i> )	बेलपत्र के पत्ती एवं फल अर्क के प्रयोग से अनेक प्रकार के पत्ती खाने वाले एवं रस चूसने वाले कीटों को भगाया जा सकता है।	ताजा पत्तियों एवं फलों को अच्छी तरह कुचल कर पानी में मिलायें तथा 15-20 मिनट तक उबालें। छाने हुए अर्क को स्प्रे रूप में प्रयोग करें।
सरसों व राई ( <i>Brassica nigra &amp; B. juncea</i> )	राई के ताजा पत्तों का अर्क जूट में तना गलन रोग के रोकथाम में प्रभावी है। सरसों की पत्तियों के अर्क से धान के बर्न स्पॉट रोग की रोकथाम होती है।	ताजा पत्तियों को पानी में कुचलकर 10 मिनट तक उबालें। ठंडाकर छान लें और स्प्रे रूप में प्रयोग करें।
अरंडी ( <i>Recinus communis</i> )	अरंडी का तेल मक्का व अन्य फसलों में वीविल, एफिड तथा इल्लियों के लिये प्रतिकर्षी का काम कर उनका फैलाव रोकता है। अरंडी की खली एक अच्छी खाद के साथ-2 अनेक मृदा जनित कीटों के लिये प्रतिकर्षी भी है।	अरंडी के तेल को पानी में मिलाकर एक इमल्शन बनायें और स्प्रे रूप में प्रयोग करें।
चौलमूगरा ( <i>Hydnocarpus curzii</i> )	तेल के प्रयोग से जूट, आलू तथा नींबू में तना	पानी तथा इमल्सीफायर के घोल में 2.5 से 3

<i>H. laurifolia</i> & <i>H. wightiana</i> & <i>H. alpine</i> )	व फल गलन रोग की रोकथाम की जा सकती है। खली से अनेक प्रकार के मृदा जनित कीटों को दूर रखा जा सकता है।	प्रतिशत तेल मिलाकर स्प्रे करें। अच्छे परिणाम के लिये इस घोल में थोड़ी साबुन भी मिला लेनी चाहिये।
चम्पा ( <i>Michelia champaca</i> )	फूलों का अर्क अनेक कीटों के लिये प्रतिकर्षी का काम करता है और मच्छरों की इल्लियों को नष्ट करता है।	ताजा फूलों को पानी में कुचलकर अर्क बनायें और छानकर स्प्रे रूप में प्रयोग करें।
चाय ( <i>Camellia sinensis</i> & <i>C. indica</i> )	उपयोग पश्चात् बची सूखी चाय की पत्तियाँ, गुलाब के लिये एक अच्छी खाद के साथ कीटनाशक का भी काम करती है।	उपयोग पश्चात् बची चाय की पत्तियों को सुखाकर बारीक पीस लें और मिट्टी में मिला दें।
सीताफल ( <i>Anona squamosa</i> )	बीज एवं पत्तियों के अर्क के स्प्रे से धान, बैंगन व गेहूँ में डायमंड ब्लैक मोथ, फली छेदक तथा कुछ अन्य कीटों की रोकथाम होती है।	1 लीटर पानी में 25 मी. ली. अर्क मिलाकर स्प्रे करें।
धतूरा ( <i>Datura metal</i> )	पत्तियों का अर्क फफूँदी की रोकथाम में प्रभावी है तथा गेहूँ व धान में रोली की रोकथाम में उपयोग किया जा सकता है। धतूरे को भंडारण कीटों की रोकथाम के लिये भी प्रयोग कर सकते हैं।	रोली की रोकथाम के लिये सूखी पत्तियों का महीन चूर्ण बनाकर फसल पर भुरकाव करें। पत्तियों के अर्क को स्प्रे रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। भंडारण में 10 ग्राम पत्तियों का चूर्ण प्रति किलो बीज में मिलाकर रख सकते हैं।
सैजना ( <i>Moringa oleifera</i> &	जड़ एवं पत्ती अर्क एक प्रभावी जीवाणु नाशक	ताजा पत्तियों व जड़ों को पानी में कुचलकर 5-10



<i>M. pretrygosperma</i> )	है। तथा सब्जी वाली फसलों, फलों एवं बागवानी पौधों में जड़ गलन की रोकथाम में प्रभावी है।	मिनट तक उबालें तथा ठंडा कर व छान कर प्रयोग करें।
प्याज ( <i>Allium cepa</i> )	प्याज की गाँठ का सूखा पाउडर अनेक प्रकार की फफूँदी जन्य रोगों की रोकथाम में सहायक है। प्याज का अर्क भी प्रभावी पाया गया है।	गाँठ को सुखाकर पीस लें और महीन चूर्ण रूप में भुरकाव करें अर्क बनाने के लिये ताजा प्याज को पानी में कुचलकर छान लें और स्प्रे करें।
सौंफ ( <i>Foeniculum vulgare</i> )	सौंफ की पत्तियों का अर्क एक प्रभावी कीट नाशक है और अनेक प्रकार की सब्जी वाली फसलों तथा फूल वाले पौधों पर प्रयोग किया जा सकता है।	सौंफ निकालने के पश्चात् शेष बचे पौधों व पत्तियों को पानी में कुचलकर उबालें व काढ़ा बना लें। छने हुए काढ़े को कीटनाशक के रूप में पानी में मिलाकर स्प्रे करें।
मेथी ( <i>Trigonella foenum graceum</i> )	ताजा पत्तियों का अर्क अनेक प्रकार के कीटों के रोकथाम में प्रभावी है।	पत्तियों को पानी में अच्छी तरह कुचल कर उबालें और ठंडा कर छान लें। इस काढ़े को कीटनाशक के रूप में पानी में मिलाकर स्प्रे करें।
क्लमीसाग ( <i>Ipomea raptans</i> )	ताजा पत्तियों का अर्क या सूखी पत्तियों की धूल धान, गेहूँ व कपास के इयर हैड बग, शीथ रोट, रोली व बर्न स्पॉट विमारी की रोकथाम में प्रभावी है।	सूखी पत्तियों को पीस कर चूर्ण बनायें और पतले कपड़े से छान लें। इस धूल/चूर्ण का भुरकाव करें। अर्क बनाने के लिये पत्तियों को पानी में कुचलकर छान लें। इस अर्क का 5 से 10 प्रतिशत घोल स्प्रे रूप में प्रयोग करें।

उपरोक्त सुझाये गये नुरखों में से अनेक नुरसे आदिवासियों एवं अन्य किसानों द्वारा सदियों से प्रयुक्त किये जा रहे है। कुछ नुस्से हाल के कुछ वर्षों में अग्रगामा किसानों द्वारा विकसित किये गये है।

प्रगामी किसानों द्वारा विकसित कुछ वनस्पति जन्य कीटनाशक बनाने की विधिया

नुस्सा क.1

- किसी तांबे के बर्तन में 3 किलो कुचली हुई नीम की पत्तियां , एक किलो निम्बोली चूर्ण लगभग 10 लीटर गोमूत्र में मिलाये और सील कर रख दें
- 10 दिन पश्चात् इस घोल को तब तक उबालें तब तक कि एक आधा न रह जाये।
- एक दूसरे बर्तन में 500 ग्राम तीखी हरी मिर्च को एक लीटर पानी में कुचले और रात भर में लिये छोड़ दें।
- एक तीसरे बर्तन में 250 ग्राम लहसुन को एक लीटर पानी में कुचलें और रात भर के लिए छोड़ दें।
- अगले दिन तीनों घोलों को मिलाकर (उबला गोमूत्र घोल, मिर्च घोल व लहसुन घोल) छान लें।
- उम्दा कीटनाशी तैयार हैं। इसका प्रयोग लगभग सभी प्रकार की फसलों में अनेक प्रकार की कीटों को नियंत्रित करने में किया जा सकता है।

## नुस्सा क.2

- एक 200 लीटर के ड्रम में 5 किलो निम्बोली चूर्ण, 1 किलो करंज बीज चूर्ण, 5 किलो बेशरम की पत्तियां तथा 5 किलो नीम की पत्तियों को कुछ पानी में कुचलें।
- इसमें 10-12 लीटर गोमूत्र मिलायें, और ड्रम को उपर तक पानी से भर दें।
- ड्रम को ढक्कन बंद कर दें और 8-10 दिन तक सड़ने दें।
- 8 दिन पश्चात इस घोल का आसवन करें और आसवित द्रव को इकठा करें।
- यदि आसवित द्रव न केवल अच्छा कीटनाशी है वरन् इसके उपयोग से पौधों को बढवार भी अच्छी होती है। एक ड्रम से प्राप्त आसवित द्रव एक एक के लिए पर्याप्त है। इसे 300-400 लीटर पानी में मिलाकर एक एकड से स्प्रे करें।
- इस कीटनाशी को कुछ महीनों तक भंडारित किया जा सकता है।

## जैविक कृषि के अन्तर्गत क्या करें, क्या न करे

### (अ) कृषि एवं उद्यान:-क्या करें

1. मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी/अधिकता जानने के लिए मिट्टी तथा जल का परीक्षण कराएं।
2. कृषकों द्वारा उत्पादित/प्रकृति प्रदत्त जैव अवशेष तथा बायो एजेन्ट के प्रयोग में निर्मित जैविक खादों, कीटनाशी एवं फफूंदनाशी का प्रयोग करें।
3. गहरी जुताई कर हरी खाद व केंचुए का अधिकाधिक प्रयोग करें।
4. जैव उर्वरकों(राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम आदि) का प्रयोग सिफारिश के आधार पर करें। रासायनिक तत्वों से मुक्त जल से सिंचाई करें।
5. वैज्ञानिक फसल चक्र अपनाएं, फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश अनिवार्य रूप से करें।
6. फसलों/उद्यानिकी वृक्षों की उचित प्रजातियों के जैविक बीज/पौधों का प्रयोग करें।
7. फसलों/फल वृक्षों के रोग व कीट नियंत्रण हेतु जैविक तरल खाद/तरल कीटनाशी बायो पेस्टीसाइड, जैविक बीजोपचार (सूर्चकिरण, गरम जल उपचार, अग्निहोत्री) जैसी परम्परागत पद्धतियों का प्रयोग करें। बीजों को बुवाई से पूर्व अनिवार्य रूप से जैव पद्धतियों द्वारा उपचारित करके ही बुवाई करें।
9. खरपतवार नियंत्रण हेतु समय-समय पर निराई-गुडाई, समय पर बुवाई, रोपण, बुवाई की सही पद्धति का चयन तथा अन्त फसल पद्धति को अपनाएं।

10. मल्लिचंग हैतु जैव अवशेष का प्रयोग करें। फसल अवशेष को खेत में ही मिटटी में मिला दें।
11. कृषि वानिकी।
12. नाइट्रोजन स्थिरकारी पौधों यथा अकेशिया जैसे प्रजातियों के रोपण को बढ़ावा दें।
13. फसलों की कटाई भौतिक परिपक्वन अवस्था पर ही करें।
14. उत्पाद की समुचित सफाई, छंटनी एवं प्रसंस्करण करें तथा जैविक विधि से भण्डारित करें।
15. विविधकृत कृषि को बढ़ावा दें जैसे फसलोत्पादन के साथ-साथ पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन जड़ी बूटी उत्पादन आदि को अपनाएं।
16. जैविक बाड को बढ़ावा दें। जल व भूमि संरक्षण हेतु प्राकृतिक पद्धतियों को अपनाएं।

क्या नहीं करें:

1. रासायनिक उर्वरको/ कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग न करें।
2. फसल अवशेष/जैव अवशेष को न फैलावें।
3. कारखानों में प्रदूषित जल/सीवरेज जल से फसलों की सिंचाई न करें।
4. खेत की कम से कम जुताई कर मृदा की संरचना को कम से कम हानि पहुंचाएं।
5. पर्यावरण प्रदूषित करने वाली पद्धतियों का न अपनाएं।
6. मित्र कीट/जन्तुओं को क्षति न पहुंचायें।
7. दलहनी/तिलहनी फसलों की कटाई जमीन की सतह से करें न की पौधों की जड़ से उखाड़ें।
8. बिना मार्गदर्शन के नया जैविक उत्पाद प्रयोग में न लावें।

**(ब) पशुपालन -क्या करें:**

1. पशुओं से मानवता पूर्ण व्यवहार करें।
2. पशुओं एवं उनके रहने के स्थान को स्वच्छ आरामदेह एवं कीटाणु रहित रखें।
3. पशुओं को स्वच्छ जैविक चारा एवं दाना दें।
4. पशुओं से उनकी क्षमता के अनुसार निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ही कार्य लें।
5. चारा फसले, घास, चारा पौधों के रोपण उत्पादन को बढ़ावा दें।
6. पशुओं को नाद विधि से चारा दें।
7. शुष्क दूधवाला को बढ़ावा दें।
8. पशुओं के कीट, पिस्सू व पेट के कीड़ों का नियंत्रण जैविक विधि से करें।
9. स्थानीय गौवंशीय प्रजातियों को बढ़ावा दें।
10. प्रतिदिन कम से कम 4 घण्टे स्वतंत्र रूप से घुमाएं।

**(स) वन -क्या करें:**

1. वृक्षारोपण को बढ़ावा दें विशेष कर जैविक कृषि हेतु उपयुक्त नीम, बरगद, बकैन, बाज आदि का रोपण करें।
2. सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन दें। जंगलों में रहने वाले जानवरों का संरक्षण करें।
3. जंगलों में अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगावें। सिल्वीपाश्चरल विधि को बढ़ावा दें।
4. जंगलों में चौड़ी पत्ती, चारा पत्ती व फलदार वृक्षों का रोपण करें।



5. वर्षा के तुरन्त बाद पौधों की वानस्पतिक एवं स्टोल मल्टिंग करें। आवश्यकतानुसार रोटेशन ग्रेडिंग करावें।

### क्या न करें:

1. वृक्षों की कटाई न करें।
2. पशुओं को अत्यधिक न चरावें।
3. जंगलों में रहने वाले जीव जन्तुओं को क्षति न पहुंचावें।
4. पर्यावरण को प्रदूषित न करें।

### भारत में जैविक खेती की कठिनाईयां

हमारे देश में ऐसी बहुत सारी कम्पनियां हैं जो जैविक कृषि तकनीक द्वारा विभिन्न सब्जीवाली फसलें, फल, बागवानी फसलें, मसाले वाली फसलें तथा चाय इत्यादि उत्पादन कर उन्हें प्रमुखतय नीदरलैंड व जर्मनी को निर्यात करती हैं। इन कम्पनियों के साथ जुड़े किसानों को अपने उत्पादों के प्रमाणीकरण एवं विपणन की चिंता नहीं करनी पड़ती है। परन्तु छोटे व मझोले किसानों के लिये बहुत मुश्किल काम है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नियमन की आवश्यकता है। सन् 90 के दशक में अर्जेंटीना में वहां के किसानों एवं सरकार ने मिलकर जैविक खेती के कुछ सिद्धान्त व दिशा निर्देश बनाये जो कि यूरोपीय संघ को भी स्वीकार्य थे। इसी दिशा में अभी हाल ही में भारत सरकार ने विपणन मंत्रालय के अन्तर्गत जैविक खेती के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की है और अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से " जैविक खेती के राष्ट्रीय मानक" भी बनाकर जारी किये हैं। जैविक कृषि उत्पादन में उत्पादों का विपणन सबसे कठिन है और उपभोक्ताओं में इस दिशा में जानकारी का अभाव एवं जागरूकता की कमी सबसे बड़ी बाधा है। इसके अलावा जैविक कृषि उत्पादों की अधिक कीमत भी इसे केवल उच्च वर्ग एवं विदेशियों तक ही सीमित कर रही है। जर्मनी और आस्ट्रेलिया ही इसके अपवाद हैं जहाँ जैविक कृषि उत्पादों का हिस्सा कुल कृषि उत्पादन का 2-3 प्रतिशत है।

अनेक संस्थान एवं जागृति अभियान जैविक कृषि तकनीक के प्रचार प्रसार में लगे हैं और वांछित प्रक्रियाओं एवं योजनाओं का उनके अनुरूप बनाने हेतु प्रयासरत हैं। जून 2001 में विदेश निर्यात के महानिदेशक द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके अन्तर्गत यह प्रावधान है कि वे सभी कृषि उत्पाद जो प्रमाणीकरण संस्था की देख रेख में उपयुक्त जैविक कृषि तकनीक द्वारा उगाये गये हैं को प्रमाणीकरण जैविक कृषि उत्पाद घोषित किया जायेगा। प्रमाणीकरण संस्थायें एपीडा, काफी बोर्ड, मसाला बोर्ड या चाय बोर्ड द्वारा प्राधिकृत होनी चाहिये।

### सन्दर्भग्रन्थाः –

1. राधा . डी.काले 1998 अर्थवर्म सिन्ड्रोला ऑफ ओर्गेनिक फार्मिंग . पिज्म बुक प्रा.लि.बैंगलोर ।
2. राव 1998 C.A.Z.A.R.I.
3. रैना , जी.एल. 1997 Agricultural Geography , Pointer Publishers Jaipur
4. सायमन्स एल. 1968 Agricultural Geography , G.Bell , Sons Ltd. London
5. शुक्ला , अभिषेक 2006 जैविक खेती एवं कीट रोग प्रबन्धन
6. शुक्ला , दीनानाथ एवं यशवन्त सिंह जयपुर 1998 आधुनिक कृषि विकास में वैज्ञानिक प्रबन्ध की आवश्यकता विज्ञान गरीमा , सिन्धु कृषि विज्ञान विशेषांक ।

7. सिंह , जगदेव 2003 जैविक खेती की अवधारणा ।
8. सिंह , छिददा 1985 रबी फसलों की वैज्ञानिक खेती एवं शस्य विज्ञान के सिद्धान्त भारती , भारत प्रकाशन मेरठ
9. सिंह , एस.पी. 1996 साईटिस्ट होर्टीकल्चर , जोधपुर ।
10. शेखर , एन.आर. कटेवा , एम.के. 1990 प्रोम तकनीक का विकास

## महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन एवं कांग्रेस की प्रतिक्रिया

गौरव

शोध-छात्र,

मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग,  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत।

**सारांश** - महात्मा गांधी का भारत में असहयोग आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका में उनके स्वनिर्मित सत्याग्रह के विचारों पर आधारित था। जिसके मूल तत्व सत्य व अहिंसा थे। महात्मा गांधी अपने विचारों और संघर्षों को लेकर दक्षिण अफ्रीका में पिछले 23 सालों से प्रयोगशील रहे थे। जिनके आधार पर उनकी एक विशिष्ट राजनीतिक शैली निर्मित हो चुकी थी। भारत की परिस्थितियों के अनुसार, वह उनमें संशोधन कर उन्हें भारत में संघर्ष के अनुकूल बना रहे थे। इसी अनुकूलन का एक उत्पाद असहयोग के रूप में उद्घाटित हुआ। असहयोग की रणनीति का उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वहाँ के शासन-प्रशासन में भारतीयों की कोई उपस्थिति नहीं थी। जिससे कि सरकार से असहयोग करके उन्हें झुकाया जा सके। परन्तु यहाँ भारत में असहयोग के लिए समुचित आधार उपस्थित थे। भारत में ब्रिटिश प्रशासन मूलतः भारतीयों के सहयोग पर ही आधारित था। यदि भारतीय अंग्रेजी प्रशासन एवं संस्थाओं से स्वयं को अलग कर लें तो भारत में अंग्रेजों का शासन करना असंभव हो जाता। इसी तथ्य की उपयोगिता पर गांधी का असहयोग आंदोलन आधारित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने जन्म से मूलतः एक नरमपंथी उदारवादी राजनीतिक संस्था थी। जो ब्रिटिश उदारवादी संवैधानिक संघर्ष की पद्धति का अनुसरण करते हुए उत्तरोत्तर संवैधानिक सुधारों की माँग करती थी। यद्यपि बंगाल विभाजन(1905) से उत्पन्न रोष ने कांग्रेस को कुछ समय के लिए गरमपंथी नेताओं के प्रभाव में ला दिया था। परन्तु शीघ्र ही वह अपनी पुरानी राजनीतिक प्रणाली का अनुसरण करने लगी। जो असहयोग आंदोलन के प्रारम्भ होने से पूर्व तक कमोबेश उसी पथ पर चलती रही। महात्मा गांधी ज्ञापन व याचना आधारित संवैधानिक राजनीति का मार्ग छोड़ सत्य व अहिंसा आधारित सत्याग्रह का मार्ग अपना चुके थे। वहीं, कांग्रेस अब भी संवैधानिक राजनीति के मार्ग पर थी। ऐसे में, उसके लिए गांधी के असहयोग आंदोलन के मार्ग को अपना लेना सहज नहीं रहा होगा। असहयोग आंदोलन एवं उसके प्रति कांग्रेस की क्रमिक प्रतिक्रिया का अध्ययन इस शोध पत्र में किया गया है।

**मुख्य शब्द-** महात्मा गांधी, असहयोग, आंदोलन, कांग्रेस।

महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेदी सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह संघर्ष में विजयी होकर 1915 के प्रारम्भ में भारत पहुँचे। अपने राजनीतिक गुरु गोखले की सलाह का अनुसरण करते हुए गांधी ने एक वर्ष तक राजनैतिक क्रिया-कलापों से दूर, भारत-भ्रमण करते हुए पूरे देश की स्थिति का सूक्ष्म अवलोकन किया। गांधी ने भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से प्रवेश बिहार के एक जिले चम्पारण में किसानों की समस्या से किया। गांधी ने चंपारण में निलहे किसानों की समस्या का अवलोकन करने के पश्चात 'भारत में सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग का निश्चय किया।'<sup>1</sup> ये किसी नए चमत्कार से कम नहीं था

कि भारतीय राजनीति उनका पहला क़दम किसानों के बीच से निकला। चम्पारन सत्याग्रह के पश्चात उन्होंने **अहमदाबाद मिल मजदूरों व खेड़ा किसानों की समस्याओं** में सफलता पूर्वक हस्तक्षेप करते हुए समस्याओं का निदान किया। ये तीनों मुद्दे अपनी प्रकृति में स्थानीय थे। इनमें से किसी का विषय राष्ट्रीय प्रकृति का अथवा देश की सम्पूर्ण जनता से सम्बन्धित नहीं था।

महात्मा गांधी ने राष्ट्रव्यापी स्तर का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन **रौलेट क़ानून** के विरुद्ध किया। रौलेट सत्याग्रह का प्रारम्भ बहुत साधारण रूप में किया गया। गांधी ने जनता से प्रार्थना-उपवास रखकर आत्म शुद्धि के द्वारा इसे आरम्भ करने का निर्देश दिया। किसी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए उन्होंने इसके लिए रविवार (6 अप्रैल, 1919) के अवकाश का दिन निश्चित किया। गांधी ने मजदूरों को सलाह दी कि, "जिनके कार्यदिवस रविवार को भी हैं, वे अपने मालिकों की अनुमति से ही सत्याग्रह में भाग लें।"<sup>2</sup> यह भारत में प्रथम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन था। गांधी आरम्भ में ही किसी प्रकार के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना चाहते थे। 'इसी रौलेट ऐक्ट के पारित होने से जनता में जो उत्तेजना फैली उसके चलते ही पहली बार एक अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन आरम्भ किया गया।'<sup>3</sup>

महात्मा गांधी ने अपने सत्य-अहिंसा आधारित सत्याग्रह के नवीन विचार का निर्माण एवं प्रयोग अपने दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष में किया। गांधी सत्याग्रह की नीति अपनाने से पूर्व, अपने कार्यों में नरमदलीय संवैधानिक पद्धति का प्रयोग करते थे। परंतु उन्होंने नरमदलीय **याचना व ज्ञापन** की पद्धति की अप्रभाविता को स्पष्ट रूप से देखा। इसके पश्चात ही उन्होंने भारतीय प्रवासियों के हितों के लिए एक शांतिपूर्ण संघर्षशील सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रमुख प्रयोग **सविनय अवज्ञा** के रूप में हुआ।

परन्तु भारत में गांधी ने सविनय अवज्ञा को पीछे रखते हुए असहयोग के विचार को प्रथम स्थान दिया। इसका कारण भारत की परिस्थितियों का दक्षिण अफ्रीका से भिन्न होना था। गांधी ने भारत में अंग्रेजी औपनिवेशिक सरकार के 'शासन आधार' को 1909 ई. में लिखी अपनी पुस्तक **हिन्द स्वराज** में ही स्पष्ट कर दिया था। भारत में अंग्रेजों की विजय एवं उनके यहाँ स्थायी रूप से टिके रहने का कारण स्पष्ट करते हुए गांधी ने लिखा, 'हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने हमसे लिया नहीं, हमने खुद उन्हें सौंप दिया। हिंदुस्तान में वे अपने बल से नहीं टिके हैं, हमने उन्हें टिका रखा है।'<sup>4</sup>

गांधी भारतीयों द्वारा अंग्रेजों को प्रदान किये जा रहे सहयोग को समाप्त करने के लिए असहयोग को अपना हथियार बनाया। यह विडम्बना ही थी कि भारत पर ब्रिटिश गुलामी की बेड़ियाँ स्वयं भारतीय लोहे से निर्मित थी। उल्लेखनीय तथ्य है कि भारत में अंग्रेजी शासन नाम-मात्र के अंग्रेजों द्वारा किया जाता था। 'अंग्रेज भारत में उसकी सम्पूर्ण जनसंख्या के कभी भी 0.05 प्रतिशत से अधिक नहीं रहे।'<sup>5</sup> 1911 की जनगणना के अनुसार, भारत के ब्रिटिश प्रदेशों एवं देशी राज्यों को मिलाकर कुल जनसंख्या लगभग 31.6 करोड़ थी।<sup>6</sup> उस समय 164000 अंग्रेज भारत में रह रहे थे, जिनमें से 66000 सेना और पुलिस तथा 4000 प्रशासनिक सेवा में थे।<sup>7</sup> अंग्रेजों की मात्र इतनी संख्या भारत जैसे विशाल देश को अपने अधीन जकड़े हुए थी। निःसंदेह एक बहुत बड़ी संख्या में भारतीय साम्राज्य के प्रति सहयोगी प्रवृत्ति अपनाए हुए थे। गांधी ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन से सहयोग वापस लेने को प्रेरित करने हेतु असहयोग आंदोलन प्रारम्भ किया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अपने जन्म से एक नरमदलीय संवैधानिक उदारवाद की नीति पर चलने वाली राजनीतिक संस्था थी। बंगाल विभाजन (1905) से उत्पन्न जन-आक्रोश ने उसे कुछ समय के लिए गरमपंथ की तरफ झुका दिया था। जिसके प्रभाव में कांग्रेस ने गैर-संवैधानिक राजनीतिक संघर्ष **स्वदेशी व बहिष्कार** को अपना समर्थन दिया।<sup>8</sup> परन्तु कांग्रेस के सूरत विभाजन (1907) के साथ गरमपंथी तौर-तरीकों को तिलांजलि देकर पुनः नरमदलीय संवैधानिक मार्ग अपना लिया गया। बाल गंगाधर तिलक के जेल से छूटने पर नरम व गरम दल 1916 में पुनः एक हुए। इसके बावजूद कांग्रेस की नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उसका लक्ष्य "वैध उपायों द्वारा भारतीय साम्राज्य के निवासियों के स्वार्थों और हितों को बढ़ाना" घोषित किया गया। उसने संवैधानिक माध्यमों से चरणबद्ध रूप में साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करने का अपना वचन पुनः दोहराया। जब तिलक और एनी बेसेंट ने अपना **होमरूल आंदोलन** चलाना चाहा तो उन्हें कांग्रेस से किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। परिणामतः उन्होंने कांग्रेस से बाहर निर्मित 'होमरूल लीग'

के माध्यम से अपना आंदोलन संगठित किया। यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि तिलक और बेसेंट के उद्देश्य कांग्रेस के उद्देश्य से भिन्न नहीं थे। सभी औपनिवेशिक स्वशासन हेतु संघर्षशील थे, अंतर केवल पद्धतियों का था।

प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारम्भ से ही भारतीय जनता की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी, जो युद्ध के अंत तक काफ़ी बिगड़ चुकी थी। उसके हालात को मौसम और दुनिया भर में फैले स्पेनिश फ्लू ने और भी बदतर बना दिये थे। समाजिक-आर्थिक स्थिति का राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ना निश्चित ही था। युद्ध के अंतिम समय तक भारतीय राजनीतिक वातावरण पर असन्तोष के बादल छा चुके थे। तिलक-बेसेंट के होमरूल आंदोलन का प्रभाव जोरों पर था। लेकिन यह आंदोलन अपने सामाजिक आधार में बहुत छोटा था। यह केवल शिक्षित मध्यवर्ग के बीच शहरों में ही सीमित था। भारत के गांवों और कस्बों में रहने वाली करोड़ों जनता के दुखों-दर्दों को आवाज़ देने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय राजनीति में मुखर नहीं था। औपनिवेशिक स्वशासन केवल मध्यवर्ग के आकर्षण का विषय था। भारत की आम जनता के दैनिक दुःखों- गरीबी, महँगाई, रोज़गार इत्यादि की आवाज़ मुखरित करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। प्रथम विश्वयुद्ध में बलपूर्वक सैनिक भर्ती भी एक असन्तोष का प्रमुख कारण थी। विशेषकर पंजाब प्रान्त में, वहाँ की प्रान्तीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों से नवयुवकों की ज़बर्दस्ती सेना में भर्ती की। इसका प्रभाव कृषि क्षेत्र पर गया, जहाँ मानव श्रम की अनुपलब्धता हो गयी। इससे खेती के कार्यों में विघ्न आया और पैदावार कम हो गयी। आम जन का जीवन इससे और निम्नतम स्तर पर पहुँच गया।

देश में चारों तरफ़ और सभी वर्गों में एक असन्तोष पनप रहा था। औपनिवेशिक सरकार ने लोगों की समस्याओं को दूर करने के बजाय उनके असन्तोष को दृढ़ता से दबाया। इस कारण से गुप्त क्रांतिकारी संगठनों को सक्रिय होने का अवसर मिला। जो ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने को उत्सुक थे। 'भारत सरकार ने देश की सुरक्षा के नाम पर 1915 में **भारत रक्षा कानून** पारित किया, जिसमें अधिकारियों को लोगों को नज़रबंद करने की शक्ति प्रदान की गई।'<sup>9</sup> इस कानून के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के साथ आम जनता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी बेड़ियाँ डाल दी गयीं।

इन्ही परिस्थितियों में महात्मा गांधी अपने विशिष्ट राजनैतिक दृष्टिकोण एवं पद्धति के साथ भारतीय राजनीति में क़दम रखा। भारत पर विप्लव के बावजूद राजनीतिक वर्ग ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में पूर्ण समर्थन कर रहा था। भारतीयों को आशा थी कि उनके युद्ध प्रयत्नों में सहयोग से उन्हें अत्यधिक स्वशासन के अधिकार मिलेंगे। इस विचार को ब्रिटिश राजनेताओं ने प्रोत्साहित भी किया था। इसके अतिरिक्त मित्र-राष्ट्रों की ये घोषणा कि वे स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और युद्धोपरांत जनता के **आत्मनिर्णय के सिद्धांत** को विश्व भर में मान्यता दी जाएगी। भारतीयों की आशाएँ प्रबल हो उठी थी। गांधी स्वयं सेना के **भर्ती सार्जेंट** बन कर नवयुवकों को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। तिलक जो प्रबल सरकार विरोधियों में गिने जाते थे, युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य के सहयोग का आह्वान करते हुए जनता से अपील कर रहे थे, "ऐसे संकट काल में प्रत्येक अमीर-गरीब, छोटे-बड़े भारतीय का कर्तव्य है कि वह अपनी योग्यतानुसार महामहिम की सरकार का सहयोग करे।"<sup>10</sup>

युद्ध के प्रारंभिक वर्षों में जब अनिश्चितता की स्थिति थी, ब्रिटिश सरकार भारतीयों के सहयोग की तारीफ़ किया करती थी। विभिन्न प्रकार के आश्वासन दिए गए। परन्तु जैसे-जैसे युद्ध का पलड़ा अंग्रेजों की तरफ़ झुकने लगा, उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगा। यदि ब्रिटिश सरकार का भारतीयों के प्रति रुख कुछ नरम भी था, तो वहीं भारत सरकार किसी भी तरह से देश पर से अपना प्रशासनिक शिकंजा ढीला नहीं करना चाहती थी। भारत सचिव मांटैग्यू ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 20 अगस्त, 1917 को भारत के लिए संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। इसमें भारत के लिए स्वशासन का आश्वासन प्रदान किया गया था। मांटैग्यू की रिपोर्ट 8 जुलाई, 1918 को प्रकाशित हुई। उनके सुझाओं को देखकर भारतीय नेताओं को झटका लगा, वे स्वयं को ठगा हुआ महसूस किए।

तिलक ने इन सुधारों को 'पूर्णतः अस्वीकार'<sup>11</sup> बताया वहीं बेसेंट ने उसकी निंदा करते हुए कहा कि, "यह योजना प्रस्तुत करना इंग्लैंड के शान के खिलाफ है और इसे स्वीकार करना भारत की शान के खिलाफ।"<sup>12</sup> कांग्रेस ने योजना को 'निराशाजनक एवं असन्तोषप्रद'<sup>13</sup> कहा। कांग्रेस के नरमपंथी, जो योजना को पूर्णतः स्वीकार करने के पक्ष में थे,

स्वयं कांग्रेस से अलग होकर **लिबरल फेडरेशन**<sup>14</sup> नामक संगठन तले एकत्रित हो गए। महात्मा गांधी प्रारम्भ में उग्रपंथियों के विपरीत इन सुधारों को एक बार स्वीकार किये जाने के पक्ष में थे। परंतु ब्रिटिश सरकार की वादाखिलाफी एवं भारत सरकार के दमनकारी व्यवहार ने उनके मत को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। इन सुधारों को छोड़ वह आगे चलकर स्वराज के लिए राष्ट्रव्यापी संघर्ष का आह्वान किये।

जब ब्रिटेन में भारतीय संवैधानिक सुधारों की बात चल रही थी, उसी समय भारत सरकार युद्धोपरांत भारत पर अपने शिकंजे को बनाये रखने के लिए युद्धकाल में निर्मित **भारत रक्षा कानून** के स्थान पर उसी प्रकार के अन्य कानून बनाने का कार्य कर रही थी। जबकि ब्रिटेन में भारत को कुछ स्वशासन देने पर विचार हो रहा था, यहाँ भारत सरकार व्यक्तियों के निजी अधिकारों का भी गला घोटने को तत्पर थी। भारत सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों की आड़ लेकर रौलट की अध्यक्षता में एक **सेडिसन कमेटी** बनाई। जिसका उद्देश्य सरकार को देश में अशांति को प्रभावी रूप से रोकने हेतु सलाह देना था। 'महात्मा गांधी रौलेट कमेटी की सिफारिशों को पढ़कर चौंक गए'<sup>15</sup> उन्होंने कहा, "कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र ऐसे कानूनों को स्वीकार नहीं कर सकता।"<sup>16</sup> रौलेट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने दो कानून बनाये। भारतीयों के प्रबल विरोध के बावजूद इन कानूनों को 21 मार्च, 1919 को धारा सभा में पारित कर दिया गया।

महात्मा गांधी ने रौलेट कानूनों के विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन छेड़ने का निश्चय किया। 6 अप्रैल, 1919 को देश-व्यापी सत्याग्रह प्रारम्भ किया गया। पूरे देश में कोने-कोने से लोगों ने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इसी बीच 13 अप्रैल को **जलियांवाला बाग हत्याकांड** हुआ। जब देश को ब्रिटिश शासकों के इस नृशंसतापूर्ण कार्य का पता चला तो उनके दिलों में ब्रिटिश शासन के प्रति जो कुछ सद्भाव शेष था, वह भी समाप्त हो गया।

प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत **खिलाफत** का मुद्दा भी गर्म हो चुका था। अंग्रेज युद्धकाल में भारतीय मुसलमानों को दिए गए अपने वादे से मुकर गए। उन्होंने **सेवर्स** की संधि द्वारा खलीफा के साम्राज्य को विखण्डित कर मुस्लिमों के पवित्र स्थलों- मक्का व मदीना को उसके नियंत्रण से मुक्त कर अरबों की प्रभुता में सौंप दिया। भारतीय मुसलमानों में इन कृत्यों को लेकर बहुत रोष था। खिलाफत को बनाये रखने के लिए भारतीय मुसलमानों ने स्वयं को संगठित किया। महात्मा गांधी ने खिलाफत के मुद्दे पर भारतीय मुसलमानों का समर्थन किया। संयुक्त प्रान्त के एक सम्मेलन में, जिसमें खिलाफत के सम्बंध में अपनी प्रतिक्रिया देने संबंधी विचार चल रहा था। " उसी सम्मेलन में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम **नान-को-आपरेशन** शब्द का प्रयोग किया।"<sup>17</sup> जो आगे चलकर असहयोग में रूपांतरित एवं विकसित हुआ। गांधी का विचार था कि "यदि हमें सरकार का विरोध तलवार से नहीं करना है तो उससे(सरकार) अपने स्वैच्छिक सहयोग को वापस ले लेना, एक सच्चा विरोध होगा।"<sup>18</sup> 22-23 नवम्बर को दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में सर्वप्रथम असहयोग का आह्वान किया गया। जिसे 1-3 जून को इलाहाबाद में हुए खिलाफत कांग्रेस में स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस में असहयोग सम्बन्धी एक चार चरणों का कार्यक्रम घोषित किया गया-

1. उपाधियों का बहिष्कार
2. सिविल सेवाओं ( वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि) का बहिष्कार
3. पुलिस और सेना का बहिष्कार, अन्ततः
4. करों की ना-अदायगी

खिलाफत कांग्रेस द्वारा असहयोग कार्यक्रम स्वीकार कर लिए जाने पर महात्मा गांधी अली बन्धुओं के साथ मिलकर पूरे देश में खिलाफत की रक्षा हेतु असहयोग का आह्वान करने लगे। पूरे भारत में गांधी को समर्थन मिल रहा था। स्वदेशी आन्दोलन के बाद यह दूसरा जन आंदोलन बन रहा था। परंतु इसकी व्यपकता स्वदेशी आंदोलन से बहुत अधिक थी। इस आंदोलन में केवल शहरी मध्यवर्ग ही भाग नहीं ले रहा था, अपितु शहरों की कामगार जनता के साथ कस्बों एवं गांवों के छोटे-छोटे व्यापारी, दुकानदार, कामगार, किसान सबने एक साथ समर्थन में आवाज उठाई। गांधी ने अपने प्रस्ताव पर सार्थक जन प्रतिक्रिया को देखकर असहयोग आंदोलन को व्यवस्थित एवं व्यापक रूप से चलाने के लिए इसे कांग्रेस द्वारा इसे अनुमोदित करवाने का प्रयास करने लगे।

महात्मा गांधी ने गुजरात की प्रान्तीय कांग्रेस सभा में अपना असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव रखा। वहां इस आधार पर प्रस्ताव का विरोध किया गया कि 'जब तक महासभा असहयोग का निश्चय न करे, तब तक प्रान्तीय परिषदों को प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं है।'<sup>19</sup> काफ़ी बहस-मुबाहिसे के पश्चात गांधी का असहयोग प्रस्ताव पास हुआ। अब गांधी 'कांग्रेस पर भी ऐसा ही कार्यक्रम बनाने के लिए जोर डालने लगे, जो पंजाब के अत्याचार, खिलाफत के अत्याचार और स्वराज के तीन मुद्दों पर केंद्रित होता।'<sup>20</sup>

गांधी 1920 में अपने पुराने राजनीतिक और वैचारिक आधार से पूरी तरह हट चुके थे। जहाँ 'उन्होंने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में संवैधानिक सुधारों को अपनाने के लिए जोर दिया था।'<sup>21</sup> वहीं अब गांधी स्वराज को अपना राजनीतिक लक्ष्य घोषित कर चुके थे। यद्यपि उनकी स्वराज सम्बन्धी अवधारणा काफ़ी अस्पष्ट सी थी। वे ना तो स्वयं इसकी व्याख्या करते थे और न ही किसी पुरानी व्याख्या के सन्दर्भ में स्वीकार करते थे। **जवाहर लाल नेहरू** जो असहयोग को लेकर काफ़ी उत्साहित थे वो भी स्वराज के विषय में सशंकित से थे-

"यह ज़ाहिर था कि हमारे ज्यादातर नेताओं के दिमाग में स्वराज का मतलब आज़ादी से बहुत छोटी चीज़ थी। गांधीजी इस विषय पर एक अज़ीब तौर पर अस्पष्ट रहते थे। और इस बारे में साफ़ विचार करने वालों को वह बढ़ावा नहीं देते थे।"<sup>22</sup>

गांधी का आह्वान लोगों को आकर्षित कर रहा था। वह जहाँ-जहाँ भी जा रहे थे, वहां भारी संख्या में भीड़ जमा हो रही थी। पूरा देश उफान पर था, वह गांधी के साथ आवाज़ बुलंद कर रहा था। अन्य सभी राजनीतिक संगठन एवं व्यक्तित्व नेपथ्य में चले गए थे। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त, 1920 से देश-व्यापी सत्याग्रह आंदोलन प्रारम्भ कर दिया। गांधी के समर्थकों के दबाव में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन सितम्बर 1920 में कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में गांधी के असहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम पर विचार किया जाना था। अधिवेशन 4-9 सितम्बर को आयोजित किया गया। अधिवेशन का सभापतित्व लाल लाजपत राय कर रहे थे। असहयोग के समर्थक व विरोधी दोनों ही काफ़ी संख्या में अधिवेशन में आये हुए थे।

गांधी ने अपना असहयोग प्रस्ताव रखते हुए उसके समर्थन में कहा-

"चूँकि खिलाफत के प्रश्न पर भारत और ब्रिटेन दोनों देशों की सरकार मुसलमानों के प्रति अपना फ़र्ज पूरा करने में असफल रही है..... चूँकि अप्रैल 1919 की घटनाओं के मामले में उक्त दोनों सरकारों ने पंजाब की बेकसूर जनता की रक्षा करने में व उन अफसरों को सजा देने में, जो पंजाब की जनता के प्रति असभ्य व सैनिक-धर्म विरुद्ध आचरण करने के दोषी ठहरें हैं, घोर लापरवाही की है।

अतः कांग्रेस की राय है कि भारत में तब तक शान्ति नहीं हो सकती जब तक उक्त दोनों भूलों का सुधार नहीं किया जाता। राष्ट्रीय सम्मान की मर्यादा को क्रायम रखने के लिए और भविष्य में इस प्रकार की भूलों को दोहराने से बचने के लिए उक्त मार्ग केवल स्वराज की स्थापना ही है। इस कांग्रेस की यह राय है कि जब तक उक्त भूलों का सुधार न हो जाये और स्वराज की स्थापना न हो जाये भारतवासियों के लिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है कि वे क्रमिक अहिंसात्मक असहयोग की नीति को स्वीकार करें व अपनाएं।"<sup>23</sup>

अपने असहयोग के कार्यक्रम के अंतर्गत गांधी ने निम्नलिखित कार्यों को प्रस्तावित किया<sup>24</sup> -

1. सरकारी उपाधियों व अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाय और जिला एवं म्युनिसिपल-बोर्ड व अन्य संस्थाओं में लोग नामज़द हुए हों, इस्तीफा दे दें।
2. सरकारी दरबारों, स्वागत-समारोहों तथा सरकारी-अफसरों द्वारा किये गए या उनके सम्मान में किये जाने वाले अन्य सरकारी व अर्ध-सरकारी उत्सवों में भाग लेने से इनकार किया जाए।
3. सरकार के, सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले, व सरकार समर्थित स्कूलों व कालेजों से छात्रों को धीरे-धीरे निकाल लिया जाय, उनके स्थान पर भिन्न-भिन्न प्रान्तों में राष्ट्रीय स्कूलों व कालेजों की स्थापना की जाये।
4. वकीलों व मुक्किलों द्वारा ब्रिटिश आदालतों का धीरे-धीरे बहिष्कार हो और उनकी मदद से खानगी झगड़ों को तय करने के लिए पंचायती अदालतों की स्थापना हो।

5. फ़ौजी, क्लर्की व मजदूरी करने वाले लोग मेसोपोटामिया में नौकरी करने के लिए भर्ती होने से इनकार कर दें।
6. नई कौंसिलों के चुनाव के लिए खड़े हुए उम्मीदवार अपने नाम उम्मीदवारी से वापस ले लें और यदि कांग्रेस की सलाह के बावजूद कोई चुनाव के लिए खड़ा हो तो मतदाता उसे वोट देने से इनकार कर दें।
7. विदेशी माल का बहिष्कार किया जाय।

अधिवेशन में गांधी के असहयोग प्रस्ताव पर काफी बहस हुई। पुराने कांग्रेसी नेताओं में केवल मोतीलाल नेहरू को छोड़कर अन्य सभी इस प्रस्ताव के विरोध में थे। 'बंगाल पूरी तरह सहमत नहीं था और देशबंधु दास तो गांधी के असहयोग कार्यक्रम के सोलह आने विरुद्ध थे।'<sup>25</sup> अधिकांश प्रतिनिधि गांधी के अदालतों और कौंसिलों के बहिष्कार से सहमत नहीं थे। इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले अन्य दिग्गज कांग्रेसी नेताओं में विपिनचन्द्र पाल, एनी बेसेंट, मदनमोहन मालवीय, जिन्नाह, लाला लाजपत राय आदि थे। चितरंजन दास कौंसिलों में प्रवेश के मुद्दे पर काफी विरोध किया। फिर भी, 'जब प्रस्ताव पर मतदान हुआ तो 1855 प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 873 उसके विरोध में थे।'<sup>26</sup>

संख्या के आधार पर यह गांधी की जीत अवश्य थी, परन्तु कांग्रेस का पूर्ण समर्थन गांधी को अभी नहीं प्राप्त था। विपिनचन्द्र पाल और चितरंजन दास कांग्रेस में किसी अलगाव को रोकने के लिए प्रयासरत थे। अन्त में सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया जाए परन्तु इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही का अंतिम निर्णय नागपुर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में लिया जाय। इस बीच कौंसिलों के चुनाव में कांग्रेस भाग नहीं लेगी।

कलकत्ता विशेष अधिवेशन के पश्चात गांधी असहयोग का प्रचार पूरे जों से देशभर में करने लगे। असहयोग के समर्थन में जनता का उत्साह और व्यापक होता जा रहा था। सभी सामाजिक वर्गों से गांधी को समर्थन मिल रहा था। इस बीच गांधी ने **एक वर्ष में स्वराज** का नारा दिया, जिसने जनता को अति उत्साहित कर दिया।

कांग्रेस के नागपुर वार्षिक अधिवेशन (दिसम्बर 1920) की अध्यक्षता पुराने कांग्रेसी नेता विजयराघवाचार्य कर रहे थे। यहाँ असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वयं चितरंजन दास ने रखा और लाला लाजपत राय ने उसका अनुमोदन किया। इस अधिवेशन में गांधी का विरोध समाप्त हो चुका था। पूरी कांग्रेस पार्टी एकमत होकर गांधी के असहयोग कार्यक्रम के साथ थी। प्रस्ताव के विरोध में केवल जिन्ना मंच से बोले। उन्होंने गांधी को चेताया, "इस समय देश का भाग्य जिन दो लोगों के हाथों में है, उनमें से एक मि. गांधी है। इसलिए इस मंच से खड़े होकर, यह जानते हुए कि बहुमत उनके साथ है। मैं उनसे अपील करता हूँ कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वे कुछ रुककर विचार करें।"<sup>27</sup> जिन्नाह की प्रतिनिधियों द्वारा हूटिंग की गई। 'उसी शाम जबकि अधिवेशन समाप्त भी नहीं हुआ था, जिन्नाह ने मध्य भारत से बम्बई के लिए ट्रेन पकड़ ली। उनका-कांग्रेस का 14 वर्षों का साथ समाप्त हो चुका था, क्योंकि कांग्रेस अब गांधी की हो चुकी थी।'<sup>28</sup>

शाम को बीमार मदनमोहन मालवीय ने अपना संदेश पत्र के माध्यम से सभा में भेजा जिसमें कांग्रेस के नए पथ व असहयोग प्रस्ताव दोनों का विरोध किया गया था। परन्तु वहां किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस पूरी तरह एकमत होकर गांधी के साथ खड़ी थी। 'जब प्रस्ताव पर मतदान लिया गया तो प्रस्ताव के विरोध में केवल दो मत पड़े, एक सिंध व एक संयुक्त प्रान्त के प्रतिनिधि का।'<sup>29</sup> दिसम्बर 1920 में असहयोग कार्यक्रम को कांग्रेस द्वारा अपना लिए जाने से इसका पूरे भारत में तीव्रता के साथ प्रसार हुआ। आंदोलन उत्तरोत्तर तीव्र होता जा रहा था। सरकार जितना दमन करती जनता उसी अनुपात में उसका निर्भीक होकर प्रतिकार कर रही थी। पूरे देश में उत्तेजना स्वरूप तनाव का माहौल व्याप्त था। पुलिस की कार्यवाहियों से जन आक्रोश में वृद्धि हो रही थी। बहिष्कार, रैलियाँ, धरना प्रदर्शन सार्वजनिक जीवन के अंग बन चुके थे। जनता के हृदय में अब न तो सरकार के लिए सम्मान भावना थी और न भय का कोई साम्राज्य।

इसी दौरान संयुक्त प्रान्त के गोरखपुर जिले में **चौरी-चौरा** नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक झड़प हो गयी। वहां पर पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्ण आंदोलन का दमन किया। आन्दोलनकारियों को मारा-पीटा गया। इससे जनता के संयम का बांध टूट गया और वह हिंसात्मक तरीके से उपद्रव पर उतर गई। जिसका परिणाम यह हुआ कि स्थानीय पुलिस चौकी में आगजनी कर दी गयी। इस आगजनी में 22 पुलिस वालों की जलकर मृत्यु हो गयी।<sup>30</sup>

महात्मा गांधी इस कृत्य से बहुत विचलित हुए। उन्होंने तत्काल असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इसी के साथ उन्होंने बारदोली में प्रस्तावित सविनय अवज्ञा को भी स्थगित कर दिया। **बारदोली के प्रस्ताव** में कहा गया :



" कांग्रेस कार्यसमिति चोरी-चौरा कांड में भीड़ के अमानुषिक कार्यों की निंदा करती है जिसने निर्दयता से पुलिस के सिपाहियों की हत्या की और जान-बूझकर थाने में आग लगा दी। जब भी सविनय अवज्ञा आंदोलन जन-संघर्ष का रूप धारण करता है, तभी हिंसात्मक बगावत होने लगती है। इससे जाहिर है कि देश में काफ़ी अहिंसा नहीं है। इसलिए कांग्रेस कार्यसमिति यह निश्चय करती है कि आम आंदोलन रोक दिया जाए।"<sup>31</sup>

महात्मा गांधी के इस निर्णय से देश स्तब्ध रह गया। उसके सारे उत्साह पर पानी फिर गया। कांग्रेस के भीतर इसका तीव्र विरोध हुआ। उस समय कांग्रेस के अधिकतर नेता जेलों में बंद थे। वर्षों बाद उस घटना के विषय में **सुभाष चंद्र बोस** ने अपनी **आत्मकथा** में लिखा:

यह देश के लिए बड़ी दुर्घटना थी कि जब जनता का उत्साह रोके नहीं रुकता था, तभी आंदोलन रोक दिया गया। गांधीजी के खास साथी देशबंधु दास, पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय, जो जेल में थे। इस खबर से विचलित हो गए। मैं उन दिनों देशबन्धु के साथ था और देखा क्रोध और दुःख के कारण वे पागल हो रहे थे।<sup>32</sup>

जब पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय व अन्य नेताओं ने गांधी के फैसले का तीव्र विरोध करते हुए उन्हें जेल से पत्र लिखा कि 'बिना सर्वसम्मति के इस तरह से आंदोलन वापस लेने का फैसला नहीं किया जा सकता है।' तो इस पर गांधी ने सीधा-स्पष्ट उत्तर देते हुए लिखा, "नागरिकता की दृष्टि से कैदी मर चुका होता है और उसे नीति के बारे में कहने-सुनने का कोई अधिकार नहीं है।"<sup>33</sup> गांधी अहिंसा से किसी भी प्रकार समझौता नहीं करना चाहते थे। उसके लिए वह आंदोलन तक को समाप्त कर सकते थे। उन्होंने 19 फरवरी को **यंग इंडिया** में लिखा, "आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिये मैं हर एक यंत्रणा, पूर्ण बहिष्कार, यहां तक कि मौत को भी सहने के लिए तैयार हूँ।"<sup>34</sup>

असहयोग आंदोलन स्थगित किया जा चुका था। सरकार, जो अब तक गांधी पर हाथ डालने में डर रही थी। उसने 10 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। गांधी ने आंदोलन के निषेधात्मक कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था, परन्तु उसके रचनात्मक कार्यक्रम को चलाने में किसी प्रकार की रोक नहीं थी। गांधी के अनुयायी राजनीतिक आंदोलन से दूर खादी, ग्रामोद्योग, हिन्दू-मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता निवारण, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्रों में सक्रिय हो गए।

आन्दोलन वापस ले लिए जाने पर भारत सरकार ने कांग्रेसी नेताओं एवं अन्य असहयोगियों को जेल से रिहा करना शुरू कर दिया। सरकार अपने सबसे बड़े विद्रोही को पिंजरे में डाल चुकी थी। अब वह अन्य नेताओं के समर्थन से अपनी संवैधानिक सरकार को सुचारू रूप से चलाना चाह रही थी। जेल से सभी कांग्रेसी नेताओं के बाहर आने पर **कौंसिलों में प्रवेश** के मुद्दे पर एक बार फिर आंतरिक टकराहट हुई।

कांग्रेस में जो अब भी पुराने असहयोग के प्रस्ताव में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, **अपरिवर्तनवादी** कहलाये। इनके विपरीत जो असहयोग की पुरानी निषेधाज्ञा से हटकर कौंसिलों में जाना चाहते थे, **परिवर्तनवादी** कहलाये। परिवर्तनवादियों का नेतृत्व चितरंजन दास व मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। इनके अनुसार, जब बाहर सत्याग्रह का आंदोलन स्थगित है तो इस स्थिति में उसे कौंसिलों के माध्यम से जारी रखना चाहिए। जिससे राजनीतिक रूप से असक्रियता का शून्य न पैदा हो और जनता के हितों की आवाज भी कौंसिलों में उठायी जाती रहे।

1922 का कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन बिहार प्रान्त के गया में आयोजित किया गया। यहाँ अपरिवर्तनवादियों व परिवर्तनवादियों में शक्ति प्रदर्शन होना था। 'दास कांग्रेस को गांधी की नीति से हटाकर उसे मांटैग्यू-चेम्सफोर्ड संवैधानिक सुधारों के अंतर्गत सृजित कौंसिलों में प्रवेश के बहिष्कार को खत्म करना चाहते थे। लेकिन दास का कौंसिलों के बहिष्कार को समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।'<sup>35</sup> इस पर चितरंजन दास ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस अधिवेशन में अपरिवर्तनवादियों की विजय हुई।

जनवरी, 1923 में दास व मोतीलाल नेहरू ने मिलकर **स्वराज पार्टी** का गठन किया। पार्टी गठन के साथ ही वह अपने प्रचार-प्रसार में सक्रिय हो गए। उस समय राजनीतिक रूप से करने के लिए बाहर कोई माहौल नहीं था। गांधी के शिष्यों को छोड़कर अन्य नेताओं को उनके रचनात्मक कार्यों में रुचि नहीं थी। अतः वे सभी स्वराज पार्टी को अपना समर्थन

देने लगे। मई, 1923 में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक बम्बई में हुई। दास ने यहाँ बहुमत अपने पक्ष कर लिया। उनके कौंसिलों में प्रवेश सम्बन्धी प्रस्ताव को '71 के मुकाबले 96 मतों का बहुमत प्राप्त हुआ।'<sup>36</sup> दिसम्बर, 1920 जहाँ कांग्रेस ने अपनी पुरानी नीति को छोड़कर गांधी के उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों को अपना लिया था। वहीं ढाई वर्ष पश्चात कांग्रेस गांधी के मार्ग से विचलित होते हुए पुनः अपनी पुरानी नीति पर आ गयी।

1919-20 में गांधी भारतीय असन्तोष को आवाज़ देने वाले एकमात्र नेता के रूप में उदित हुए। पूरा देश गांधी की पतवार थाम चुका था। कांग्रेस के पास न तो कोई नया विचार था और न ही कोई अग्रगामी उद्देश्य जिससे कि वह जनता को आकर्षित कर उसका समर्थन प्राप्त कर सके। उस समय गांधी का विरोध कांग्रेस के लिए आत्महत्या से कम नहीं होता। गांधी ने अपने आंदोलन को संगठन प्रदान करने के लिए **सत्याग्रह सभा** का गठन कर चुके थे। यदि कांग्रेस असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार न करती तो गांधी अपना आंदोलन सत्याग्रह सभा के माध्यम से संचालित करते। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति भी नरमपंथियों के 'लिबरल फेडरेशन' जैसी बन कर रह जाती। बहुत सम्भव था कि वह भी इतिहास के पन्नों में खो जाती। **जूडिथ ब्राउन** ने स्पष्ट किया है कि 'उस समय कांग्रेस के नेता के असहयोग के झंडे तले इसलिए नहीं आ गये कि उनकी असहयोग के सिद्धांतों में पूर्ण आस्था थी। बल्कि वास्तविक कारण उनके पास अन्य विकल्प का ना होना था।'

1923 तक परिस्थितियों में व्यापक परिवर्तन आ चुका था। गांधी जेल में थे, उनका आंदोलन क्रमशः मर चुका था। एक प्रकार से राजनीतिक शून्यता का वातावरण था। कांग्रेसी नेताओं के लिए यह अपनी पुरानी राजनीति में पुनः वापस लौटने के लिए उपयुक्त अवसर था। इसलिए कांग्रेस के अधिकांश पुराने नेता स्वराज पार्टी के झंडे तले इकट्ठा हो गए। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि अपरिवर्तनवादियों में वही लोग थे जो गांधी के विचारों से प्रेरित होकर देश व समाज सुधार के नाम पर राजनीति में आये थे। इनमें से ऐसे व्यक्तियों की संख्या नगण्य ही थी जो गांधी युग से पहले राजनीति में सक्रिय रहे होंगे। इसके विपरीत परिवर्तनवादियों में अधिकांश राजनीतिक पृष्ठभूमि के नेता थे।

शीघ्र ही कांग्रेस में परिवर्तनवादियों के विचारों का सामंजस्य बिठाने के लिए सितम्बर, 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। जिसमें 'स्वराजियों को परिषद के लिए कांग्रेसजनों को चुनने के लिए मताधिकार प्रयोग करने की अनुमति दे दी गयी।'<sup>37</sup> बाद में दिसम्बर 1923 को **काकीनाडा** में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में दिल्ली विशेष अधिवेशन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया। इस प्रकार, कांग्रेस में विखण्डन नहीं हुआ और स्वराज कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। कौंसिलों के चुनाव नवम्बर 1923 में हुए जिसमें स्वराज पार्टी को भारी सफलता मिली। नरमदल वालों की हार हुई और अधिकांश प्रान्तों में स्वराज काफी संख्या में चुने गए। 'धारासभा में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 48 स्वराज और जिन्नाह के नेतृत्व में 24 निर्दलीय सदस्यों ने मिलकर सरकार विरोधी मोर्चा बनाया।'<sup>38</sup>

महात्मा गांधी 5 फरवरी, 1924 को स्वास्थ्य कारणों से जेल से रिहा कर दिए गए। 22 मई को गांधी ने एक वक्तव्य जारी किया जिसमें स्वयं के अपरिवर्तनवादी होने की बात स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, "मैं उनकी (स्वराजियों) की राह में रोड़े नहीं अटकाऊंगा या उनके विधानमंडलों के प्रवेश के विरुद्ध प्रचार नहीं करूँगा।"<sup>39</sup>

इतिहास का एक विचित्र संयोग देखिए। दिसम्बर, 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन के समय तिलक ने गांधी के मार्ग से असहमति प्रदर्शित करते हुए एक निजी बातचीत में पत्रकार दुर्गा दास से कहा था, "मैं उनके (गांधी) के रास्ते में नहीं खड़ा होऊंगा, हालांकि मैं महसूस करता हूँ कि 'अनुकूल सहयोग' से ज़्यादा हासिल होगा।"<sup>40</sup> जून, 1924 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अहमदाबाद में बैठक हुई। गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि "कांग्रेस सदस्य के लिए कताई की न्यूनतम अर्हता निर्धारित की जाय व कौंसिलों में जाने वाले सदस्यों को कांग्रेस के पदों से हटाया जाए।"<sup>41</sup> उनके दोनों प्रस्ताव अस्वीकृत हो गए। गांधी ने स्वीकार किया कि वे 'पराजित एवं अपमानित' हुए हैं।<sup>42</sup>

गांधी ने मोतीलाल व दास से एक समझौता किया जिसके अंतर्गत स्वराज कांग्रेस संगठन के अभिन्न सदस्य रहते हुए काउंसिलों में कार्य कर सकते थे। इसके बदले कांग्रेस की सदस्यता के लिए कताई योजना लागू करने की बात स्वीकार कर ली गयी। अगले वर्ष गांधी ने कांग्रेस का सम्पूर्ण संगठनात्मक दायित्व स्वराजियों को सौंपकर अपने विचारों को क्रियान्वित करने के लिए अलग से एक **अखिल भारतीय चरखा संघ** स्थापित करने का निश्चय किया।<sup>43</sup>

गांधी और कांग्रेस एक साथ, एक लीक पर सदैव नहीं चलते थे। राजनीतिक परिस्थितियाँ कांग्रेस को गांधी के करीब लाती व दूर ले जाती थी। ठीक इसी प्रकार गांधी जब कोई राजनीतिक आंदोलन आरम्भ करते थे तो कांग्रेस को अपना संगठनात्मक आधार बनाते थे। अन्य समय वह कांग्रेस से अलग अपने रचनात्मक कार्यों को सम्पादित करते रहते थे। यहाँ असहयोग आंदोलन पश्चात एक बार गांधी व कांग्रेस फिर अलग रास्तों पर थे।

संदर्भ :-

1. गांधी, मोहनदास करमचंद., *दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास*, पृष्ठ- 08
2. *CWMG*, vol- XV, p- 165
3. Sarkar, Sumit., *Modern India (1885-1947)*, - p- 187
4. गांधी, मो. क., *हिन्द स्वराज*, पृष्ठ- 31
5. Maddison, 'The Economic and Social Impact of Colonial Rule in India', in *Class Structure*. Ref. In Tharoor, Shashi., *An Era of Darkness*, p- 61
6. Census.gov.in, *Census Report of 1911*, Office of Registrar General, India.
7. Mason Philip., *The Men who Ruled India*. Ref. in Tharoor, Shashi., *An Era of Darkness*, p- 61
8. सितारमैय्या, पट्टाभि., *कांग्रेस का इतिहास*, खंड- 1, पृष्ठ- 40
9. Desai, A. R., *Social Background of Indian Nationalism*, p- 217.
10. Quoted in, ताराचंद, *भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास*, खंड-3, पृष्ठ- 509
11. ताराचंद., *भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास*, खण्ड-3, पृष्ठ- 500.
12. पूर्वोक्त. पृष्ठ- 500
13. पूर्वोक्त. पृष्ठ- 500
14. नम्बूद्रीपाद, ई. एम. एस., *भारत का स्वाधीनता संग्राम*, पृष्ठ- 174
15. गांधी, मो. क., *सत्य के साथ मेरे प्रयोग*, पृष्ठ- 293.
16. पूर्वोक्त. पृष्ठ- 294.
17. गांधी, मो. क., *सत्य के साथ मेरे प्रयोग*, पृष्ठ- 308
18. वही, पृष्ठ-308
19. गांधी, मो. क., *सत्य के साथ मेरे प्रयोग*, पृष्ठ- 317
20. Sarkar, Sumit, *Modern India (1885-1947)*, p- 216
21. यंग इंडिया, 31 दिसम्बर 1919, *CWMG*, vol- XVI, p- 360-61
22. नेहरू, जवाहरलाल, *मेरी कहानी*, पृष्ठ- 101
23. *CWMG*, vol- XVIII, p- 230-31
24. *CWMG*, vol- XVIII, p- 230-231
25. सितारमैय्या, पट्टाभि., *कांग्रेस का इतिहास*, खण्ड- 1, पृष्ठ- 157.
26. *CWMG*, vol- XVIII, p- 260
27. बोलपर्ट, स्टेनली., *जिन्नाह: मोहम्मद अली से कायद-ए-आज़म तक*, पृष्ठ- 110.
28. Gandhi, Rajmohan., *Understanding the Muslim Mind*, p- 135.
29. Brown, M. Judith., *Gandhi's Rise to Power(1915-1922)*, p- 297
30. Chauri-Chaura, *Gorakhpur District Official Site* (gorkahpur.nic.in)
31. *CWMG*, vol- XXII, p- 377.
32. Bose, Shubhas, Chandra., *The Indian Struggle (1920-1942)*, p- 82

33. दत्त, रजनी पाम., *आज का भारत*, पृष्ठ-308
34. Young India, 16 faburary 1922.
35. Ref. in: Guha, Ramchandra., *Gandhi: the Years that Changed the World (1915-1948)*, p-200.
36. Ibid, p- 201
37. ताराचंद, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, खंड -3, पृष्ठ- 541
38. पूर्वोक्त, पृष्ठ- 541
39. Young India, 22 may,1924
40. Das, Durga., *From Curzon to Nehru and After*, p- 70
41. CWMG, vol- XXIV, p- 191-92.
42. Young India, 3 july, 1924.
43. Sarkar, Sumit., *Modern India: 1885-1947*, p- 248.

-: सन्दर्भ ग्रन्थ :-

1. गांधी, मोहनदास करमचंद., *सत्य के साथ मेरे प्रयोग अथवा आत्मकथा* (अनु.- महावीर प्रसाद पोद्दार), दिल्ली, सस्ता साहित्य मंडल, 2013.
2. गांधी, मो. क., *दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास* (अनु.- कालिका प्रसाद), दिल्ली, सस्ता साहित्य मण्डल, 2019.
3. गांधी, मो. क., *हिन्द स्वराज* (अनु.- कालिका प्रसाद), दिल्ली, सस्ता साहित्य मंडल, 2014.
4. दत्त, रजनी पाम., *आज का भारत* (अनु.- रामविलास शर्मा), दिल्ली, ग्रन्थशिल्पी इंडिया, 2012.
5. नेहरू, जवाहरलाल., *मेरी कहानी* (अनु.- हरिभाऊ उपाध्याय), दिल्ली, सस्ता साहित्य मण्डल, 2013.
6. नम्बूदरीपाद, ई. एम. एस., *भारत का स्वधीनता संग्राम* (अनु.- आनंदस्वरूप वर्मा), दिल्ली, ग्रन्थशिल्पी इंडिया, 2004.
7. वोलपर्ट, स्टेनली., *जिन्नाह : मुहम्मद अली से कायद-ए-आज़म तक* (अनु.- अभय कुमार दुबे), नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन, 2008
8. सीतारमैय्या, पट्टाभि., *कांग्रेस का इतिहास खंड- 1*, ( अनु.- हरिभाऊ उपाध्याय), दिल्ली, सस्ता साहित्य मण्डल, 2009.
9. ऋतुश्री., सम्पादित. *1921 के असहयोग आन्दोलन की झांकियां*, दिल्ली, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, 2019.
10. Bose, S. Chandra., *The Indian Struggle:1920-1942*, Delhi, Oxford University Press, 1997.
11. Brown, M. Judith., *Gandhi's Rise to Power:1915-1922*, Cambridge, Cambridge University press, 1972.
12. Bangopadhyay, Shekhar., *From plassey to Partition and After: History of Modern India*, Delhi, Orient Blackswan, 2014
13. *Collected Works of Mahatma Gandhi (CWMG)*, 100 Volumes: 1956-1994, Delhi, Publication Division, Government of India, 2007.
14. Chandra, Mukherjee, Mahajan & Panikkar., *India's Struggle for Independence*, New Delhi, Penguin Books India, 2012
15. Das, Durga., *From Curzon to Nehru and After*, New Delhi, Rupa publication, 1981.
16. Dubey, Ishita Banerjee., *A History of Modern India*, New Delhi, Cambridge University Press, 2015.
17. Desai, A. R., *Social Background of Indian Nationalism*, New Delhi, Sage Publication, 2018.

18. Guha, Ramchandra., *Gandhi : the Years that Changed the World 1915-1948*, Gurgaon, India, Penguin Random House, 2018.
19. Gandhi, Rajmohan., *Understanding the Muslim Mind*, Gurgaon, India, Penguin Random House, 2000.
20. Mason, Philip., *The Men who Ruled India*, Delhi, Rupa Publication, 1992.
21. Tharoor, Shashi., *An Era of Darkness: The British Empire in India*, New Delhi, Aleph Book Company, 2016.
22. Tarachand., *India's Freedom Struggle*, vol- 3, Delhi, Publication Division, Government of India, 2017.
23. Sarkar, Sumit., *Modern India:1885-1947*, delhi, Macmillian India, 2005.

## ‘उत्तरसीताचरितम्’ में वर्णित नारी चेतना के अभिनव आयाम



डॉ. सन्दीप कुमार द्विवेदी

असिस्टेन्ट प्रोफेसर

भारतीय महाविद्यालय फरुखाबाद

**सारांश** – संस्कृत साहित्य में रामायण एवं महाभारत के कथानक को उपजीव्य मानकर सर्वाधिक रचनाएं दृष्टिगोचर होती हैं। प्रस्तुत उत्तरसीताचरितम् महाकाव्य सनातन कवि रेवाप्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध रचना है। कवि ने भवभूति विरचित उत्तररामचरित नाटक के कथानक को उपजीव्य मानकर स्व-कल्पनावैशिष्ट्य से अभिनव तत्त्वों का समावेश कर सहृदय पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसमें नारी चेतना के सन्दर्भ में पारम्परिक दृष्टि के साथ आधुनिक दृष्टि से वर्णन किया है। कवि ने आदर्श नारी, दाम्पत्य, मातृस्वरूप, राष्ट्रभक्ति, अबला से प्रबला आदि विषयों का सरस वर्णन किया है। कैकेयी जैसे उपेक्षित पात्र के चरित्र को भी उत्कृष्ट स्थान दिया है।

**संकेत शब्द** – महीसुता, दाम्पत्य, पातिव्रत्य, विश्वकल्याण, अस्मिता, राष्ट्रधर्म, मानवतावाद, प्रबला, स्वाभिमान, पर्यावरण, कर्मयोग, सौन्दर्य, परित्याग आदि।

काव्य रचना की दृष्टि से महाकाव्य कवि समुदाय में समादृत काव्य विधा है। आदि कवि वाल्मीकि से लेकर अद्यावधि पर्यन्त रचित महाकाव्य वर्ण्य विषय, भाव प्रवहणता, रस संयोजन, कथानक आदि की दृष्टि से पाठकों को आनन्दानुभूति कराते हैं। आधुनिक युग में कवि गण विभिन्न कथानकों को आधार बनाकर तथा सर्वथा नवीन कथानक का सृजन कर रचनाएं कर रहे हैं। बीसवीं शताब्दी में काव्य, नाटक, महाकाव्य, खण्डकाव्य, मुक्तक-काव्य तथा अनेक देशान्तर एवं भाषान्तर काव्यविधाओं को कवियों ने अपनी लेखनी से उपकृत किया है।

आधुनिक संस्कृत महाकाव्य परम्परा में सनातन कवि आचार्य रेवाप्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उत्तरसीताचरितम् का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सनातन कवि ने आधुनिक परिवेश में बदलते जीवन मूल्यों एवं मानदण्डों को प्रस्तुत किया है। स्त्री सशक्तीकरण सम्बन्धी विचारों में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। कवि ने सीता को महीसुता के रूप में वर्णित किया है; जो इस कथा में उसे सामान्य नारी का प्रतिनिधित्व करने से रोकती है तथा यही अलौकिकता उसके अन्दर सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। अलौकिकता के रक्षण के मध्य ही कवि समसामयिक समाज को भी अद्वितीय आदर्श उपस्थित करता है। सीता की कोमलता का वर्णन ही कवि को अभिप्रेत नहीं है अपितु कवि ‘कोमल है पर कमजोर नहीं’ की उक्ति को उद्घाटित करता है। माता कौशल्या उन्हें छुई-मुई कहती हैं।

भारतीय संस्कृति में त्याग पूर्वक भोग की भावना सन्निहित है। यहां के मानवों में जीवन के साथ चरम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति भी अनिवार्य लक्ष्य है। अतः कवि ने महाकाव्य में जीवन एवं मुक्ति दोनों का सन्निवेश किया है—

मनुजवपुषि भुक्तिमुक्तिलक्ष्म्यौ विधृतविभक्तितयापि यत्र युक्ते ।  
भरतभुवनसंस्कृतौ स्वमर्थं 'प्रतिजनजीवनमुक्ति'—मर्पयेते ॥<sup>1</sup>

पातिव्रत्य धर्म का निर्वहण करने की कुल परम्परा एवं नारी स्वाभिमान को अक्षुण्ण बनाने के कारण माता कौशल्या ने सीता जी से कहा कि तुम मेरे लिए वन्दनीय हो गई हो —

सुते! विधौ वामविधायिनि व्रतं सुताय मे स्निग्धमना न याऽत्यजः ।  
पतिव्रतानामभिरक्षितत्रपा त्वमेव वन्द्याऽसि ममैव साधुना ॥<sup>2</sup>

अर्थात् तुम सम्पूर्ण मानव सृष्टि के लिए सादर वन्दनीय साक्षात् धर्मस्वरूपा तथा इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति पताका हो। यही नहीं है पुत्रि! तुम इस रामायण नामक देवालय की सबसे मनोरम एवं महत्त्व की देव प्रतिमा भी हो तथा राम से कहती हैं —

त्वया सगर्वं खलु राष्ट्रमस्ति नः ॥<sup>3</sup>

यहाँ परम्परा से जो सम्मान कवियों के द्वारा स्त्रियों के लिए दुर्लभप्राय है, उसे स्थापित करते हुए सनातन कवि ने अपनी प्रगतिशील एवं समाजोन्मुखी भावना को प्रकट किया है। कैकेयी के व्यक्तित्व को, जिसे रामायण से लेकर उपजीव्य काव्यों से होते हुए संस्कृतेतर काव्यों में अनुदार नारी के रूप में समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, को मैथिली शरण गुप्त के बाद एक ऊँचाई प्रदान की है। राम निशीथ काल में वनगमन से पूर्व कैकेयी से मिलने जाते हैं तथा वे माता कैकेयी को अन्य माताओं से पूज्य तथा क्षत्रिय स्वाभिमान की रक्षिका मानते हैं।

क्षतात् सतस्त्रायत इत्यतीव सद यशो यतः क्षत्रपदाभिमानिनः ।  
अपारयन् धातुमिमे सुवं तु तां सुवो निजाया अपि मेनिरेऽर्चिताम् ॥<sup>4</sup>

माता कैकेयी के प्रति किसी भी प्रकार का अवाच्य या विकार राम के मन में दृष्टिगोचर नहीं होता अपितु वे अपनी इस माता को अधिक पूजनीय मानते हैं क्यों कि अभिमान रखने वाले क्षत्रिय अपनी माँ के कारण ही यषस्वी होते रहे हैं। राम कहते हैं कि—

इमां त्रपातो नतपूर्वविग्रहामुवाच रामो जननि प्रभावतः ।  
तवैव यातः सुगतिं प्रजेश्वरः समं तलेनैव भुवो न संशयः ॥<sup>5</sup>

सनातन कवि का यह उद्घोष ही कैकेयी को विभिन्न आपत्तियों का भाजन होने से बचा लेता है क्योंकि राम ने अपने पिता की सद्गति एवं बृहद् साम्राज्य के लिए माता कैकेयी को हेतु के रूप में माना है। रामायण के सम्पूर्ण घटना क्रम को अत्यन्त उदात्त रूपक के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत किया है। राम कहते हैं कि हे माता —

विधातुमेतां जगतीमशल्यकां कृतं सशल्यं स्वमनो यतस्त्वया ।  
त्वमेव मातर्ननु दूरदर्शिनां धुरि स्थिता राजनये सुमेधसाम् ॥<sup>6</sup>

1. उत्तरसीताचरितम् 6/13
2. उत्तरसीताचरितम् 1/16
3. उत्तरसीताचरितम् 1/20
4. उत्तरसीताचरितम् 1/32
5. उत्तरसीताचरितम् 1/33
6. उत्तरसीताचरितम् 1/34

यहां पर अत्यन्त मुखरता से कवि ने माता कैकेयी के स्वाभिमान की रक्षा की है। परन्तु सनातन कवि यह बताने से भी नहीं चूकते हैं कि दशरथ की मृत्यु के लिए राम वनगमन एवं राम वनगमन के प्रति कैकेयी उत्तरदायी है। कवि सनातन कैकेयी के प्रति कहते हैं कि माता आपने संसार को निष्कण्टक बनाने के लिए अपने हृदय को सशल्य बनाया। अतः राजनीति के दूरदर्शी सुमेधाओं में निश्चित ही आपका ही प्रथम स्थान है।

**यदस्ति पौलस्त्य-विनाश नाटकं त्वमेव तत्र प्रणिधानवानृषि ।**

**त्वमेव तत्रासि च सूत्रधारिणी वयं तु मूका ननु तत्र पुत्तलाः ॥<sup>7</sup>**

महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में कवि ने मर्यादा पुरुषोत्तम से राष्ट्र के विषय में अत्यन्त स्पष्ट उद्घोषणा करवाई है; जो समसामयिक समाज को दिशा देती है। राजा एवं प्रजा के मध्य विश्वास सम्बन्ध होना नितान्त आवश्यक है। इसकी चर्चा के उपरान्त कवि सीता के परित्याग की बात करते हैं। सीता पर लगाए गए कुत्सित आरोपों को सुनकर राम विचलित तो होते हैं परन्तु उसी क्षण वे कहते हैं कि मैं ही इसका कारण हूँ क्योंकि यह मेरी जनता इतनी पशुवत् एवं अशिक्षित व्यवहार करती है—

**ममैव किन्त्यत्र परिच्युतात्मनस्तुटिर्यदेषा जनतास्त्यशिक्षिता ।**

**पितुः स दोषः शिशु रत्ति यद् विषं विषग्हि वाच्यो यदिवर्धतरूजा ॥<sup>8</sup>**

सनातन कवि ने सीता एवं राम के सम्बन्धों की रक्षा एवं विश्वास की शिखरता को अक्षुण्ण रखते हुए सीता के सीतात्व की रक्षा की है जो कि नितान्त अलौकिक एवं स्तुत्य है। राम सीता के प्रति जनापवाद के पश्चात् किए गये व्यवहार से बदल व्याकुल भी नहीं होते हैं। वे कहते हैं कि —

**अहो विधातः कथमीदृशो ग्रहः सुरापगा-पावक-तुल्य-जीविताम् ।**

**मदेकचित्तामघ-मारुतैरिमां लताभिवाक्षेपयसे मम प्रियाम् ॥<sup>9</sup>**

माताओं ने जहां भी राम एवं सीता की कोमलता को उद्घाटित किया है वह समान ही है। सीता तृतीय सर्ग में अनेक ज्ञानयुक्त बातों को कहती हैं तदन्तर वन जाने को तैयार होती हैं, उन्हें न तो राम से, न ही प्रजा से, कोई शिकायत है वे विश्वमानव के कल्याण हेतु वन जाने को तैयार हैं। राष्ट्र की उन्नति कवि की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। आश्रम को कवि ने राष्ट्र की आपत्ति को दूर करने वाला कहा है। वे कहती हैं मैं जहाँ आप चाहें वहाँ रह सकती हूँ। आपकी कीर्ति के साथ विश्वमानव को निष्कण्टक रहना चाहिए —

**अस्तु मे भवदभीप्सिता स्थितिर्हन्त कुत्रचिदपि क्षमातले ।  
विष्वमस्तु तु विषल्यतां गतं काममद्य सह कीर्त्तिभिस्तव ॥<sup>10</sup>**

विभिन्न उहापोह के पश्चात् यदि राम ने सीता के परित्याग का निर्णय लिया। उसका स्पष्ट कारण कवि ने राष्ट्र-धर्म को माना है। उत्तररामचरित के रचनाकार भवभूति ने भी राष्ट्रधर्म पालन एवं लोककल्याण के लिए सीता परित्याग के निर्णय को राम के वचन के रूप में प्रस्तुत किया है।—

**स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि ।  
आराधनाय लोकानां मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥<sup>11</sup>**

सीता का परित्याग करने वाला राम पतिधर्मी राम नहीं है अपितु राष्ट्रधर्मी राम है। वह राजा राम है न कि सीता का करुणानिधान राम है। यहाँ पर कवि ने केवल शासन की आवश्यकता, प्रजा के कल्याण के लिए सीता के परित्याग को दर्शाया है, यद्यपि राम भी अत्यन्त भावुक हैं लेकिन राजा हैं भावना का स्थान कहां? कवि ने सीता

7. उत्तरसीताचरितम् 1 / 35

8. उत्तरसीताचरितम् 2 / 26

9. उत्तरसीताचरितम् 2 / 32

10. उत्तरसीताचरितम् 3 / 9

11. उत्तररामचरितम् 1 / 12



परित्याग के सम्बन्ध में परार्थ सम्पदा की बात की है परन्तु परार्थ का कोई उल्लेख नहीं किया है कि उन्हें कौन सा परार्थ अभिप्रेत है।

स वृक्षवृत्तिर्जनताकृते प्रियां लतामिव त्यक्तुमनास्ततोऽभवत् ।  
भवन्ति चेतांसि महात्मनां सदा परार्थसंपादनसौख्यभाजिज वै ।<sup>12</sup>

सीता के परित्याग के सन्दर्भ में उत्तरसीताचरितम् में अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए गए हैं; यद्यपि यह घटना भारतीय काव्य एवं समाज की विलक्षण एवं प्रवहणशील घटना है; जिस पर अनेक मत प्राप्त होते हैं। सीताचरितम् में राम लक्ष्मण के तर्क का समाधान करते हुए कहते हैं— तुम राम के आकाशपुष्प तुल्य कथा पर विचार न करो, केवल अपना कर्तव्य करो तुम इस परित्याग का भी कष्ट सह लो क्योंकि हम क्षत्रिय माता की कुक्षि से उत्पन्न हुए हैं हमें प्रजा की रक्षा अपनी बौद्धिक शक्ति से करना है यहां भावना का कोई स्थान नहीं है। वस्तुतः सामाजिक जीवन वाले व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन गौड़ हो जाता है। यहां ममत्व से कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया है।

स्त्री को मातृशक्ति के रूप में ही आचार्य ने स्वीकार किया। मध्यम वर्ग की स्त्री या सामान्य स्त्री का चित्रण नहीं है। सीता जी स्वयं को उर्मिला से संसार की चेरी भी कहती हैं। परन्तु निमिवंशीय कन्याओं माण्डवी एवं श्रुतकीर्ति, इन की बात स्तुत्य है। वे धिक्कारते हुए कहती हैं— निरर्गल पशु समाज में भी निर्दयता उस सीमा तक नहीं है; जितनी सभ्य मनुष्य समाज में दृष्टिगोचर होती है। पक्षी भी अपनी भावी सन्तान की सुविधा को ध्यान में रखकर नीड़ का निर्माण करते हैं परन्तु विद्वानों के इस समाज में विद्वानों के द्वारा चन्द्रमा की किरणों के सदृश निष्कलंक पक्वगर्भा, परिणीता, अबला को त्यागा जा रहा है।

अबला प्रथमं ततो वधूः परिणीताथ निषेकपाकभृत् ।  
अपि चेन्दुमरीचिनिर्मला विबुधैर्हन्त तथापि साऽस्यते ।<sup>13</sup>

कवि ने स्त्रियों को शास्त्र ज्ञान अपेक्षित माना है। लेकिन कवि ने स्त्री को पुरुष से स्वतंत्र नहीं माना है। पुरुष या पति के विषय में कहा गया है कि यह सम्बन्ध की उदात्तता है, न कि शोषण का भाव। विश्व कल्याण के लिए अबला को प्रबला बनने की बात की है। सीता ने अत्यन्त मार्मिक एवं मध्यम वर्गीय स्त्रियों का यथार्थ प्रस्तुत किया है। जिस गुण को वर्तमान स्त्री विमर्शकार पुरुषवादी मानसिकता, ब्राह्मणवाद या मनुवादी मानसिकता कहकर नकार देते हैं उसे सनातन कवि ने स्त्री के गुण के रूप में देखा एवं प्रस्तुत किया है, जो समाज में समरसता एवं औदार्य को जन्म देता है न कि दो ध्रुवों के संघर्ष को उत्पन्न करता है। सर्वजन के कल्याणार्थ सीता का मानवतावादी वचन स्तुत्य है।

रामायण के उत्तर काण्ड में भी 42वें सर्ग में सीता परित्याग की कथा प्रारम्भ होती है; जहाँ भद्र ने पुरजनों के विचार को राम के पूछने पर बतलाया है। वाल्मीकि एवं भवभूति दोनों ने सीता परित्याग का वचन राम से कहलवाया है।

अप्यहं जीवितं जह्यां युष्मान् वा पुरुषर्षभाः ।  
अपवादभयाद् भीतः किं पुनर्जनकात्मजाम् ।<sup>14</sup>

रामायण में बहाने से लक्ष्मण सीता को वन में छोड़ने जाते हैं। इसी का वर्णन गुप्त जी ने यशोधरा में किया। वे लिखते हैं —

जायें, सिद्धि पावें वे सुख से,  
दुःखी न हों इस जन के दुःख से,  
उपालम्भ दूँ मैं किस मुख से?  
आज अधिक वे भाते ।  
सखि वो मुझसे कहकर जाते ।<sup>15</sup>

12. उत्तरसीताचरितम् 2/37

13. उत्तरसीताचरितम् 3/9

14. रामायण उ०का० 45/14

राम सीता के प्रति कहे गये अवाच्य से दुखी होते हैं तथा सीता के परित्याग पर विचार करते हैं। राम समाज धर्म एवं वैयक्तिक अस्तित्व के बीच द्वन्द्व की स्थिति में प्रिया को छोड़ने का निर्णय लेते हैं तथा राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि स्वीकार करते हैं। परन्तु यहाँ यह बात स्पष्ट नहीं हो पाती कि भला जनता का क्या हित है सीता के परित्याग में। सनातन कवि इस प्रकार से सीता के प्रति किये गये अवाच्य का कारण अशिक्षा को मानते हैं तथा उस अशिक्षा के कारण के रूप में स्वयं अपने को मानते हैं—

ममैव किन्त्यत्र परिच्युतात्मनस्तुटिर्यदेषा जनतास्त्यशिक्षिता ।  
पितुः स दोषः शिशु रत्ति यद् विषं विषग्हि वाच्यो यदिवर्धतरूजा ॥<sup>16</sup>

पुनः सप्तम सर्ग में महर्षि वाल्मीकि सीता से प्रश्न करते हैं कि राम ने तुम्हें क्यों त्याग दिया। तब कवि ने पुनः वाल्मीकि से जो कहलवाया है उसमें तत्कालीन समाज प्रतिबिम्बित हो गया है। शिक्षा के प्रति कवि का युगानुकूल परिवर्तन स्तुत्य है।

भगवति! परमेकभत्र तत्त्वं, तव परिदेवनमूलभुन्नयामि ।  
रघुपति जनता न शिक्षितास्ति, भवति च तन्त्रमितः सतां विरक्तिः ॥<sup>17</sup>

कवि ने उस विधा को धिक्कारा है; जो नारी का सम्मान एवं संरक्षण नहीं करती। भले ही सीता परित्याग का प्रस्ताव अशिक्षित जनता से आया हो राम परित्याग का निर्णय लेने में असमर्थ हो रहे हो तब कवि ने स्त्री अस्मिता, स्वाभिमान एवं कर्तव्य निष्ठा की नवीन उद्भावना प्रस्तुत की है। कवि ने उस यथार्थ को नहीं दबाया है। जो समाज में युगोन्युगों से व्याप्त रहा है—

आर्य! यद्यपि मनस्विनीजनः स्त्रीति विश्ववचनीयतास्पदम्  
लोकनायकविवेकदीपकस्तत्कृते न परिहीयते परम् ॥<sup>18</sup>

कवि सनातन ने दाम्पत्य के स्वरूप को वर्णित करते हुए जो स्वरूप प्रस्तुत किया है, उसमें नारी न तो शोषित है, न शोषक है, न ही अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती है। वस्तुतः नारी का यही स्वरूप आदर्श समाज का निर्माण कर सकता है—

वस्तुतो यदि सुमानुषी सृतिः पद्मिनी, श्रयति पद्मतां प्रिया ।  
साऽस्ति चेद् यदि शिखा विभावसोरुष्मतां स्पृशति तत्र च प्रिया ॥<sup>19</sup>

आचार्य द्विवेदी ने नारी को 'सैव संस्कृत वसन्त कोकिला' कहा तथा स्त्री के मातृस्वरूप का प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि भगवान् भास्कर की किरणों में संवित्स्वरूपा मातृशक्ति ही प्रतिबिम्बित है—

ज्योतिरिङ्गण मयूखतो हि या भास्करावधि विभाव्यते प्रभा ।  
संविदक्षिणि ततोऽप्यसौ परा मातृशक्तिरनुबिम्ब्यते परम् ॥<sup>20</sup>

15. Hindi-kavita.com/यशोधरा 05

16. उत्तरसीताचरितम् 2/26

17. उत्तरसीताचरितम् 7/35

18. उत्तरसीताचरितम् 3/14

19. उत्तरसीताचरितम् 3/62

20. उत्तरसीताचरितम् 3/65

सीता उक्त महाकाव्य में उस नारी के रूप में चित्रित है; जो अपने देश एवं समाज के प्रति उत्तरदायी अर्थात् महत्त्वपूर्ण राष्ट्र के कार्यों में उसकी सहभागिता एवं निर्णय दोनों है। मध्यम वर्गीय नारी के स्वरूप में भी सीता को वर्णित किया है तथा विरोध के स्वर को भी दिखलाया गया है। सीता उर्मिला से कहती हैं—

अहमस्मि न साम्प्रतं स्वसो रविवंशस्य वधूः परात्परा ।

अधुनास्मि वराटचेटिका भुवनस्यास्य पुनर्वनेचरी ॥<sup>21</sup>

वे मानव को छुट्टा पशु से भी निकृष्ट कहती हैं—

समजेषु निरर्गलेष्वपि श्रयते निर्घृणता न तां प्रथाम् ।

श्रयते मनुजेषु यां, खगाः किमु नो नीडकृतः प्रजाकृते ॥<sup>22</sup>

उर्मिला श्रुतकीर्ति, माण्डवी प्रश्न करती हैं कि 'अपि मुद्रयितुं जनानं स्वसती—त्यागविधिः किमौचित्यं । यहाँ पर लोकमत को भी धिक्कारा गया है तथा कहा गया है कि धर्म क्या मात्र कान पकड़ने के लिए है। सामाजिक ढाँचा पर करारा प्रहार करते हुए कवि लिखते हैं— समाज की कटु रीतियों से भयभीत दरिद्र व्यक्ति आखिर क्या करे। समाज के द्वारा विश्वास की भूमिका का समुचित आदर नहीं किया जाता है। कवि ने विश्वास एवं भावना के संयोग को समाज के आवश्यक तत्त्व के रूप में माना है—

यदि विश्वसनस्य भूमिकामुपरिष्ठाच्च मनुष्यभावनाम् — ।

अधिकृत्य न संप्रवर्त्यते न समाजः स, महद्धि तच्छलम् ॥<sup>23</sup>

नारी के उदात्त स्वरूप का वर्णन कवि ने किया है। वे निमि वंशीय कन्याओं से कहलवाते हैं कि —

पुरुषः पुरुषार्थचत्वरे पदवीं ज्ञातुमितोऽभिलष्यति ।

महिला समयं परीक्ष्य तां दिशतीत्येवमुभौ महाव्रतौ ॥<sup>24</sup>

छठें सर्ग में कवि ने मध्यम वर्गीय नारी के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। सीता वाल्मीकि के आश्रम में हैं तथा सोचती है कि—

अकृत मनसि—'हन्त हन्त नारी जगति समर्पितचेतना परार्थे ।

न खलु न खलु विद्यतेऽत्र तस्या अणुपरिमाणमपि 'स्व'—संज्ञितत्वम् ॥<sup>25</sup>

यद्यपि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है तथापि किसी के महान होने के प्रति उसकी माता को महत्त्वपूर्ण माना है। स्त्रियों के मातृरूप की प्रशंसा करते हुए जन्म की पवित्रता को कवि ने महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। इनके अनुसार जिसका जन्म शुद्ध होता है वह महान होता है जैसे प्रकाश के लिए आकरोद्भवमणि किसी बाह्य उपाधि की अपेक्षा नहीं करती। सभ्य और सुशिक्षिता माता की शिक्षा के अतिरिक्त बालक को किसी अन्य से शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। सप्तम सर्ग में कवि सनातन वाल्मीकि से कहलवाते हैं कि जिस प्रकार रत्नप्रसू भूमि से उत्पन्न मणि बहुमूल्य होता है उसी प्रकार सती एवं पतिव्रता माताओं की कुक्षि से उत्पन्न मनुष्य जन्मते ही महान होता है।

दुहित इह पुमान् स जातमात्रो भवति महान् स्वत एव, यः सतीनाम् ।

प्रभवति शिवकुक्षितो महार्हो मणिरिह रत्नसुवो भुवः प्रसूतः ॥<sup>26</sup>

21. उत्तरसीताचरितम् 4/30

22. उत्तरसीताचरितम् 4/38

23. उत्तरसीताचरितम् 4/48

24. उत्तरसीताचरितम् 4/53

25. उत्तरसीताचरितम् 6/4

26. उत्तरसीताचरितम् 7/7

मातृत्व की भूरि-भूरि प्रशंसा आचार्य सनातन ने की है तथा नारी को विश्वशान्ति में समर्थ एवं ज्ञान, भक्ति एवं कर्म योग की त्रिवेणी माना है—

सा विश्वविध्वंसविरामभूमिः सा विश्वशान्त्यै पटु सामरस्यम् ।  
ज्ञानक्रियाभक्तिमयी च काचिद् योगत्रिवेणीप्रतिमापि सैव ॥<sup>27</sup>

कवि ने संस्कृत महाकाव्य के लक्षण को ध्यान में रखते हुए पंचम सर्ग में वनप्रान्त के सौन्दर्य का वर्णन किया है। कवि अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं— जिस प्रकार सीता ने वाल्मीकि आश्रम को सुन्दर एवं सभ्यता का पोषक बना दिया था क्या आज की महिलाएं अपने गांव व नगर को आदर्श रूप में प्रतिष्ठापित नहीं कर सकतीं? वर्तमान नारियों की इस हेतु रुचि कवि को अभिप्रेत है।

विपिनभुवि पुरत्वमत्र जज्ञे यदि किल केवलयैव रामपत्न्या ।  
किमिव पुरपुरन्ध्रयो न कुर्युर्जनपदसीम्नि, रुचिं यदि श्रयेयुः ॥<sup>28</sup>

कवि पर्यावरण के प्रति सतर्क है; जो किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं विकास के लिए आवश्यक है इसीलिए हनुमान जी ने लंका का दहन करके वहाँ का पर्यावरण नष्ट किया और श्रीराम ने कुबेर का। यहां पर कवि ने पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया है। पर्यावरण संरक्षण की भावना सच्ची देशभक्ति है।—

स्वयमपि कलशोर्द्धुमेष लध्वीरियमसृजत सलिलेन संभृतान्ताः ।  
कथमिव ननु सान्यथा लभेत प्रतिकणमुच्चतमां स्वदेशभक्तिम् ॥<sup>29</sup>

कवि ने अन्तःकरण के रावण को मारने की बात की है जो शोषण, अनाचार, अत्याचार आदि का जन्मदाता है—

सा राममाता च पुनः प्रतिष्ठामवेक्ष्य लोके तपसः सतीनाम् ।  
हृदि स्थितस्यापि दशाननस्य जादाद्य लोके मृतिरि—त्यमंस्त ॥<sup>30</sup>

वाल्मीकि ने सीता परित्याग के कारण के रूप में भृगु जी के शाप को माना है। वहीं आचार्य सनातन इस विषय पर मौन हैं। महर्षि वाल्मीकि ने राम के द्वारा सीता के देखभाल का वर्णन किया है; जिसमें लव—कुश के जन्म के दिन शत्रुघ्न वाल्मीकि जी के आश्रम में होते हैं, पर कवि सनातन मौन हैं। जहाँ आदिकवि ने सीता को वाल्मीकि के साथ अश्वमेघ यज्ञ में ले जाने की बात करते हैं। वहीं कवि नारी अस्मिता को ध्यान में रखते हुए कथा में युगानुकूल परिवर्तन करता है। यहाँ खोजते हुए लोग वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं।

अन्त में जब सीता के समक्ष समस्त जनपदवासी उपस्थित रहते हैं तथा उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं; जिसका कोई प्रभाव सीता पर नहीं पड़ता है उनकी मति विकार रहित हो जाती है। वे पद्मासन लगाकर बिना कोई तर्क—वितर्क के प्राणों का उत्सर्ग कर देती हैं। तब कवि का मन वह कह देता है जो न तो पूर्व के किसी कवि ने सीता से कहलवाया है और न ही इस ग्रन्थ में सीता ने अन्यत्र कहीं इस बात को कहा है—

इत्थं सैषा जनकतनया स्वात्मदेवस्वरूपं  
ज्योतिष्कायं कमपि मुदिता राममासाद्य जाता ।  
क्व भीरस्मिन् विरहजनिता, का च लोकप्रसूता  
सत्त्वासत्त्वप्रथितिरबला, का च कालव्यपेक्षा ॥<sup>31</sup>

27. उत्तरसीताचरितम् 10/46

28. उत्तरसीताचरितम् 6/31

29. उत्तरसीताचरितम् 6/33

30. उत्तरसीताचरितम् 9/59

31. उत्तरसीताचरितम् 10/70

इस प्रकार ध्यान मग्न हो वह किसी लोकोत्तर राम को प्राप्त करके प्रसन्न हो गयी। उस परम पद की प्राप्ति के उपरान्त इस राम के साथ कैसा विरह का भय, कैसा सतीत्व-असतीत्व सम्बन्धी लौकिक जनापवाद और कैसी अवसर की प्रतीक्षा इन सभी से वह निरपेक्ष हो गयी थीं। पवित्रता के सन्दर्भ में सनातन कवि ने सीता या किसी अन्य से न तो कुछ कहलवाया है, न ही अपनी प्रशंसा का कोई फर्क है सीता पर। जब कि महर्षि वाल्मीकि रामायण में अपनी तपस्या एवं उपासना की शपथ ग्रहण कर सीता की पवित्रता का कथन करते हैं –

इमौ तु जानकी पुत्रावुभौ च यमजातको ।  
सुतौ तवैव दुर्धर्षौ सत्यमेतत् ब्रवीमि ते ॥  
प्रचेतसोऽहं दशमः पुत्रो राघवनन्दनः ।  
न स्मराम्यनृतं वाक्यमिमौ तु तव पुत्रकौ ॥  
बहुवर्षसहस्राणि तपश्चर्या मया कृता ।  
नोपाशनीयं फलं तस्या दुष्टेयं यदि मैथिली ।  
मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वं न किल्बिषम् ।  
तस्याहं फलमश्नामि अपापा मैथिली यदि ॥<sup>32</sup>

वहाँ सीता सपथ ग्रहण करती है, परन्तु अपनी अस्मिता की दृष्टि से वह निर्विकार रूप में है। यद्यपि दोनों कवियों ने पृथिवी के फटने का कारण सीता की पवित्रता मानी है। किन्तु सनातन कवि की सीता को बारम्बार अपनी पवित्रता को प्रमाणित करना पसन्द नहीं है, परन्तु वह अपने कर्तव्य पर दृढ़ है। सनातन कवि ने शपथ ग्रहण न कराकर युगानुकूल नारी के स्वाभिमान को उदात्त स्वरूप में प्रस्तुत किया है। वह विश्व कल्याणार्थ वन जाती है तथा राष्ट्र को भावी योग्य नायक देकर अपनी आत्यन्तिक निवृत्ति कर लेती है, वह राष्ट्र समाज एवं भविष्य को ध्यान में रखकर ऐसा करती है।

आचार्य सनातन सर्वाधिक असह्य हैं महाकवि भवभूति से, जो सीता को राम के साथ वापस अयोध्या भेज देते हैं यह नारी अस्मिता एवं उसके आत्मा की हार ही तो है। कवि ने सीता के उदात्त चरित्र का वर्णन किया है; जो अनेक कष्टों को सहन कर धर्म पालन पर अडिग रहती है तथा हर परिस्थिति में निर्भय रहकर भारतीय नारियों के लिए आदर्श उपस्थित करती है। यह चिन्तन ही कवि एवं ग्रन्थ दोनों को आदर्श स्वरूप में स्थापित करता है। कविवर द्विवेदी ने महाकाव्य में अनेक आधुनिक विषयों का भी समावेश हो किया है परन्तु उनकी कविता, शैली की दृष्टि से काशी की प्रौढ़ परम्परा की प्रतिनिधित्व करती है।

### सन्दर्भ ग्रन्थ –

1. रामायण, महर्षि वाल्मीकि, द्वितीय खण्ड, गीताप्रेस गोरखपुर, 21वां संस्करण सं० 2069।
2. उत्तररामचरितम् भवभूति, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, प्रकाशन वर्ष 2012।
3. उत्तरसीताचरितम्, सनातनकवि द्विवेदी रेवाप्रसाद, कालिदास संस्थान, महामनापुरी, वाराणसी, षष्ठ संस्करण।
4. जानकीजीवनम्, कविवर मिश्र अभिराजराजेन्द्र, वैजयन्तप्रकाशन, 8 बाघम्बरी मार्ग, प्रयागराज।
5. Hindi-Kavita.com

32. रामायण 96/18-21

# आतंकवाद संकल्पना और आयाम

डॉ. पूनम सिंह

नेट पी-एच.डी. राजनीतिशास्त्र

आतंकवाद आधुनिक युग में सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन की एक पद्धति के रूप में सम्पूर्ण विश्व के समक्ष एक अमानवीय प्रवृत्ति के रूप में उभरा है। आज यह प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के विरुद्ध एक घोषित युद्ध एवं सम्पूर्ण विश्व व मानवता के लिए अभिशाप का रूप धारण कर चुका है। आतंकवाद आज की तारीख में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बन चुका है जिसकी परिधि में दुनिया की सारी अमोघ शक्तियाँ भी बौनी साबित हो रही है। 9/11 (sept.2001) की घटना में केवल इमारतें ही नहीं ध्वस्त हुईं (पेन्टागन और वर्ड सेन्टर) बल्कि तथाकथिक विकसित सभ्यता, लोकतंत्र और वैज्ञानिक एवं आर्थिक ताकत का समूचा मिथक ही भरभराकर गिर गया। अचानक ओसाम बिन लादेन बनाम जार्ज बुश के नाम आतंकवाद बनाम लोकतंत्र का प्रतिकात्मक युद्ध शुरू हो गया और ये दावा किया गया कि समूची दुनिया अब दो ध्रुवों में विभाजित हो गयी है एक वह जो अमेरिका के साथ है और दुनिया को लोकतंत्र एवं विकास के सस्ते पर ले जाना चाहता है और दूसरा वह जो आतंकवाद के साथ दुनिया को विध्वंस और नफरत की दुनिया में धकेल देना चाहता है।

मगर ऐसी प्रतीत होता है कि यहाँ हम आतंकवाद को सीमित दायरे में पढ़ने व समझने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकवाद का आयाम बहुत विकसित है इसका विस्तार केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही नहीं अपितु यह एक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्या है। इन विविध आयामों को समझकर आतंकवाद की समस्या का समाधान ढूँढ़ा जाना चाहिए।

आतंकवाद को ओ.पी. गाबा ने 'राजनीतिक विज्ञान कोश' में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किये हैं :-

“राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा और आतंकवाद का सहारा लेने की प्रवृत्ति या सिद्धान्त। इस शब्द का प्रयोग प्रायः स्थापित व्यवस्था के समर्थक अपने विरोधियों की आतंक पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए करते हैं, परंतु अपनी गतिविधियों को कोई आतंकवाद का नाम नहीं देता। आतंक फैलाने वाले लोग अपने आप को राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी या अपने दल का निष्ठावान सैनिक कहते हैं”।

इसमे बड़ी बिडम्बना और क्या हो सकती है कि आज तक आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया जा सका है। एक ही घटना को कोई आतंकवादी घटना मानता है और कोई आजादी की लड़ाई, दमन के विरुद्ध संघर्ष, अस्तित्व की रक्षा के लिए की गयी कार्यवाही माना है। इस प्रकार क्रिया एक ही होती है लेकिन उसे देखने, समझने का नजरिया अलग-अलग होता है। स्पष्ट है

पहले आतंकवाद को गहराई से समझना होगा। इसके मूल कारणों का विश्लेषण करना होगा तभी हम इसे समाप्त करने के बारे में सोच सकते हैं। वास्तव में आतंकवाद के अनेक रूप हैं और उनके अनेक कारण। विद्वानों ने आतंकवाद को मुख्यतः चार भागों में विभक्त किया है—

1. व्यक्तिपरक आतंकवाद
2. क्षेत्रीय आतंकवाद
3. राष्ट्रीय आतंकवाद
4. अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद

1. व्यक्तिपरक आतंकवाद— इसका आश्रय प्रायः वे ही लोग लेते हैं, जिनके सामने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने, न्योयोचित माँग पूरी करने अथवा शत्रु के शक्तिशाली होने के कारण आमने-सामने संघर्ष करने की सामर्थ्य नहीं होती है। फलतः ऐसे लोग गुप्त रूप से घोषित-अघोषित आतंकवाद का सहारा लेते हैं। क्षेत्रीय या राष्ट्रीय आतंकवाद इसी का व्यापक रूप है।

2. क्षेत्रीय आतंकवाद— क्षेत्रीय आतंकवाद वह होता है जहाँ एक-एक राष्ट्र के अन्तर्भूत क्षेत्रों या समुदायों की ओर से अपने स्वतंत्र भाषायी, साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय स्वतंत्रता की माँग को लेकर आतंकवाद का सहारा लिया जाता है। उदारणार्थ—इटली की रेड आर्मी, श्रीलंका के लिट्टे, भारत का खालिस्तान कमाण्डो फोर्स, नागा व मिजो विद्रोही, उल्फा तथा कश्मीर के जे.के.एल.एफ. आदि को लिया जा सकता है। ये आतंकवादी एक निर्धारित लक्ष्य व भावभूमि पर काम करते हैं। इनका उद्देश्य वहाँ के शासन को डगमगाना, जनता को आतंकित करके अपने प्रभाव का विस्तार करना और इस प्रकार अपनी माँग को मानने के लिए विवश करना होता है। इन आतंकवादियों के दल में बेरोजगार युवक, जातीय व धार्मिक उन्माद से प्रभावित लोग, विदेशी प्रलोभन से आकर्षित युवक आदि शामिल होते हैं। इस तरह इनका संगठन विभिन्न उद्देश्यों को लेकर लड़ने वालों का बड़ा समूह बन जाता है।

3. राष्ट्रीय आतंकवाद— इसमें आतंकवादी तत्वों को विभिन्न राष्ट्रों द्वारा मदद, शरण और आतंकवादी कार्यवाहियों के लिए हथियार प्रदान किये जाते हैं।

इस श्रेणी में पाकिस्तान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इराक, ईरान आदि का नाम उल्लेखनीय है। राष्ट्रीय आतंकवाद अपनी भौगोलिक सीमाओं के अन्दर लड़ा जाता है। इसमें अपने नागरिकों में से ही आतंकवादी बनते हैं और इसमें विदेशी सहायता, धन, हथियार, गाड़ी तथा प्रशिक्षण मिलता है, जैसे—लिट्टे को उत्तर कोरिया, यूरोप तथा एशिया में रहने वाले तमिल समुदाय तथा अन्य देशों से मदद मिलती है। हमास को फिलिस्तीनियों, ईरान व सउदी अरब से सहायता मिलती है। हिजबुल्लाह को ईरान व सीरिया से न केवल वित्तीय सहायता मिलती है बल्कि इसके सदस्यों को उनसे सैन्य प्रशिक्षण, हथियार, विस्फोट सामग्री भी मिलती है।

भारत में होने वाले आतंकवादी कार्यवाहियों में प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः पाकिस्तान का हाथ माना जाता रहा है।

राष्ट्रीय आतंकवाद में उन राष्ट्रों की स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों को ले सकते हैं, जो उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी ताकतों के दमन चक्र में पीस रहे हैं। जैसे— फिलिस्तीन जनता, दक्षिणी अफ्रीका की जनता आदि। ये लोग अपने विरोधियों की दृष्टि में यह आतंकवाद है, इसलिए इन पर कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इस तरह सरदार भगत सिंह ब्रिटिश शासन की नजर में आतंकवादी थे लेकिन भारतीयों की नजर में शहीद।

4. अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद— इसका अभिप्राय है विभिन्न आतंकवादी संगठनों का एक दूसरे से जुड़ जाना। आज भूमण्डलीकरण के दौर में आतंकवाद का रूप भी भूमण्डलीकरण हो रहा है, इसलिए आज आतंकवाद राष्ट्रीय सीमाओं को पर कर अंतरराष्ट्रीय स्वरूप धारण कर चुका है। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का यह रूप अत्यन्त भीषण है, जो कभी-कभी सम्पूर्ण विश्व में एक साथ कार्यवाही कर सबको विस्मित कर देता है, जैसे—खाड़ी युद्ध के समय सद्दाम ने फिलिस्तीनी आह्वान किया जिसके परिणामस्वरूप कई देशों में अमेरिका दूतवास एवं अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों के आस-पास बम विस्फोट हुए थे। पिछले 20-21 सालों में आतंकवादी घटनाएँ बेतहासा बढ़ी हैं। जिसमें आम धन-जन की हानि हुआ है। कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी हमने खो दिया है, जैसे—भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी (1984) एवं श्री राजीव गांधी (1991) तथा श्रीलंका के राष्ट्रपति रणसिंह प्रेमदास की आतंकवादी (1995) कार्यवाही में हत्या हुई थी।

सवाल यह उठता है कि आतंकवादी समाज में किस तरह से आतंक उत्पन्न करते हैं और आतंक का उद्देश्य क्या होता है। प्रायः सह माना जाता है कि आतंकवाद के मूलतः तीन उद्देश्य हैं—

1. आम आदमी का सरकार पर से विश्वास हिला देना।
2. सरकार पर प्रतिरोधात्मक कार्यवाही करने के लिए दबाव डालना।
3. लोगों को आतंकवाद के समर्थन में हथियार उठाने की प्रेरण देना।

अपनी कार्यवाही के प्रचार-प्रसार हेतु आतंकवादी मूलतः निम्न तरीकों को अपनाते हैं—

1. संचार सेवा नष्ट करके।
2. अपहरण करके व बंधक बना के।
3. सामूहिक नरसंहार व हत्याएँ करके।
4. आत्मघाती हमले करके।
5. जैविक हथियार का प्रयोग।

अब सवाल उठता है कि आतंकवाद का कारण क्या है? वास्तव में, आतंकवाद के उद्भव में विभिन्न देशों की अपनी विशिष्ट परिस्थिति, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दशाएँ भी उत्तरदायी रही हैं। इन कारणों का बिन्दुवार विश्लेषण इस तरह किया जा सकता है—

आर्थिक असमानता, पूँजी का अन्यायपूर्ण असमान वितरण आतंकवाद के उद्भव में एक प्रमुख कारण माना जा सकता है—

एक दूसरा प्रमुख कारण समाज में अन्य मूल्यों की अपेक्षा अर्थ की प्रधानता है।

दूसरा प्रमुख कारण धार्मिक उन्माद के रूप में देखा जा सकता है। पाखंडियों के द्वारा धर्म की विकृत व्याख्या करके धर्म के नाम पर अधर्म युक्त आतंकवाद का विस्तार किया जा रहा है। “मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना”, को भूलकर मजहबी उन्माद पैदा करके धर्म के ठेकेदार अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आज दुनिया में ‘इस्लामी बम’ की चर्चा है। वास्तव में यह इस्लामिक बम पाक इस्लाम को नापाक करने का प्रयास है। यह सही है कि दुनिया के अधिकांश आतंकवादी संगठन इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं लेकिन इन आतंकवादी गतिविधियों के पीछे इस्लाम नहीं अपितु ऐतिहासिक कारण ढूँढ़े जाने चाहिए। विज्ञान एवं तकनीकी के विकास के साथ इस्लाम अपनी कट्टरता के कारण कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाया। धर्म और जेहाद के बल पर अर्जित की गई बादशाहत नष्ट हो गई, अपने को शासक बनाए रखने की मानसिकता ने आज उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर ढकेल दिया। आज दुनिया के बहुत कम देश जो लगभग न के



बराबर हैं, धर्म तंत्र से शासित हो रहे हैं जबकि हम अब लोकतंत्र को पूरे विश्व में स्थापित करना चाहते हैं तो धर्म के आधार पर शासन की मनसा रखने वाले निश्चित रूप से हतोत्साहित एवं कुंठित होकर विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे वे आतंकवाद के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। कुल मिलाकर धार्मिक आतंकवाद, मजहबी कट्टरता से उपजा एक ऐसा अभिशाप है जो संपूर्ण समाज को तरस-नहस करना चाहता है।

तीसरा प्रमुख कारण मनोवैज्ञानिक है। युवाशक्ति की सहज गतिशीलता, आत्मप्रदर्शन, नवीनता एवं परिवर्तन के प्रति सहज आकर्षण, बुद्धि से अधिक भावना की प्रधानता, आत्मसम्मान की रक्षा की भावना, प्रभुत्व एवं धन-प्राप्त करने की आकांक्षा, अधिकारों के प्रति अधिक सजगता, सामाजिक असमानता के प्रति क्षोभ, असफलताओं से उत्पन्न कुंठा, असुरक्षा की भावना आदि मनोवैज्ञानिक तत्त्व आतंकवाद के लिए उत्तरदायी हैं।

चौथा प्रमुख कारण, जो आतंकवाद के प्रचार-प्रसार एवं अंतरराष्ट्रीयकरण में भूमिका निभा रहा है वह है विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग।

पाचवाँ प्रमुख कारण शत्रु राष्ट्रों का हस्तक्षेप है। खासकर भारत के आतंकवाद में पड़ोसी मुल्कों का प्रमुख योगदान है।

अब प्रश्न यह उठता है कि आतंकवाद, जो कि एक असामाजिक असांस्कृतिक, असंवैधानिक, अनैतिक एवं अवांछित कार्यपद्धति है, से कैसे निपटा जाए? चूँकि आजकल आतंकवाद सभ्य और सुसंस्कृत जीवन के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है और उसने अंतरराष्ट्रीय आयाम ग्रहण कर लिया है, अतः सभ्य समाज की यह माँग है कि आतंकवाद के खूनी पंजों को मरोड़ने के लिए संगठित प्रयास किया जाय।

यदि हमें सभ्य समाज का निर्माण करना हो तो निष्पक्ष, पारदर्शी एवं लोकतांत्रिक तरीके से आतंकवाद का सामना करना होगा, इसके लिए हमारे विचार में निम्नलिखित उपाय करना चाहिए।

- 1- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से आतंकवाद के विरुद्ध प्रचार करना चाहिए।
- 2- धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझाया जा चाहिए तथा धार्मिक सहिष्णुता एवं सर्व धर्म सम्भाव की भावना का विकास करना सहिए।
- 3- आर्थिक प्रगति की दिशा समरस समाज की स्थापना की ओर होना चाहिए। आर्थिक एवं सामाजिक अन्याय को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
- 4- युवाओं के भीतर नैतिकता युक्त आत्मबल पैदा करना चाहिए। जिससे वे आतंकवाद का मुकाबला कर सकें और स्वयं उसका हिस्सा न बने।
- 5- आतंकवादी गतिविधियों यथा-मानव हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान आदि की इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं दी जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति या संगठन ऐसा करता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। चाहे उसके उद्देश्य कितने ही पवित्र क्यों न हो, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सार्थक तरीका बैलेट है न कि बुलेट। अतः आतंकवाद गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
- 6- जो युवक अपने पथ से भटक गए हैं, उन्हें वापस समाज के मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- 7- दुनिया के सारे राष्ट्रों को चाहिए कि अल्पसंख्यकों की पहचान सुरक्षित रखने का समुचित प्रयास करें।

8- सत्ता या राजनीति से जुड़े लोग, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी या अधिकारी यदि आतंकवादी गतिविधियों में किसी प्रकार से लिप्त पाया जाय तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

9- आतंकवादी को किसी प्रकार से सहायता देने वालों को भी कठोर सजा देनी चाहिए।

10- पकड़े गए आतंकवादियों को लंबे समय तक कैद में रखना खर्चीला एवं कठिन होता है। अतः आतंकवाद से जूझ रहे देशों में त्वरित न्यायालयों का गठन होना चाहिए ताकि लंबे कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सके और आतंकवादियों को अतिशीघ्र दंडित किया जा सके।

11- और अंत में शठे-शाठ्यम-समाचरेत् का आदर्श आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में मुँहतोड़ जवाब देने में परहेज नहीं करना चाहिए क्योंकि जो समाज को नष्ट करना चाहता है उसे समाज में, देश में और विश्व में जीवित रहने का कोई नैतिक, कानूनी और मानवीय अधिकार प्राप्त नहीं है।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आतंकवाद रुग्ण (degenerated) सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था का उत्पाद है। इसकी उत्पत्ति एक लंबे समय तक न ध्यान दिए गए परकीयकरण या एकाकीपन (Unnoticed Alienation) के परिणामस्वरूप होती है। मौजूदा स्थिति के संदर्भ में धार्मिक उन्माद, असंतोष, हताशा, व निराशा, इसके मुख्य कारण हैं। जब तक सामाजिक व्यवस्था रुग्ण बनी रहेगी और जब तक इसकी तह में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय विद्यमान रहेगा चाहे काल्पनिक हो या यथार्थ, जब तक न्याय मिलने में विलंब या कुप्रबंधन रहेगा आतंकवाद किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगा। अतः केवल सैनिक कार्यवाही से आतंकवाद को रोकना नामुमकिन है, इसके लिए एक अन्यायमुक्त सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का प्रयत्न करना होगा।

## संदर्भ, ग्रंथ एवं पत्रिकाएँ

1. भारतीय राजव्यवस्था एक समय विवेचना : उदयभान जैन एवं
2. भारतीय शासन एवं राजनीति : डॉ. पुखराज जैन एवं बी.एल. फाड़िया
3. सामाजिक राजनीतिक दर्शन : डॉ. हृदयनारायण मिश्र
4. इंटरनेशनल टैरिज्म : नंद किशोर
5. आधुनिक राजनीतिक चिंतन का इतिहास : डॉ. गंगा तिवारी
6. हाउ नाट यू कमबैट टैरिज्म : सतींद्र सिंह
7. आतंकवाद की पृष्ठभूमि और निराकरण : राममोहन
8. भारत और विश्व : डॉ. सी.पी.जी. श्रीवास्तव
9. प्रगति मंजूषा : सितंबर-अक्टूबर 1985
10. यूथ कम्पटीशन टाइम्स : अंक 8, 1985
11. सिविल सर्विर्सज क्रानिकल : नवंबर 1998
12. द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय : 13 सितंबर, 2001
13. अकादमिक पत्रिका : सीएसटी सितंबर, अंक 2001
14. राष्ट्रीय सहारा : 10 जुलाई, 2005
15. इंडिया टूडे : 9 जनवरी, 2002

16. जनसत्ता : नई दिल्ली, 16 सितंबर, 2003  
17. राष्ट्रीय सहारा : गोरखपुर, रविवार  
18. फ्रंट लाईन : अक्टूबर 2001 अंक  
19. आउटलुक : नवंबर 2001 अंक  
20. योजना में प्रकाशित आवरण लेख : आतंकवाद एवं चुनौतियाँ  
21. राष्ट्रीय सहारा : हस्तक्षेप, गोरखपुर, 20 मार्च, 2007

## शिक्षा में व्यावसायिक नैतिकता का योगदान

डॉ. रुचि हरीश आर्य  
सह प्राध्यापिका, शिक्षाशास्त्र विभाग,  
राजकीय महाविद्यालय, मासी, अल्मोड़ा।

**सारांश—** वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धी दुनिया की, इस दुनिया में हम अपनी शिक्षा प्रणाली में विविध परिवर्तन देख रहे हैं। शिक्षा के उद्देश्य भी शिक्षार्थी, समाज और राष्ट्र की जरूरतों, रुचियों और आवश्यकता के अनुसार बदल रहे हैं। शैक्षिक क्षेत्र में, नैतिक विचारों ने अपना मूल्य और स्थान खो दिया है, आजकल के दौर में वास्तविक जीवन में भी हमारे आसपास नैतिक व्यक्ति को खोजना बहुत मुश्किल है। इसलिए व्यक्ति के पेशेवर जीवन में नैतिकता विकसित करना समय की मांग है। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यावसायिक नैतिकता एक मार्गदर्शक की तरह है जो शिक्षक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और शिक्षार्थियों के बीच अच्छे मूल्यों को विकसित करने की सुविधा प्रदान करती है। यह शिक्षक को एक शिक्षक के रूप में अपने पेशे को समझने में भी मदद करता है। पेशेवर नैतिकता की भावना रखने वाले शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के साथ प्यार, देखभाल, स्नेह और प्रतिबद्धता के साथ व्यवहार करेंगे। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अनुशासनहीनता, क्रोध, हताशा से निपटने के लिए, पाठ्यक्रम में मूल्य आधारित शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा आदि को फिर से शुरू करना बहुत महत्वपूर्ण है।

**मुख्य शब्द :** नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, शिक्षा प्रणाली आदि।

**परिचय—** हाल के वर्षों में विभिन्न व्यवसायों और उनके संबंधित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों में नैतिकता शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण पेशा सीधे राष्ट्र और उसके नागरिकों को प्रभावित करता है। नैतिक आयामों को हमारी शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण माना जाता है जो विद्यार्थियों की शिक्षा और शिक्षक शिक्षा दोनों के संबंध में महत्वपूर्ण माने जाते हैं जिसके कई प्रमाण मौजूद हैं। पेशेवर प्रदर्शन के लिए नैतिकता वे मानक या मार्गदर्शक हैं जो सीखने-सिखाने को सही या गलत बनाते हैं। शिक्षा में नैतिकता आवश्यक है क्योंकि वे व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में मदद करते हैं, यह, क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, के मानकों को निर्धारित करता है और शिक्षक और शिक्षार्थियों दोनों के हितों की रक्षा करने में मदद करता है। इन नैतिकताओं के बारे में छात्रों को जागरूक करना शिक्षक का काम है। साथ ही, ये नैतिकता शिक्षा प्रणाली को विनियमित करने में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि यह प्रथा मानव कल्याण की दिशा में सकारात्मक योगदान दे।

“नैतिकता” शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द “एथोस” से हुई है, जिसका अर्थ है चरित्र या प्रथा, विशिष्ट चरित्र, भावना, नैतिक, प्राकृतिक या किसी व्यक्ति, समूह या संस्था का मार्गदर्शक विश्वास। कोलिन थिसॉरस के अनुसार नैतिकता के पर्यायवाची हैं विवेक, नैतिक संहिता, नैतिकता, नैतिक दर्शन, नैतिक मूल्य, सिद्धांत, आचरण के नियम, मानक। सदाचार नैतिकता सिद्धांत के अनुसार, नैतिकता नैतिक दर्शन की एक शाखा है जो नैतिक सोच के प्रमुख तत्व के रूप में नियमों या परिणामों के बजाय चरित्र पर जोर देती है। इसका एक उदाहरण: जब किसी अच्छे व्यक्ति के पास किसी और की मूल्यवान वस्तु पाई जाती है, तो यह माना जाएगा कि वह वस्तु उसे सुरक्षित रखने के लिए उधार दी गई थी, जबकि यदि वह संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति के

कब्जे में थी, तो यह माना जाएगा कि उसने लेख चुरा लिया है। इस प्रकार नैतिकता को सही या गलत आचरण या क्रिया के रूप में व्यक्त, व्यक्ति के चरित्र के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

व्यावसायिक नैतिकता की परिभाषित-मूल्यों, नियमों का समूह और मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिनका किसी पेशे के सदस्य को प्राधिकारी के साथ अपनी अच्छी स्थिति बनाए रखने के लिए पालन करना चाहिए जो उन्हें अपने पेशे के भीतर काम करने की अनुमति देता है। व्यावसायिक नैतिकता कुछ और नहीं बल्कि विभिन्न व्यवसायों पर लागू आचार संहिता है और इसे ऐसे पेशे या पेशेवर संगठन के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा स्थापित किया जाता है। पेशेवर नैतिकता रखने का अंतर्निहित दर्शन इस तरह की नौकरियों में प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को ध्वनि, समान नैतिक आचरण का पालन करना है।

हमारी शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक नैतिकता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक मार्गदर्शक की तरह है जो शिक्षक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और शिक्षार्थियों के बीच अच्छे मूल्यों को विकसित करने की सुविधा प्रदान करता है। यह शिक्षक को एक शिक्षक के रूप में अपने पेशे को समझने में भी मदद करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षकों के व्यवहार और निर्णय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न केवल छात्रों को बल्कि माता-पिता, सहपाठियों, समुदाय और समाज जैसे कई लोगों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं।

शिक्षा में अधिकांश पेशेवर यह महसूस करते हैं कि उनके दायित्व और कर्तव्यों के निर्वहन में उनका मार्गदर्शन करने के लिए सिद्धांतों की एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए पेशेवर नैतिकता की तत्काल आवश्यकता है। प्रत्येक पेशेवर क्षेत्र की अपनी पेशेवर नैतिकता होती है जिसके बिना वे ठीक से काम नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए: व्यावसायिक नैतिकता, विपणन नैतिकता, वकील की नैतिकता। उसी तरह शिक्षा में हमारे पास शिक्षक के लिए पेशेवर नैतिकता है। शैक्षणिक प्रशिक्षक डॉ. आर.ए. शर्मा ने व्यावसायिक नैतिकता के घटकों का उल्लेख इस प्रकार किया है:

- एक स्कूल शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी
- शिक्षक के कार्य और कर्तव्य
- शिक्षण या शिक्षक परिषद के मानदंडों का पालन करना
- किसी शिक्षा के मूल्यों, विश्वासों और आदर्शों का पालन करना।
- शिक्षण पेशे के नियमों और शर्तों का पालन करना।

अतः शिक्षक का विद्यार्थियों, संस्थाओं, समाज और समुदाय के प्रति व्यापक उत्तरदायित्व होता है। व्यावसायिक नैतिकता में समाज के मूल्य, आदर्श और विश्वास, भूमिका और जिम्मेदारियां, मानदंड और मानक शामिल हैं। शिक्षक को अपने प्रभावी शिक्षण और छात्रों के प्रभावी शिक्षण के लिए जवाबदेह होने के द्वारा शिक्षण के अपने पेशे के प्रति अपनी जवाबदेही के प्रति जागरूक होना चाहिए। एक शिक्षक का व्यक्तिगत विकास व्यावसायीकरण का मूल है और पेशेवर नैतिकता का आधार बनता है। शिक्षक के लिए पेशेवर नैतिकता की अवधारणा को रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है “हमारे आदर्श जीवन में हमें एक सत्य की अभिव्यक्ति के माध्यम से सभी प्राणियों को हर समय स्पर्श करना चाहिए जो शाश्वत और सार्वभौमिक है”। पेशेवर मूल्यों को उसके सही परिप्रेक्ष्य में पालन करने के लिए, एक शिक्षक को दूसरों को पढ़ाना, प्रभावित करना और अच्छे उदाहरण दिखाना, सीखना चाहिए। उसे आचार संहिता का पालन करना चाहिए और उच्च पेशेवर मानकों को बनाए रखना चाहिए क्योंकि छात्र, शिक्षक के व्यवहार की नकल करते हैं। शिक्षक का संपूर्ण व्यक्तित्व छात्रों के मन का प्रतिबिंब होता है। यदि शिक्षक ईमानदार है तो एक संतुलित और अनुशासित जीवन व्यतीत करता है, बच्चे अनजाने में उन गुणों को आदर्श आचरण के रूप में

अपना लेते हैं। एक आदर्श शिक्षक वह होता है जो अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के माध्यम से एक ईमानदार जीवन का आभास देता है और जो छात्र को नकल करने, अनुसरण करने के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है। एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करने के लिए, शिक्षक के पास व्यावसायिकता दिखाने के लिए एक नैतिक आचार संहिता होनी चाहिए। वे नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि ये शैक्षिक मार्गदर्शक अपना काम करते समय निष्पक्ष रहें और अडिग शिक्षा प्रदान करने के अपने उद्देश्य को पूरा करें। शिक्षक को छात्रों, महाविद्यालयों, समुदाय और समाज के साथ व्यवहार करते समय नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जिनमें कुछ इस प्रकार हैं—

### 1. छात्रों के साथ नैतिकता

शिक्षक को कक्षा में सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की भूमिका सौंपी जाती है। नैतिकता के एक भाग के रूप में उन्हें किसी विशेष छात्र के प्रति पक्षपात नहीं करना चाहिए या उनमें से किसी के प्रति भेदभाव भी नहीं दिखाना चाहिए। उसे बिना किसी लाभ के विद्यार्थियों के साथ उचित तरीके से बातचीत करनी चाहिए। उन्हें छात्र के साथ उचित रूप से बातचीत करनी चाहिए। शिक्षक का कर्तव्य केवल छात्रों को अकादमिक ज्ञान देने से ही पूरा नहीं होता बल्कि उसे छात्रों के चरित्र और उनमें अच्छे गुणों का विकास करना होता है।

### 2. सभी छात्रों की सुरक्षा

शिक्षार्थी को विभिन्न विषयों की मूल बातें समझाने के अलावा, यह शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे छात्रों का विश्वास हासिल करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। छात्र अपनी समस्याओं, मुद्दों को शिक्षक के साथ तभी साझा करेंगे जब उन्हें लगेगा कि वह उनकी समस्या को समझते हैं और उनका सही मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षक को प्रत्येक छात्र की जरूरतों को समझना होगा और स्कूल परिसर में होने वाली उत्पीड़न और धमकाने की घटनाओं की रिपोर्ट करनी होगी। इसके अलावा अगर घर में किसी छात्र के साथ उपेक्षा या दुर्व्यवहार का एक संदेह है या जब कोई छात्र ऐसे किसी मामले का खुलासा करता है तो उसे तुरंत सही अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए, भले ही इसमें शामिल छात्र इस तरह के कार्यों से परहेज करता हो।

### 3. पेशे के प्रति प्रतिबद्धता

जो लोग शिक्षण के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उन्हें अपने पेशे से संबंधित नैतिकता को समझना चाहिए। उन्हें अपनी योग्यता, शुरु किए गए पाठ्यक्रमों या कार्यशालाओं के प्रमाण पत्र के बारे में सटीक जानकारी का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। शिक्षक को छात्रों की प्रगति की रिपोर्ट देनी चाहिए और मूल्यांकन के लिए ग्रेड देने में निष्पक्ष होना चाहिए। शिक्षक को अपने निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए प्रयास करना चाहिए और अध्ययन मंडल, सेमिनार, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लेना चाहिए।

### 4. सहकर्मियों के साथ सहयोग

स्कूल या संस्थान के वातावरण को स्वस्थ बनाने के लिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी शिक्षक, प्रशासन और गैर-शिक्षण कर्मचारी शिक्षार्थी के लिए एक समृद्ध सीखने का अनुभव देने के लिए सहयोग करें। संस्था से जुड़े प्रत्येक शिक्षक को प्रशासकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। यहां तक कि असहमति के मामले में, किसी सहकर्मी के साथ तुच्छ मुद्दे या किसी विषय पर शिक्षकों को अपने मतभेदों को निजी तौर पर सुलझाना चाहिए। उन्हें अपने साथी कर्मचारियों के लिए नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए और उनके साथ उचित संबंध बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा, शिक्षक को व्यक्तिगत और

व्यावसायिक जीवन को अलग रखना चाहिए और पेशे के अन्य सदस्यों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, चाहे उनका स्तर और योग्यता कुछ भी हो।

## 5. माता-पिता और समुदाय के साथ बातचीत

सहकर्मियों के अलावा, शिक्षक को बच्चे के भविष्य के लिए माता-पिता या अभिभावकों के साथ सकारात्मक बातचीत में शामिल होना चाहिए। माता-पिता के साथ बातचीत को पेशेवर और झगड़ों से मुक्त रखा जाना चाहिए। शिक्षक को, छात्र के माता-पिता को कक्षा में अपने बच्चे के प्रदर्शन के बारे में सूचित करना चाहिए। माता-पिता की परेशानी के मामले में, बैठक प्रशासक की देखरेख में या अन्य शिक्षक की मदद से आयोजित की जानी चाहिए।

## 6. शिक्षक संघ

शिक्षक संघ भी एक ऐसा वातावरण बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जिसमें शिक्षक को अनुकूल वातावरण मिले और सन्दिग्ध और असमाजिक लोग शिक्षण संस्थानों में प्रवेश न कर सकें। यूनियनों को एक जनमत तैयार करनी चाहिए जो इस तरह के असामाजिक कृत्य के खिलाफ पर्याप्त सहयोग के रूप में काम करे। अब तक शिक्षक संघ केवल अपनी शिकायतों को हवा देने और सेवा शर्तों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा, इन यूनियनों को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए जो शिक्षकों को लोगों के बीच अपनी उचित छवि पेश करने में मदद कर सकें।

## निष्कर्ष

शिक्षक को आचार संहिता का पालन करने का संकल्प लेना चाहिए जिससे पूरे पेशे को श्रेय मिल सके। आज हम अनैतिक पेशेवर प्रथाओं जैसे भ्रष्टाचार, अनुचित मूल्यांकन, अनुचित स्तर की भावनाओं जैसे क्रोध, निराशा, घृणा और अनुशासनहीनता की समस्या का सामना कर रहे हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों में गिरावट के प्रमुख कारणों की पहचान करने का यह सही समय है।

## संदर्भ

1. International Journal on recent and innovative trends in computing and communication.
2. American Journal of education research. [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net)
3. Karma Sherpa, "Importance of professional ethics for teacher"
4. [www.medium.com](http://www.medium.com) workethics
5. Edudirect.com "Ethics in Education"
6. R.A. Sharma, "Teacher Education and Pedagogical Training"
7. Rituparna Raj, "A study in Business Ethics", Himalaya Publishing House.



# Virtual and Classroom Learning in Higher Education during Pandemic : A Case Study

Dr. Shiv Poojan Yadav

Associate Professor Commerce, Govt. Degree College Tilhar Shahjahanpur

**Abstract** - The purpose of this paper is to show the impact of technology on education in every sphere. During pandemic people had to change from their work of physical mode to online mode. No doubt as the things gets normal now still many big organizations like Google are promoting two days work from home and three days' work in organization as they realize they really saved a lot by adopting such propaganda. E-Learning has become a necessity in higher educational institutes and is being deployed throughout the world. Rise of E-Learning technology used by the higher education can be attributed to globalization. The Government of India and the University Grants Commission (UGC) has come to a realization that Information and Communication Technology (ICT) in higher education would bring the benefits into the current higher education system. Initially faculty faced a lot of dissonance towards the student's engagement during a lockdown. But the students responded way better and the attendance was many times better than regular classes. There were various initiatives from the Ministry of Human resource management (MHRD), an offering of free Swayam Courses. Basically, this is review based paper which is helpful to express the importance of both virtual as well as classroom learning in higher education.

**Keywords** – Virtual, classroom, ICT, Pandemic, E- Learning.

---

**Introduction** : As the Covid pandemic reached India, people had to change from their physical work to online modes of doing works and studying. All the sectors have adapted to online modes of doing works. They either did it voluntarily or they had to adapt to it. The ones who did not, have to close up their works, professions and businesses. As the things are getting back to normal now, still the businesses and large companies like Google are promoting 2 days of working from home and 3 days of working in office because these large businesses have realized that they save a lot on costs. Not just the businesses are benefiting from the online conversions, the educational institutions and their students are also benefiting from it. Many colleges and institutions have started offering distant learning courses apart from the regular classroom courses they were earlier offering. This has expanded the student base for the colleges and universities and the students also benefited from it by choosing the universities from which they would like to study and that also at a lesser price than the regular classroom courses offered.

The students from foreign countries were also benefited from this step. They could easily take admissions in the universities in a different country which could grant them high quality education at affordable cost. This granted them wide options to choose from. E-Learning has become a necessity in higher educational



institutes and is being deployed throughout the world. Rise of E-Learning technology used by the higher education can be attributed to globalization. The internet has become one of the vital ways to make available resources for the research and learning both for teachers and students to acquire information. The Government of India and the University Grants Commission (UGC) has come to a realization that Information and Communication Technology (ICT) in higher education would bring the benefits into the current higher education system. The use of ICT in the traditional systems is bound to have a significant impact on the overall education system by enhancing the accessibility of the adverse education opportunities and improving its quality within minimum costs. For maximum benefits of E Learning at minimum costs, proper policies and strategies must be implemented to integrate the available local technologies with the current education system. To meet the increased demand for the flexible learning systems in the local and international market today, UGC in India has resolved to take advantage of ICTs to improve virtual education through E-Learning in most of its institutions of higher learning.

The Covid-19 lockdown brought a challenge for the teaching faculty also. They had to look this from a positive perspective and identify this as an opportunity to go for virtual classroom, virtual learning and teaching. With the crisis there is a wide adaptation of technology in teaching and learning process. Many institutions conducted faculty development programs online to gear up the positivity among the faculty during crisis. Initially faculty faced a lot of dissonance towards the student's engagement during a lockdown. But the students responded way better and the attendance was many times better than regular classes. There were various initiatives from the Ministry of Human resource management (MHRD), an offering of free Swayam Courses. Many institutions subscribed for the free online courses for the students during the lockdown. Though, both teachers and the students adapted to the changes. For some it was not at all a problem and they adapted to it easily but for some it was a difficult task. To understand and adapt to changes like which platforms to use, technical issues and problem faced by the students due to the lack of internet facility in the rural parts of the country were ultimate challenges. Many students and teachers also missed the traditional learning and teaching technique the old chalk and talk method. Some were not able to develop their interest in the new method. The adaptation to new method also took a little more time due to shift to online mode and making of new IDs for students. This all led to a little bit slowdown but ultimately changes were made and finally adapted to.

**Review of Literature :** The effect of Covid-19 on the Education System was a very heated topic because it affected the performance of the youth, the upcoming generations who will have to prove their capabilities to manage the country. Experts have given their opinions about the positive and negative impacts that took place because of this change, because they were concerned about the future of the country and concerned that whether the online learning system had a bad impact on the performance of the students in academics.(Li et al., 2014) have focused upon behavioral engagements among students by making a comparative analysis of both traditional learning and E- learning. Study revealed that there is no significant difference between the engagements of active learning in both traditional as well as virtual learning. Study further revealed that through online learning students can appraise their innovative as well as critical thinking .(Suleri & Suleri, 2018) their paper aims to show the relationship between virtual Learning, classical classroom learning and blended learning in higher education. Study recommended that educators as well as institutions should use modern technology in a viable manner. They should design their curriculum and method of teaching in such a way that is beneficial for the students at campus as well as distant level. Study further revealed that their should be blended learning in higher education.(Prasad et al., 2013)through their study conclude that due to the ever-growing availability of broadband internet

connectivity, minimum hardware cost and evolution of Internet and its web technologies, online education is a reusable resource that has potential to overcome the difficulties of traditional education system to include every student in the education process. It can be established to enable higher education institutions in rural and remote areas. (Saxena, 2017) explained that while there is a positive trend regarding the adoption of digital learning in India, poor internet connectivity in smaller towns and semi-urban areas form the primary impediment towards widespread adoption of this technology driven learning. According to her, this massive potential of learning tools such as gamification, video-based learning, competency training etc. can only be realized once the issues are circumvented. (Tiruwa et al., 2018) focused on the impact of various internet-based sites like Facebook, twitter on higher education. These social network sites also provide two way communication between educator and learner. Study further suggested that Facebook provide such type of environment which is similar to small study groups where people can easily share their knowledge as well as material. (Singh & Pegu, 2014) focused on their research to examine the role of Information and Communication Technology (ICT) in the higher education in India. The ICT has brought a tremendous change in the higher education, but India still has to achieve a higher level of IT adaptation in education sector. (Ali Biswas & Nandi, 2020) discuss the problems that teachers and students have to face in a virtual classroom and how they can overcome them. They say about the effect of globalization on the technology and how it led to its positive improvements. (Chatterjee & Nath, 2015) explain how Massive Open Online Courses have evolved as a new paradigm of digitized open education which could be implemented in massive domain of India. In developing country like India where significantly large number of people live in rural areas and cannot afford quality education, MOOCs can definitely be considered as game changers. So, all these researchers have given invaluable information regarding how Virtual Learning can reform the education system. They made us aware about what the traditional education system lacked how E-Learning can eliminate those limitations. They were resourceful pieces of information because they gave ideas of how to implement the new E-Learning system successfully, what were the hindrances in its implementation and how they can be easily and successfully removed.

**Research Methodology :** This is a review-based paper, secondary data will be used, where different articles taken from the internet and studied in detail and close as per the research goals. All articles have been read then make a comparative study of both virtual as well as classroom learning.

**Comparing the Physical Classroom and E-Learning :** The effectiveness of classroom and e learning often becomes the issue of debate. Following are the few points that can help us see both classroom and e-learning so that we can have a choice in context to our requirements.

1. Nature: The classroom training allows the learners to personally interact with the instructor and other learners in the live environment. There is always somebody in the classroom to motivate and assess the performance of learners in the classroom. E-Learning on the other hand depends on the electronic media to interact with the fellow classmates and teachers. The E-learners have to be self-disciplined to gain benefit from the e-learning course.

2. Training Requirements: Presenting huge piles of information in the classroom to teach the basics of any subject in today's fast paced working environments cannot be a preferable choice. E-Learning is definitely

a better choice in comparison to classroom learning when it comes to providing information with respect to many learners understanding the concept. Teachers can benefit from e-learning in the form of e-books, online manuals, online handbooks, audio and videos to transmit huge information. It can ensure consistent learning experience for the learners.

3. Learner's Requirements: The main aim of classroom training is to focus on presentation of a lot of information, including basics and least allows for the interacting course. E Learning course is developed on the basis of sound instructional designing strategies and adhere to adult learning principles as well, they can be highly beneficial and engaging for the adult learners. They are more likely to go after this course because it allows them to experiment, practice, perform and acquire required skill. But still some learners may lose interest in the self-paced, self-driven e-learning course

4. Cost Benefits: Classroom training requires the presence trainer or teacher each and every time a course is supposed to be delivered which increase the travel costs. Researches show that e-learning is more cost effective than the classroom training. Corporates can easily save with the range of 50% to 70% on training, when they replace the instructor led training with e-learning. E-learning course can be developed once and used multiple time for training requirements.

5. Tracking of Learner's Process: The tracking of the learner's progress is usually done manually in classroom learning which sometimes result in the incorrect recording of data. This process of recording also consumes huge cost, efforts and manpower. E-Learning courses are given on the Learning Management Systems (LMSs), a software platform, for tracking or monitoring of learner's progress automatically and in an efficient manner.

6. 24/7 Access to Learning Materials: In Classroom Learning students and university course students have to visit the location physically to speak with tutor's face to face during assigned hours which can be limiting for working professions neither the recording of the lectures is available afterwards so that they can take notes. With E

Learning, students can always access learning materials as per his requirement through various sources such as module contents, assignments, lecture materials, podcasts and recorded sessions anytime during their course of studies. Module tutors are always there to assist them through calls, emails, messages etc.

7. Practice while you Study: In Classroom learning students have to leave their jobs and social commitments to complete their degree programme, they will only be able to practice new knowledge once they have joined the workforce. Online Learners can fit studies around their working schedules, and can immediately practice new concepts learned by applying them in the current scope of work.

8. Instructor Focused vs. Learner Focused: The instructor led course or classroom learning course have far more chances of human error. The instructor may be presenting same information many times in a day in different sequences formats and with different examples and also forgetting certain information or adding something extra. The way he or she gives lecture also depends on the personal mood.

In E-Learning the learner has freedom to go back and listen to the information he missed upon to. The information will be presented to him in the same manner and he can learn and retain it better.

9. Level of Personalization: The problem with the traditional methods of teaching is that often a lot of information is presented in a very short period which makes it harder to pay attention or retain for the students. The time constraint problem can be easily detected and covered up in E- Learning by presenting the material as per the requirement of the learner. Moreover, E-Learning tends to be structured in different segments that are easier to digest and easier to work into a busy schedule.

10. Learning Time: In traditional learning the teachers can compress an hour of course into a half hour lecture with their skills and deliver it to the student's which students can write down in their notes which

will further help them to revise those compressed notes faster. Though an E-Learning course has fewer minutes, but the course itself typically span over a longer period because learners are taking smaller amounts of time over more days.

11. Media to Use: The instructor in the traditional classroom scenario can't directly transfer to the virtual environment without the use of other tools that can be used to adapt. E Learning provides a greater range of media use like simulations, interactions, scenarios, and visual storytelling, moving graphics, colors, fonts etc.

### References & Bibliography :

1. Ali Biswas, R., & Nandi, D. S. (2020). Teaching in Virtual Classroom : Challenges and Opportunities. *International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology*, 5(1), 334–337. <https://doi.org/10.33564/ijeast.2020.v05i01.052>
2. Chatterjee, P., & Nath, A. (2015). Massive open online courses (MOOCs) in higher education - Unleashing the potential in India. *Proceedings of the 2014 IEEE International Conference on MOOCs, Innovation and Technology in Education, IEEE MITE 2014*, 256–260. <https://doi.org/10.1109/MITE.2014.7020283>
3. Li, F., Qi, J., Wang, G., & Wang, X. (2014). Traditional classroom VS e-learning in higher education: Difference between students' behavioral engagement. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 9(2), 48–51. <https://doi.org/10.3991/ijet.v9i2.3268>
4. Prasad, M. R., Manjula, B., & Bapuji, V. (2013). Virtual Classroom Pedagogy : New Tendency in Higher Education Institutions. *International Journal of Information and Computation Technology*, 3(7), 671–676. <http://www.irphouse.com/ijict.htm>
5. Saxena, N. (2017). a Study of Proliferation of Digital Literacy in Indian higher education. *International Education & Research Journal [IERJ]*, 3(4), 127–128. [https://www.academia.edu/download/56925604/46-Dr.\\_Niti\\_Saxena.pdf](https://www.academia.edu/download/56925604/46-Dr._Niti_Saxena.pdf)
6. Singh, D., & Pegu, U. K. (2014). Information and Communication Technology in Higher Education in India: Challenges and Opportunities Want more papers like this? Information and Communication Technology in Higher Education in India: Challenges and Opportunities. <http://www.irphouse.com/ijict.htm>
7. Suleri, J. I., & Suleri, A. J. (2018). Comparing Virtual Learning, Classical Classroom Learning and Blended Learning. *European Journal of Sustainable Development Research*, 3(1). <https://doi.org/10.20897/ejosdr/3970>
8. Suresh Babu, G., & Sridevi, K. (2018). International Journal of Research Culture Society Importance of E-Learning in Higher Education: a Study. *International Journal of Research Culture Society*, 2(5), 84–88.
9. Tiruwa, A., Yadav, R., & Suri, P. K. (2018). Modelling Facebook usage for collaborative learning in higher education. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 10(3), 357–379. <https://doi.org/10.1108/JARHE-08-2017-0088>

## वित्तीय समावेशन एवं गरीबी उन्मूलन

डॉ.अंग्रेज सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,  
अर्थशास्त्र, उपाधि महाविद्यालय पीलीभीत, उत्तर प्रदेश।

पंकज कुमार वर्मा

शोधार्थी, अर्थशास्त्र, एम.जे.पी.आर.यू. बरेली, उत्तर प्रदेश।

**भूमिका—** विकासशील देशों में हमेशा से ही गरीबी ज्वलनशील मुद्दा रहा है, और इस गरीबी को मिटाने के लिए विकासशील देशों द्वारा वित्तीय समावेशन के माध्यम से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह भारत में भी वित्तीय समावेशन के द्वारा गरीबों तक पहुंच कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तमाम प्रयास भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इस रिसर्च पेपर में हम अध्ययन करेंगे की भारत सरकार ने भारत में वित्तीय समावेशन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के लिए क्या प्रयास किए हैं, और अब तक उनका परिणाम क्या रहा है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वित्तीय समावेशन आखिर है क्या? वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि बैंकिंग सेवाओं से वंचित रहे गरीब जनता को सुविधा पूर्वक, सरलता से, कम लागत पर वित्तीय उत्पादों की पहुंच बनाना जिससे उनके जीवन स्तर और सामाजिक स्तर में वृद्धि हो सके।

**मुख्य शब्द—**गरीबी, वित्तीय, भारत, विकासशील, समावेशन, सामाजिक, बैंकिंग, अर्थ, जनता।

**परिचय—** वित्तीय समावेशन के द्वारा ऐसे साधनों का विकास किया जाता है जिससे कि गरीब जन तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच प्राप्त हो सके जिससे उनकी गरीबी को दूर किया जा सके अर्थात गरीब जनता को बैंक द्वारा ऋण दिया जा सके जिससे वे अपना स्वयं का छोटा-मोटा कारोबार कर सकें और अपने जीवन स्तर को गरीबी रेखा से बाहर निकाल सकें। एक समय में भारत की लगभग एक तिहाई जनता गरीबी रेखा से नीचे के स्तर पर जीवन यापन कर रही थी परंतु वित्तीय समावेशन के द्वारा सरकार की कोशिशों के बाद आज लगभग कुल जनसंख्या का पांचवा हिस्सा ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। यह सरकार की अच्छी योजनाओं का ही नतीजा है की भारत में गरीबी में कमी आई है।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन की शुरुआत 1949 आरबीआई के (जो सभी बैंकों का प्रतिनिधित्व करता है), राष्ट्रीयकरण के द्वारा की गई थी जिसके बाद 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद वित्तीय समावेशन की अवधारणा उस समय विशेष प्रचलित हुई जब 2005-6 के अंतर्गत सरकार की नीतियों में इस बात पर बल दिया गया की सभी बैंकों को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए कि कम से कम उनके कार्यक्षेत्र में एक जिला 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन में आए।

## वित्तीय समावेशन के बारे में कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं—

“वित्तीय समावेशन एक आर्थिक व सामाजिक विकास है जो कम आय वाले ग्राहकों और संस्थानों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है” आईएलओ।

डॉ सी रंगराजन जोकि वित्तीय समावेशन कमेटी के चेयरमैन थे ने बताया है कि “कमजोर आय वर्ग को निश्चित समय पर वित्तीय सहायता पहुंचाना ही वित्तीय समावेशन है।”

वित्तीय समावेशन द्वारा गरीब जनता को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और मानव के जीवन स्तर में सुधार होता है। इसी तरह कृषि क्षेत्र में भी इसके लिए तमाम योजनाएं हैं जिसके द्वारा किसान संपन्न हो सकते हैं।

भारत को आजाद हुए 70 से भी अधिक वर्ष हो चुके हैं और इतने वर्षों के पश्चात भी हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बैंकिंग सेवाओं से वंचित है, और इस कारण उनके पास बुनियादी वित्तीय सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। इस बात में दो राय नहीं है कि भारत सरकार आरबीआई के साथ मिलकर पिछले लगभग 20 वर्षों से वित्तीय समावेशन पर बहुत जोर दे रहे हैं और अधिक से अधिक वित्तीय समावेशन की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं।

“वित्तीय समावेशन केवल बचत बैंक खाता खोलने के बारे में नहीं है इसमें वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करना और धन प्रबंधन और ऋण परामर्श आदि देना भी शामिल हैं।” क्रिसिल

### वित्तीय समावेशन की विशेषताएं

वित्तीय समावेशन के द्वारा गरीब जनता को बैंक खातों से जोड़ा जाता है। आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) ने बिना बैलेंस वाले खाते खोलने हेतु सभी बैंकों से अपील की है और इस अपील के कारण वित्तीय समावेशन को 2005 में औपचारिक बैंकिंग नीति के रूप में शामिल किया गया था। वित्तीय समावेशन की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

- वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि समाज के सबसे गरीब व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच निर्धारित करना।
- वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक बैंक खाता खोलना है।
- वित्तीय समावेशन द्वारा सतत विकास का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है।
- गरीबों को वित्तीय ज्ञान देकर, उनको बैंक से कम ब्याज दर पर लोन देकर उनको आत्म निर्भर बनाना, और उनके जीवन स्तर को उपर उठाना ही वित्तीय समावेशन का मूल है।

### वित्तीय समावेशन के लाभ

— गरीब जनता के खाते खोलकर उनको बचत की आदत डाली जा सकती है जिससे बुरे वक्त में वह बचत उनके काम आए। इसके साथ ही देश की जनता का पैसा बैंकों में रहता है जिससे देश में पूंजी का निर्माण होता है, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है।

— वित्तीय समावेशन द्वारा गरीब जनता के बैंक में खाते होते हैं इससे उनको मिलने वाले सरकारी लाभ बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधे उनके खातों में दिए जा सकते हैं, अर्थात् से भ्रष्टाचार में कमी आती है।

— गरीबों को बैंकों के माध्यम से अपना खुद का काम धंधा करने के लिए और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ऋण प्राप्त होता है क्योंकि आसान किस्तों में चुकाया जा सकता है जिससे व्यक्ति के जीवन स्तर में बड़ा सुधार होता है।

## भारत में समावेश का विकास

पहले बताया गया है कि आजादी के 70 वर्षों के पश्चात भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बैंकिंग सेवाओं से वंचित है। सन 1991 में बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार करने के साथ-साथ वित्तीय संस्थानों के लिए, परियोजनाओं के विकास पर जोर दिया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने समाज के कमजोर और गरीब वर्गों की जरूरत को पूरा करने के लिए, बैंकिंग उत्पादों को डिजाइन और विकसित करने का निर्देश दिया। इसीलिए वर्ष 2005 में वित्तीय समावेशन की एक महत्वपूर्ण पहल की गई। भारत में वित्तीय समावेशन के विकास की अवधारणा को चार भागों में बांटा जा सकता है –

1. 1950 से 1970— इस समय में बैंकिंग क्षेत्रों में समेकन किया गया और उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों के विकास पर केंद्रित थी, जिसके लिए मजबूत वित्तीय क्षेत्रों की आवश्यकता थी।
2. 1970 से 1990 इस समय के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और समाज के कमजोर वर्गों को ऋण सुविधा से जोड़ने का प्रयास किया गया, इसीलिए इन 20 वर्षों में बैंकों पर बहुत दबाव बढ़ गया।
3. 1990 से 2005— 1990 में औद्योगिक क्रांति हुई और वित्तीय क्षेत्रों में सुधार किया गया, और उसके बाद संस्थानों की मजबूती पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस समय में अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और बैंकों को मजबूत करने के लिए कई परियोजना शुरू की गई। भारत में वित्तीय समावेशन परियोजना की शुरुआत 2000 में हुई।
4. 2005 से 2015— इस समय में बैंकिंग सेवाओं से बहिष्कृत लोगों को बैंकों से जोड़ने हेतु 2006 में रंगराजन समितियों आदि का गठन किया। 2010 से 2015 के मध्य समय में राष्ट्रीय स्तर पर बृहद वित्तीय समावेशन योजना बनाई गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन के विकास के लिए सभी बैंकों को आगामी 3 साल हेतु योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया गया।

## भारत में वित्तीय समावेशन की सामरिक पहल

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के लगभग 58.7 प्रतिशत लोगों तक ही बैंकिंग सेवाओं की पहुंच थी, जिसमें ग्रामीण इलाकों में 54.46 प्रतिशत के पास बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध थीं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 67.6 प्रतिशत लोगों के पास बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध थीं। देश में 2021 में कुल बैंकिंग नेटवर्क 157728 बैंक शाखाओं द्वारा बना है जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 52991 शाखाएं हैं जो कुल प्रतिशत का लगभग 33.6 प्रतिशत है। इसके अलावा सार्वजनिक और ग्रामीण बैंकों से लगभग 1.45 लाख से अधिक कारपोरेट संवाददाता (बीसी) हैं। बीसी बैंकिंग सेवाओं से जुड़े होते हैं और जो बैंकिंग सेवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे बुनियादी खाता खोलना, नगद जमा एवं नकद निकासी आदि करना है।

वित्तीय समावेशन के प्रथम चरण 2010 से 2013 के मध्य कई खाते खोले गए और व्यापक बैंकिंग नेटवर्क स्थापित किया गया। परंतु वित्तीय समावेशन के लिए अभी भी बहुत सारी चुनौतियां मौजूद हैं जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जल्दी में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो बैंक की खराब कनेक्टिविटी, निष्क्रिय बीसी, कम मात्रा में बैंक खाते होने जैसी समस्याओं का समाधान करेगी।

## भारत में वित्तीय समावेशन के लिए उठाए गए कदम

**वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969**— इस दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिससे कृषि उद्योग, ग्रामोद्योग संस्थान आदि के लिए बैंकिंग प्रणाली में तेजी से वृद्धि हुई।

**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण 1974**—प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए 40 प्रतिशत ऋण देने का लक्ष्य रखा गया था जो समावेशी विकास का उद्देश्य था जिसमें कृषि ऋण, सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए ऋण, कमजोर सामाजिक क्षेत्रों के लिए ऋण, गरीब लोगों के आवास के लिए ऋण आदि शामिल थे।

**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975**—ग्रामीण लोगों की जरूरत के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई।

**एस. एच.जी. बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992**— 1992 में असंगठित क्षेत्रों से संबंधित औपचारिक बैंकिंग क्षेत्रों की स्थापना हुई, जोकि सूक्ष्म वित्त हेतु स्वयं सहायता समूह मॉडल था।

**किसान क्रेडिट कार्ड 1998**—यह योजना 1998 में शुरू की गई और इस योजना में किसानों को कम ब्याज पर 50000 से तीन लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाता है और इसके अंतर्गत फसल बीमा और कार्ड धारक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा आदि भी किया जाता है।

**नो फ्रिल अकाउंट 2004**— वित्तीय समावेशन की दिशा में सार्थक प्रयास के तौर पर गरीब आबादी के लिए 2004 में नो फ्रिल बैंक खाता योजना चलाई गई, इस योजना के अंतर्गत खाताधारक को खाते में कोई भी न्यूनतम रकम रखने की आवश्यकता नहीं थी। यह प्रयास वित्तीय समावेशन की दिशा में सार्थक सिद्ध हुआ।

**वित्तीय समावेशन समिति 2006**— पंचवर्षीय योजना के बीच में ही वित्तीय समावेशन योजना को लागू किया गया और इस योजना में जमा, ऋण, बीमा, पेंशन आदि जैसे वित्तीय उत्पादों की निगरानी करना प्रस्तावित था।

**बिजनेस कॉरस्पॉण्डेंट और बिजनेस फ़ैसिलिटेटर मॉडल 2009**— इस योजना के अंतर्गत बैंकों की ओर से बचत और क्रेडिट जैसी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष के तौर पर एजेंटों के उपयोग की अनुमति दी गई।

**स्वाभिमान योजना 2011**—इस योजना के अंतर्गत 21 से 30 वर्ष आयु के बेरोजगार युवकों को वर्ष में 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराना है और उनमें ऐसे कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान करना है जिसमें उनकी रुचि हो जिससे वे आगे चलकर स्थाई रोजगार प्राप्त कर सकें। इस योजना में पात्रता के लिए रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति की वार्षिक आय रुपये 200000 से कम होनी चाहिए। इस योजना के लाभान्वित लोगों को प्रत्येक माह के अंत में उनका मानदेय उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।

**प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014**— यह सरकार की अति लोकप्रिय योजना रही है जो 20 से 65 वर्ष आयु के लिए है। इस योजना के तहत जीरो बैलेंस वाले खाते खोले जाते हैं और प्रत्येक खाते में रुपये 10000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ-साथ दुर्घटना मृत्यु लाभ, विकलांगता बीमा कवर, टर्म लाइफ कवर और वृद्धावस्था पेंशन आदि शामिल हैं।

**प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015**— यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए लागू की गई है। यह एक बीमा योजना है और इसमें बीमित परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर रुपये 200000 की बीमा राशि परिवार को दी जाती है।



**प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना 2015**— असंगठित क्षेत्रा के लोगों को पेंशन का लाभ देने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया। इस योजना द्वारा लगभग 1.08 करोड़ खाते खोले गए।

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016**— इस योजना के अंतर्गत फसल पर बीमा योजना का लाभ मिलता है परंतु किसान का केसीसी खाता होना चाहिए।

**प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना 2018**— यह योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा 2018 में गरीबों के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गरीबों को किसी भी बीमारी के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है।

**प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015**— 2015 में 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए बैंक खातों के माध्यम से आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण अक्षमता होने पर बीमित व्यक्ति को या उसके परिवार को रुपये 200000 तक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

**प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2016**— इसके द्वारा सूक्ष्म उद्योगों के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं और इसकी अधिकतम सीमा रुपये 1000000 तक निर्धारित है।

इससे पहले भी कुछ अच्छी योजनाएं चलाई गईं थी, जो निम्नलिखित हैं—

**स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999**— इसके अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए स्थाई रोजगार प्रदान करने हेतु स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की गई थी।

**राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2010**— इस योजना के अंतर्गत गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करने के लिए सतत आजीविका को प्रोत्साहित किया इसके अंतर्गत औपचारिक ऋण और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच आदि का समर्थन किया गया।

**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005**— मनरेगा के अंतर्गत 2005 में गरीबों के लिए 100 दिनों का रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया गया। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए कम से कम 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है।

**संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001**— इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और ढांचागत विकास आदि पर जोर देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के वार्षिक खर्च के साथ एक योजना शुरू की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने रोजगार आश्वासन योजना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त मजदूरी रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, एक ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास योजना, आदि को मिलाकर 25 सितंबर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बनाई। इस योजना का उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, पोषण स्तर में सुधार करना और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास करना था।

**सुकन्या समृद्धि योजना 2015**— बाल कल्याण विकास मंत्रालय के अंतर्गत लड़कियों के लिए खाता खोलने हेतु यह योजना चलाई गई इसमें 8.5 परसेंट की दर से ब्याज दिया जाता है।

**वन रैंक वन पेंशन योजना 2014**— केंद्र सरकार द्वारा 7 नवंबर 2015 को वन रैंक वन पेंशन योजना की अधिसूचना जारी की गई थी और यह योजना 1 जुलाई 2014 से प्रभावी मानी गई। यह योजना रक्षा क्षेत्रा से जुड़ी थी और इस योजना के अंतर्गत एक ही पद पर पहले और बाद में रिटायर हुए सैन्य कर्मियों की पेंशन समान कर दी गई।

**स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया 2016**— यह भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य स्टार्टअप को उत्प्रेरित करना है और भारत में नवाचार उद्यमिता के लिए एक मजबूत समावेशी परिस्थितिक तंत्रा का निर्माण करना है। इस योजना का लाभ भी बैंकों के माध्यम से दिया जाता है।

**पहल एलपीजी उपभोक्ता योजना 2013**— इसके अंतर्गत बाजार मूल्य पर एलपीजी प्रदान की गई और उसकी सब्सिडी सीधे बैंकों में भेजी गई।

उपरोक्त योजनाओं के अलावा 2008 में रंगराजन समिति ने भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा और उनके प्रस्ताव के आधार पर ही वित्तीय समावेशन बैंकों की शब्दावली में मूलभूत रूप से प्रवेश कर गया। उसके बाद बैंकिंग सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार हुआ। बैंकों ने अपनी शाखाओं में वृद्धि की और बैंक कर्मचारियों ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। इस योजना के अंतर्गत 2000 से ऊपर की आबादी में एक बैंक शाखा और 2000 से कम आबादी में व्यापार संवाददाता को नियुक्त किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, माइक्रो क्रेडिट, त्वरित बैंक योजना आदि का लाभ दिया गया, इसके अलावा डेबिट कार्ड रूपे लांच किया गया जिसने भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास में असाधारण प्रदर्शन किया।

आरबीआई ने एसएलबीसी के पायलट प्रोजेक्ट के तहत एसएलबीसी को एक गांव गोद लेने का निर्देश दिया जहां 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन लागू किया जाए।

इसके अलावा वित्तीय समावेशन के अभियान को बेहतर बनाने के लिए बैंकों को और ग्रामीण क्षेत्रों को स्मार्ट कार्ड नेटवर्किंग आदि की सुविधाएं दी गई। इसी के साथ उत्पादों की जानकारी देने हेतु क्रेडिट और वित्तीय साक्षरता केंद्र और परामर्श केंद्र स्थापित करने की सिफारिश की गई।

### समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2019 से 2024

इस नीति के तहत वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए और औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक किफायती तरीके से पहुंच प्रदान करने के लिए उपभोक्ता को भी वित्तीय साक्षरता प्रदान करना और सुविधाएं देना आदि शामिल है। यह नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई और इसमें भारत सरकार के अन्य वित्तीय क्षेत्रों के नियामकों, जैसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, सिक्योरिटी एक्सचेंज आदि के सुझाव शामिल हैं। इसमें नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड), नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, कमर्शियल बैंक और कॉरपोरेट बिजनेस कॉरिस्पोंडेंस सहित व्यापक विमर्श किया गया। इस नीति के तहत भारत में वित्तीय समावेशन में व्याप्त बाधाओं का विश्लेषण करके उन्हें दूर करके वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों तक पहुंचना शामिल है।

इसके अंतर्गत वित्तीय उत्पादों के प्रति लोगों को वित्तीय साक्षरता और जागरूकता प्रदान करना और सही उत्पाद चुनने की क्षमता लोगों में विकसित करना आदि शामिल है। शिकायत निवारण तंत्रा को भी इस योजना में मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

**निष्कर्ष**— अतः हमने देखा की कैसे वित्तीय समावेशन गरीबी को दूर करने में सहायक है और किस प्रकार की योजनाएं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर वित्तीय समावेशन के विकास हेतु चलाई जा रही हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिले और गरीबी को दूर किया जा सके।

### संदर्भ

- [1] Bell, C and Rouseaub, P. L. (2000). Post-Independence India: A Case of Finance-Led Industrialization, Department of Economics Vanderbilt University Nashville.
- [2] Burgess R.Wong G. & Pande, R. (2005). Banking for the Poor: Evidence from India. Journal of the European Economic Association, 3(2/3), 268-278.

- [3] Chakrabarty K.C (2011), “Financial Inclusion and Banks: Issues and Perspectives”, RBI Bulletin, November 2011
- [4] Chattopadhyay, S. K. (2011). “Financial Inclusion in India: A Case study of West Bengal”, RBI Working Paper Series, WPS (DEPR): 8/2011
- [5] Chibba M. (2009). “Financial Inclusion, Poverty Reduction, and the Millennium Development Goals”, European Journal of Development Research
- [6] CRISIL (2018), ‘CRISIL Inclusix: Financial inclusion surges, driven by Jan-Dhan Yojana’.
- [7] Dev, S.M, and Ravi, C. (2007). “Poverty and Inequality: All India and States, 1983-2005”, Economic and Political Weekly, February 10-16, 2007.
- [8] Ford, J. and K. Rowlingson. 1966. “Low-income Households and credit: Exclusion, Preference, and inclusion”. Environment and Planning.
- [9] Hans, V. B. (2006), Towards a Vibrant Indian Agriculture, Kisan World, Vol. 33, No.2, February.
- [10] <http://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-2016>
- [11] [http://iibf.org.in/iib\\_financeinclusion.asp](http://iibf.org.in/iib_financeinclusion.asp)



**Shodhshauryam**  
**International Scientific Refereed Research**

**Publisher**

**Technoscience Academy**

Website : [www.technoscienceacademy.com](http://www.technoscienceacademy.com)

Email: [info@technoscienceacademy.com](mailto:info@technoscienceacademy.com)

**Email: [editor@shisrrj.com](mailto:editor@shisrrj.com)**